राजभाषा भारती

वर्ष : 32 अंक : 126 जुलाई–सितंबर, 2009

जन जन की भाषा है हिन्दी

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

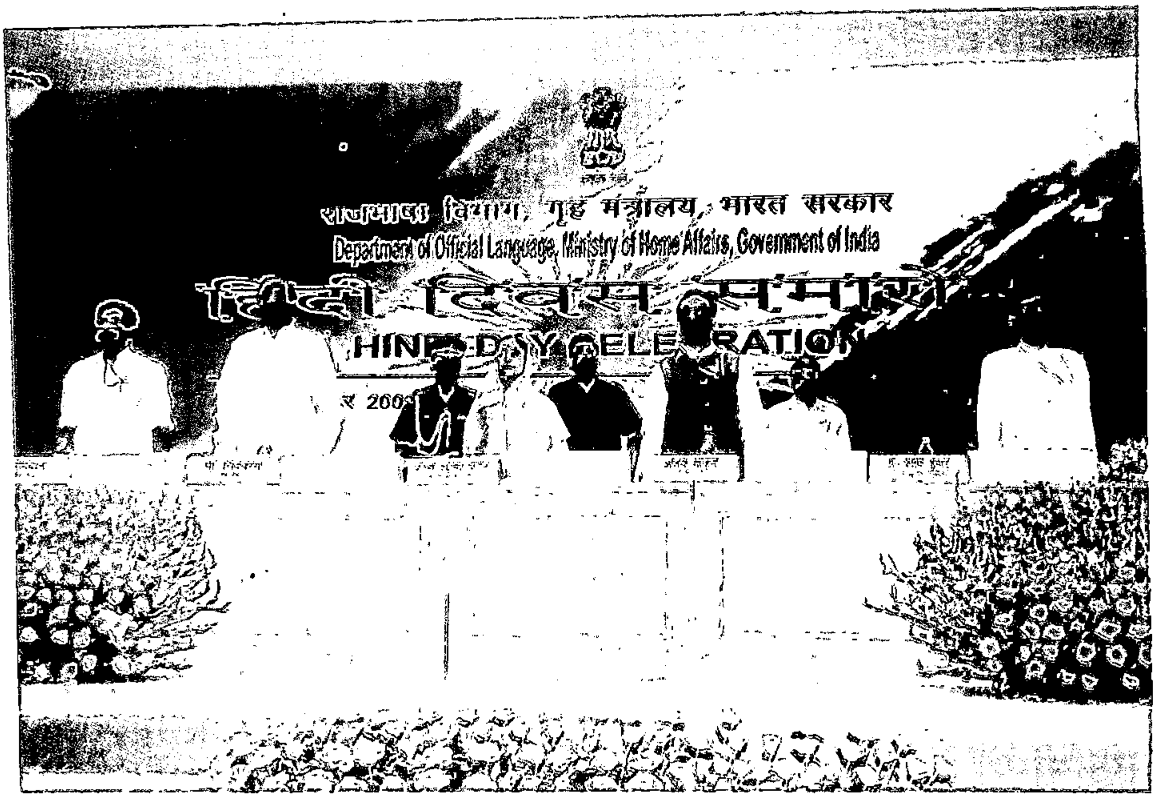

1. राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील (बीच में) माननीय गृह मंत्री श्री पी. चिदंबरम, गृह राज्य मंत्री श्री एम. रामचन्द्रन (बांए), गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन तथा डॉ. प्रदीप कुमार, सचिव, राजभाषा विभाग (दांए), राष्ट्रीय गान करते हुए ।

2. राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह में महामहिम राष्ट्रपति, माननीय गृह मंत्री, माननीय गृह राज्य मंत्री तथा सचिव, राजभाषा विभाग ।

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
—निराला

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 32

अंक : 126

जुलाई—सितंबर, 2009

❑ संपादक
बिजय चंद्र मंडल
निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24619521

❑ सहायक संपादक
शांति कुमार स्याल
दूरभाष : 24698054

❑ नि:शुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

ईमेल—ru-ol@mha.nic.in
patrika—ol@mha.nic.in
पोर्टल—www.rajbhasha.gov..in.

विषय-सूची | पृष्ठ

महामहिम राष्ट्रपति का हिंदी दिवस समारोह पर भाषण (i)

❑ संपादकीय (iii)

❑ चिंतन

1. 'भूमंडलीकरण' के संदर्भ में हिंदी —प्रो. शंकर बूंदेले 1
2. वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी की सार्थकता —मुरारी प्रसाद 3
3. हिंदी शोध : सांप्रत स्थिति, चुनौतियां एवं संभावनाएं —डॉ. उत्तम पटेल 6
4. नए प्रयोग जरूरी है-सरकारी कार्यालयों के हिंदी विभाग में ताजगी के लिए —अमरीश सिन्हा 9
5. हिंदी भाषा के विविध अंगों और कंप्यूटर प्रणाली का मानकीकरण : सूचना प्रौद्योगिकी का संदर्भ —डॉ. हरीश कुमार सेठी 17

❑ विचार-विमर्श

6. दलित कटघरे में संत कबीर —देव प्रकाश मिश्र 22

❑ साहित्यिकी

7. 'मन': सामाजिक मूल्यों एवं समकालीन विमर्शों पर सहज काव्याभिव्यक्ति —डॉ. विभा त्रिपाठी 29

❑ पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य

8. राष्ट्रकवि : मैथिलीशरण गुप्त —कुलदीप कुमार 31

❑ विश्व हिंदी दर्शन

9. विदेशी माटी में पल्लवित और पुष्पित हिंदी —डॉ. एन. एस. शर्मा 33

❑ सामाजिक

10. बदलते हुए सामाजिक परिवेश में पुलिस की भूमिका —डॉ. अखिलेश शुक्ल 42

❑ संस्कृति

11. पांचवां वेद है-आयुर्वेद —बल्लभ डोभाल 45

❑ स्वास्थ्य

12. सीमा सुरक्षा बल की कार्य परिस्थिति में मधुमेह से बचाव एवं शरीर भार पर नियंत्रण —निशाकान्त चतुर्वेदी 48

3481 HA/09—1A

विषय-सूची	पृष्ठ

❑ **राजभाषा संबंधी गतिविधियां :**

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 55

मुख्य कार्यालय आयकर आयुक्त शिलांग; दूरदर्शन केंद्र-हैदराबाद; आकाशवाणी-विशाखापट्टणम; पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. जम्मू; महानदी कोलफील्ड्स लि. संबलपुर; मुख्य आयकर आयुक्त अमृतसर; केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय गाजियाबाद; आकाशवाणी-शिमला; दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली; महालेखाकार ग्वालियर; भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई; मुख्य आयकर आयुक्त पंचकुला; भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लि. नई दिल्ली; पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय; भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून; एन टी पी सी फरीदाबाद;

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 64

गान्तोक; कोलकाता; कटक; शिलचर; कोच्चि; चण्डीगढ़; भंडारा; पटियाला; देवास; शिमला; रांची; कानपुर; कोटा;

(ग) कार्यशालाएं 73

भारी पानी संयंत्र तूतीकोरिन; सीएसआईआर चैन्नई; दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद; कर्मचारी राज्य बीमा निगम भुवनेश्वर; वित्त एवं लेखा नियंत्रक पुणे; आकाशवाणी-नागपुर; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण गोवा; एनएचपीसी लि. चण्डीगढ़; केंद्रीय रेशम बोर्ड भंडारा; आकाशवाणी-अहमदाबाद; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण गोवा; रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक चण्डीगढ़; भारी पानी संयंत्र बड़ौदा; राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान एस ए एस नगर; एन एच पी सी लि. फरीदाबाद; कोयला खान भविष्य निधि रांची; आकाशवाणी-जगदलपुर; आकाशवाणी-महानिदेशालय; महानिदेशालय भा. ति. सी. पुलिस;

(घ) हिंदी दिवस 82

राजभाषा विभाग गृह विभाग, नई दिल्ली;

❑ **संगोष्ठी/सम्मेलन** 83

गुवाहाटी रिफाइनरी; पश्चिम रेलवे-दाहोद; भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून; नराकास चंडीगढ़; बोकारो; पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी शिलांग; प्रधान कार्यालय दक्षिण मध्य रेलवे;

❑ **पुरस्कार/प्रतियोगिताएं** 88

दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद; केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नवी मुंबई;

❑ **प्रशिक्षण** 89

गोवा शिपयार्ड लि. गोवा; इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. गुवाहाटी; पंजाब नैशनल बैंक नई दिल्ली; हिंदी शिक्षण योजना नई दिल्ली;

❑ **पाठकों के पत्र** 95

हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर भारत गणतंत्र की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील का अभिभाषण

14 सितम्बर, 2009

मुझे हिंदी दिवस समारोह में उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है । मैं, उन सभी पुरस्कार विजेताओं को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्हें आज राजभाषा नीति कार्यान्वयन, पुस्तक लेखन और गृह पत्रिका प्रकाशन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं । इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय सहयोग के पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिए गए इन पुरस्कारों का अपना विशेष महत्व है । मुझे विश्वास है कि पुरस्कार विजेता राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में अपने कार्यों को जारी रखने के साथ-साथ दूसरों को भी हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे ।

भाषा मानवीय संस्कृति का एक अनुपम सृजन है । इसमें राष्ट्र की समस्त संस्कृति समाहित और सुरक्षित रहती है । हमारी जीवन शैली, परंपराओं और इतिहास में भाषा का अपना विशिष्ट स्थान होता है । भाषा राष्ट्र की अस्मिता और सम्मान का प्रतीक होती है । इसलिए अपनी पहचान को बनाए रखने और अपनी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए हमें अपनी भाषाओं का संवर्धन, विकास और प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिएं । सभी के सामूहिक प्रयासों से हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार तेजी से कर सकते हैं ।

इस संदर्भ में मुझे आचार्य विनोबा भावे जी का एक कथन याद आ रहा है । उन्होंने कहा था—

"मैं मानता हूँ कि यदि मुझे हिंदी का ज्ञान न होता तो मुझे अपने विराट देश का परिचय न मिलता । ... मैंने अपनी तेरह वर्षों की पदयात्रा में सब लोगों तक पहुँचने में इसी कारण सफलता प्राप्त की कि मैंने हिंदी सरीखी सरल और सुबोध भाषा को माध्यम बनाया । इस प्रकार मैंने हिंदी की कोई सेवा नहीं की बल्कि हिंदी ने मेरी सेवा की; इसलिए मैं उसका बहुत कृतज्ञ हूँ ।"

यह आवश्यक है कि ज्ञान-विज्ञान से संबंधित विषयों की पुस्तकों की रचना सरल व बोधगम्य हिंदी में की जाए। मैं अपने विद्वान लेखकों, जिनके पास ज्ञान का भण्डार है और जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनसे आग्रह करूँगी कि वे अपना कार्य जारी रखें । मैं चाहूंगी कि प्रकाशकगण भी इस कार्य में अपना सहयोग दें ।

किसी भी भाषा का विकास उसमें उपलब्ध ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न विधाओं और सृजित साहित्य की गुणवत्ता पर निर्भर करता है । जिस भाषा में उच्च कोटि का विचार और साहित्य होगा, उसकी माँग भी अधिक होगी । जिन पुस्तकों से हमें मानवीय मूल्यों और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है तथा जिनसे सोचने की क्षमता विकसित होती है, उनसे समाज का उत्थान होता है । ऐसी कृतियों का अनुवाद भी होता है जिससे कि उनमें समाविष्ट मूल्य, दर्शन और विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें ।

सभी देशवासियों ने एक साथ मिलकर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था । राष्ट्र स्वाभिमान को सर्वोपरि मानते हुए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर जोर दिया गया और 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के

सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए । साथ ही भाषा संबंधी निर्णय भी लिए गए । वर्ष 1949 में आज ही के दिन हमारी संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था । इस ऐतिहासिक दिन की याद में प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं ।

आज विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग-प्रसार निरंतर बढ़ रहा है । अपनी व्यापकता और लोकप्रियता के कारण शासन, वाणिज्य, व्यापार, मीडिया आदि क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग स्वत: ही बढ़ रहा है । इसकी प्रसार वृद्धि के लिए मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें हिंदी की सरलता को बनाए रखने के साथ-साथ इसकी शब्द सम्पदा में और वृद्धि करनी होगी । यह कार्य हम संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को अपनाकर सहजता से कर सकते हैं । इसी तरह अन्य भारतीय भाषाओं में भी हिंदी के शब्दों को अपनाया जा सकता है । इससे जहाँ हमारी सामासिक संस्कृति और सुदृढ़ होगी वहीं भावनात्मक एकता भी मजबूत होगी ।

सूचना-प्रौद्योगिकी के इस युग में राजभाषा हिंदी को प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सम्पन्न करना नितांत आवश्यक है । वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी तथा अनुवाद के क्षेत्र में नित नए-नए सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं । हिंदी के प्रगामी प्रयोग में सहायक सॉफ्टवेयरों का निर्माण नीवनतम तकनीक को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए तभी हिंदी और सूचना प्रौद्योगिकी के बीच सामंजस्य स्थापित हो सकेगा । इंटरनेट, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । मुझे बताया गया है कि राजभाषा विभाग इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । मैं इसके लिए उन्हें अपनी बधाई देती हूँ ।

भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ रहा है । अनेक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन हो रहा है । काफी संख्या में विदेशी विद्यार्थी हिंदी की ओर आकर्षित होकर इसे सीख रहे हैं । हाल ही में मैं रूस और तजिकिस्तान गई थी । वहाँ मुझे रूसीं और ताजिक बच्चों का हिंदी संगीत और शास्त्रीय नृत्य देखने का मौका मिला । भारत की प्रदर्शनकारी कला के प्रति उनकी रुचि को देखकर मैं काफी प्रभावित हुई । मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आदान-प्रदान से जहाँ विभिन्न देशों के बीच आपसी मैत्री-भाव और समझ बढ़ती है, वहीं इनके माध्यम से भाषाओं के प्रचार-प्रसार में भी मदद मिलती है ।

इन्हीं शब्दों के साथ हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ ।

धन्यवाद,

जय हिन्द ।

संपादकीय

14 सितंबर को हिंदी दिवस देश-विदेश में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/स्वयं सेवी संस्थाओं आदि द्वारा बड़े धूम-धाम से मनाया गया । इसी श्रृंखला में राजभाषा विभाग द्वारा भी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, मुख्य अतिथि तथा माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया जिसकी रिपोर्ट इस अंक में दी गई है ।

दुनिया आज बहुत छोटी होती जा रही है । 'वसुधैव कुटुंबकम' की उक्ति चरितार्थ हो रही है । ऐसे में दुनिया के सभी देश न सिर्फ अपने समाज से, अपने लोगों से जुड़ने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं बल्कि अन्य देशों के लोगों की भाषा, बोली, रीति रिवाज, संस्कृति जानने और सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं । अमरीका जैसे समृद्ध और विकसित देशों में सैंकड़ों विश्वविद्यालयों में और अब तो निचले स्तर की कक्षाओं में भी हिंदी और भारतीय भाषाओं का भारतीय सभ्यता का अध्ययन-अध्यापन हो रहा है । यह हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन हमें भी इससे कुछ शिक्षा लेनी होगी ।

आज के परिवेश में जब भूमंडलीकरण, वैश्विक परिप्रेक्ष्य और संचार-क्रांति की लहर चारों ओर तेजी से विकासोन्मुखी हो कर जनता जनार्दन और राष्ट्र की सेवा में अपने को समर्पित कर रहा है तो हम भी किसी से पीछे नहीं रह सकते । भूमंडलीकरण का सर्वाधिक परिणाम-बाजार एवं मंडी पर दिखाई देता है, जो हमारे भारतीय बाजार पर भी दिखाई देता है । विदेशी शासक एवं उद्योगपति हमारे यहां अपने उत्पादों को बेचने के लिए हमारी भाषा को माध्यम बनाकर उनकी विश्वसनीयता में निरंतर अभिवृद्धि कराने के पक्षधर दिखाई दे रहे हैं । हिंदी भाषा कई देशों में बोली, सुनी और समझी जाती है और यही बात हिंदी की ताकत बन गई है, जिसे हम 'बाजार की ताकत' और 'ताकत का बाजार' भी कह सकते हैं । इस दृष्टि से विश्व स्तर पर हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है । आज के विश्व बाजार में टिकने के लिए देशों के बीच कड़ी प्रतियोगिता जारी है । इसमें संवाद और भाषा का महत्व और बढ़ जाता है । दूसरों से उनका तकनीकी ज्ञान हासिल करने के लिए हमें जिस प्रकार उनकी भाषा का ज्ञान जरूरी है, उसी प्रकार दूसरों को भी हमारी तकनीक, कला-संस्कृति के ज्ञान के लिए हमारी भाषा की जानकारी आवश्यक है । आज हिंदी भारतीय बाजार और अर्थतंत्र की आवश्यकता बन गई है । सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर के

3481 HA/09—2A

बेहतर इस्तेमाल के लिए हिंदी भाषा को तकनीकी दृष्टि से तैयार करने हेतु भाषा के विविध अंगों और कंप्यूटर प्रणाली के मानकीकरण की भूमिका महत्वपूर्ण है । ऐसे विभिन्न विषयों की जानकारी प्रस्तुत अंक में पाठकों को मिलेगी ।

अन्य भाषाओं की भांति हिंदी भी ऐसी भाषा है, जिसमें निरंतर प्रयोग होते रहने चाहिएं तथा लोगों के हृदय तक पहुंचाने के प्रयास में शब्दों के साथ सम्मानजनक तरीके से पेश आना चाहिए । शब्दों का सम्मान इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम प्रयोग करते समय अक़सर अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं । कार्यालयी या काम-काजी हिंदी की बात होती है तो इस आशय के संबंध में कहा जा सकता है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सरलता और स्पष्टता हो । वाक्य सरंचना सीधी-सादी होनी चाहिए, ताकि सरकारी काम को तीव्र गति से निपटाया जा सके । यदि भाषा में अटपटापन होगा और वाक्य संरचना ठीक नहीं होगी तो सरकार द्‌वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना कठिन होगा । हमें अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपनाने से परहेज नहीं करना चाहिए । साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों की एकरूपता बनी रहे । इसके लिए वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग की अनुमोदित शब्दावली का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए ।

'राजभाषा भारती' परिवार का सदैव यही प्रयास रहता है कि राजभाषा भारती जहां सूचनापरक हो वहीं पाठकों के सामान्य ज्ञान और साहित्यिक ज्ञान में भी वृद्‌धि करे । प्रस्तुत अंक में ऐसे ही विभिन्न विषयों की जानकारी देने का प्रयास किया गया है । राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति राजभाषा भारती की प्रतिबद्‌धता के अनुरूप राजभाषा संबंधी गतिविधियां तथा अन्य नियमित स्तंभ सदैव की भांति इस अंक में दिए जा रहे हैं ।

नया स्तंभ ''विचार-विमर्श'' शुरू किया जा रहा है । यह स्तंभ पाठकों को पसंद आएगा, ऐसा विश्वास है ।

आशा है इस अंक को भी पाठकगण रुचिकर और उपयोगी पाएंगे । प्रबुद्‌ध पाठकों का सहयोग व उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी ।

—संपादक

'भूमंडलीकरण' के संदर्भ में हिंदी

–प्रो. शंकर बुंदेले*

वर्तमान समय भूमंडलीकरण के प्रभाव को रेखांकित कराने वाला है। वास्तव में भारतीय वैदिक काल से ही संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानकर 'वसुधैव कुटुंबकम्' की धारणा प्रचलित रही है, जिसकी नींव मानवीय शाश्वत मूल्यों पर ही आधारित रही है। परंतु आज के स्पर्धात्मक युग में बढ़ती हुई आवश्यकताओं की परिपूर्ति एवं परस्पर निर्भरता के कारण ही एक दूसरे पर निर्भरता में बढ़ोतरी हुई है। परिणामत: भूमंडलीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव स्पष्टत: परिलक्षित होने लगे हैं, चाहे वह बाजार की दृष्टि से हो चाहे सूचनाक्रांति की दृष्टि से हो अथवा एक देश का दूसरे देश के घटनाक्रम एवं चिंतन और जन-जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव हो अथवा आधुनिक जीवन-दर्शन की छाप हो। कुल मिलाकर भूमंडलीकरण की संकल्पना पर शीत-युद्ध की समाप्ति का प्रभाव भी दिखाई देने लगा है। आधुनिक समय में अमेरिका का दबदबा 'भूमंडलीकरण' की नवीन संकल्पना पर स्पष्टत: परिलक्षित होता है। यह पाश्चात्य जीवन-चिंतन शैली एवं उन मूल्यों को भी प्रश्रय देने वाली अवधारणा प्रतीत होती है।

'भूमंडलीकरण' का सर्वाधिक परिणाम-बाजार एवं मंडी पर दिखाई देता है, जो हमारे भारतीय बाजार पर दिखाई देता है। वास्तव में यह सिद्धांत सर्वत्र स्वीकार्य है कि "हिंदी को वैश्विक पटल पर उभारना है तो 'बाजार की हिंदी' और 'हिंदी का बाजार' की नींव रखनी होगी।" विदेशी शासक एवं उद्योगपति हमारे यहां अपने उत्पादों को बेचने के लिए हमारी भाषा को माध्यम बनाकर उनकी विश्वसनीयता में निरंतर अभिवृद्धि कराने के पक्षधर दिखाई दे रहे हैं। "हिंदी भाषा कई देशों में बोली, सुनी और समझी जाती है और यही बात हिंदी की ताकत बन गई है, जिसे हम 'बाजार की ताकत' और 'ताकत का बाजार' भी कह सकते हैं। इस दृष्टि से विश्व स्तर पर हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है।"[1] वर्तमान में अमेरिका ने हिंदी की शिक्षा देने के लिए अपने बजट में विशेष प्रावधान दिया है, जिससे इसी तथ्य की पुष्टि भी होती है।

दूसरी ओर सूचना-क्रांति के युग में हिंदी को भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका का महत्व बढ़ाना होगा। अत: इसे कंप्यूटर की भी भाषा बनना होगा। हिंदी में ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित करना होगा, जिनसे वैश्विक स्तर पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करना संभव हो सकेगा। सौभाग्य से इस दिशा में हमारे यहां सकारात्मक प्रयत्न शुरू है। हम अतिशीघ्र हिंदी को वैश्विक स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान, इंटरनेट, ई-मेल आदि की भाषा के रूप में मूर्द्धाभिषिक्त कराने में जल्द ही सफल हो जाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। इस मत की पुष्टि हमारे महामहिम राष्ट्रपति प्रो. ए. पी. जे. कलाम साहब के विचारों से होती, जो गत वर्ष देश की राजधानी, दिल्ली में आयोजित मायक्रोसॉफ्ट कार्पोरेशन, अमेरिका के सौजन्य से आयोजित सम्मेलन में, अभिव्यक्त की गई थी।

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हम हमारे यहां के उत्पादों पर लेबलिंग हिंदी में करेंगे तो निश्चित ही इससे हिंदी का प्रचार-प्रसार भी होगा चाहे वे दवाइयां हों या अन्य पदार्थ जैसे उपभोक्ता वर्ग की अनिवार्य वस्तुएं, आदि। इस दिशा में जनसंचार माध्यमों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका निर्वहित की है, इसमें कोई दो मत नहीं हैं। प्रो. रामजी तिवारी का अभिमत इस संदर्भ में एक सटीक प्रमाण है, जो इस प्रकार है—"संचार माध्यमों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उनके लिए हिंदी सर्वोपरि उपयोगी भाषा है। हिंदी भाषा भारत के ग्यारह प्रदेशों की अपनी भाषा है, हिमालय की तराई से लेकर, दक्षिण में खंडवा और छत्तीसगढ़ तक, पश्चिम में आमेर से लेकर पूर्व में भागलपुर तक, सामान्य व्यवहार में बोली और समझी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य भागों में भी लोग हिंदी को समझते और बोलते हैं। वैश्विक स्तर पर यह

*विद्युत नगर, वि.एम.वि. रोड, अभियंता कॉलोनी, अमरावती (महाराष्ट्र)

तीसरे क्रमांक की भाषा है। इसके बोलने और समझने वालों की संख्या पचपन करोड़ से अधिक है। इसलिए यदि संचार माध्यमों द्वारा किसी सूचना, संदेश या विचार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है तो भारतीय संदर्भ में हिंदी सर्वाधिक उपादेय है। हिंदी में प्रकाशित होने वाली, पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, धारावाहिकों, चलचित्रों, नाटकों, अकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों, विज्ञापनों आदि की संख्या इसका पुष्ट प्रमाण है।''[2]

यद्यपि वर्तमान भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के दौरान उपभोक्तावादी संस्कृति एवं जीवन-मूल्यों के क्षरण एवं लाभ की जिजीविषा ने हिंदी के समक्ष अनेक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, तथापि भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी के विकास को बढ़ावा ही मिला है। चुनौतियां तो सदैव विद्यमान रही हैं। हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के सहयोग से एक सामान्य शब्दावली का विकास करना चाहिए, जिसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाना संभव हो। संघ एवं राज्य सरकारों के द्वारा निज भाषा के प्रयोग से प्रतिष्ठा अभिवृद्धि का अभियान भी चलाया जाना होगा, तभी भारतेंदु हरिशचंद्र का स्वप्न पूरा होगा, उनके शब्दों में –

''निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै न हिय को शूल।''

प्रयोजनमूलक भाषा के विकास एवं प्रयोग पर अधिकाधिक बल देना होगा। भाषा की प्रयोगशाला समाज है, उसे सतत् हिंदी के नवीन विकसित रूप को आत्मसात कर, प्रतिष्ठित करना होगा। हिंदी के माध्यम से सेवा-अवसर एवं रोजगार को बढ़ावा देना होगा, तभी भूमंडलीकरण के इस दौर में हिंदी का अस्तित्व सुदृढ़ होकर विकास को प्राप्त कर पायेगा।

भूमंडलीकरण के दौर में अन्य भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन एवं संशोधनों को प्रोत्साहित करना भी एक सकारात्मक उपाय होगा, जिससे भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में नवीन आयामों का विकास होगा। इस दृष्टि से अनुवाद का सहारा लेना सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होगा। इस संदर्भ में ऐसी परिभाषिक शब्दावली का विकास करना होगा, जिससे वैश्विक स्तर पर हिंदी के पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग का प्रचलन भी बढ़ेगा। हिंदी को विश्व-बाजार की भाषा बनाना होगा, तभी वह सहज प्रयोग में आ सकेगी। इस दृष्टि से हिंदी में उदारता एवं संग्रहणशीलता की अद्वितीय क्षमता है। हिंदी अनेक भाषाओं से शब्द ग्रहण कर, एक ऐसी वैश्विक भाषा बनने जा रही है, जिससे भूमंडलीकरण के दौर में वह सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकेगी। इस संदर्भ में विविध भारतीय प्रांतीय भाषाओं के चुनिंदा शब्दों के साथ विदेशी-भाषा के शब्दों को भी हिंदी में सहज स्वीकारना होगा, ऐसा हुआ भी है। हिंदी में शोध को बढ़ावा देना होगा एवं शोध की भाषा हिंदी को बनाने के लिए उसकी अभिधात्मक शक्ति एवं एकार्थता को भी बल देना होगा ताकि शोध की वास्तविकता सिद्ध करने के लिए वस्तुनिष्ठता का गुण हिंदी में विद्यमान हो सके।

भूमंडलीकरण के दौर में विकास के नये क्षेत्रों में हिंदी को बल मिला है, इस दृष्टि से प्रो. आनंद प्रकाश दीक्षित का अभिमत इसका पुष्ट प्रमाण है–''साहित्यिक क्षेत्र से हटकर, अब हिंदी के विकास और उसकी समृद्धि के लिए ज्ञान-विज्ञान, तकनीकी, उद्योग, आदि के इतने क्षेत्र खुल गए हैं कि उसकी नानाविध अभिव्यक्ति शैलियां तैयार हो गई हैं और प्रयोग की नयी संभावनाएं आती जा रही हैं। भाषा बहता नीर है। जीवित रहने के लिए उसे प्रयोगधर्मी और यथावश्यक सर्वसमादेशक बनना होगा।''[3]

अंततः भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हिंदी के सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण की प्रवृत्ति और बाजारीकरण एवं अर्थाजन को दूषित प्रवृत्तियों से प्रतिबंधित कर, सशक्त सामाजिक भाषा के रूप में विकसित होना होगा, इसके लिए हम सभी को हर दृष्टि से हर संभव समन्वित प्रयास करने होंगे, तभी कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर का यह स्वप्न पूरा हो सकेगा, जिसे उन्होंने इस प्रकार देखा था–''जिस हिंदी भाषा के खेत में, भावों की ऐसी सुनहरी फसल लहलहा रही है, वह भाषा भले ही कुछ दिन यों ही उपेक्षित पड़ी रहे पर उसकी स्वाभाविक उर्वरता अक्षुण्ण रहेगी। वहां फिर हरीतिमा के सुदिन आएंगे और पौष मास में फिर 'नवान्न उत्सव' आयोजित होगा।''[4]

संदर्भ-सूची

1 'डाक' पत्रिका वर्ष सितंबर, 2004 'वैश्वीकरण और हिंदी का बदलता स्वरूप'–श्रीमती धृति नेमा, पृ. 26

2 'संचार माध्यम और हिंदी'–प्रो. रामजी तिवारी द्वारा अध्यक्षीय संबोधन का भाषणांश– 'संचार माध्यम और भाषिक संदर्भ' आयोजित, टीकाराम जगन्नाथ कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, द्वारा आयोजित संगोष्ठी, खडकी (पुणे)।

3 'संचार माध्यम में हिंदी भाषा की प्रयोग धर्मिता'–प्रो. आनंद प्रकाश दीक्षित का भाषणांश।

4 'हिंदी विश्वभाषा के रूप में'–डॉ. हिमांशु जोशी, हिंदी साहित्य पचास वर्ष महाराष्ट्र शासन, हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई, पृ. 264।

वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी की सार्थकता

—मुरारी प्रसाद*

"भारत में हिंदी के बिना मैं गूंगा हूं"—महात्मा गांधी

भारत में अधिसंख्यक जनसंख्या जनता चाहे वह किसी भी क्षेत्रीय भाषा भाषी के हों, हिंदी सभी समझते और बोलते हैं, अत: भारत के किसी भी क्षेत्र में हिंदी द्वारा संवाद सम्भव है। हिंदी जानने वालों को देश के किसी भी कोने में संवादहीनता का सामना नहीं करना पड़ता है। आज भारत में लोगों के बीच सम्प्रेषण अभिव्यक्ति, सूचना और जनसम्पर्क का सबसे सशक्त माध्यम हिंदी है, यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी।

एशिया में चीन के बाद, जहां अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में चीनी यानी मन्दारिन को जो दर्जा प्राप्त है, वही दर्जा भारत में हिंदी को प्राप्त है दुनिया के अनेक देशों जैसे रूस, फ्रांस, जर्मनी भी ऐसे उदाहरण हैं जहां अनेक छोटी–छोटी भाषाओं के रहते हुए उनके राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में क्रमश:, रूसी, फ्रेंच, और जर्मन को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है और वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फल–फूल रहे हैं। इन देशों के लोग अपनी अपनी राष्ट्रभाषाओं पर गर्व करते हैं और उनके उतरोत्तर विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। अंग्रेजी भाषा की पहचान विश्व में एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बन गई है । कैसे? आइये, जरा इतिहास के झरोखे से देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है, जिसे यहां तक पहुंचाने में अंग्रेजी के विद्वानों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, परंतु इसके प्रचार–प्रसार के कुछ ऐतिहासिक और राजनैतिक कारण भी हैं। यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति (जिसका अगुआ इंग्लैन्ड था) के बाद लगभग पूरे विश्व में ब्रिटेन के औद्योगिक साम्राज्य स्थापित हो गयें, जो आगे चलकर राजनैतिक साम्राज्य में परिवर्तित हो गये। यूरोप के वो सभी देश जहां औद्योगिक विकास हुआ वे सभी दुनिया में अपने नए उपनिवेश बनाने की होड़ में लग गए, उपनिवेशवाद का जन्म हुआ, और ग्रेट ब्रिटेन एक नयी औपनिवेशक शक्ति बनकर उभरा, जिसके उपनिवेश पूरी दुनिया में फ़ैले हुए थे। इसके बारे में कहा जाने लगा कि ब्रिटेन राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। इसी उपनिवेशवाद के कारण दुनिया को दो विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा ।

उपनिवेशवाद दुनिया में उत्पादनों के साधन, स्रोत और बाजार पर अपनी राजनैतिक अधिकारों की वो सोच थी जिसमें अपने मुनाफे के लिए कुछ भी जायज और नाजायज किया जा सकता था- -युद्ध से लेकर मानवीय उत्पीड़न और शोषण तक, मानवीय संवेदनाओं और कष्टों से उसका कुछ भी लेना–देना नहीं होता, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें अपने देश में देखने को मिलता है, जहां दो सौ सालों तक ब्रिटिश हुकूमत का उपनिवेश कायम रहा और दो सौ सालों तक मानवीय उत्पीड़न का सिलसिला चलता रहा । गुलामी की जंजीर ने, न केवल हमसे जीने का अधिकार छिने बल्कि उसने हमारे पूरे वजूद (सांस्कृतिक अस्मिता) को हिला कर रख दिया/विश्व का इतिहास गवाह है कि विजेता देश या कौम हमेशा से ही विजित देश या पराजित गुलाम कौम पर अपनी भाषा या संस्कृति लादने की कोशिश करती है, हमारे साथ और लगभग दुनिया के सभी औपनिवेशिक देशों की जनता के साथ भी यही हुआ। राज काज की भाषा अंग्रेजी बन गई पूरे देश में अंग्रेजी को प्रोत्साहन मिला और ब्रिटिश मिशनरियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसमें इन्हें बहुत हद तक सफलता भी मिली । स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य बना दी गई पढ़ने लिखने वाले लोग नौकरी के लिए अपनी भाषा छोड़ अंग्रेजी की तरफ जाने लगे जो कि आजादी के इतने दिनों बाद भी कायम है। लेकिन बावजूद इसके अंग्रेजी भारत के लाखों करोड़ों ग्रामीण और शहरी मेहनतकश जनता के हृदय में स्थान नहीं बना पाई और ना ही अंग्रेजी संस्कृति उनकी सांस्कृतिक जड़ों से उन्हें तोड़ पाई । भारत में आज़ भी अंग्रेजी आभिजात्य वर्ग की ही भाषा के रूप में अपना स्थान बना पाई है । आम लोगों

*जी-2, विश्वास एपार्टमेंट, न्यू वाडेम, वास्को-डी-गामा, गोवा

3481 HA/09—3A

की भाषा के रूप में नहीं, जिसे मध्यम वर्गीय लोग नौकरी पाने या दिखावे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वह एक औपनिवेशिक साइड एफेक्ट की तरह है ।

भाषा चाहे कोई भी हो, जब तक वह आम जनता से नहीं जुड़ती, उसका विकास नहीं होता है ।

सभ्यता के विकास के साथ ही भाषा के विकास की कहानी भी जुड़ी हुई है। मोहनजोदड़ों की खुदाई में मिले अवशेषों पर लिखी हुई जो लिपियां मिली हैं, वो पाली भाषा से मिलती जुलती हैं, ऐसा पूरे पुरातत्व इतिहासकारों का मानना है, हो सकता है पाली उस समय के जनसाधारण की भाषा रही हो, जिससे आगे चलकर अनेक दक्षिण भारतीय भाषाओं का उद्भव हुआ, ऐसा अनेक विद्वानों का मत है। संस्कृत भी वैदिक युग में अपने विकसित रूप में थी। वेदों की भाषा भी यही है। उपनिषेदों की रचना भी इसी भाषा से हुई तथापि यह समकालीन पढ़े लिखे, बुद्धिजीवियों, प्रकांड पंडितों या विद्वानों और ऋषियों की भाषा थी। जनसाधारण की नहीं, इसीलिए इसका विकास भी सीमित ही रहा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम वाल्मिकी रामायण को दे सकते हैं, बाल्मिकी के बाद भी अनेक रचनाकारों ने संस्कृत भाषा में ही रामायण की रचना की लेकिन वो जनमानस को उतने प्रभावित नहीं कर पाए जितना की उसके बहुत बाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस ने किया । रामचरित मानस की मूल भाषा अवधी से मिलती है जो उस समय की लोक भाषा थी । जबकि उस समय राज-काज की भाषा मुगलकालीन अरबी फारसी जो आगे चलकर उर्दू के रूप में विकसित हुई । उसी तरह भक्तिकाल के सभी कवियों, सूर, मीरा, कबीर, रसखान सभी ने अवध की लोकभाषा को ही अपनी रचना का मुख्य माध्यम बनाया जो जनमानस में रच-बस कर एकाकार हो गई ।

आधुनिक युग के तीन लेखकों, जिनकी समसामयिक रचनाओं (साहित्य) में अपने गांव देश के आम लोगों का दुख-दर्द, उनकी विसंगतिओं को कागज पर इस तरह उकेड़ा (वास्तविक रूप में) गया कि उनकी रचनाएं देश और काल की सीमा को लांघ चुकी हैं, ये हैं, भारत के मुंशी प्रेमचंद, चीन के लू सून और सोवियत रूस (उस समय) के मेक्सिम गोर्की, इन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में अपने साहित्य की रचना की परंतु भाषा की दीवार उनको विश्व साहित्य होने से रोक न सकी, इतना ही नहीं इनकी रचनाओं ने अपने अपने परिवेश में सामजिक परिवर्तन के लिए जमीन भी तैयार की । ऐसे ही एक महान लेखक रूस के ताल्स्टाय भी थे, जिनकी कृतियों ने अनेक लेखकों बुद्धिजीवियों, सामाजिक चिंतकों को एक नई दिशा और प्रेरणा प्रदान किया ।

अतः भाषा चाहे जो भी हो, उत्कृष्ट साहित्य वही होता है, जिसका सामाजिक सरोकार हो, जिसका रिश्ता समाज के आम आदमी के दुख दर्द से हो और जो समाज को एक नई दृष्टि प्रदान करता हो ।

भारत में हिंदी इस कसौटी पर पूरी खरी उतरी है, क्योंकि यही एक ऐसी भाषा है जो आम से खास तक, समाज के सभी वर्गों से सरोकार रखती है। आत्मसात (अपने में सब कुछ समाहित करना) करने की इसकी विलक्षण क्षमता तो मानो महासागर की तरह है हिंदी भारत की आदि भाषाओं के गंगोत्री से निकलकर अनेक छोटी बड़ी निर्झर नदी नालों को अपने में समेटते हुए पवित्र गंगा, गंगासागर में समाहित हो सागर से एकाकार हो जाती है । हिंदी का हृदय इतना विशाल है कि इसमें अनेक भाषाओं जैसे अरबी फारसी अंग्रेजी उर्दू व अन्य विदेशी भाषाओं को भी बिना किसी भेद-भाव के अपने में समाहित कर लिया है, जैसे वे सभी इसके अपने हों, यही तो इसकी असली विशेषता है, जो इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय पहचान देता है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक बनाता है ।

भाषा के विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी समय पूरी दुनिया में लगभग दो हजार भाषाएं थीं लेकिन अब लगभग आठ सौ ही बची हुई हैं, बाकी या तो विलुप्त हो गयी हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं । निस्संदेह आत्मसात न करने की प्रवृति ही उनके विनाश का कारण बना होगा । लेकिन हमारे लिए ये गर्व की बात है आज हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी विश्व की चार प्रमुख भाषाओं चीनी (मंदारिन), अंग्रेजी, अरबी, एवम हिंदी में से एक है । हमारे लिए यह भी गर्व की बात है कि हम विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र में रहते हैं । आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत जैसे बहुभाषाई बहुसंस्कृति वाले राष्ट्र में एक राष्ट्रभाषा के महत्व

3481 HA/09—3B

को समझा और हिंदी को इस योग्य समझा कि उसे राजभाषा का दर्जा दिया जाए क्योंकि यह भारत की अकेली भाषा है जो बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है और जो अनेक भाषाओं से मिल कर बनी है । [14 सितंबर 1949 में, भारतीय सविंधान के अनुच्छेद-343 के द्वारा हिंदी को भारतीय गणराज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया ।] आइए अब भारत के विकास के परिदृश्य पर नज़र डालते हैं ।

आज हमारा देश विकास के उच्चतम शिखर की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है । चांद पर पहुंचने वाला यह चौथा देश (अमरीका, चीन, रूस एवं भारत) बन चुका है । दुनिया के शक्तिशाली देश इसकी नाभिकीय शक्ति का लोहा मान चुके हैं और वह आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्रों की पंक्ति में छठे देश के रूप मे खड़ा है (अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और भारत) इसकी शक्ति और संभावनाओं को पहचानते हुए अमरीका जैसे महाशक्ति ने इसके साथ गैर सामरिक आणविक संधि की पहल की है । आर्थिक क्षेत्र में हमारी मजबूती इसी से झलकती है कि मौजूदा आर्थिक मंदी के दौर में भी जहां अमरीका जैसे देशों के कई बैंक और कंपनियां दिवालीया हो गईं हैं, जिसके चलते हज़ारों लोगों के सामने छंटनी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है, हमारे राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्थायें, पब्लिक सेक्टर इकाइयां/उद्योग (जिसमें हमारी नवरत्न कंपनियां भी हैं) मजबूती के साथ खड़े हैं । आर्थिक मंदी की मार हम पर भी है हम विचलित नहीं हैं-अपने मजबूत आर्थिक ढांचे की ताकत के कारण । वित्तीय वर्ष-2009-10 में हमारी औद्योगिक विकास की दर में 7.5% की अपेक्षा की जा रही है । हालांकि अभी हमें कई मोर्चों पर जैसे गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जंग जीतनी है । हम अपने पड़ोसी देश चीन जिसकी जनसंख्या और सामाजिक ढांचा लगभग हमारी ही तरह है, कि तुलना में थोड़े से पीछे हैं । भाषा के क्षेत्र में भी हम उनसे पीछे इसीलिए हैं कि वहां चीनी क्रान्ति के पहले किसी एक भाषा का वर्चस्व नहीं था । चीन के अलग-अलग हिस्सों में कई देशों के उपनिवेश थे ।

आजादी मिलने के बाद हिंदी का विकास राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उतनी तेज़ी से नहीं हो पाया जितनी अपेक्षा थी । कारण और चाहे जो भी रहा हो लेकिन प्रमुख कारण एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी एवं भाषा के बारे में स्पष्ट नीतियों का अभाव ही था । लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में स्थिति में व्यापक बदलाव आया है ।

आर्थिक उदारीकरण और वैश्विकरण की नीतियों के आने के बाद पूरे विश्व का परिदृश्य बदल चुका है । आज पूरा विश्व एक बाज़ार के रूप में सिमट चुका है । आज बाज़ार में वही देश टिक सकता है जो उत्पाद और सेवा के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट तकनीकी ज्ञान के बलबूते पर विश्व बाज़ार के मानदंडो पर खरा उतरे ।

भारत के पास उसका सबसे बहुमूल्य विशाल मानव संसाधन है । आज विज्ञान और तकनीक से संबद्ध हमारे विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक पूरे विश्व पर छाए हुए हैं , विशेषकर अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, खाड़ी के देशों एवं अफ्रीका के देशों में इनमें एक बहुत बड़ी संख्या हिंदी भाषीयों की है इसलिये कई देशों (विकसित एवं विकासशील) में हिंदी वहां की जरूरत बनती जा रही है । हिंदी संगीत और फिल्मों की मांग वहां पहले से ही थी । एक समय (60 के दशक के करीब) राजकपूर की हिंदी फ़िल्मों ने पूरे सोवियत संघ (रूस) में धूम मचाई थी । देवानंद और दिलीप कुमार की भी कई फिल्मों ने विदेशों में अच्छी शोहरत बटोरी । आज की फिल्मों की मांग भी विदेशों में बदस्तूर जारी है ।

आज के विश्व बाज़ार में टिकने के लिए देशों के बीच कड़ी प्रतियोगिता जारी है । इसमें संवाद और भाषा का महत्व और बढ़ जाता है । दूसरों से उनकी तकनीकी ज्ञान हासिल करने के लिए हमें जिस प्रकार उनकी भाषा का ज्ञान जरूरी है, उसी प्रकार दूसरों को भी हमारी तकनीक, कला-संस्कृति के ज्ञान के लिए हमारी भाषा की जानकारी आवश्यक है । यही कारण है कि अमरीका एवं अन्य विकसित यूरोपीय देशों में उनकी सरकार द्वारा हिंदी के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जा रहा है । न सिर्फ हिंदी बल्कि संस्कृत, आयुर्वेद, योगा के अध्ययन और शोध के लिये वहां कई शिक्षण संस्थायें कार्यरत हैं और लाखों विदेशी भारत में भाषा एवं अन्य विषयों के अध्ययन के लिये भारत आ रहें हैं । लगता है वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से जगत गुरू बन अपने ज्ञान के प्रकाश से चारों दिशाओं को आलोकित करेगा ।

शेष पृष्ठ 41 पर

हिंदी शोध: सांप्रत स्थिति, चुनौतियाँ एवम् संभावनाएँ

–डॉ उत्तम पटेल*

'शोध' शब्द 'शुद्ध' धातु से निष्पन्न हुआ है। शोध के लिए अनेक पर्याय प्रचलित हैं तथापि शोध-कार्य के लिए 'शोध' एवम् 'अनुसंधान' शब्द रूढ़ हो गए हैं। किसी वस्तु सत्य के ज्ञात-अज्ञात सूक्ष्म तथ्यों का व्यवस्थित व क्रमिक अध्ययन-अनुशीलन अनुसंधान कहलाता है। 'अनुसंधान' को अंग्रेजी में 'Research' कहा जाता है। अनुसंधान निरीक्षण तक सीमित न रहकर समस्या का निदान भी खोजता है। एक सफल अनुसंधानकर्ता किसी नए सत्य की खोज के साथ पुराने तथ्यों को नए ढंग से प्रस्तुत करके, प्रदत्तों में व्याप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण करता है। हिंदी शोध की सांप्रत स्थितियाँ, चुनौतियाँ और संभावनाएँ निम्नलिखित हैं :–

1 स्थिति

हिंदी भाषा और साहित्य पर गंभीर शोध करने की प्रवृत्ति पहले से कम हुई है। सच तो यह है कि साहित्य की रचना तो अकेले में रहकर की जा सकती है, लेकिन शोध अकेले में किया जाने वाला काम नहीं है। उसके लिए आवश्यक सुविधाएँ , जरूरी सामंग्री तथा मूलभूत आर्थिक संरक्षण की जरूरत होती है। जब तक शोधकर्ता के लिए ये चीजें सुनिश्चित नहीं हो सकेंगी, तक तक वह एक अच्छे और व्यापक शोध की ओर उत्साहित नहीं हो सकेगा। इसलिए मुझे लगता है कि यदि कुछ संस्थाएँ स्नातकोत्तर शोध के इस दायित्व को उठाएँ और उसे अपना मुख्य उद्देश्य बनाएँ तो इससे हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा आ सकेगी।

शोध की दुर्दशा का कारण यह है कि उसे अध्यापन कार्य से जोड़ दिया गया है। हमारे विश्वविद्यालयों में साहित्य से संबंधित जो शोध कार्य हो रहे हैं, वे मुख्यत: उपाधि प्राप्त करने पर केंद्रित होते जा रहे हैं। विद्यार्थी शोध की ओर सामान्य रूप से अपने लाभों को ध्यान में रखकर अग्रसर होते हैं। विश्वविद्यालय आयोग के नीति-नियमों के अनुसार अध्यापक होने के लिए नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना या एम.फिल. या पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए अधिकतर विद्यार्थी शोध-कार्य की ओर उन्मुख होते हैं। उनका आशय सिर्फ उपाधि पा लेने भर का होता है ताकि वे अध्यापक बनने के लायक बन सकें। और जो अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं वे भी अपने लाभ हेतु तथा कॉलेजों में प्राचार्य बनने की योग्यता पाने हेतु ही शोध-कार्य करते हैं। अथवा NAAC के लिए शोध कार्य करने के लिए अध्यापकों पर दबाव डाला जाता है। इस कारण शोध का स्तर गिरता जा रहा है। अत: आवश्यक है कि हिंदी शोध की गरिमा और स्तर बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शोध आयोग की स्थापना की जाए।

शोध-कार्य के लिए सामान्य रूप से घिसे पिटे विषयों को चुना जाता है। उसमें मौलिकता का नितांत अभाव होता है। शोधार्थी व मार्गदर्शक इसके लिए शॉर्टकट अपना रहे हैं।

शोध-छात्र शोध प्रविधियों से सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं।

12-13-14 जनवरी, 2007 के दौरान नई दिल्ली में त्रिदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव 2007 का भव्य आयोजन किया गया था। 13 जनवरी के सभी अकादमिक सत्र नई दिल्ली के त्रिवेणी सभागार में आयोजित किए गए थे। इस दिन के प्रात:कालीन सत्र में हिंदी अध्ययन और अनुसंधान: स्थिति और सम्भावनाएँ विषय पर केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के निदेशक डॉ. शंभूनाथ ने हिंदी के क्षेत्र में शोध की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हिंदी में शोध की स्थिति सूखी घास के ढेर की तरह है। इस स्थिति में सुधार की नितांत आवश्यकता है।

*अध्यक्ष, हिंदी विभाग, श्री वनराज आर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉलेज, धरमपुर, जि. वालसाड-396050

डॉ जयंती प्रसाद नौटियाल (www.abhivyakti-hindi.org, 9 जुलाई, 2007) ने भाषा शोध अध्ययन का निष्कर्ष देते हुए कहा है-हिंदी जानने वालों की संख्या 1023 मिलियन है। फिर भी ज्ञान-अनुसंधान के काम प्राय: हिंदी में नहीं हो रहे हैं। उच्च शिक्षा का लगभग अध्ययन और अध्यापन अँग्रेजी में हो रहा है।

छठे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव के समापन समारोह में हिंदी अध्ययन और अनुसंधान विषयक सत्र में टेक्सास विश्वविद्यालय, अमेरिका के प्रो. हरमन वॉन ऑलफन ने कहा था कि विदेशों में हिंदी के पठन पाठन की सामग्री और संसाधनों दोनों का ही अभाव है। यही वजह है कि विदेशों में हिंदी सीखने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने में शिक्षकों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। (jagran.yahoo.com)

कदाचित ही किसी को यह आभास होगा कि हिंदी प्रचार प्रसार का वह मार्ग कैसा कंटीला है। संसाधनों की सीमितता, अधिकारियों की उदासीनता, स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई का प्रबंध का न होना, हिंदी भाषा शिक्षकों का घोर अभाव ये सब हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार मार्ग में विघ्न बनकर खड़े हैं।

प्राचीन कवियों की पाण्डुलिपियों की खोज, उनके पाठ भेद के अनुसार पाठानुसंधान का महत्वपूर्ण प्रयास आधुनिक खोज की उपलब्धि है।

हिंदी के प्रचार-प्रसार में एक कारण मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का भी है। तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ और बांग्ला भाषा में फिल्मों की संख्या हिंदी फिल्मों से दो गुने से ज्यादा है। लेकिन सिनेमा दर्शकों के आंकड़े कहते हैं कि हर पांच में चार दर्शक हिंदी फिल्मों के ही होते हैं।

केंद्रीय हिंदी संस्थान (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी), आगरा की स्थापना सन् 1961 में हुई थी। यह मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्‌शासी संस्था है, जो केंद्रीय हिंदी शिक्षण मण्डल द्वारा शासित है। इसका उद्देश्य हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण, हिंदी भाषा, साहित्य और तुलनात्मक भाषाविज्ञान के उच्चतर अध्ययन के अलावा हिंदी का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार एवं प्रसार करना है। संस्थान ने भारत के हिंदीतर राज्यों के हिंदी शिक्षकों के अलावा श्रीलंका और अफगानिस्तान के लिये भी पाठ्यक्रम तैयार किए हैं।

संस्थान में हिंदी शिक्षण के अतिरिक्त हिंदी पर व्यतिरेकी भाषाविज्ञान, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, कोश विज्ञान, भाषा शिक्षण, शैली विज्ञान, अनुवाद, समाज भाषाविज्ञान, मनो-भाषाविज्ञान आदि दृष्टिकोणों से शोध कार्य होता है। इन विषयों पर संस्थान अनेक पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है। संस्थान एक शोध पत्रिका 'गवेषणा' प्रकाशित करता है तथा उच्च कोटि के शोध अध्ययनों को 'मोनोग्राफ' तथा पुस्तकों के रूप में भी प्रकाशित करता है। खंडों में 'हिंदी लोक शब्दकोश' भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा संस्थान के विकास में केंद्रों द्वारा संचालित विभिन्न नवीकरण एवं उच्च नवीकरण कार्यक्रमों का इस दिशा में महती योगदान है। विभिन्न विषयों पर शैषिक-बौद्धिक विकास के उद्देश्य से आयोजित अखिल भारतीय संगोष्ठियाँ संस्थान की महत्वपूर्ण शैक्षिक गतिविधियाँ हैं। संस्थान का मुख्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा नगर में है। इसके केंद्र दिल्ली, हैदराबाद, शिलांग, गुवहाटी, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर तथा अहमदाबाद में हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान के हिंदी अध्यापकों को हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण देने में विशेषज्ञता हासिल है और संस्थान उनके लिये अल्पकालिक गहन नवीकरण पाठ्यक्रम भी चलाता है।

2. चुनौतियाँ

युवा अध्यापकों के सामने चुनौती है कि वे उपलब्ध सामग्री की प्रासंगिकता की पहचान करते हुए उसे आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करें, ताकि छात्र पाठ से जुड़ सकें।

अध्यापकों को आत्म आलोचना करनी चाहिए। साहित्यिक शोध के लिए क्षमता और दृष्टि की जरूरत होती है। दलित और स्त्री चेतना इतिहास का पुनर्लेखन करेगा और किए गए रिसर्च का पुनर्मूल्यांकन भी, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए।

अपने आपको हमें शोध संबंधी नई तकनीकियों से सुसज्जित करना चाहिये, तभी हम हिंदी साहित्य के शोध की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा सकेंगे।

शोध, शोध के लिए होना चाहिए। इसे वेतन बढ़ोत्तरी, प्राचार्य होने की योग्यता या नौकरी पाने की सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए।

हिंदी की अध्ययन पद्धतियों और अनुसंधान की दशा-दिशा का विशद विश्लेषण करना तथा हिंदी की वर्तमान अवस्था के मूल्यांकन की बात आवश्यक है।

3481 HA/09—4A

आज भी ज्ञान–अनुसंधान के काम प्रायः हिंदी में नहीं हो रहे हैं। उच्च शिक्षा का लगभग अध्ययन और अध्यापन अंग्रेजी में हो रहा है। दरअसल हिंदी की शक्ति यहाँ नहीं है, अंग्रेजी से उसकी तुलना इसलिए भी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि हिंदी एक ऐसे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, जो विश्व मानचित्र पर अपने विस्तारवादी, उपनिवेशवादी चरित्र के लिए नहीं बल्कि सहिष्णुता के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र है। फिर भी आज हिंदी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, क्या आप इस तथ्य पर गर्व नहीं कर सकते ?

शोधार्थी को चाहिए कि वह हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय व विदेशी साहित्य से भी परिचित हो तथा अन्य शास्त्रों व वाङमय से भी अनभिज्ञ न हो।

3. संभावनाएँ

हिंदी साहित्य के शोध छात्र भी अब शोध सिलसिले में इंटरनेट का रुख करने लगे हैं और गूगल सर्च एवं हिंदी विकिपीडिया तथा हिंदी वेब साइटों के लेखों में दिए गए संदर्भ लिंकों के माध्यम से हिंदी चिट्ठों पर उपलब्ध सामग्रियों में से भी अपने उपयोग लायक सामग्री तलाश रहे हैं। इसके लिए ब्राउजर पर हिंदी टूलबार या हिंदी गाथा के टूलबार उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं ।

शोध कार्य में प्रवेश के लिए योग्यता के रूप में सिर्फ उपाधियों को महत्व न देकर शोध-कार्य के अनुभव व शोध दृष्टि को प्राधान्य देना चाहिए। शोध कार्य में निपुणता हेतु शोध प्रविधि की शिक्षा की व्यवस्था विश्वविद्यालयों को करनी चाहिए।

शोध कार्य में प्रवेश हेतु एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसके लिए राष्ट्रीय शोध आयोग की स्थापना करनी चाहिए।

किसी भी संस्था में नवोन्मेष तथा शोध प्रक्रिया का अभिप्रेरण जीवंत प्रशासकीय सक्रियता तथा सुदृढ़ शैक्षणिक आधार पर अवलम्बित है। विश्वविद्यालयों को इस ओर निरंतर प्रयासरत होना चाहिए। विश्वविद्यालयों का पुस्तकालय अत्यन्त समृद्ध हो तथा उसे प्रतिवर्ष वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ साहित्य तथा पत्र-पत्रिकाओं द्वारा लगातार सज्जित किया जाना चाहिए। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल परिसर में नेटवर्किंग द्वारा इन्टरनेट सुविधाएँ प्रदान करके तथा पुस्तकालय को इनफ्लिबनेट से जोड़ कर की जा सकती है। 4000 से भी अधिक शोध पत्रिकाओं के पूर्ण प्रारूप यू.जी.सी. इन्फोनेट प्रायोजना के अंतर्गत ऑनलाइन उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुरूप दूसरे पुस्तकालयों से भी विश्वविद्यालयों को भी नेटवर्क द्वारा जुड़ना चाहिए।

शोध परिणामों के अनुभवों को शिक्षकों एवं छात्राओं के लाभ की दृष्टि से विभिन्न माध्यमों द्वारा विस्तार गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। विश्वविद्यालयों के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय व राष्ट्रीय कार्यशालाओं, सेमिनारों, संगष्ठियों व परिचर्चाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। साथ ही अध्यापकों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन व सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। अध्यापकों एवं छात्राओं की विभिन्न शोध परियोजनाओं की उपलब्धियों को स्तरीय प्रकाशनों में पुस्तकों, प्रतिवेदनों, मोनोग्राफ तथा पत्र पत्रिकाओं में स्थान मिले उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिससे शोध कार्य स्तरीय होगा।

शोध के लिए अनुछुए विषयों को चुनना चाहिए। साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, प्रौद्योगिकी, अनुवाद, लोक–साहित्य (लोकोक्ति, लोकछंद, लोकसंगीत, लोकवाद्यों, स्थान और व्यक्ति नामों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, लोक–साहित्य में प्रयुक्त ठेठ एवम् सार्थक शब्दों का सांस्कृतिक तथा व्युत्पत्तिपरक, अध्ययन अंचल के कृषक जीवन की शब्दावली–गालियाँ, आधुनिक साहित्य पर लोक साहित्य का प्रभाव), व्यतिरेकी भाषा विज्ञान, लिपि विज्ञान, अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, कोश विज्ञान, भाषा शिक्षण, शैली विज्ञान, समाज भाषाविज्ञान, मनो भाषाविज्ञान आदि दृष्टिकोणों से शोध कार्य होना चाहिए। ■

3481 HA/09—4B

नए प्रयोग जरूरी हैं सरकारी कार्यालयों के हिंदी विभाग में ताज़गी के लिए

–अमरीश सिन्हा*

केंद्र सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और बीमा कंपनियों आदि में नियमानुसार हिंदी विभाग कार्यरत हैं। लेकिन अधिकांश कार्यालयों में यह विभाग सुस्त या यूं कहें कि महज राजभाषा हिंदी संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा करने एवं उन्हें मंत्रालयों को भेजने में जुटा या फिर रूटीन काम करता हुआ नजर आता है जबकि इस विभाग में सदैव नयापन और कल्पनाशीलता की आवश्यकता है जो कार्यालय एवं देश दोनों के हित में है। हिंदी विभाग में ताजगी, नयापन, जोश विभागीय स्टाफ में उत्साह लाने और कायम रखने के लिए नए-नए प्रयोग करना जरूरी है। रूटीन साल-दर-साल चली परंपरा के अनुसार विभाग के कार्य करते रहने से विभाग में काम करना मजे और ख़ुशी की बात होती नहीं। कार्यशाला, निरीक्षण जैसे कार्यों में नए-नए प्रयोग करने चाहिए। अक्सर हम इन गतिविधियों को उसी पैटर्न पर और फॉर्म के अनुसार करते हैं जो 10-15 साल पहले भी कार्यालयों में प्रचलन में था। दरअसल हर क्षेत्र में राजभाषा क्षेत्र में बहुत ज्यादा नए प्रयोगों की संभावना और आवश्यकता भी है। कार्यशालाओं की देशभर से प्राप्त रिपोर्ट देखने के बाद यह मत बनता है कि हमें इस प्रकार के कार्यों में वर्ग, भूगोल परिवेश, भाषा समूह जैसे आयामों के मद्देनजर अलग-अलग स्तर बनाने होंगे। जैसे-पहली कार्यशाला, दूसरी, तीसरी, चौथी आदि। हर स्तर पर पाठ्यक्रम पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत, अधिक गहन और प्रयोजन मूलक होना चाहिए। तमाम हिंदी अधिकारियों से इस बारे में पहल जरूरी है। इसी से जुड़ा हुआ हिंदी प्रशिक्षण का सवाल भी विशेषत: 'ग' क्षेत्र में अनसुलझा है। हिंदी अधिकारी के सक्रिय योगदान से इसमें प्रगति हो सकती है। दूसरी ओर, भारतीय संविधान, राष्ट्रपति महोदय के अध्यादेश, संसदीय समिति की सिफारिशें, भारत सरकार के आदेश आदि के आधार पर कार्यालयों में सृजित किए गए हिंदी विषयक तमाम संसाधन और नियुक्त हिंदी स्टाफ अपने कार्यों में अपने आपको पूरी तरह से व्यस्त रखेंगे।

आज का युग विज्ञान, विकास एवं व्यावहारिकता का युग है। विगत बीसेक वर्षों में दुनिया भर में विकास की लालिमा कुछ इस प्रकार आकाश में अवतरित हुई है कि समस्त विश्व की निगाहें हमारे देश की ओर आकर टिक गईं। पूरब की प्राधान्यता इस देश को प्राप्त हुई है जहां धर्म, आस्था, संस्कृति सदैव सर्वोच्च रही है, जहां मानवीय मूल्यों को पाश्चात्य देशों की भांति दरकिनार न करते हुए प्रगति के हर आयाम को गले से लगाया गया है। वस्तुत: संस्कार और विश्वास नवीनता के साथ जुड़कर जब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प ले लेते हैं तो यकीनन विकसित देशों को भी हमारी ओर तकना होगा तथा हमारी तरक्की की यश गाथा को अपना स्वर बनाना होगा।

जब तरक्की और नवीनता के साथ आस्था और राष्ट्र की पहचान की बात आती है तो शीर्ष के पायदानों पर जिन खूबियों को रखा जाता है, उनमें अकेले भारत की 78 80 करोड़ जनता द्वारा बोली जानी वाली राजभाषा राष्ट्रभाषा और अब बन चुकी विश्वभाषा हिंदी का जिक्र करना अपरिहार्य होगा। कारण, प्रगति का कोई भी पड़ाव हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं को अंगीकृत किए बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। सन् 2000 में उदारीकरण का अध्याय आरम्भ होने के कुछ समय पूर्व से लेकर कुछ समय बाद तक यह हवा चल पड़ी थी कि विकास के लिए अंग्रेजी ही अनिवार्य है। लेकिन यह हवा शीघ्र तिरोहित हो गई और देशवासियों को आभास हो चला कि उत्पादों की बिक्री के लिए हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं की उपयोगिता जरूरी है। हिंदी समग्र रूप

*ए-103, सच्चिदानंद, रहेजा कंपलेक्स, मालाड (पूर्व) मुंबई-400097

से देशभर में और क्षेत्रीय भाषाएं अपने-अपने राज्य/क्षेत्र में (जैसे, बंगला-पश्चिम बंगाल; मराठी-महाराष्ट्र; तमिल-तामिलनाडु; कन्नड़-कर्नाटक आदि) और अब हिंदी व तमाम क्षेत्रीय भाषाएं (संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 20 भाषाएं अधिसूचित हैं) बिक्री के लिए अनिवार्य हो गई हैं चाहे, वह रिटेल मार्केटिंग से जुड़ी वाल मार्ट, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, या सुभेक्षा जैसी कंपनियां हो, या डेक्कन, किंगफिशर, जेट एयरवेज जैसी विमान कंपनियां हों, हर कोई अपनी सेवाओं के प्रचार के लिए उपभोक्ताओं से उनकी भाषा में संवाद-स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। सभी प्राइवेट कंपनियां ग्राहकों से भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए बेताब हैं। उन्हें पता है कि ग्राहकों से बगैर दिल से जुड़े बाजार में पकड़ बनाना असंभव है। यही कारण है कि 'सफेदी की चमकार' ने 'रिन' की बिक्री कई गुना बढ़ा दी और 'विश्वास इंडिया का' हमारी न्यू इंडिया बीमा कंपनी का देशव्यापी स्लोगन बनकर हर बीमा चहेते को अपनी और आकर्षित कर पाने में कामयाब हो रहा है।

वस्तुत: अन्य भाषाओं की भांति हिंदी भी ऐसी भाषा है जिसमें निरंतर प्रयोग होते रहने चाहिए तथा लोगों के हदय तक पहुंचने के प्रयास में शब्दों के साथ सम्मानजनक तरीके से पेश आना चाहिए। शब्दों का सम्मान इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम इस्तेमाल के वक्त अक्सर अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं। कभी वह प्रयोग प्रसंग के लिहाज से अति हो जाता है तो कभी न्यून हो जाता है। हिंदी विभाग से जुड़े कार्मिक चूंकि शब्द सामर्थ्य के धनी होते हैं, अत: उनसे शब्दों का उपयुक्त, अशुद्धिरहित व सम्मानजनक प्रयोग हमेशा अपेक्षित है। और साथ ही आवश्यक है, समय के अनुरूप भाषा का उपयोग। उत्पाद की बिक्री के साथ सामंजस्य बिठाने के क्रम में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी भाषा निरंतर समृद्ध इसलिए होती रही है क्योंकि इसने अलग-अलग क्षेत्र व अंचल में संबंधित भाषा-बोलियों से शब्द ग्रहण किए हैं। महाराष्ट्र में मराठी के संसर्ग से हम 'आने वाले कल' के लिए 'उद्या' शब्द ले सकते हैं। कइयों ने लिया भी है, क्योंकि हिंदी भाषा में 'बीते कल' व 'आने वाले कल' के लिए 'एक ही शब्द है-'कल'। इसी तरह अंग्रेजी के उन प्रचलित शब्दों को भी हूबहू या आवश्यकतानुसार थोड़ा फेर-बदल कर स्वीकार करना हिंदी को समृद्ध करना है। 'इंटरनेट', 'कंप्यूटर', 'रेलवे', 'पोस्ट कार्ड', 'ई-मेल', 'पॉलिसी', 'प्रीमियम', 'इंश्योरेंस', 'पेंशन', आदि ऐसे ही शब्द हैं। अंग्रेजी ने भी हिंदी व उर्दू से अननिगत शब्द अपने में जोड़े हैं। मसलन, 'आलमीर', 'जंगल', पेडेस्ट्रियन (संस्कृत शब्द 'पदस्थली' से), 'लालटेन', 'बिरयानी', 'पुलाव', आदि। कारण, हर भाषा का उद्गम स्थल व परिवेश होता है। जिस तरह, 'ब्रेड', 'सूप' का किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं हो सकता, उसी तरह 'पराठा', 'शोरबा', 'पुलाव' का अंग्रेजी तर्जुमा असंभव है। यानी, पृष्ठभूमि के मद्देनजर व बदलते समय के अनुरूप हमें भाषा-प्रयोग में नवीनता लानी चाहिए। एक उदाहरण देखें।

कहना न होगा कि आजादी के उपरांत दुनिया की अन्य भाषाओं की तुलना में चीनी और उसके बाद हिंदी एक आधुनिक संपन्न भाषा के रूप में उभरकर सामने आई है। नित्य नये आयाम की तलाश में जुटी है हिंदी। हर दौर में अपने को समय की जरूरतों के मुताबिक ढालती रही है हिंदी। इसलिए आज टी.वी. हो या इंटरनेट हिंदी विश्व व्याप्त है। कोशकार अरविंद कुमार के शब्दों में कहें तो हम हनुमानजी के देश के लोग हैं और अतुलित बलधामा है हिंदी। तेजी से बढ़ रही हिंदी को अपनाकर और जुड़कर हर कोई रहना चाहता है। इंटरनेट की दुनिया ने हिंदी के आयाम का विश्व-विस्तार किया है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू आदि बीसियों सर्च साइट पर जाने से हिंदी व भारतीय संस्कृति-भाषा के परिवार से जुड़े व्यक्ति, शब्द, तथ्य के बारे में इतना सब कुछ पल भर में मिल जाता है कि आश्चर्यचकित हुए बिना रह नहीं जाता। इतनी बलशाली है हिंदी! दिन-ब-दिन नए-नए जन-संचार माध्यमों, नई सूचना प्रौद्योगिकी ने हिंदी का आसमान पूरे भूमंडल पर व्याप्त कर दिया है। ज्यादा वर्ष नहीं हुए जब हिंदी का प्रयोग करने वाले (हिंदी विभाग, के कार्मिक, अध्यापक प्राध्यापक लेखक-कवि कह लीजिए) हिंदी को एक सांचे में रखकर चलना पसंद करते थे और तुर्रा यह भी होता था, शिकायत कह लीजिए, कि हिंदी को बाजार नहीं मिल रहा है या दूसरे शब्दों में, बिजनेस करना है तो हिंदी नहीं चल सकती। अंग्रेजी में भी पैसे कमाए जा सकते हैं। यहां मुझे याद आता है विख्यात लेखक शायर डॉ. राही मासूम रज़ा का कहे वाक्य जो उन्होंने बरसों पूर्व जी.आई.सी. के संयुक्त हिंदी दिवस समारोह के दौरान कही थी-'जिस भाषा में नेता वोट मांगते हैं, वही सही अर्थो में राष्ट्र की भाषा है और जिस भाषा में आप दुकानदार से चीजों के मोल-भाव कर पाते हैं वही सही मायने में बाजार की भाषा है।' आप मानेंगे कि इन दोनों

प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी तो कतई हो नहीं सकती। डॉ. राही मासूम रज़ा के कहे ये वाक्य आज यह देखकर अक्षरश: सत्य प्रतीत हो रहे हैं कि आज के जमाने में तरह-तरह की सामग्री, जरूरतों के चाहने वाले उपभोक्ता या ग्राहकों के दम पर पनपने वाले बाजार ने हिंदी को दुनिया की सबसे बड़ी भाषाओं में शुमार करने की संभावनाओं से सुसज्जित कर दिया है। वह समय भी दूर नहीं होगा जब भारत सरकार को क्षेत्र 'क', 'ख' 'ग' के दायरे समाप्त करने होंगे और 'हिंदी प्रदेश' जैसे शब्दों का प्रयोग भी बंद हो जाएगा। सर्वत्र जो व्याप्त हो चलेगी हिंदी!

ऐसे में कार्यालय के हिंदी विभाग को भी सदैव सूचनाओं व नई तकनीक से लैस रहकर नवीनता लाने के लिए तैयार रहना होगा। कार्यालयों की सेवाओं और उत्पादों की स्वीकार्यता और बिक्री पर तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही, खुद हिंदी विभाग की महत्ता बढ़ेगी। हिंदी विभाग व इससे जुड़े कर्मी हमेशा नयापन महसूस करेंगे जो जाहिर है, कई मायनों में व्यक्तित्व विकास, विभाग के विकास और कंपनी की तरक्की में कारक होगा। मोटे तौर पर कहें तो हिंदी विभाग को निम्नलिखित स्तरों पर अपनी सोच व अपने कार्यों में प्रयोग करने होंगे।

पब्लिसिटी के स्तर पर

पब्लिसिटी ग्राहकों से जुड़े किसी भी संस्थान के लिए अति आवश्यक अंग है। पब्लिसिटी के बिना बिक्री में इज़ाफा आज के दौर में तो नामुमकिन है। इसलिए पब्लिसिटी विभाग को हर पल बाजार की नब्ज को पहचानते हुए ग्राहकों के दिल तक पहुंचने की कूवत रखनी होगी। ऐसे में हिंदी भाषा का प्रयोग बड़े संजीदा होकर व कल्पनाशील होने के साथ साथ व्यावहारिक होकर करना होगा। विज्ञापनों की भाषा नियमबद्ध न होकर रोचक आकर्षक पर श्लील तथा कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी देने के काबिल हो। भाषा में हो रहे बदलाव को मार्केट की नजर से पकड़ना जरूरी है।

उदाहरण लीजिए।

वर्ल्डकप क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों का **लचर** प्रदर्शन

सरकार की **ढुलमुल व्यवस्था**

गुस्साई जनता की पुलिस से मुठभेड़।

-**लाइफ टाइम प्रीपेड**-चले जिंदगीभर

-**महाशक्ति, महाबचत**-हरदम

-**ड्रीमलैंड**-आपके सपनों का घर

ये चंद उदाहरण प्रचलित शब्दों से निर्मित शब्दों को दर्शाते हैं,

कुछ अन्य रोचक उदाहरण, जो केवल समाचारों की भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं:

-मुख्यमंत्री ने बढ़ाई **मंत्रियों की फौज**।

-क्रिकेट में हुई **हार का ठीकरा** कैप्टन के सिर **फोड़ा** जा रहा है।

-मुख्यमंत्री ने अभी **अपने पत्ते नहीं खोले** हैं।

-द्रविड़ **चमके**।

भाषा की रोचकता विज्ञापन की आवश्कता

हिंदी समाचारों को मुहावरों के जरिए अधिक रोचक बनाने की कोशिश जारी है। निजी चैनल अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अधिक कर रहे हैं। हिंदी समाचार वाचक यदि अंग्रेजी उच्चारण वाले हों तो हिंदी समाचारों की दशा क्या होगी, यह हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। समाचार एजेंसियों से आने वाली खबरें यदि अंग्रेजी में होती हैं तो उनका हिंदी में अनुवाद करते हुए अंग्रेजी के शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया जाता है। वैसे हिंदी भाषा में शब्द भंडार की कमी नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लोकप्रिय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य की जीवंतता के लिए यह जरूरी है। एक ही खबर में एक जगह **'हाईवे'** का इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरी जगह **'राजमार्ग'** का। जहां जैसी आवश्यकता हो, वैसे प्रयोग करने चाहिए। लेकिन जबरन दूसरी भाषा के शब्द प्रयोग करने से बचना चाहिए।

विशेषण का प्रयोग

शब्दों को रोचकता प्रदान करना व उनका उत्पाद के अनुरूप होना आवश्यक है। मनोरंजन की व आम बोलचाल की भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। अकसर हिंदी वाक्य की संरचना के अनुसार अंग्रेजी शब्दों का उपयुक्त स्थान पर लगाया जाता है, ताकि शब्द के अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो। इसी प्रकार अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग समाचार या विज्ञापन

3481 HA/09—5A

को आकर्षक व सुविधाजनक रूप में पढ़ने के उद्देश्य से भी किया जा रहा है । जैसे–

–पार्टी समर्थकों का **वाक आउट**

–गरीबों को पंचायती भूमि में **प्लॉट अलॉट** होंगे ।

–**लाइफटाइम प्रीपेड**–चले जिंदगी भर

जाहिर है, मौखिक भाषा के प्रभाव से हिंदी भाषा का लिखित रूप भी प्रभावित हो रहा है । इस दौड़ में विज्ञापन भी पीछे नहीं हैं । विज्ञापन समाचारपत्रों का आधार हैं और उत्पाद की बिक्री का उत्प्रेरक । विज्ञापन का एक ही उद्देश्य रहता है, श्रोता-पाठक-दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करना । महत्व है तो रोचक शैली का, जिसे हर कोई बार-बार गुनगुनगाए । जैसे,

–बालों में दम **लाइफ में फन** ।

–**स्टॉप ऑइली खाना** ।

हिम रत्न तेल रहे **ठंडा-ठंडा कूल कूल** ।

–ठंडा मतलब?

–ये दिल मांगे मोर

हिंदी के शब्दों को रोमन अक्षरों में लिखने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है ।

–PUBLIC KA NAYA TRANSPORT

–YEH PYAAS HAI BADI

–LIFE MAIN HO JAAYE KHAAS

वैसे तो हिंदी समाचार पत्रों में अंग्रेजी के विज्ञापन अधिक देखने को मिलते हैं, परंतु कई बार अनुवाद का भी सहारा लिया जाता है । एक ही विज्ञापन का अनुवाद समाचार पत्रों में कुछ यूं देखने को मिला ।

अंग्रेजी विज्ञापन

The Bajaj Bravo is here, Go ahead, set the pace

हिंदी अनुवाद

1. आ गया ब्रावो आगे निकल जाइए, नए रास्ते बनाइए ।
2. पेश है बजाज ब्रावो, अब रास्ते पर राज कीजिए ।

न्यू इन्डिया एश्योरेंस कंपनी विज्ञापन के तीन अनुवाद देखें:-

अंग्रेजी विज्ञापन

Assurance of Leader

हिंदी अनुवाद

1. अग्रणी बीमा कम्पनी
2. लीडर का आश्वासन
3. विश्वास इंडिया का

विज्ञापन का अनुवाद इस प्रकार होना चाहिए कि अर्थ का अनर्थ न हो और विज्ञापन आकर्षित भी हो जाए, जो उपभोक्ता को वस्तु खरीदने के लिए मजबूर कर दे ।

बढ़िया विज्ञापन के लक्षण

(1) भौतिक आकार:-

विज्ञापन का आकार जितना आकर्षक, सजीव और भव्य होगा वह उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा । किसी उत्पाद के विज्ञापन का आकर्षक आकार देखकर ग्राहक उसके प्रति आकर्षित हो जाते है और उसे खरीदकर इस्तेमाल करते हैं आकर्षक आकार वाले विज्ञापन लोगों का ध्यान ही नहीं खींचते बल्कि उनमें यह तमन्ना भी पैदा करते हैं कि उन्हें देखें, पढ़े और खरीदकर उनका इस्तेमाल करें अत: विज्ञापित वस्तु का चित्र/आकार सुंदर हो । लेबल हसीन हो तो वह अधिक प्रभावशाली साबित होता है इसमें दो राय नहीं है । अखबार, दूरदर्शन तथा विविध टीवी चैनलों पर तेल से लेकर, विविध मोटरसाइकिलों, मोटर गाड़ियों तक के जो विविध पढ़ने व दिखने दोनों में सुंदर विज्ञापनों के दो उदाहरण देखें:

उम्मीदों भरा आसमान

रोशन हुआ राजस्थान

(राजस्थान सरकार का विज्ञापन)

इसी तरह ओरिएंटल इंश्योरेंस का विज्ञापन देखें:

पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश
सबकी सुरक्षा हमारे पास

3481 HA/09—5B

बीमा उत्पादों के विज्ञापनों के आकार-प्रकार भी सुंदर विज्ञापनों के शब्दों में भाषा के नवीनतम व प्रयोगधर्मी प्रयोगों के कुछ और उदाहरण देखें:-

(1) साठ साल के बूढ़े या साठ साल के जवान (झंडु केसरी जीवन)

(2) सफेदी की चमकार (रिन)

(3) दांतों का रखे ख्याल, न दिखे बूढ़े सालों साल (कॉलगेट)

(4) लाइफबॉय है जहां तदुरुस्ती है वहां (लाइफबॉय साबुन)

(5) पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास (ओरिएण्टल इंश्योरेंस)

(6) अब आपका बच्चा रहे दो कदम आगे (भारतीय जीवन बीमा निगम)

(7) जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी (भारतीय जीवन बीमा निगम)

(8) सफेदी तुझे सलाम (उजाला सुप्रीम)

(9) सरदर्द से आराम (सेरिडॉन)

भाषागत प्रयोगों के निम्नलिखित स्तर है:-

(1) सुंदर शब्दावली से युक्त भाषा

(2) चुस्त और दुरूस्त शब्दों से युक्त भाषा

(3) आकर्षण पैदा करनी वाली भाषा

(4) मन को छूने वाली भाषा

(5) रूमानियत से युक्त भाषा

(6) काव्यमय भाषा

(7) संगीतमय भाषा

(8) गागर में सागर भर देने वाली भाषा

(9) भावनात्मक भाषा

(10) श्रृंगारपूर्ण और सहजतापूर्ण भाषा

4. श्रृंगारपूर्ण वातावरण का निर्माण

श्रृंगारपूर्ण वातावरण विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने की अनिवार्य आवश्यकता है। संगीत, पद्य या कोई कविता, गीतों की पंक्तियां आदि वातावरण को श्रृंगारिकता प्रदान करती है। ऐसी वातावरण निर्मिति लागों का रागात्मक दुनिया में ले जाती है। वर्तमान जीवन संघर्षमय जीवन है और विज्ञापन की श्रृंगारिकता पाठक, दर्शक या श्रोता को थोड़ी देर के लिए क्यों न हो, आनंदमय और रंगीन दुनिया में ले जाती है वस्तुत: श्रृंगारिकता मावन स्वभाव की विशेषता है। श्रृंगार में सबको प्रभावित करने की क्षमता होती है अत: उसका असर देर तक रहता है। जैसे नाजुक कलाइयों का नजराना एच-एम टी घड़ी को खरीदना।

5. सार्थक विशेषणों का प्रयोग

विज्ञापनों में वस्तु विशेष की खासियत बताने के लिए विशेषणों का प्रयोग करना आवश्यक होता है किन्तु सार्थक विशेषणों का प्रयोग नवीनता लिए हुए होने के साथ-साथ प्रासंगिक भी होना चाहिए। जैसे :

(1) एक विशेषण प्रयोग-

आंखों के लिए उत्तम (चश्मा)

सिर दर्द के लिए उपयुक्त (अमृतांजन)

सफेदी की चमकार (रिन)

(2) दो विशेषणों का प्रयोग जैसे :

ठंडी ठंडी मजेदार हवा का आनंद उठाइए (खेतान पंखा)

स्फूर्तिदायक और जायकेदार ताजा चाय

(3) तीन विशेषणों का प्रयोग जैसे

एक जानदार उमंगभारी ताजगीदायक (चाय)

मनपसंद, सजीव और स्फूर्तिदायक (चाय)

Utterly, Butterly, delicious (अमूल मक्खन)

Ambitious, Daring..............Leader (पवन हंस हेलीकॉप्टर)

(4) एक साथ कई विशेषणों का प्रयोग जैसे

(1) अतुल्य भारत वर्ष धर्मनिरपेक्ष, गतिशील, वंदनीय (भारत सरकार)

(2) उत्तम, अनोखा, लाजवाब, कुरमुरा, ताजा (पारले जी)

3 टिकाऊ, मोहक, मुलायम, खूबसूरत साड़ियां (पराग साड़ी)

(4) कोमल, सुंदर, स्वस्थ, काले-काले बाल (डाबर आँवला केश तेल)

(5) विशेषण वाक्यों में-

(1) अधिक जायकेदार चाय

(2) पहले से ज्यादा स्वादिष्ट दूध

(3) अत्यंत खूबसूरत बाल

(4) अधिक गतिशील (हीरो होंडा)

(5) सफेदी की चमक (रिन साबुन)

(6) हमेशा रखें पास ('जरूर' कंडोम)

(7) दाम में कम, स्वाद में उत्तम (चाय)

6. भावनात्मक एप्रोच

उपभोक्ता के दिल को उत्पाद के विज्ञापन छू जाएं, इसलिए कभी-कभी विज्ञापनों में भावनात्मक एप्रोच का सहारा भी लिया जाता है। ये भावनाएं देशभक्ति, ऐतिहासिक पुरूषों/घटनाओं, धर्म-परम्पराओं, मान्यताओं आदि से जुड़ी हो सकती हैं। परंतु ऐसी भाषा के प्रयोग के वक्त ये ध्यान रखना जरूरी है कि पाठक-दर्शक-श्रोता की भावांनाओं को आहत न पहुंचे। उदाहरण के लिए:-

—कश्मीर से कन्याकुमारी तक वन इंडिया प्लान (भारत संचार निगम)

— बिहारी हों या मारवाड़ी, 1 रुपये में अपने मुलुक में बात करें (हच मोबाइल सेवा)

— विश्वास इंडिया का (न्यू इन्डिया एश्योरेंस कं.)

पत्राचार की हिंदी

अमूमन हर कार्यालय की भाँति हमारी कंपनी के कार्यालयों में भी पत्राचार की हिंदी ऐसी है जो व्याकरण व अर्थ की दृष्टि से सही होने के बावजूद अधिसंख्य ग्राहकों के लिए ग्राह्य नहीं हैं। उदाहरण देखें:-

'उपर्युक्त संदर्भ में हमें आपको सूचित करते हुए खेद है कि निम्नलिखित कारणों से आपका मरीन मार्गस्थ बीमा दावा लम्बित पड़ा है।'

इसका अंग्रेजी पर्यायवाची वाक्य तो अपने लक्ष्य ग्राहकों के लिए अनुकूल है, पर चूंकि हमने हिंदी अनुवाद करते वक्त संबंधित लक्ष्य समूह का ख्याल रखे बगैर शब्दानुवाद का सहारा लिया। इस वजह से भी कई लोग कार्यालय में यह कहते मिल जाएंगे कि 'जरा जल्दी थी, इसलिए अंग्रेजी में पत्र लिख दिया।' अंग्रेजी का व्यवहार कठिन है, लेकिन लकीर का फकीर बनना आसान। हिंदी विभाग को अन्य विभागों एवं उनसे जुड़े कार्मिकों को बताना होगा कि आप विषय को समझते हुए शब्द प्रयोग करें। यानी,

- "हमें आपको सूचित करना/बताना है कि आपका मरीन-इन ट्रांजिट दावा रुका हुआ है। आप नीचे लिखे कागजात भेज दें।"
- "आप हमें अपने विभाग की बजट आवश्यकता भेज दें ताकि हम समय पर आबंटित कर सकें।"

अन्यथा, आम फहमी का यह सिलसिला चलता रहेगा कि हिंदी में काम करना हिंदी विभाग की जिम्मेदारी है। अनुवाद प्रशिक्षण सत्रों, कार्यशालाओं में इस लक्ष्य एवं उद्देश्य को ध्यान में रखकर विषय चयनित करने चाहिए और तदुनुरूप प्रशिक्षकों तथा विशेषज्ञों को आमंत्रित करना चाहिए। अनुवाद का उपयोग, विशेषकर अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद का उपयोग जितना कम होगा बाजार पर पकड़ उतनी अधिक होगी। साथ ही, हिंदी विकास की भाषा बनी रहेगी, अवलम्बन की भाषा नहीं।

यही प्रयोग कार्यालय आदेश, परिपत्र आदि में किये जा सकते हैं। 'पहले अंग्रेजी, फिर हिंदी अनुवाद' यह चलन बदलने में ही व्यवसाय का हित है।

हिंदी निरीक्षण

हिंदी निरीक्षण के क्रम में भी हमें सनातन प्रयोग की पटरी को छोड़ नए दौर में आना होगा। हमारी निरीक्षण प्रश्नावलियां आंकड़ों की औपचारिकता के हिसाब से तो ठीक हैं, परंतु विभाग की व्यवहार्यता तथा महत्ता को देखते हुए निरीक्षण की रूप-रेखा भी बदलनी होगी और निरीक्षणकर्ता के व्यक्तित्व की प्रस्तुति भी गरिमामय व पारदर्शी रखनी होगी। निरीक्षण का उद्देश्य भारत सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना अवश्य है, पर यह भी ध्येय होना चाहिए कि

व्यावसायिक कंपनी होने के साथ-साथ हमारे कार्यालय का अप-कीप ग्राहक अनुकूल हो, जहां ग्राहक को साफ-सुथरे वातावरण में उत्तम सेवा भी मिले और उसे यह भी लगे 'न्यू इंडिया' का यह कार्यालय उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। इस लगाव को प्रतिबिम्बित करती लगे हिंदी, यह भी निरीक्षणकर्ता के निरीक्षण के पूर्व, दौरान व पश्य प्रतिवेदनों में उल्लिखित करना चाहिए। वह कार्मिकों को जोड़कर चले, उनपर नियम-अधिनियम थोपने का प्रयास न करे, यह अपेक्षित है। कार्मिकों के जुड़ने में ही हिंदी का व व्यवसाय का प्रसार संभव है।

वस्तुतः कार्यालयों में विभाग विशेष अथवा पूरे कार्यालय का विषय विशेष निरीक्षण का उद्‌देश्य होता है- संबंधित विभाग अथवा/एवं कार्यालय में कार्य की गति को पारदर्शिता एवं गत्यात्मकता प्रदान करना। मसलन, लेखापरीक्षा निरीक्षण,सर्तकता निरीक्षण, अ.जा./अ.ज.जा. नियुक्ति संबंधी रोस्टर निरीक्षण आदि। इसी क्रम में आता है राजभाषा निरीक्षण। यूं तो पहली दृष्टि में यह निरीक्षण भी अन्य निरीक्षणों के समतुल्य प्रतीत होता है। लेकिन अन्य निरीक्षणों से राजभाषा निरीक्षण का मकसद भिन्न होता है। जहां अन्य निरीक्षणों में नियमों/विनियमों का अनुपालन प्रमुख होता है वहीं राजभाषा निरीक्षण में नियमों का अनुपालन कर्मचारियों में हिंदी में काम करने के प्रति उत्साह को बढ़ाने के मद्देनजर होता है। इस निरीक्षण में यह देखा जाता है कि क्या कार्यालय/विभाग में राजभाषा के प्रति माहौल सकारात्मक एवं अपनत्व भरा रहा है।

संविधान की धारा 351 में कहा गया है कि "भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।" "संविधान के संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।'' संविधान के इस मूल उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही 27 अप्रैल, 1960 को राष्ट्रपति ने हिंदी कामकाज से संबंधित विस्तृत आदेश जारी किए और उसके बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम बना तथा 1967 में उसका संशोधन भी हुआ। इस बीच गृह मंत्रालय की ओर से राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए लगातार आदेश जारी होते रहे। गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग बन जाने के पश्चात् 1976 में राजभाषा नियम बने और सभी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को लागू करने के लिए उत्पन्न हुई भावना के अनुकूल सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग होने लगा।

हिंदी को लेकर संविधान के इस उद्देश्य पर गौर करें तो राजभाषा विषयक निरीक्षण का मकसद परत दर परत खुलता जाएगा। स्पष्ट है कि निरीक्षण इस प्रकार हो कि भारत सरकार के नियमों का तो पालन हो ही, हिंदी का प्रसार इस प्रकार बढ़े कि भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का वह माध्यम बन सके। यहां सामासिक संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। समास का अर्थ होता है योग, मेल, जोड़ आदि। यानी, हिंदी का विकास कुछ इस तरह हो कि देश की अन्य भाषागत संस्कृतियां उसमें प्रतिबिंबित हो। इसलिए यदि महाराष्ट्र में हिंदी वाक्य में "नोंद" जैसे शब्द आ जाएं तो वह सामासिक संस्कृति को ही प्रतिबिंबित करेगी। इसी प्रकार अन्य भाषाओं में दैनिक जीवन के लोकप्रिय शब्दों के प्रयोग को हिंदी प्रयोग में सकारात्मकता की दृष्टि से देखना चाहिए। निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कई अवसरों पर देखा गया है कि निरीक्षणकर्ता विशुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग करने के बारे में कार्मिकों को सलाह देते हैं। हिंदी प्रदेशों ("क" क्षेत्र के) में तो ऐसी सलाह दी जा सकती है, लेकिन, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब या दक्षिण, पूर्वोत्तर भारत के प्रदेशों के कार्यालयों में कार्मिक ऐसी लक्ष्मण रेखा से स्वयं को दायरे में बंधा हुआ महसूस करते हैं और मन से हिंदी में कार्य नहीं कर पाते। नतीजन वहां हिंदी का माहौल नहीं बन पाता।

सच है कि राजभाषा विषयक संबंधी निरीक्षण के प्रोफॉर्मा होते हैं, प्रश्नावलियां होती हैं कुछेक पृष्ठों में अमूमन 3-4 पृष्ठों की प्रश्नावली होती है। यह प्रश्नावली अनिवार्य होती है। किन्तु इस प्रश्नावली के दायरे में रहकर निरीक्षण किया जाना उपयुक्त नहीं होता प्रश्नावली का मकसद होता है हिंदी की प्रगति संबंधी नियमों का अनुपालन गृह मंत्रालय तक पहुंचाना। अब अनुपालन संबंधी आंकड़े तो सांख्यिकीय ही होंगे। लेकिन भाषा का विकास आंकड़ों या सांख्यिकीय दृष्टि से नहीं हो सकता। इसलिए निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं को निरीक्षणकर्ता ध्यान में रखें तो सही मायने में हम हिंदी की सांविधिक आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे:

1. हिंदी में काम करने को इच्छुक कार्मिकों से चर्चा करके उनके विचार जानना। वे किस प्रकार अपने

3481 HA/09—6A

कार्यालय/विभाग में हिंदी में कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं।

2. अक्सर निम्न श्रेणी के कार्मिकों को हिंदी के प्रति रूचि दिखाते हुए पाया गया है पर उनकी शिकायत होती है कि अधिकारी या कार्यालय प्रमुख उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते। इस बारे में अधिकारी/कार्यालय प्रमुख से चर्चा करनी चाहिए। न्यू इंडिया के एक पूर्व महाप्रबंधक की कार्यशैली की यहां चर्चा गौरतलब है। वे हिंदी पत्रों की फोटो प्रतियों पर भी अलग-अलग हस्ताक्षर करते थे। उनका कहना थां कि यदि मैं ही संबंधित मूलपत्र पर हस्ताक्षर करुं और संबंधित विभाग उसकी फोटोप्रतियां निकाल लें तो लोग यही समझेंगे कि जी.एम. स्तर के अधिकारी को हिंदी में हस्ताक्षर करने का भी वक्त नहीं मिलता और उन महाप्रबंधक महोदय के कार्यकाल में हिंदी में कामकाज स्वत: बढ़ता रहा।
3. व्यक्ति विशेष की वजह से हिंदी में कामकाज प्रभावित होता है। इसे ध्यान में रखकर भी निरीक्षण किया जाना चाहिए। हर कार्यालय में एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है जिस की सभी तारीफ करते हैं, जो मिलनसार होता है और सबों के लिए वह उपयोगी होता है। उसे संपर्क अधिकारी बनाया जाना चाहिए।
4. राजभाषा हिंदी का माहौल सकारात्मक रहे, इस दृष्टि से हर पहलू पर विचार किया जाना चाहिए।
5. निरीक्षण महज निरीक्षण हेतु न हो, वैचारिक आदान-प्रदान एवं अभिमुखीकरण हेतु हो तथा उसकी आवृत्ति निश्चित न हो। निरीक्षण कई बार भी किए जा सकते हैं। भले ही, आंकड़ों संबंधी जानकारी एक या दो बार ली जाए।
6. निरीक्षण में सख्ती कदापि नहीं बरतनी चाहिए।
7. स्वयं निरीक्षण प्राधिकारी का व्यक्तिगत प्रदर्शन ऐसा हो उसका प्रभाव निरीक्षण कार्यालय में स्पष्ट दिखे।

यदि सचमुच ऐसा संभव हो सका तो नि: संदेह हम राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में भारतीय संविधान की अपेक्षाओं को पूर कर सकेंगे।

गृहपत्रिका की हिंदी

हिंदी गृहपत्रिका के लेखन, सामग्री-संयोजन में भी समयानुरूप नवीनता जरूरी है। हर सामग्री की भाषा समयानी एक-जैसी होनी चाहिए। अक्सर गृह पत्रिका में दिखता है कि एक रचना भारी-भरकम है, दूसरी बेहद हल्की। भाषा संतुलन, पेज संतुलन, फोटो संतुलन और समग्र सामंजस्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। विजुअल इम्पैक्ट आज समय की मांग है। इसलिए पहले की तुलना में चित्रों/रेखा-चित्रों की महत्ता बढ़ गई है। रचना के साथ के चित्रों और इन्फोग्रैफिक के बारे में हिंदी विभाग को सोचना चाहिए।

पत्रिका की डिजाइन एक अहम विषय है जिस पर हम काफी ध्यान देते हैं। यह जिम्मेदारी अक्सर हम प्रिंटर के ऊपर डाल देते हैं। नतीजा यह होता है कि पत्रिका नीरस हो जाती है। अगर एक मुद्रक कई संस्थानों की पत्रिकाएं एक-साथ निकाल रहा है तो वह अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करेगा और उसके द्वारा मुद्रित सभी पत्रिकाएं कमोबेश एक जैसी प्रतीत होंगी। अत: डिजाइन, पेज ले-आउट, मुख-पृष्ठ की समय-विषय-तात्कालिकता से तालमेल पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। कॉपी संपादन और प्रूफ़रीडिंग पर भी समान तवज्जो दिया जाना चाहिए। अखबारों में गलतियां होना अस्वाभाविक नहीं है क्योंकि उनके पास समय कम होता है। लेकिन पत्रिकाओं में गलतियां नहीं होनी चाहिए। गृह पत्रिका के पास तो अमूमन तीन महीने का वक्त होता है। इसलिए प्रूफ की गलती बिलकुल न हो।

और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह पत्रिका भी चूंकि पत्रकारिता का ही एक हिस्सा है, भले ही वह सीमित दायरे में है लेकिन उसे भी वही दायित्व निभाना पड़ता है जो बड़े और स्वतंत्र दायरे में व्यावसायिक पत्रिकाएं निभाती हैं। इसलिए निरंतर नवीनता के साथ नई-नई कोशिशें करनी चाहिएं ताकि पत्रिकाएं कार्मिकों के मध्य तो लोकप्रिय हों ही, संस्थान में कार्यरत कार्मिकों व संस्थान से जुड़े ग्राहकों को भी अपनी ओर आकर्षित करें। हिंदी विभाग और अन्य विभागों के साथ-साथ संस्थान या कंपनी इन प्रयोगों और प्रयासों के परिणामस्वरूप हर पल ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रशस्त रहेगी, इसमें सन्देह नहीं। ■

3481 HA/09—6B

हिंदी भाषा के विविध अंगों और कंप्यूटर प्रणाली का मानकीकरण: सूचना प्रौद्योगिकी का संदर्भ

–डॉ.हरीश कुमार सेठी*

कंप्यूटर के बेहतर और इष्टतम इस्तेमाल के लिए हिंदी भाषा को तकनीकी दृष्टि से तैयार करना अपरिहार्य है। इस संदर्भ में भाषा के विविध अंगों और कंप्यूटर प्रणाली के मानकीकरण की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मानकीकरण के अभाव में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अपार क्षमताओं का सार्थक उपयोग नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, वर्णाकृति और वर्तनी के मानकीकरण के अभाव में कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला ओ.सी.आर. कार्य सफल नहीं हो सकता। इसी प्रकार, कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली सॉर्टिंग, वर्तनी एवं व्याकरण–जाँच और स्वत: संशोधन का कार्य, हिंदी के वर्णों, शब्द–लेखन की प्रक्रिया और मानकीकृत वर्तनी के नियमों के अभाव में प्रभावी ढंग से सम्पन्न हो पाने की आशा नहीं की जा सकती है।

वैसे भी हिंदी भाषा के विविध अंगों और कंप्यूटर प्रणाली भाषा का मानकीकरण करने से कंप्यूटर में प्रविष्ट सामग्री को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना सहज हो जाता है। इसी प्रकार, यदि वेबसाइट पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध है जो अपने काम के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, तो उसे प्राप्त करना भी सहज हो जाता है। इसके लिए कंप्यूटर प्रणाली का मानकीकृत होना जरूरी है। इस तरह, मानकीकरण को कंप्यूटर प्रणाली और हिंदी भाषा के संदर्भ में देखा जा सकता है।

(क) हिंदी भाषा के संदर्भ में कंप्यूटर प्रणाली का मानकीकरण

भाषा–विशेष के संदर्भ में तकनीकी दृष्टि से मानकीकरण का संबंध वस्तुत: आउटपुट उपलब्ध कराने के लिए कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के रूप में (1) अक्षर कोडीकरण (कोडिंग), (2) कुंजीपटल और (3) अक्षरों के आकारों (फोंट) के मानकीकरण से है। हिंदी भाषा को मानकीकरण के इन आयामों के संदर्भ में तकनीकी दृष्टि से कितना तैयार किया गया है, इस पर विचार अपेक्षित है।

अक्षर कोडीकरण (कोडिंग): कंप्यूटर की कोई अपनी भाषा नहीं है, वह "बाइनरी डिजिट/बिट" के रूप में केवल 0 और 1 को समझता है। कुंजी–पटल की सहायता से कंप्यूटर में डाटा को प्रविष्ट करने पर कंप्यूटर इसे एक निर्दिष्ट कोड के अनुसार इसी बाइनरी कोड में बदल देता है। इन्हें कैरेक्टर कहा जाता है। इनमें एकरूपता लाने और इनका मानकीकरण करने के लिए अंग्रेज़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकन स्टेंडर्ड कोड फॉर इनफोर्मेशन इंटरचेंज "आस्की" अपनाया गया है।

भारत सरकार ने भी अक्षरों के कोडीकरण में एकरूपता लाने की आवश्यकता को अनुभूत करते हुए इस दिशा में प्रयास किए। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में सी–डैक, भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) आदि के संयुक्त प्रयास से 1988 में "इंडियन स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट कोड फॉर इनफार्मेशन इंटरचेंज" (आई.एस.सी.आई.आई.-इस्की) नामक कोड बनाया गया जिसे इस्की–1988 के नाम से जाना जाता है। बाद में अनुभव के आधार पर इसमें 1991 में कुछ सुधार भी किए गए। इस सुधरे हुए यूनिकोड को "इस्की–1991" के नाम से जाना जाता है। यह अक्षर कोडीकरण का सुपर सेट है। इस तकनीक के आधार पर यूनिकोड फोंट विकसित किए गए। वैसे भी "इस्की" में भी 7–बिट और 8–बिट की दो प्रणालियाँ हैं। "इस्की" मानक कोड में 7–बिट कोड तालिका निर्धारित की गई है जिसका प्रयोग 7 अथवा 8 बिट आई.एस.ओ. अनुरूपी परिवेश में

*हिंदी विभाग, मानविकी विद्यापीठ, एफ ब्लाक, अकादमिक परिसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली–110068

कर पाना संभव होता है। इसमें अंग्रेजी की रोमन लिपि और भारतीय भाषाओं की लिपियों को साथ-साथ प्रयुक्त करने की सुविधा है। उल्लेखनीय है कि "इस्की" 10 भारतीय लिपियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यूनिकोड बहुभाषी पाठ के लिए एक 16-बिट सार्वत्रिक अक्षर-कोडीकरण मानक है। इस यूनिकोड को भारतीय भाषाओं की सभी प्रमुख लिपियों को लिखने के लिए शामिल किया गया है। भारतीय लिपियों के लिए यह यूनिकोड मानक इस्की-1988 पर आधारित है और इस्की-1991 अक्षर कोडीकरण का सुपर सेट है। इस्की-1991 में यह व्यवस्था है कि इसमें कोडीकृत पाठ को यूनिकोड मानों में अपने आप (स्वत:) परिवर्तित किया जा सकता है और बाद में सूचना को वापस मूल कोडिंग में लाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि वापस मूल कोडिंग में लाते समय सूचना की कोई क्षति भी नहीं होती।

कुंजी-पटल का मानकीकरण: हिंदी के मानक कुंजी-पटल की भी समस्या है। हिंदी के विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों-फोंटों आदि की सहायता से डाटा एंट्री किए जाने वाला कुंजी-पटल का भी मानकीकरण नहीं है। कुंजी-पटल की भिन्नता की वजह से कंपनियों ने अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग कुंजी-पटल विकसित कर दिए गए हैं। जबकि कंप्यूटर के आगमन से पूर्व भारत में टाइपराइटर बनाने वाली दो प्रमुख कंपनियों--रेमिंगटन और गोदरेज--का ही कुंजी-पटल लोक-प्रचलित एवं सर्वव्यवहार्य था। कुंजी-पटल में मानकता लाते हुए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने "इनस्क्रिप्ट" नामक एक कुंजी-पटल का निर्माण किया है। इस कुंजी-पटल को भारतीय भाषाओं में काम करने की सुविधा की दृष्टि से विकसित किया गया है। वहीं दूसरी ओर, हिंदी टाइपिंग सीखने के झंझट से बचने के लिए अंग्रेजी कुंजी-पटल के इनपुट के माध्यम से हिंदी में कार्य करने हेतु जिस कुंजी-पटल का प्रयोग बढ़ रहा है। इसे ध्वन्यात्मक कुजी-पटल (फोनेटिक की-बोर्ड) कहा जाता है। इस तरह, हिंदी में आज तीन प्रकार के कुंजी-पटल उपलब्ध हैं-इनस्क्रिप्ट, रेमिंगटन और ध्वन्यात्मक कुंजी-पटल। इसके अलावा, हिंदी में "एम. एस.ऑफिस 2003" जैसे सॉफ्टवेयरों में यह भी व्यवस्था की गई है कि कंप्यूटर पर हिंदी में लिखने के लिए अपना सुपरिचित कुंजी-पटल जोड़ दिया जाए और उसे अपनी आवश्यकतानुसार अनुकूलित भी कर लिया जाए। लेकिन इतनी सुविधाओं के बावजूद कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग की ऊहापोह स्थिति बन जाती है।

फोंटों का मानकीकरण: अक्षर कोडीकरण में मानकीकरण लाते हुए यूनिकोड फोंट विकसित करना एक अच्छा प्रयास था। किंतु कुछ निर्माता अपने-अपने मानक निर्धारित करके सॉफ्टवेयर या फोंट विकसित कर रहे हैं। उन्होंने "इस्की" को नकारते हुए हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं हेतु इंटरफेस देने के लिए विभिन्न प्रकार के फोंट बना लिए। स्थिति यह हो गई कि कोई "इस्की" का उपयोग करता है तो कोई "इस्फोक" और कोई अपनी विकसित की गई शैली का। फलस्वरूप हिंदी फोंट के मामले में अराजकता को देखा जा सकता है। हालाँकि फोंट विकसित करने से यह सुविधा होती है कि सॉफ्टवेयर को विकसित किए बिना ही हिंदी में काम करना संभव बनाना। यह कंप्यूटर में हिंदी में काम करने का छोटा रास्ता है। वर्तमान समय में अनेक प्रकार के फोंट विकसित हो चुके हैं। इनमें कुछ के नाम हैं "शिवा", "नारद", "आगरा" "अर्जुन", "अंकित", "माया", "पंकज", "हेमंत", "कणिका", "कृष्ण", "अजय", "सुलभ", "प्रतीक्षा", "चंदा मीडियम", "सरोज", "वर्षा", "विमल", "रावण", "रिचा", "कृति", "नई दिल्ली", "चाणक्य" आदि। इस प्रकार के फोंटों ने स्वयं में आपसी भिन्नता बनाई हुई है। इस भिन्नता को समाप्त करके एकरूपता स्थापित करना मानकीकरण का प्रमुख भाग है।

आज बाजार में सैकड़ों गैर-मानक फोंट उपलब्ध होने के कारण ऊपर से देखने पर यह एक प्रकार की सम्पन्नता दिखाई देती है। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में सूचना का आदान-प्रदान कठिन हो गया है। मानकीकरण के अभाव के कारण भारतीय भाषाओं और विशेष तौर पर हिंदी में ई-मेल और इंटरनेट पर काम बहुत कम हो पा रहा है। इसके अलावा, भारतीय भाषाओं में सूचनाओं के आदान-प्रदान की कोशिश विफल रहती है तथा फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्थानांतरित करने में भारी परेशानी उठानी पड़ जाती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि एक कंप्यूटर पर तैयार की गई हिंदी की फाइल भिन्न प्रोग्राम वाले किसी दूसरे कंप्यूटर पर खुल/चल नहीं पाती। विभिन्न प्रकार के फोंटों की सहायता से विभिन्न अनुप्रयोगों में **(Applications)** में न ही समुचित कार्य किया जा सकता है और न ही प्रोग्रामिंग की जा सकती

है। इसके अलावा, यह भी समस्या है कि उत्पादन के स्तर पर भी कंप्यूटर प्रणाली में भारतीय भाषाओं के फोंट नहीं डाले जाते। बाज़ार में सैकड़ों फोंट उपलब्ध होने की वजह से लोग उन्हें खरीदकर या फिर मुफ्त में डाउनलोड कर लेते हैं। वे लोग अपनी-अपनी भाषाओं के फोंट डाल लेते हैं। किंतु ऐसा करके वे फोंटों की भिन्नता की समस्या खड़ी कर देते हैं।

वस्तुतः भारतीय भाषाओं के फोंटों की समस्या, मानकीकरण की समस्या है। जिन भाषाओं का सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग होता है उनके कुछ मानक तो होने ही चाहिएं। ऐसा होने पर ही सभी क्षेत्रों में हरेक प्रकार की कंप्यूटर प्रणाली में प्रौद्योगिकी का सरल प्रयोग संभव हो सकेगा। इस दिशा में सरकार द्वारा तत्परता दिखाने पर कंप्यूटर संबंधी इस तरह की अनेक कठिनाइयों पर काबू पाना संभव हो सकेगा। इस संदर्भ में सबसे पहली कोशिश तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई थी। उन्होंने 1999 में तमिल भाषा के कुंजी-पटल का मानकीकरण किया था। बाद में केंद्र के स्तर पर पहल की गई और इस समस्या से निपटने के लिए अभी कुछ समय पूर्व ही केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक ऐसी घोषणा की है जिसके कार्यान्वयन से देश में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के क्षेत्र में ज़बरदस्त क्रांति आ सकती है। इस घोषणा की कार्यान्वियन-योजना के तहत पहले चरण में भारतीय भाषाओं के फोंट मुफ्त बाँटे जा रहे हैं। जब सभी कंप्यूटरों में एकसमान फोंट होंगे तो स्वाभाविक है कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से संवाद करना संभव भी होगा और आसान भी। मंत्रालय का यह भी प्रयास है कि ये मानक फोंट और टूल्स सभी नए कंप्यूटरों के निर्माण के स्तर पर ही मौजूद हों। इस व्यवस्था को कानूनी तौर पर अनिवार्य रूप से लागू कराने पर फोंटों की एकरूपता सुनिश्चित हो सकेगी।

इस योजना से अनुप्राणित होकर सी-डैक सभी 22 भारतीय भाषाओं के सॉफ्टवेयर उपकरण और फोंट विकसित करके उन्हें जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रहा है। इस प्रकार, भारतीय भाषाओं के लिए जारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक मील का पत्थर है। वैसे कार्यकुशलता, गति, सटीकता आदि की दृष्टि से इसकी सार्थकता समय की कसौटी पर ही सिद्ध होगी। किंतु यदि जनता इसे उपयोग में लाए और अपनी प्रतिपुष्टि (फीडबैक) दे तो उसके आधार पर संशोधन-परिवर्धन करते हुए इसका नया संस्करण भी तैयार किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सहज-सुलभ होने से उनकी उपयोगिता में कई गुणा बढ़ोत्तरी हो जाएगी। इस उपयोगिता में बढ़ोत्तरी से कंप्यूटर का देश के दूरदराज के क्षेत्रों में भी उपयोगी होने लगेगा। अंततः इसका कंप्यूटर उत्पादकों को ही लाभ होगा।

हिंदी भाषा का मानकीकरणः कंप्यूटर का संदर्भ

अगर हम भाषा और विशेष तौर पर उसके विविध अंगों अथवा व्यवस्थाओं के संदर्भ में मानकीकरण पर विचार करें तो हमें (1) वर्णाकृति, (2) वर्णमाला, (3) वर्णक्रम (अकारादिक्रम), (4) वर्तनी, (5) उच्चारण, (6) वाक्य विन्यास, (7) शब्दावली और शब्दार्थ के साथ साथ (8) पारिभाषिक शब्दावली संबंधी पक्षों को ध्यान में रखना होगा।

वर्णाकृतिः मानकीकरण का सबसे पहला संबंध वर्णाकृति से है। इसके अंतर्गत यह विचारणीय रहता है कि वर्ण किस रूप में लिखा जाए, उसकी विभिन्न रेखाओं का अनुपात क्या हो आदि। अभी तक वर्णाकृति का मानक रूप तैयार था। इसलिए हिंदी के अक्षरों की बनावट का दायित्व मुद्रण के अक्षर बनाने वाली कंपनियों पर था। इस कारण हिंदी भाषा में "ध" आदि अक्षर अपने रूप में भिन्नता लिए हुए नज़र आते थे। अगर वर्णों की आकृतियाँ सही दिशा में न हों तो इससे भ्रम की स्थिति बन जाती है। उदाहारण के लिए, "द" लिखते समय अगर नीचे घुंडी की रेखा थोड़ी-सी घूम जाए तो वह ''ड'' वर्ण की भांति प्रतीत होगी। इसी प्रकार की स्थिति "प" और "य" एवं 'उ'और "ड" वर्ण की भी है। ऐसे भिन्न प्रकार के वर्णों की वजह से कंप्यूटर के सार्थक प्रयोग में कठिनाई हो सकती है। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर के "वर्णक्रम पहचान कार्यक्रम" (ओ.सी. आर) के लिए भाषा की वर्णाकृति का मानकीकृत रूप में होना अपेक्षित है। वर्णाकृति के मानकीकृत होने से कंप्यूटर पर शब्दों की सॉर्टिंग का कार्य सरलता से और सही-सही निष्पादित हो जाता है।

वर्णमाला : यही स्थिति वर्णमाला के मानकीकृत रूप की भी है। वर्णमाला के मानकीकरण का पक्ष मूलतः विभिन्न वर्णों की बनावट से संबंधित है। हिंदी में कुछ ध्वानियों के लिए कहीं-कहीं दो-तीन भिन्न आकार तक मिलते हैं। इस भिन्नता को समाप्त करने के लिए वर्ण-विशेष की किसी एक आकृति को मानक वर्ण का दर्जा दिया जाता

3481 HA/09—7A

है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्णमाला के अक्षरों को मानकीकृत करते हुए कुछ वर्णों को अमानक माना है और कुछ को मानक। उदाहरण के लिए "झ" के पुराने "भ्क" को अमानक मानना। इसी प्रकार अ, ख, छ, ण, भ, श आदि। किंतु कई कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्माता अपनी इच्छानुसार वर्ण का आकार निश्चित कर देते हैं। हिंदी भाषा के इस पक्ष के संदर्भ में भी कंप्यूटर प्रणाली के मानकीकरण की ओर ध्यान देना जरूरी है। भाषा सीखने जैसे कार्यक्रमों के संदर्भ में वर्णमाला का निश्चित क्रम के रूप में मानकीकरण होना आवश्यक है।

वर्णक्रम: यही स्थिति वर्णक्रम (अकारादिक्रम) के मानकीकृत रूप की भी है। वर्णक्रम और शब्दकोशों में "क्ष" "त्र" और "ज्ञ" वर्णों के स्थान तो लोगों में अक्सर भ्रम की स्थिति देखने को मिलती है। इसलिए वर्णक्रम के मानकीकृत होने से कंप्यूटर पर शब्दों की सॉर्टिंग का कार्य सरलता से और सही-सही निष्पादित हो जाता है। हालाँकि केंद्रीय हिंदी निदेशालय (सी.एच.डी) द्वारा देवनागरी वर्णक्रम को मानकीकृत कर लेने के बावजूद कई सॉफ्टवेयर एवं फोंट निर्माता इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

वर्तनी: हिंदी में वर्तनी के स्तर पर भी वैविध्य नज़र आता है। हिंदी में काफी अधिक ऐसे शब्द हैं जो भिन्न-भिन्न रूपों में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, "जलदी/जल्दी", "बिलकुल/बिल्कुल", "परिवर्द्धन/परिवर्धन" आदि। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्तनी के मानकीकरण के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं और कुछेक शब्दों में मानकीकरण का प्रयास भी किया है। वहीं, कुछेक ऐसे शब्द भी हैं जिनके प्रचलित भिन्न-भिन्न (दो अथवा तीन) रूपों को निदेशालय ने स्वीकृति प्रदान की है। यह वास्तव में मानकीकरण की प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। और अगर हम इसे कंप्यूटर के प्रयोग के संदर्भ में देखें तो इससे काफी कठिनाई होती है। जबकि भाषा में वर्तनी के स्तर पर मानकता लाकर कंप्यूटर का सार्थक उपयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर के संदर्भ में इसके लिए वर्तनी के किसी एक रूप को प्राथमिक रूप में गिनना होगा और कंप्यूटर उसी प्राथमिक रूप वाली वर्तनी को पहले प्रयुक्त करेगा। कंप्यूटर पर कोश निर्माण संबंधी कार्य को भली प्रकार से सम्पन्न करने के लिए वर्तनी का मानकीकृत होना विशेष तौर पर जरूरी है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित वर्तनी के मानकीकरण संबंधी नियमों का अनुपालन कई कंप्यूटर निर्माता कंपनियों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

उच्चारण: हिंदी भाषा में उच्चारण के स्तर पर भेद सबसे अधिक व्याप्त नज़र आता है। यह भेद स्थानीय विशेषताओं के कारण अधिक है। हालाँकि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो उच्चारण का प्रायः मानकीकरण नहीं किया जाता। इसका मूल कारण यह है कि उच्चारण एक अमूर्त विषय है, यह दिखाई नहीं पड़ता। उच्चारण के स्तर पर जो भेद नज़र आता है, उसकी वजह से कंप्यूटर के "वाक् से पाठ" (Speech to Text) जैसे कार्यक्रमों से भली प्रकार से कार्य-निष्पादन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कंप्यूटर के स्तर पर बड़े शब्दों में स्थानीयता का पुट तो ग्राहय हो सकता है (जैसे "विस्लेसन/विश्लेषण", "पंतनिरपेकता/ पंथनिरपेक्षता" आदि) किंतु "सादी/शादी" जैसे छोटे शब्द कठिनाई पैदा करते हैं। इसलिए सही उच्चारण के रूप में भाषा के मानकीकरण का आग्रह बना रहता है।

वाक्य-विन्यास: हिंदी में वाक्य-विन्यास के स्तर पर भी भिन्नता नज़र आती है। उदाहरण के लिए "मुझे जाना है" के स्थान पर "मैंने जाना है" या फिर "मुझे चाहिए" के स्थान पर "मेरे को चाहिए" का प्रयोग करना। हालाँकि कुछेक लोग इसे एक विकल्प अथवा स्थानीय प्रभाव मानते हैं जबकि व्याकरणिक दृष्टि से यह एक त्रुटि है और कुछेक लोग इस प्रकार के वाक्य-विन्यास को भाषा-शैली का नाम भी दे देते हैं। इसलिए त्रुटि, शैली और विकल्प आदि स्थितियों के संदर्भ में हिंदी भाषा में और विशेष तौर पर कंप्यूटर के वाक्य-विन्यास रूपावलियों का मानकीकृत होना जरूरी है। "व्याकरण जाँच" आदि जैसे कंप्यूटर के कार्यक्रमों के लिए मानकीकृत वाक्य-विन्यास और रूपावलियों का प्रयोग निहायत आवश्यक है।

शब्दावली: यहाँ "शब्दावली" व्यापक अर्थ-संदर्भ से प्रयुक्त की जा रही है। यहाँ यह शब्द और अर्थ के संदर्भ में तथा शब्द-रचना के संदर्भ में प्रयुक्त किया जा रहा है। यह शब्दावली भाषा के सामान्य शब्दों और उनके अर्थ (शब्दार्थ) से संबंधित है। सामान्य शब्द के अर्थ को मानकीकृत रूप देने से अभिप्राय यह नहीं कि उसके अर्थ को सीमित कर दिया जाए। वास्तव में, शब्दार्थ का मानकीकरण करते हुए शब्द के अर्थ और प्रयोग को सुनिश्चित किया जाता है। शब्दावली और शब्दार्थ का मानकीकरण करके

3481 HA/09—7B

कंप्यूटर में दर्ज शब्दावली को नियंत्रित किया जा सकता है ताकि अंग्रेज़ी जैसी इतर भाषा के सैकड़ों शब्दों की बेतहाशा घुसपैठ की वजह से "वर्तनी जाँच" अथवा "श्रुतलेखन" जैसे कार्यक्रमों के बेहतर इस्तेमाल में व्यवधान न पैदा हो ।

पारिभाषिक शब्दावली: इस प्रकार, पारिभाषिक शब्दों के मानकीकरण को भी देखा जा सकता है । चूँकि पारिभाषिक शब्द स्वयं में पारिभाषिकता लिए हुए होते हैं और ये विभिन्न संकल्पनाओं के लिए निर्मित किए जाते हैं इसलिए भाषा के कमोबेश सभी पारिभाषिक शब्द मानकीकृत रूप लिए हुए होते हैं । हालाँकि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कार्य अखिल भारतीय स्तर पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा किया जा रहा है, किंतु ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दावली की एकरूपता का अभाव नज़र आता है । ऐसे में अखिल भारतीय पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण करके पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में व्याप्त अराजकता को रोका जा सकता है और राजभाषा हिंदी का विकास किया जा सकता है । राजभाषा के व्यवहार में पारिभाषिक शब्दावली के अलग-अलग रूप न ही स्वीकार्य हैं और न ही व्यवहार्य । ऐसे में पारिभाषिक शब्दावली का मानकीकृत रूप ही सहायक सिद्ध होगा ।

कंप्यूटर पर हिंदी के इन मानकीकृत पक्षों के समाहित होने से "कंप्यूटर अनुवाद" और "भाषा शिक्षण", "वर्तनी जाँच", "व्याकरण जाँच" जैसे कार्यक्रमों की उपयोगिता सिद्ध हो सकती है । मानकीकृत व्यवस्था में कंप्यूटर की अपार क्षमता का इष्टतम उपयोग संभव है । इसलिए भाषा के इन अंगो और कंप्यूटर प्रणाली को मानकीकृत करने की प्रक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है ताकि हिंदी तकनीकी दृष्टि से तैयार हो और इससे अंततः हिंदी भाषा के विकास को गति प्राप्त हो । इतना तो निश्चित ही है कि मानकीकरण से कंप्यूटर के प्रयोगमूलक अनुप्रयोग विकसित करने की दिशा में सहयाता प्राप्त होगी । जिससे अंततः प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में अभिवृद्धि होगी, उत्पादकता एवं कार्य-कुशलता में बढ़ोतरी होगी । कुंजी-पटल, फोंटों आदि के मानकीकरण की समस्या के कारण हिंदी कंप्यूटर प्रयोग की ऊहापोह स्थिति को उपयोगकर्ताओं द्वारा हिंदी कंप्यूटर प्रयोग से दूर किया जा सकता है । कंप्यूटर सहित सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने के लिए, उनसे जुड़ी समस्याओं का आकलन करके उनके यथासंभव समाधान के उपायों को खोजा जाना चाहिए ।

अंत में यही कहा जा सकता है कि आम धारणा यही है कि कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने की सुविधाएँ न के बराबर हैं । अब इस धारणा को तोड़ने का समय आ गया है । इसके मूल कारण को मानकीकरण से जोड़कर देखना होगा ताकि इस प्रकार के सॉफ्टवेयर वर्ड स्टार आदि जैसों की भाँति हों जो हर जगह (यूनिवर्सल) काम कर सके । इस स्थिति में बेहतरता लाने के लिए मानकीकरण की आवश्यकता है, जो दो आयाम लिए है-हिंदी भाषा के संदर्भ में कंप्यूटर का मानकीकरण और कंप्यूटर के संदर्भ में हिंदी भाषा का मानकीकरण । उल्लेखनीय है कि मानकीकरण की दिशा में भी हिंदी में काम हुआ है और हो रहा है । मानकीकरण होने से डेस्क-टॉप पर कार्य करते समय इंटरनेट पर हिंदी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में काम भी सरलता से किया जा सकेगा । इससे एक मशीन पर किए गए काम को दूसरी मशीन पर संसाधित कर पाना सरल हो जाएगा । अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी में कंप्यूटर सुविधाओं की उपलब्धता और विकास की संभावनाओं के प्रति अधिकाधिक लोगों को जागरूक बनाया जाए और इस तकनीक का हमारे सभी व्यवहार-क्षेत्रों तक विस्तार किया जाए । इसलिए यह कहना सही है कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी का बहुमुखी विकास, आज के समय की माँग है । सूचना प्रौद्योगिकी के आज के युग में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का दल-बल के साथ प्रवेश हो चुका है ।

प्रत्येक कंप्यूटर पर हिंदी को मानक भाषा एनकोडिंग यानि यूनिकोड में प्रयोग के लिए सक्रिय कर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए । संसदीय राजभाषा-समिति के प्रतिवेदन के आठवें खंड में सिफारिश सं. 37 पर पारित राष्ट्रपति के आदेश के अनुपालन में कंप्यूटर पर यूनिकोड एनकोडिंग तथा उन्हीं साफ्टवेयरों का प्रयोग किया जाए, जो यूनिकोड एनकोडिंग के अनुरूप हों ।

—राजभाषा विभाग

विचार-विमर्श

दलित कटघरे में संत कबीर

–देव प्रकाश मिश्र*

वस्तुत: कबीर की समस्त जीवन साधना पर सूक्ष्म पर्यवेक्षण के साथ विमर्श किया जाए और उनके जीवन वृत्त तथा साधना संबंधी भिन्न-भिन्न विद्वानों के मतों के संकलन पर विचार किया जाए तो ज्यादातर लोगों की यही आम राय बनती सी नजर आती है कि कबीर वास्तव में एक संत थे। जिनकी साधना तो व्यक्तिपरक थी किंतु उसका प्रभाव समष्टिपरक हुआ। किसी भी साधक की साधना व्यक्तिपरक ही हुआ करती है, वो कतई समष्टिपरक नहीं हो सकती। साधना जब समष्टिपरक पर हो जाती है उस समय व्यक्ति स्वात: सुखाय की बजाय परांत: सुखाय की अवधारणा को लेकर चलने लगता है। ऐसी स्थिति तो तभी बनती है जब साधक साधना की चरम स्थिति पर पहुँचकर बोधिसत्वत्ता की स्थिति को प्राप्त करता है। वहाँ स्व और पर का भेद मिट जाता है। अगर साधना समष्टिगत है तो भेद का प्रश्न ही नहीं उठता और जब तक स्व पर हिंदू, मुसलमान, उँच-नीच, जात-पात, दलित स्वार्थ का विचार मानस पटल पर कौंधता रहे साधना व्यक्तिपरक ही होती है। साधना जब तक क्रियात्मक होती है व्यक्तिपरक रहती है, ज्योंहि क्रिया का संबंध साधना से छूटता है साधना समष्टिपरक हो जाती है, साधक उस समय समाज की समस्त घटनाओं को कल्याण की भावना में सिर्फ देखता है, चिंतन करता है, तभी तो एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ कबीर स्वत: यह कह उठते हैं कि–

कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर,
ना काहु से दोस्ती ना काहु से बैर।

अब कबीर जैसे संत के विषय में यह बात कहना की उन्होंने दलितों की प्रतिष्ठा तथा तथाकथित स्वार्थों की निंदा की, कुछ अजीब सी बात लगती है।

वस्तुत: कबीर तो धार्यते इति धर्म: (धर्म), भक्ति, तत्वज्ञान और जीवन जगत की वास्तविकता के संदर्भ में जो क्षेपक मिलते हैं, उनको हटाने की कोशिश करते हैं। तथा बेकार की उलझनों और गलतफहमियों तथा समाज में चलती आ रही परंपराएं जो कहीं न कहीं वास्तविकता तक पहुंचने में बाधक का कार्य करती है, उसे हटाने की कोशिश करते हैं। इस संदर्भ में अगर कबीर कहीं स्वार्थ की परम्पराओं तथा मान्यताओं को दुत्कारते हैं, वही निम्न वर्ग में निहित प्रथाओं पर भी कुठाराघात करते हैं। अगर हिंदुओं के मूर्तिपूजा का विरोध कबीर को सही लगता है तो मुसलमानों को चिल्लाकर नमाज पढ़ना भी उनको सही नहीं जंचता और वे इन सभी चीजों को नकारते चलते हैं। इस निधेधात्मक प्रवृत्ति के पीछे किसी दलित वर्णों की वकालत तथा स्वार्थ की आलोचना कबीर का प्रतिपाद्य कतई नहीं रहा। सार्वभौम सत्य की प्राप्ति तथा सामाजिक समरसता के जिस बीज को बोने का प्रयत्न कबीर ने किया, शायद आज तक उसे किसी भी विद्वान ने पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं की।

कबीर के संबंध में डा. धर्मवीर की पुस्तक "कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी," का अध्ययन करने के उपरांत ऐसा लगता है, की धर्मवीर कहीं भी कबीर ब्राह्मणी गैर ब्राह्मणी, हिंदु तथा मुसलमानी छवि जहाँ कहीं न कहीं पक्षपात की प्रवृत्ति होती है उससे उबर नहीं पाए हैं। व्यक्तिगत और समष्टिगत साधना जिसे वे कहीं न कहीं वर्णों से संयोजित करने की कोशिश में वर्णवादी कुठाराघात करते से लगते हैं।

धर्मवीर जी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे इस बात से बेहद चिंतित हैं कि कबीर का अध्ययन उन्हें हिंदू धर्म का अंग मानकर क्यों किया जा रहा है ?

*डी-6/6154/6, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

लेकिन एक बात यहाँ गौरतलब हैं कि अगर हिंदू धर्म का ही अंग मानकर कबीर का अध्ययन किया जाए तो इसमें बुराई क्या है ? बुराई तो तब दिखती है जब उनके किसी तथ्य को तोड़-मरोड़ कर निहित स्वार्थवश अपने अनुकूल बनाकर उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की जाए ।

अगर गौर से देखा जाए तो कबीर की जीवन पद्धति और जीवन साधना हमारे उपनिषदों तथा धर्मशास्त्रों में वर्णित जीवन साधना से कुछ अलग नहीं है । साधु स्वभाव के जिस अक्खड़पन स्वभाव का जिक्र कबीर में मिलता है वो स्थितप्रज्ञता से पहले की स्थिति होती है, जिसका वर्णन हमें उपनिषदों में साफ-साफ मिलता है ।

ज्ञान मार्ग की जिस साधना का वर्णन जहाँ कुण्डलिनी जागरण से लेकर कमल दल का मार्ग साधना कबीर की साखियों में मिलती है, उसे देखकर कबीर को हम हिंदू धर्म साधना से अलग करके नहीं देख सकते । चूँकि कबीर वास्तविक सत्यान्वेषी थे इसलिए वे सत्यान्वेषण के मार्ग में आने वाले व्यवधानों को चाहें वो ऊँच-नीच की भावना हो, धार्मिक कट्टरता हो या फिर अंधविश्वास की डोरी, सबकी अवहेलना तथा आलोचना करते हैं । इसका मतलब यह नहीं है कि आगे चलकर आगे कबीर की बात को नहीं स्वीकारते हैं तो उसमें उनके दलित धर्म की समस्या है । यहाँ तो वस्तुत: समस्या लोगों की वैचारिक सोच की है, जिसे वैचारिक भाया उसने ग्रहण किया जिसे नहीं भाया वो आगे निकल गया । अगर कबीर अंत में लोगों को अपना धर्म समझाने में विमुख होने लगते हैं इसका मतलब दलित धर्म की समस्या नहीं, अपितु कबीर की बोधिसत्वत्ता (स्थितप्रज्ञता) की स्थिति को प्राप्त करने की समस्या है ।

बोधिसत्व की दो स्थितियाँ होती है—पहली स्थिति जिसमें साधक वैयक्तिक मुक्ति का अभिलाषी होता है, दूसरी बोधिसत्व की जहाँ साधक सार्वभौम सत्ता की बात करते हुए सार्वभौम मुक्ति पर जोर देता है । इस मायने में कबीर अपनी सपाटबयानी तथा समाज की भिन्न-भिन्न रीति-रिवाजों, प्रथाओं की आलोचनाओं के बावजूद भी वैयक्तिक साधना पर जोर देते हैं ।

डॉ. धर्मवीर डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के इन तथ्यों को नकारते हैं कि कबीर एक अक्खड़, फक्खड़, मस्तमौला थे । डॉ. धर्मवीर का मानना है कि कबीर दलितों के एक बेहद फिक्रमंद मसीहा थे ।

यहाँ, डॉ. धर्मवीर यह क्यों भूल जाते हैं, जो व्यक्ति अक्खड़, फक्खड़, मस्तमौला है, वह सिर्फ समाज के सवर्णों की परिधि में ही रहकर अपनी पहचान बना सकता है, इसलिए द्विवेदी जी ने उन्हें ऐसा सिद्ध करने की कोशिश की है । यदि वे कबीर को दलितों का मसीहा मानते तो सवर्ण उन्हें अपना धर्मगुरु नहीं मानते ऐसी कोई बात नहीं है ।

अपनी पुस्तक "कबीर बाज भी, कपोत भी पपीहा भी" में एक जगह धर्मवीर जी ने लिखा है कि यह क्या गोरखधंधा है कि यदि कबीर को जुलाहा मानेंगे तो उन्हें केवल दलितों का संत मानेंगे और यदि कबीर को भारत का संत मानेंगे तो तब उन्हें जुलाहा न मानकर वैष्णव मानेंगे ।

हिंदू धर्म की किस विधा में यह लिखा गया है कि जुलाहा संत नहीं हो सकता और संत होने के लिए वैष्णव होना जरुरी हैं । इस संदर्भ में अगर धर्मवीर जी शंकराचार्य की गद्दी पर बैठने के नियम विशेष की दुहाई देते हैं जिसमें ऐसा वर्णित है कि शंकराचार्य का पद किसी ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए । यहाँ धर्मवीर जी यह क्यों भूल जाते हैं कि शंकराचार्य का पद किसी संत विशेष का पद नहीं बल्कि एक महंत का पद होता है, जिसमें संत के गुणों की भावना की जाती है । संत पद से नहीं, प्रवृत्ति और साधना से बनते है । कहने का अभिप्राय यह नहीं कि शंकराचार्य के पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति विशेष संत नहीं होता, वो संत हो सकता है, आचार्य हो सकता है लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वो सिर्फ संत ही होता है ।

कबीर ने कोई आचार्य की पदवी धारण नहीं की थी । वो तो वास्तविक तत्व ज्ञान के पीछे चलने के क्रम में जितनी विचारधाराएँ बनती गई उसका अवलोकन तथा चिंतन करते चले गए । इसी क्रम में वे निम्न वर्ग या उच्च वर्ग के मध्य व्याप्त अंधविश्वास एवं अन्य धारणाओं को दृढ़ता के साथ तोड़ते हैं । इसका मतलब यह नहीं कि वे दलितों की वकालत करते हैं तथा ब्राह्मण की आलोचना कर ब्राह्मण समाज को हेय की दृष्टि से देखते हैं । उनका मकसद तो मनुष्य मात्र के कल्याण से है जीवात्मा के कल्याण से है जो कि शरीर रूपी घर में निवास करता है । शरीर की कोई जाति

3481 HA/09—8A

नहीं, कोई धर्म नहीं । अगर कबीर को पहचानना है कबीर को जानना है तो जीव जगत तथा आत्मा परमात्मा संबंधी उनके साखियों में जानने का प्रयास किया जाए तो वास्तविकता उभर कर सामने आयेगी । वैष्णव का मतलब किसी उच्च या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति विशेष से नहीं, अपितु वह जो विष्णु (अर्थात् परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति विशेष है) को जानता है, जिसके चित्त में वृत्तियों का उठना, गिरना समाप्त हो चुका है। जो समुचित्त हो चुका है, जो स्व और पर के भेद से ऊपर उठ चुका है, जिसके लिए जाति और वर्ण अब मायने नहीं रखते, उसकी वृत्ति व्यापक हो चुकी है वह हर किसी के अन्दर उस परमात्मा का दर्शन करता है और कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण या शूद्र ।

हिंदू धर्म के अंतर्गत ऐसी कोई व्याख्या नहीं मिलती जिसमें यह कहा गया है कि संत या भक्त को सवर्ण या फिर द्विज ही होना चाहिए । सवर्णों से इतर जातियाँ संत या भक्त का दर्जा नहीं पा सकती है । हाँ यह विधान या बात जरूर मिलता है कि कुलीन या ज्ञानी द्विज आदरणीय है, सम्मानीय है, लेकिन यह बात तो कही नहीं लिखी गई हैं कि निम्न वर्ण के लोग संत नहीं हो सकते हैं ।

धर्मवीर जी ने अपनी इस पुस्तक में कबीर की प्रशंसा का अर्थ के संदर्भ में यह बात कही है कि ब्राह्मण इस देश के समाज और संस्कृति से धर्म के नाम पर टैक्स उगाहने वाला माफिया वर्ग है । किसी अन्य जातियों के लिए यह कुछ और भी साबित हो सकता है लेकिन दलित जातियों के लिए यह कुछ और भी साबित हो सकता है लेकिन दलित जातियों के लिए निश्चित रूप से एक माफिया वर्ग है । आखिर बताया जाए कि "ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी" क्या है ?

ब्राह्मणों को धर्म के नाम पर टैक्स उगाहने की बात करते हुए उसे दलित वर्ग हेतु मांफिया कहना कहीं न कहीं सवर्णों के प्रति पूर्वाग्रह की सोच को दर्शाता है । धर्मवीर जी जिस बात का आरोप आचार्य द्विवेदी पर लगाते हैं कि वे अपनी ब्राह्मणी सोच से पृथक सोंच ही नहीं सकते, उसी मानसिकता का शिकार खुद ब खुद है । कुछ क्षण के लिए वे इन दोनों ही निम्नवर्णीय चेतना (मानसिकता) से ऊपर उठकर सोचने का प्रयास करें या तब निष्पक्ष विवेचन कर पाएंगे और कबीर का भी सही मूल्यांकन कर पाएंगे अन्यथा "जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तनी तैसी", की उक्ति चरितार्थ होती रहेगी ।

धर्मवीर जी ने रामचरितमानस की चौपाई "ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी" का भी सही अर्थ नहीं लगाया है । आम जनता से तो हम उस पंक्ति के प्रचलित अर्थ समझने की बात सोच सकते हैं, लेकिन धर्मवीर जी से तो ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि वो भी इसका प्रचलित अर्थ ही लगा बैठेंगे । वस्तुत: मानस की इस चौपाई में ताड़ना का अर्थ पीटना या प्रताड़ित करना नहीं प्रव्युत समझना या परखना है । ताड़ना शब्द भोजपुरी भाषा में प्रयुक्त होता है, जानना, भाप लेना, समझ लेना, परखनेा । आज़ भी तथाकथित भोजपुरी भाषी प्रांतों में यह कहते सुना जाता है कि 'हम त उनका के देखते ताड़ गईनी हा' अर्थात् मैंने उन्हें/ देखकर ही उनको पहचान लिया अर्थात् उनकी गतिविधियों के विषय में कुछ समझ पाया, परख लिया इत्यादि ।

'कबीर' जैसे शीर्षक पर किताब लिखने का मतलब यह तो नहीं निकाला जा सकता कि दलित चिन्तन को बहकाकर रखा गया और यह पुस्तक लिख कर नई छद्म रची गई । पचास वर्षों तक दलित चिन्तन क्यों बहका रहा, क्या उसकी सोच पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, या फिर जिस छद्म की बात कही गई है उस छद्म की मानसिकता दलित समुदाय की भर्त्सना करना मात्र था ।

धर्मवीर जी यह कहते हैं कि द्विवेदी ने कबीर को अवैष्णव बताकर छद्म किया है । लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य है कि कबीर को अवैष्णव नहीं कहने का अभिप्राय यह है कि कबीर में संतोचित गुण थे और जिसमें संतों और भक्तों का गुण है उसे अवैष्णव या किसी वर्ग समुदाय तक सीमित कर दलित क्यों कहा जाए । संतो की कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ग नहीं होता, कोई सम्प्रदाय नहीं होता । संतों को समझने के लिए वर्गीय चेतना से ऊपर उठना पड़ेगा ।

अपार ब्रह्म के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे । अत: उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया है । हाँ खोज रिपोर्टों, संदर्भ ग्रंथों आदि के आधार पर उनके द्वारा विरचित 63 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है । जिनके अगाध मंगल, अनुराग सार, अधर खण्ड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, कबीर की साखी, ब्रह्म प्रमुख है । इस प्रकार संत मत के समस्त कवियों में कबीर

3481 HA/09—8B

सबसे अधिक प्रतिभाशाली व मौलिक है । उन्होंने कविता लिखने की इच्छा से कुछ भी नहीं लिखा, नहीं अलंकारों और शब्द शक्तियों का उन्हें ज्ञान था । उनका तो मुख्य उद्देश्य संदेश देना था । इसके साथ ही उन्होंने वैरागी बनकर यात्राएँ की । इस प्रकार समस्त उत्तर भारत को अपने विचारों से प्रभावित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की, कबीर ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए कोई संगठन नहीं बनाया । अपितु उनके शिष्यों में सूरत, भोपाल, धर्मदास ने इसी कमी की पूर्ति की और जाति-पाँति के भेदों को मिटाने का भी प्रयत्न किया । उन्होंने अल्लाह, राम सन्य, गोबिन्द का भेद मिटाने का भी प्रयत्न किया । परिवर्तनशील एवं नाशोन्मुख संचार में परमात्मा प्राणित को ही यथार्थ बताया, आशा और शांति का मार्ग दिखाया । संसार के दु:खों को उन्होंने मायाकृत घोषित किया व ब्रह्म व जीवन के संबंधों को बताने के लिए बटवृक्ष व बीज का रूपक बांधा ।

उन्होंने अद्वैत वैदांत को स्वीकृति दी और हृदय-परिवर्तन तथा पवित्रता पर बल देकर बाह्यनुष्ठानों का तिरस्कार किया । निर्गुण निराकार की शुष्कता को निकाल प्रेमपूर्ण चिंतन की व्याख्या करके भक्ति जगत को अपूर्ण देन प्रस्तुत की । कबीर ने अपने धर्म में एक मार्ग का अवलम्बन किया है । उन्होंने हिंदू, मुसलमानों दोनों धर्मों का खण्डन किया परन्तु दोनों का समर्थन भी प्राप्त किया है, अपने आपको दोनों के विरोध से बचाया भी है । कबीर वेशभूषा बदलने का वैराग्य नहीं मानते, उनका कथन है कि मनुष्य को तन से वैराग्य धारण न करके मन से करना चाहिए ।

गौरतलब है कि जो कबीर हृदय परिवर्तन तथा पवित्रता पर बल देते हैं तथा हिंदू और मुसलमानों दोनों का खण्डन करने के बावजूद दोनों का समर्थन प्राप्त करते हैं, समझ नहीं आ रहा है कि उस कबीर को हम दलितों का मसीहा किस आधार पर कह सकते हैं ? यदि हिंदू और मुसलमान, उच्च वर्ण और निम्न वर्ण सभी कबीर को समान स्वर से स्वीकार करते हैं तो क्यों कबीर को हम सिर्फ ब्राह्मणी या दलित वृति के मध्य रखकर ही समझने का प्रयास करें ।

कबीर की मनोभूमि पूर्णत: संस्कृत है । इसीलिए वह पारदर्शी भी है । उनका युग संक्रांति का युग था । धर्म और साधना के क्षेत्र में ही नहीं जीवन के सभी क्षेत्रों में भेद-भाव की पराकाष्ठा उस युग की सामान्य विशेषता थी । शासक-शासित, धनी-गरीब, ब्राह्मण-शूद्र, हिंदू-मुसलमान का भेद जो है ही शैव, शावत, वैष्णव, योगी, सिद्ध श्रावक आदि अनेक मत भी अपनी रूढ़ियों तथा विकृतियों के साथ उस समय विद्यमान थे । कबीर के पारदर्शी मानस में ये सारे भेद, यह सारी विकृतियाँ साफ-साफ उभर कर उनके सामने आती गई । वे ऐसे साधक नहीं थे जो आत्मलीन होकर एकांत में पड़े रहें । वे सदा जगत-गति से आन्दोलित होते हैं और जहाँ कहीं उन्हें आडम्बर, संकीर्णता, भेद-भाव और बेमानी अहंकार दिखाई पड़ता है, वहाँ प्रहार करते हैं । समाज में घटित भेद-भाव की भावनाओं को समाप्त करना कबीर की विशेष इच्छा में समाहित था । सामाजिक सुधार भले ही उनका लक्ष्य न हो, लेकिन सामाजिक कुरीतियों चाहे वो सवर्णों के समाज से संबंधित हो या फिर निम्न वर्णों के समाज से उन पर, उनके द्वारा किया गया प्रहार अत्यन्त सार्थक और प्रासंगिक है । वे अच्छी तरह जानते थे कि 'तत्व' एक अद्वैत है । इसीलिए सभी प्रकार के भेद झूठे और थोथे हैं । उन्होंने तो बोध के धरातल पर, अनुभव के स्तर पर सत्य का साक्षात्कार किया था, इसलिए उनका सत्य उनसे अलग नहीं था । वे तो सत्य को जीते थे । वे अद्वैत को चरितार्थ करते और उनकी वाणी उनकी क्रिया को प्रमाणित करती थी ।

ऐसे कबीर का अध्ययन अपनी किसी आंतरिक पूर्वाग्रह की वजह से एक विशेष संप्रदाय या वर्ग के साँचे में करना वस्तुत: कबीर के साथ अन्याय नहीं बल्कि अपनी पूर्वाग्रह प्रवृत्ति का प्रदर्शन मात्र है ।

धर्मवीर जी की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि हिंदी साहित्य के विद्वानों ने कबीर को धर्मगुरु मानते हुए भी उन्हें नए धर्म का संस्थापक क्यों नहीं स्वीकार किया है । कबीर दलितों के महागुरु हैं तथा हमें उन्हें दलित धर्म के संस्थापक के रूप में स्वीकार करना चाहिए । कबीर को समझने के लिए दलित जाति से संबंधित होना जरुरी है क्योंकि दलित की पीड़ा एक दलित ही समझ सकता है । आचार्य द्विवेदी का खण्डन करते हुए संदर्भ में एक जगह उन्होंने लिखा भी है कि "जाके पैर न फटी बेबाई वो क्या जाने पीर पराई" ।

अब यहाँ मुख्य बात यह कि कबीर ने किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं की । इस संदर्भ में उनकी साधना

पद्धति और अन्तत: ज्ञान के जल में भक्ति का गुड़ मिलाकर जो अद्‌भुत रस तैयार किया था वो सबके लिए समान रूप से ग्राह्य थी । उसका पान समाज के सभी वर्णों के लिए समान रूप से हितकारी था । उस रस को तैयार करते समय कबीर के मन में दलितों के प्रति सहानुभूति और सवर्णों के प्रति दुराग्रह जैसी कोई प्रवृत्ति नहीं थी । उस समय तो वे समाज के सभी वर्णों के लिए समान रूप से हितकारी तथ्यों अवधारणाओं और नई पूजा और अनुष्ठान पद्धतियों के तलाश में थे ताकि समाज के समस्त वर्णों का समान रूप से हित हो सके । सवर्णों के प्रति उनके मन में ऐसी कोई दुराग्रह की भावना नहीं थी जिससे वे उनकी आलोचना करते हैं । वो तो भक्ति का सुगम मार्ग खोज के क्रम में आनेवाली बाधाओं का बड़े ही साक्ष्य और निडरतापूर्वक खण्डन करते हुए उसका शमन करने का प्रयास करते हैं और इस क्रम में वो सभी धर्मों, वर्णों, सम्प्रदायों में निहित ऐसी प्रथाओं, रीतियों का खण्डन करते हैं जो व्यक्ति को उसके निहित लक्ष्य तक पहुँचने में बाधा पहुँचाती है ।

कबीर के तथ्यों और विचारों के समझने के लिए समदर्शी होना पड़ेगा । बिना समदर्शी हुए कबीर का चिन्तन जितना भी किया जाएगा उसमें तथाकथित चिन्तक की वर्गीय बू आती रहेगी । पहले तो जरूरत है कि अपने आप को इन जातिवादी धारणाओं से ऊपर उठाया जाए और फिर कबीर का चिन्तन किया जाए, अन्यथा इस समस्या का अंत कदापि नहीं हो सकता । ब्राह्मण उन्हें ब्राह्मणी वृत्ति के साथ समझने का प्रयास करता हुआ दलित चिन्तकों की अवधारणाओं पर आक्षेप करेगा तथा दलित चिन्तक ब्राह्मणी वृत्ति को अपने ख़िलाफ एक साजिश समझते हुए उसका चिन्तन करेगा जो कबीर जैसे निस्पृह साधक के संबंध में होने वाले चिन्तकों की वजह से उनके साथ होने वाले अन्याय के सिवाय कुछ भी नहीं होगा ।

बड़ी अजीब सी बात जिस साधक भक्त कबीर ने सामाजिक ऊँच-नीच, जात-पांत की भावना का डटकर विरोध किया, उनका चिन्तन आज भी इसी परिधि के अंतर्गत करने का प्रयास किया जा रहा है ।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है यहाँ हर किसी को अपने अन्त:करण के आधार पर किसी भी धर्म को तथा किसी भी व्यक्ति विशेष को धर्मगुरु मानने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम जिसे धर्मगुरु मान रहे हैं उसे पूरी दुनिया धर्मगुरु ही स्वीकार करे और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वे किसी संत दार्शनिक या व्यक्ति विशेष को अपने जातिगत परिधि में ही देख सकते हैं देखने का प्रयास करते हैं और उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं ऐसी बात नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि कबीर ने किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं की है । कबीर की समस्त साधना पद्धति को उठाकर देखने का प्रयास किया जाए तो पता चलता है कि प्रारम्भिक अवस्था में कबीर ज्ञानमार्ग की कठिन साधना में कुण्डलीनी जागरण की प्रक्रिया में मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक पहुँचने के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और सहस्त्रार के अनन्त बिन्दु तक पहुँचते भी हैं लेकिन वहाँ जाकर उन्हें लगता है कि यह पंथ उतना आसान नहीं इसीलिए किसी सहज मार्ग की तलाश में लगते हैं और सहज साधना की प्रक्रिया को अपनाते हैं और कहते हैं कि अगर उस पारब्रह्म को प्राप्त करना है तो हम इस कुण्डलीनी जागरण की टण्ट, घण्ट साधना के चक्र में न पड़े सिर्फ सहज योग हर श्वास में उस तत्व का स्मरण कर उस अनन्त तक हम पहुँच सकते हैं ।

इन सभी तथ्यों का वर्णन हमें उपनिषदों तथा गीता में देखने को मिलता है । कबीर ने व्यक्ति को उलझनों में उलझने रहने की बजाय सहज मार्ग (सहज योग) की साधना करने की सीख दी । हाँ यह जरूर कहा जा सकता है कि जनता को कबीर ने सहज और आसान रास्ता उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए बताया, इसका मतलब यह नहीं कि कबीर किसी नवीन धर्म के प्रणेता थे ।

जिस प्रकार शंकराचार्य ने वेदांत के नए सिरे से उसका विवेचन किया उसी प्रकार कबीर ने परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहज योग साधना का समर्थन किया । इसके लिए पूरा समाज उनका ऋणी है, उनका अनुग्रही है, इस अहम और अनुग्रह के रूप में हम उनका समर्थन कर सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, उन्हें अपना धर्मगुरु मान सकते हैं, लेकिन दूसरों को हम ना ही ऐसा करने के लिए विवश कर सकते हैं और दूसरे ऐसा नहीं करते तो हम उन पर आक्षेप प्रक्षेप भी नहीं कर सकते हैं ।

एक जगह धर्मवीर जी कहते हैं कि क़बीर ब्राह्मण और द्विज समाज से बाहर के व्यक्ति थे । उन्होंने अपना पृथक धर्म खड़ा किया जिसका ब्राह्मण धर्म से कोई संबंध नहीं था । यूँ वे अपने धर्म के भीतर धर्म की व्यक्तिगत साधना करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हिंदू धर्म की व्यक्तिगत धर्म साधना करेंगे । साफ कहने का मतलब यह है कि जिन्हें कबीर द्वारा धर्म की व्यक्तिगत साधना की हुई दिखती है, उन्हें साथ में यह भी दिखना चाहिए कि वह पृथक दलित धर्म के अंतर्गत व्यक्तिगत साधना है, हिंदू धर्म के या मुसलमान धर्म के अंतर्गत की गई साधना नहीं है । कोई व्यक्ति अपने धर्म में धर्म की व्यक्तिगत साधना करेगा तो क्या वह जबरन हिंदू धर्म के अधीन की गई व्यक्तिगत साधना मानी जाएगी । इसलिए, कबीर ने जहाँ भी व्यक्तिगत साधना की है वह उनके अपने अलग धर्म की साधना है ।

अगर किसी व्यक्ति विशेष ने अपनी वैयक्तिक साधना की है तो उस साधना को हम सिर्फ हिंदू-मुसलमान या दलित वर्ग की साधना के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता । हम इस विषय में यह निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं कि यह अमुक धर्म विशेष की साधना है । वैयक्तिक साधना किस धर्म की साधना है इसे तो व्यक्ति विशेष ही बता सकता है । इस संबंध में कोई और चाहे किसी भी चिन्तन की परिधि में बांधकर उसे किसी विशिष्ट धर्म विशेष में बांधकर बताने का प्रयास करें वो निरर्थक हाथ-पांव मारने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं ।

अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी या प्रो. नामवर सिंह यह कहते हैं कि "हिंदी-साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ । इसका अर्थ धर्मवीर जी यह क्यों लगाते हैं कि यहाँ यह समझने की जरुरत है कि इन शब्दों में कबीर के व्यक्तित्व की बात कही गई है, कबीर के विचार की नहीं । धर्मवीर जी यहाँ यह क्यों भूल जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके विचारों का अनुगामी होता है । ऐसा कभी नहीं होता कि किसी की विचारधारा कुछ अलग हो और व्यक्तित्व कुछ अलग । जैसी मानसिकता होगी, वैसी विचारधारा होगी व्यक्तित्व सर्वदा वैसा ही रहेगा । विचारधारा की स्पष्ट छाप व्यक्तित्व पर देखने को मिलती है । अगर हम किसी के व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हैं तो इसका मतलब ही है कि हम प्रकारान्तर से उसके विचारों की ही प्रशंसा कर रहें हैं । अगर किसी व्यक्ति की वैचारिक सोच दुनियादारी से संबंधित है तो कभी बैरागी का आचरण नहीं कर सकता, अगर एक क्षण करने की कोशिश भी करें तो उसमें बनावटीपन दिखता है वास्तविकता नहीं झलकती ।

अगर किसी भी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा की जा रही है तो इसका अभिप्राय है कि उसके विचारों तथा उसके द्वारा कृत कार्यों की ही प्रशंसा की जा रही है । व्यक्ति की प्रशंसा हमेशा उसके कार्यों से ही की जाती है जो यदा कदा उसके स्वभाव में भी दीखने लगता है । इसके अतिरिक्त अगर दूसरी प्रशंसा की बात की जाय तो, वो रूप की प्रशंसा हो जाएगी व्यक्तित्व की नहीं क्योंकि व्यक्तित्व का तो सीधा संबंध विचारों और कृत्यों से ही होता है । हम इस बात से कभी नहीं नकार सकते कि यदि हम किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व की प्रशंसा कर रहे हैं तो उसके विचारों की अवहेलना करके या उसे नजरअंदाज करके । व्यक्तित्व की प्रशंसा का मतलव ही है कि हम उसके विचारों को किसी न किसी रूप में स्वीकार कर रहें हैं । अगर कबीर के व्यक्तित्व की प्रशंसा हुई है तो इसका साफ मतलब है कि उनके विचारों को जिसे लेकर वे आगे बढ़ रहें हैं उसे स्वीकारा जा रहा है । इसमें कत्तई यह नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मण चिन्तन हमेशा से ही यही करता आया है कि वह व्यक्ति की प्रशंसा तो करता है लेकिन उसे उसके मिशन से काट देता है । चिन्तन चाहे ब्राह्मणवादी हो या गैरब्राह्मणवादी अगर वो किसी की प्रशंसा कर रहा है तो वो उसे उसके मिशन से अलग कहाँ हट सकता है । अगर मिशन के अंतर्गत आने वाले तथ्यों का वह अनुपालन नहीं कर सकता तो वह उसकी वैयक्तिक इच्छा है, इसके लिए हम उस पर किसी वर्णवादी विचारधारा के तहत बोलने का आरोप नहीं लगा सकते । अगर कबीर के व्यक्तित्व की प्रशंसा की जा रही है तो उनके विचारों को भी समान रूप से महत्व दिया जा रहा है, इस तथ्य को गहराई से समझने की आवश्यकता है । आरोप-प्रत्यारोप से तथ्यों की वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता है ।

अगर बुद्ध की प्रशंसा हो रही है तो प्रकारान्तर से बौद्धिक चिन्तन की भी प्रशंसा हो रही है । ध्यान देने योग्य यह है कि किसी भी व्यक्तित्व या चिन्तन की प्रशंसा का अभिप्राय यह नहीं होता कि हम उनका पालन करने में सक्षम

3481 HA/09—9A

होंगे या उनसे हमारा मतभेद नहीं हो सकता । मतभेदों का होना अवश्यम्भावी है और इसे हम किसी की कुटिल चाल नहीं कह सकते हैं ।

अगर आप दलित चिन्तन के पोषक हैं तो बेशक उसकी प्रशंसा कीजिए, उसे आत्मसात करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जिस सीढ़ी के सहारे आप अन्य चिन्तकों का खण्डन कर रहे हैं उसी के आधार पर आपके चिन्तनों की भी भर्त्सना की जा सकती है, इसमें रत्ति मात्र भी शक की गुंजाइश नहीं है । अगर चिन्तन निष्पक्ष हो, समस्त पूर्वाग्रही वृत्तियों से ऊपर उठकर किया जाए तो संभव है कि उसे समाज के सभी वर्ण बिना किसी संकोच के स्वीकार करें । जरुरत है विभेदों की मानसिकता से ऊपर उठने की ।

कबीर ने कहा "गुण में निरगुण, निरगुण में गुण बाट छाड़ि क्यों बहिए ।" उन्होंने ईश्वर को जीवन में तथा सृष्टि के घट-घट में रमा हुआ बताकर समाज में भेद की राजनीति करने वालों का पत्ता साफ कर दिया था ।

खालिक खलक में, खलक में खालिक,सब घट रह्यों समाई । कृत्य के सगुण प्रेम में डूबी रहने वाली मीरा ने भी निर्गुण सेज बिछाया और गाया-

"रोगी अंतर वैद बसत है
वैद ही ओखट जायोरे ।"

यह बात मानने वाली है कि संत अंतर्धारा के सभी महत्वपूर्ण कवि दलित हैं और राम भक्ति धारा का एक भी कवि दलित नहीं है । निःसंदेह संत कवियों ने केवल दलितों के लिए कविता नहीं रची थी, उनके सामने तो पूरा मानव समाज था । इसी तरह राम भक्ति धारा के कवियों ने केवल द्विजों के लिए नहीं लिखा वे दलितों पर भी अपना प्रभाव पैदा करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने अपनी-अपनी कथाओं में अनेक संरचनात्मक परिवर्तन भी किए ।

अगर कबीर को दलित माना जाए तब भी यह देखने में नहीं आता कि उन्होंने कहीं भी अलग से किसी धर्म की स्थापना की हो जिस आधार पर हम धर्मवीर जी की इस बात से सहमत हो सकें कि कबीर का धर्म हिंदू धर्म में बिल्कुल साम्य नहीं रखता, वो इन सभी से पृथक प्रचलित विचारधारा है ।

कबीर के मत से जगत में जितने भी नाम, रूप और गुण है वे सभी उस निर्गुण राम के ही नाम रूप और गुण हैं, लेकिन जप के लिए ब्रह्म के अनंत नामों में से उन्होंने राम नाम को ही चुना है क्योंकि गुरु ने उन्हें इसी राम नाम का उपदेश दिया था । वैसे तो परब्रह्म का अर्थ बोध कराने के लिए उन्होंने विष्णु, कृष्ण, विट्ठल, अल्लाह, खुदा, रहीम, करीम, केशव, नारायण, विश्वम्भर आदि अनेक नामों का प्रयोग किया है किंतु सर्वत्र उन्होंने उक्त नामों को राम के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है ।

कबीर पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी के चिन्तक तथा संत हैं, उनके लिए दलितों का मसीहा या फिर दलित चिन्तन के पोषक जैसे विशेषणों का प्रयोग समुचित प्रतीत नहीं होता है । अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त तथा पोषित इस समाजवर्गीय अवधारणा दलित के अंतर्गत कबीर जैसे संत को रखना सही बात नहीं लगती । संत तो सार्वभौमिकता का दृष्टिकोण लेकर चलते हैं, उन्हें किसी वर्ग विशेष या समुदाय विशेष से कुछ खास लेना देना नहीं होता । वे तो मानवता के हिमायती होते हैं और मानवता वर्गीय चेतना को लेकर कभी नहीं चलती । कबीर के काव्यों में अगर धोती पहनने वाले पण्डितों की निन्दा की गई है तो बाँग देने वाले मुल्ला को वो कहाँ छोड़ते हैं ? वे तो समाज के हर वर्ग के हिमायती हैं उन्हें हम अपनी वर्ग चेतना के कसौटी पर कसने की कोशिश क्यों करते हैं ? जातीय आधार पर कबीर की विवेचना की जाए तो वह विवेचन चाहे उच्च वर्ग से संबंधित हो या फिर निम्न वर्ग से दोनों ही वर्गों में अपनी वर्गीय चेतना का सुगंध होगा, इससे हम कत्तई पीछे नहीं हट सकते हैं । अतः अधुना आवश्यकता इस बात की है कि कबीर द्वारा कथित समस्त बाध्यों या तथ्यों का अवलोकन हम सामाजिक उत्थान तथा मानवीय मूल्यों के पोषण के संदर्भ में लेने की कोशिश करें न कि उनको किसी विशेष वर्ग से जोड़कर उसी वर्ग के हिमायती के रूप में उन्हें देखने की कोशिश करें । कबीर तो उस शीतल जल की तरह थे, जिनको कोई भी स्पर्श करें शीतलता का अहसास होगा ही, वहाँ भेदभाव नहीं था । ■

3481 HA/09—9B

"मन" : सामाजिक मूल्यों एवं समकालीन विमर्शों पर सहज काव्याभिव्यक्ति

–डॉ. विभा त्रिपाठी*

हाल ही में प्रकाशित डॉ. देशबंधु राजेश का "मन" नामक काव्य-संग्रह, एक नज़र में ही प्रभावित करता है। मुझ जैसे साहित्यानुरागी या काव्य प्रेमी को बहुत दिनों के बाद ऐसी काव्य-कृति देखने को मिली है, जो सामाजिक मूल्यों एवं समकालीन विमर्शों पर जोरदार अभिव्यक्ति करती है। इसकी रचनाएं जब स्वयं ही, हमारे मन की बात उकेरने लगती है, तो उनकी सरसता, सहजता व स्वाभाविकता देखते ही बनती है। पाठक स्वयं ही जीवन के रंगों में रंगता कुछ वैसा ही महसूस करता जाता है।

"मन" की इन्हीं विशिष्टताओं से, संभवतः, पद्मभूषण गोपालदास "नीरज", जो आज हिंदी काव्य-साहित्य के शीर्षस्थ-व्यक्तित्व हैं (और जिन्हें आज हिंदी काव्य-जगत का भीष्म पितामह भी माना जाता है), भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए हैं। "नीरज" जी द्वारा इस काव्य-कृति को सराहते हुए अपनी शुभाशीषपूर्ण भूमिका में यह लिखना कि, "मन" की रचनाएं व्यक्ति, समाज, संस्कृति व हमारे राष्ट्र की भाव-भूमि, मानसिकता एवं अपेक्षा को प्रतिबिम्बित करती हैं। ......विशेषकर, गज़ल व दोहे ग़ज़ब की रचनाएं हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण-पत्र है।

वास्तव में, मैं जब भी कहीं "नीरज" जी को पढ़ती या सुनती हूं तो बरबस मेरे मुँह से ये शब्द उनके प्रति नतमस्तक होकर निकल पड़ते हैं :

सरेशाम खुद जल जाए जैसे कोई चिराग
कुछ यूँही शुरूआत है, मेरी दास्तान की।

नीरज से बढ़के यहाँ कौन है बड़ा
जिसके हृदय में प्रीति है, सारे जहान की।।

इसीलिए मेरी दृष्टि में भी, "नीरज" जी जैसे हिंदी काव्य-जगत के विराट व्यक्तित्व को प्रस्तुत काव्य-संग्रह "मन"का समर्पित किया जाना सर्वथा उचित ही है। वस्तुतः यह समर्पण इसके रचयिता डॉ. देशबंधु राजेश के रग-रग में महाकवि के लिए समाहित सच्चे प्रेम व आदर को ही दर्शाता है।

"मन" में सन् 1973 से लेकर सन् 2008 तक, अर्थात 35 वर्षों के दौरान कवि की विभिन्न मनःस्थितियों, समकालीन घटनाक्रम, परिस्थितियों एवं संवेदनाओं को प्रतिबिम्बित करने वाली 60 रचनाएं हैं। इनमें काव्य की लगभग सभी अंतर्विधाएं-मुक्तक, छन्द, गीत, गज़ल व दोहे-द्रष्टव्य हैं। यह दिसम्बर 1973 में लिखी कवि की पहली कविता, "बेचारा कवि-बेचारी कविता" (हास्य व्यंग्य) से लेकर अद्यतन गज़ल, "जाइए-जाइए-जाइए", (दिसम्बर 2008 में लिखी गई) का अद्भुत संकलन है। यह रचनाकार के 35 वर्षों के दीर्घकालिक जीवनकाल, उसके उतार-चढ़ाव, नियति द्वारा विरचित घटनाक्रम एवं उन सबकी अनुभूतियों का यह अनुपम प्रस्ततुतीकरण है। अपनी 60 रचनाओं में रचनाकार ने हास्य-व्यंग, मुक्तक, गीत, गज़ल, कविता, समसामयिक दोहे एवं भजन तक को सम्मिलित किया है और श्रंगार रस (संयोग एवं वियोग) के गीतों के साथ-साथ इन सभी विधाओं के साथ संपूर्ण न्याय करने का प्रयास भी किया है। यद्यपि यह रचनाकार का प्रथम प्रयास है, तथापि रचनाओं का स्तर, गाम्भीर्य व प्रभाव प्रशंसनीय है।

एक युवा मन की सोच का आलम बखानती गजल "मजा आयेगा" की शुरूआती पंक्ति, "सिर्फ इस आस से,

*प्राध्यापक, विधि विभाग, काशी विश्वद्यालय, वाराणसी

जलाया था ये शम्मा-ए-दिल, आप आयेंगे तो, जलने का मजा आयेगा", बेहद मर्मस्पर्शी है । इस तरह, संग दिल जमाने की टीस व कसक की खूबसूरत बयानी हुई है, गज़ल "मन में कुछ होने लगा है", के अंतर्गत । जब यह कहा जाता है कि "हो गया मौसम, ये कैसा आजकल, क्यों सभी का मन, दुखी होने लगा है", तो आजकल समाज में, दिखने वाले, एक दूसरे के प्रति उम्मीदों, आशाओं और उनके टूटने के सिलसिले को बखूबी देखने को मिलता है. । "बैरागी मन" नामक गीत का अंतिम छन्द "मेरी उलाहना, मत इसको समझो, मानवीय मूल्यों को, कुछ तो समझो, कुंठा और त्रास से, बढ़ गई तपन, हर बार यार हो गया बैरागी मन" या "किससे कहें क्यों कहें, मन की हम व्यथा, ले लेंगे लोग-बाग, उसको अन्यथा", मानवीय मूल्यों के बढ़ते ह्रास के प्रति की संवेदनशीलता का परिचय कराता है । यह घात-प्रतिघात में तल्लीन समाज पर एक करारा व्यंग्य है । इसी भाव को गज़ल, "घात अभी बाकी है" में भी बड़े रोचक ढंग से कहा गया है,"आप पर भरोसा राजेश क्यों करे, आप ही बतायें जब घात अभी बाकी है ।"

हिंदी साहित्य और राजभाषा के प्रति सम्पूर्ण सम्मान प्रकट करता गीत : "हिंदी के रहते अंग्रेजी, मै तो नहीं चलने दूँगा", एक बेहद सराहनीय रचना है । आज यह समीक्षा लिखते समय मुझे यह माँग करने में गुरेज नहीं हो रही है कि इस कविता को बड़े पैमाने पर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों एवं अन्यान्य जगहों पर प्रकाशित कर लगवाया जाना चाहिए, ताकि हमारे विद्यार्थी एवं कर्मचारीगण इससे प्रेरणा ले सकें ।

यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि रचयिता को अपनी सभी रचनाओं का वर्गीकरण करना चाहिए था, मसलन भाग एक, दो, तीन और चार । एवं हर भाग में एक विशेष अनुभूतिपरक गीतों, गजलों एवं मुक्तकों को रखना चाहिए था । अत: रचनाओं की विषयवार प्रस्तुति अधिक उपयुक्त होती । इस सलाह को अपने अगले अंक में कवि द्वारा स्वीकार किया जा सकता है ।

डॉ. राजेश की मौलिक रचानाओं को पढ़ते समय, बरबस इनकी तुलना करने का मन, कभी हरिवंश राय बच्चन, कभी दुष्यंत कुमार तो कभी स्वयं नीरज जी की रचनाओं से करने लगता है । सच कहा जाये तो डॉ. राजेश की गज़ल "मौसम विपरीत हो गया", "जिन्दगी भी क्या सफर है दोस्तों", एवं "सत्ता ही खुदगर्ज हो गयी", "कह बैठे राम कहानी" आदि कविताएं अपने आपमें शोधात्मक कवितायें हैं,जो वर्तमान सामाजिक विसंगतियों का खुलकर उल्लेख करती हैं ।

कुछ गीत, जैसे कि "राम तुम्हारी जन्मभूमि" पर पढ़ने पर संवैधानिक मूल्यों के प्रति कवि की प्रतिबद्धता का एहसास कराता है । राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिक्रिया करने वाली आपकी रचनायें रचनाकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठाकर राष्ट्रप्रेम एवं राष्ट्रोन्नति के प्रति उसकी कटिबद्धनिष्ठा को दिखाती है । "मन" के समसामदिक दोहे, राजनीतिक दांव-पेंच के बारे में कवि की गहरी समझ का परिचय देते हैं । वहीं "नहीं रहा ऐतबार" एवं "प्रेम एवं विश्वास का हरण" नामक गीत पाकिस्तान पर मार्मिक प्रहार करते हैं । प्राकृतिक आपदा और उसके विकराल स्वरूप का दंश दर्शाती रचना "सुनामी" में सुनामी को कुनामी कहना बहुत ही सार्थक प्रयास है । ये काव्यानुराग के साथ-साथ समर्पित रचनाधर्मिता को भी मुखरित करती हैं ।

भाषा-शैली अथवा छन्द-विधान की दृष्टि से भी "मन" की सभी रचनाएं अत्यन्त प्रौढ़ एवं परिपक्व दिखाई देती हैं । हालाँकि कवि ने "मेरी बात, मेरे मन की बात" शीर्षक से अपनी पृष्ठभूमिपरक भूमिका में गोस्वामी तुलसीदास की इस पंक्ति, "कविज विवेक एक नहिं मोरे, सत्य कहूं लिखि काग़द कोरे" के हवाले से यह कहा है कि वे कोई कवि नहीं हैं, फिर भी "परी एक चहिए" में "उफनती नदी सी कुंवारी एक चहिए" अथवा "देखिए तो" नामक ग़ज़ल में "खिलखिलाती मादकता गौर से देखिये तो" जैसी पंक्तियों में इंगित विलक्षण बिम्बों व आलंकारिक-छटा को देखकर हमें कवि के भाषाई एवं शैलीगत रचनाशीलता को मान्यता देनी ही होगी ।

समग्रत: "मन" एक स्तरीय एवं मनभावक काव्य-कृति है । हर उम्र के लोग इसकी रचनाओं से अपना ज्ञानरंजन एवं मनोरंजन, दोनों, कर सकते हैं । ■

पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य

राष्ट्रकवि : मैथिलीशरण गुप्त

–कुलदीप कुमार*

श्री मैथिलीशरण गुप्त आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं जो अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। गुप्त जी केवल स्रष्टा ही नहीं द्रष्टा भी हैं। उन्होंने कुछ सुनिश्चित उद्देश्यों को लेकर साहित्य जगत में पदार्पण किया था। उनका कहना था :

"केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए।
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।।"

गुप्त जी का काव्य उद्देश्यपूर्ण है। उन्होंने युग चेतना को सार्थक अभिव्यक्ति दी है और तात्कालिक समस्याओं का अपेक्षित समाधान प्रस्तुत किया है। उनकी महत्ता इस बात में है कि उन्होंने पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं, घटनाओं और पात्रों के माध्यम से सामयिक उपेक्षाओं की पूर्ति कर रचना धर्म की प्रासंगिकता और सार्थकता प्रतिपादित की। उन्होंने कविताओं से युग मानस को झंकृत कर उसे नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का मन्त्र सुनाया जिस पर जगत ने मुग्ध होकर उन्हें "राष्ट्रीय कवि" की संज्ञा दी।

गुप्त जी ने देश भक्त राष्ट्रीय हृदय प्राप्त किया था। आपने भारत की दीन दशा से प्रभावित होकर अपने काव्य में सम्पूर्ण भावनाएं व्यक्त की हैं। वास्तव में इनमें कवि हृदय दुःख से संतृप्त होकर रो उठा है। आपने "भारत-भारती" में उस समय की दीन दशा को दूर करने के लिए प्राचीन गौरव की ओर ध्यान आकृष्ट कराने हेतु चेतना उत्पन्न की है। देखिए –

"हे ब्राह्मणों फिर पूर्वजों के तुल्य तुम ज्ञानी बनो,
भूलो न अनुपम आत्म गौरव धैर्य के ध्यानी बनो।
क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को भेंट दो,
निज देश को जीवन सहित, तन-मन, भेंट दो।"

गुलामी-गुलामी है, व्यक्ति के लिए कभी भी वरेण्य नहीं हो सकती। विदेशी शासन का मतलब है उत्पीड़न, शोषण, अनाचार और दुराचार। गुप्त जी ने स्वाधीन भारत को भी देखा था ओर पराधीन को भी। वे दोनों का अन्तर विधिवत् समझते थे। उन्होंने दासता का भरसक विरोध किया। स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल गए। उन्होंने विदेशियों के शोषण को देखा और अनुभव किया था। वे कहते हैं –

"घूम रहा है कैसा चक्र
वह नवनीत कहां जाता है, रह जाता तक्र
पिसे पड़े हो इसमे जब तक
क्या अन्तर आया है अब तक?
सहे, अन्ततोगत्वा अब तक हम इसकी गति वक्र।।"

गुप्त जी ने राष्ट्र-प्रेम, समाज सेवा तथा भारतीय संस्कृति आदि विविध विषयों को लेकर लगभग पचास काव्य ग्रन्थों की रचना की है। भारत-भारती, जयद्रथ वध, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज, विष्णु प्रिया, उनकी प्रमुख कृतियां हैं। गुप्त जी की "भारत-भारती" तो मुक्त आंदोलन की गीता रही है। वही सही अर्थों में भारत-भारती है। उसने विदेशी शासन से मुक्ति पाने की हमें अपूर्व प्रेरणा प्रदान की है –

"मानस-भवन में आर्य्यजन जिसकी उतारें आरती
भगवान ! भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती।
हो भद्रभावोद याविनी वह भारती है भगवते।
सीतापते ! सीतापते !! गीतामते ! गीतामते !!"

गुप्त जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से देश के युवकों को स्वतन्त्रता का संदेश दिया। देश-प्रेम और प्राणों को बलिदान करने की महती प्रेरणा दी। राष्ट्र के मानस को उसके पुरातन अतीत का गौरवगान सुनाकर सजग और सक्षम बनाया। अपने पतन के कारणों पर विचार-विमर्श करने के लिए आह्वान् किया –

"हम कौन थे, क्या हो गये और क्या होंगे अभी।
आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी।।"

*एम-128, प्लाट नं. 29, रामाकृष्ण विहार, पटपड़गंज, दिल्ली-110092

3481 HA/09—10A

यद्यपि गुप्त जी का काव्य प्राचीन संस्कृति के भव्य आदर्शों को लेकर चला है, फिर हमारी वर्तमान समस्याओं का निरूपण किया है । अछूतोद्धार, स्त्रीशिक्षा, विधवा विवाह, ग्राम सुधार योजना, हिंदू-मुस्लिम एकता आदि अनेक नए विषयों को लेकर बहुत कुछ कहा है । विधवाओं के संबंध में गुप्त जी के विचार कितने मर्मस्पर्शी हैं-

"तुम बूढ़े भी विषयासक्त, बनी रहे वे किन्तु विरक्त ।
वे तो निरी बालिका मात्र, अस्पर्शित जिनका गात्र ।
आप बनो विषयों के दास, वे अभागिनी रहे उदास ।"

इसी प्रकार हिन्दू-मुस्लिम एकता पर उन्होंने लिखा-

"हिन्दू-मुस्लमान दोनों अब यह विग्रह की नीति ।"

आधुनिक युग में नारी को पुनः प्रतिष्ठा प्रदान की गई । गुप्त जी ने अपने काव्य में नारी-जागरण को अंकित किया । समाज में नारी की करूण अवस्था के उन्होंने कई सुन्दर चित्र प्रदान किए । नारी जीवन पर लिखी गई उनकी यह पंक्तियां विश्व-साहित्य के किसी भी महाकाव्य से कम नहीं हैं-

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी ।
आंचल में है दूध और आंखों में पानी । ।"

गुप्त जी के अनुसार भारत के पतन का कारण है कि हम नारी को समुचित सम्मान नहीं देते-

"ऐसी उपेक्षा नारी की, जब हम स्वयं कर रहे ।
अपना किया अपराध, उनके शील पर है धर रहे । ।
भागे न फिर हमसे, भला क्यों दूर सारी सिद्धियां ।
पाती स्त्रियां आदर जहां, रहती वहीं सब ऋद्धियां । ।"

भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन भारतीय आदर्शों के पुजारी होते हुए भी गुप्त जी नवीन भावनाओं के वाहक कवि थे । युग के अनुकूल आदर्शों को परिवर्तित करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे । उनका कथन था-

"जावेंगे अवश्य हम अपने,
प्रिय पितरों के पथ से ।
किन्तु चक्र तो नहीं फसेंगे,
पूछेंगे निज रथ से ।"

अपने उत्साह, साहस और धैर्य प्रतिफल बनाए रखने के लिए भारतीयों से कहा है क्योंकि तुम राम, कृष्ण, राणा प्रताप और शिवाजी की सन्तान हो । यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हो कष्ट सहने पड़ेंगे-

"जितने कष्टों में जिनका सुमन खिला ।
गौरव गन्ध उन्हें उतना ही मंत्र-तंत्र सर्वत्र मिला । । "

गुप्त जी ने देशवासियों को उत्साहित करने के लिए खूब प्रयत्न किया है । देखिए-

"नर हो न निराश करो मन को ।
कुछ काम करो कुछ काम करो ।
जग में रह कर कुछ काम करो ।
यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो ।
समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो । ।"

'वसुधैव कुटुम्बकम्' की महती भावना गुप्त जी के काव्य की प्राण है । वे सम्पूर्ण मानवता के कल्याण की कामना करते हैं -

"किसी एक सीमा से बंधकर रह सकते हैं प्राण ?
एक देश का, अखिल विश्व का तात चाहता हूँ कल्याण ।"

उनकी प्रसिद्ध कविता "वही मनुष्य है तो मनुष्य के लिए मरे" में मानवता वादि भावनाओं के सजीव दर्शन होते हैं-

"अनर्थ है कि बन्धु ही न बन्धु की व्यथा हरे;
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ।"

राष्ट्रीय कवि के रूप में गुप्त जी गांधीवादी विचारधारा के पोषक हैं । वे कर्म और मन से गांधी जी के सिद्धान्तों का अनुगमन करने वाले हैं । गांधीवाद से प्रभावित होकर गुप्त जी ने लोक-कल्याण के लिए जन-सेवा की घोषणा की-

"न तन सेवा, न मन सेवा
न जीवन और धन सेवा
मुझे है इष्ट जन सेवा
सदा सच्ची भुवन सेवा । ।"

वास्तव में ही मैथिलीशरण गुप्त जी सच्चे अर्थों में "राष्ट्रकवि" थे । अपने काव्य में राष्ट्र वाणी को प्रमुख रूप से अभिव्यक्ति मिली है । "भारत-भारती" तो राष्ट्रप्रेम का ज्वलन्त ग्रन्थ है, जिस पर आंगल सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिया था । इसी कृति में देश प्रेम की अभिव्यक्ति देते हुए उन्होंने कहा था ।

"आकर मिलेगी यहां संस्कृतियां सब की ।
होगा एक विश्वतीर्थ भारत की भूमि का । ।" ■

3481 HA/09—10B

विदेशी माटी में पल्लवित और पुष्पित हिंदी

–डा. एन.एस. शर्मा*

बेल्जियम में जन्में फादर कामिल बुल्के संस्कृत-हिंदी सीख भारत में बसकर पक्के भारतीय बन गए थे और रामायण के प्रकांड विद्वान थे। वे कहते थे कि 'संस्कृत मां, हिंदी गृहणी और अंग्रेजी नौकरानी है। अमेरिका के प्रो. माइकेल सी. शेपिरो के अनुसार 'दुनिया भर के साहित्य के संदर्भ में हिंदी-साहित्य की विविधता और प्रचुरता का महत्व बढ़ गया है।' इंगलैड के विद्वान् डा. आर. एस. मेक-ग्रेगर तो यहां तक कहते हैं कि विदेशी विद्यार्थी यह जानकर प्राय: आश्चर्यचकित रह जाता है कि आज हिंदी-साहित्य आबदार चमकीले जवाहरातों से ठूंस-ठूंसकर भरा एक ऐसा खजाना है जो निरंतर बढ़ रहा है। हिंदी के बारे में 1655 ई. में एक अंग्रेज यात्री ने भ्रमण के बाद लिखा था "तीर्थ-स्थानों में, पर्यटन-केन्द्रों में 'व्यापारिक मंडियों में साधु-संतों में सार्वजनिक उत्सवों में, कवि-पंडितों में, राज-दरबारों में आदान-प्रदान की भाषा हिंदी रही है। बंगाल से लेकर काबुल तक और श्रीनगर से लेकर कोलंबो तक आम बोल-चाल की भाषा के रूप में हिंदी फैली है। हिंदी का यह फैलाव-स्वयंभू है।" अंग्रेजी, जिसे कुछ लोग भ्रम-वश विश्व-भाषा समझे बैठे हैं, ऐसा श्रेय पाने की कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि वह ऐसी जड़, दुराग्रही, अवैज्ञानिक, अविकसित और अटपटी भाषा है जिसके दोष सदा से ही बड़े-बड़े विद्वानों को चिंतित और परेशान करते हैं। आर्थर मैक-डोनल के अनुसार भी 'यूरोपीय लोग 2500 वर्ष बाद इस वैज्ञानिक युग में भी वही वर्ण-माला प्रयोग कर रहे हैं जो हमारी भाषा की सभी ध्वनियों को व्यक्त करने में भी अक्षम है, अभी तक हम उसी अव्यवस्थित वर्ण-क्रम से चिपके हुए हैं जो यूनान के आदिवासियों ने 3000 साल पूर्व अपनाई थी। इसी प्रकार सर आर्थर विलियम जोन्स भी कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला और वर्तनी ऐसी बुरी तरह अधकचरी है कि प्राय: अत्यंत हास्यास्पद तक हो जाती है'। रिचर्ड लैडरर महोदय ने तो झल्लाकर 'क्रेजी इंग्लिश' अर्थात् 'पागलपन की भाषा अंग्रेजी' नामक एक ग्रंथ ही लिख डाला।

अब भी इस भाषा के सुधार के न कोई लक्षण हैं न प्रयास ही। इसलिए यह न तो विश्व-भाषा है, न होने-योग्य ही है। अनेक राष्ट्रों में, जहां यह साम्राज्यवादी व्यवस्था में लादी गई थी, इसके प्रति चाह ही नहीं है। कहीं-कहीं इसके प्रति घृणा अवश्य है। चीन, जापान, रुस, फ्रांस, जर्मनी, नार्वे, स्वीडन, इटली आदि, यहां तक कि ग्रेट ब्रिटेन के ही एक द्वीप आयरलैंड की भी, सबकी अपनी-अपनी भाषाएं हैं, कोई अंग्रेजी पर निर्भर नहीं है। भारत के 32,87,262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की राजभाषा हिंदी 22 प्रादेशिक भाषाओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हुए है, जबकि लगभग उतने ही (3,27,417 वर्ग किमी) क्षेत्र में बसे पश्चिमी यूरोप के 20 देशों में 22 भाषाएं (पुर्तगाली, स्पेनिश, फ्रांसीसी, डच, जर्मन, जेक, स्लोवांक, इटैलियन, रोमन, हंगेरियन, मगयार, पोलिश, ब्ल्गेरियाई, नवीन, यूनानी, डेनिश, लटवियन, लियुआनियन, अल्बैनियन, एस्टोनियन, सर्बो, क्रोशियन और मैसीडोनियनं) हैं जो परस्पर मिलने-जुलने से कतराती हैं। संस्कृत संसार की श्रेष्ठतम और पूर्णतया संस्कारित भाषा है। पाणिनि-सरीखे विद्वानों ने इसका व्याकरण रचा जो इतना गहन और विस्तृत, वैज्ञानिक और व्यवस्थित, ध्वन्यात्मक ओर सर्वांग-संपूर्ण है कि इसका पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए डाक्टरेट स्तर तक का अध्ययन आवश्यक होता है, जबकि किसी भी अन्य भाषा के व्याकरण का ज्ञान कक्षा 10-12 तक की पढ़ाई में ही पूरा हो जाता है।

*मार्फत-श्री आर.डी. गुप्ता, ब्लाक-48, फ्लेट-515, प्रथम तल, टाइप-4, सैक्टर-2, सी.जी.एस. कॉलोनी, (अन्टाप हिल) मुम्बई-400037 (महाराष्ट्र)

भारत के बाहर नेपाल की राष्ट्र-लिपि नागरी है : भूटान की भीटी लिपि (तिब्बती) का नागरी से भगिनी संबंध है। पाकिस्तान की पंजाबी, बलूची और सिंधी भाषाओं को प्रकट करने की पूरी क्षमता नागरी में है। श्रीलंका और बांग्ला-देश की सिंहली एवं बांग्ला लिपियों का नागरी से साम्य है और दानों भाषाएं संस्कृत पर आश्रित हैं। इस प्रकार सार्क-देशों के विद्वान यदि नागरी को अपनी एक साझी लिपि बनाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। नागरी के बारे में आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि यह भारत और दुनिया को जोड़ेगी। चीनी और जापानी भाषाएं रोमन में लिखना संभव नहीं है, उनके लिए नागरी लिपि अच्छी है। क्योंकि नागरी में सभी ध्वनियां साफ-साफ बिना किसी भ्रम या भुलावे के लिखि और पढ़ी जा सकती हैं, इसलिए संसार की अन्य सभी भाषाओं के लिए भी यह अत्यंत उपयुक्त लिपि है। आज हिंदी का भूमंडलीकरण हो गया है। भारत इस इक्सीसवीं सदी में एशिया की महाशक्ति बनेगा। जिस तीव्र गति से स्वतंत्रता के बाद विज्ञान, व्यापार तथा विविध क्षेत्रों में भारत ने विकास किया है उससे विविध विदेशी शक्तियाँ भारत में रुचि ले रहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर भारत में पूँजी निवेश, भारतीयों की विश्व के विविध देशों में पद-प्रतिष्ठा तथा विज्ञान व सामाजिक ज्ञान के क्षेत्र में निरंतर बनती-बढ़ती सम्मानजनक स्थिति से विश्व पटल पर भारत एक नव संसाधन सम्पन्न शक्तिशाली महादेश के रूप में उभरा है। भारत यों तो चिरकाल से कला, विज्ञान तथा अनेक क्षेत्रों में सम्पन्न होने के कारण विदेशियों ने पर्याप्त रूचि भी ली है किन्तु इधर पिछले पाँच दशकों में भारत के प्रति विदेशियों की रुचि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आज विदेशी बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामग्री उत्पादक कंपनियाँ भी हिंदी के महत्व को समझते हुए अपने विज्ञापन में तो हिंदी का प्रयोग बड़े पैमाने पर करती ही हैं, हिंदी का ज्ञान अंग्रेजी की तुलना में अधिक आवश्यक मानती है। आज देश में किसी भी भाषा का साहित्यकार अपनी रचना को हिंदी भाषा में प्रकाशित देखना चाहता है।

अंग्रेजी संसार के मात्र पांच देशों की भाषा है। इंग्लैंड में अंग्रेजी के साथ-साथ वेल्स, स्काटिश भाषा-भाषी भी पर्याप्त हैं। कनाडा के सामानांतर फ्रेंच भाषा भी चलती है। अमरीका में सर्वत्र अंग्रेजी का ही में अंग्रेजी वर्चस्व है यह धारणा भी व्यर्थ है। यहां स्पेनिश भाषियों की संख्या भी करोड़ों में है। जिन देशों में हिंदी बोली जाती है तथा जहां हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है उन देशों को हम तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं :

(क) वे देश जहां अप्रवासी भारतीय बहुत बड़ी संख्या में रहते है : मारीशस, फीजी, सूरीनाम, गयाना, ट्रिनीदाद,

(ख) भारत के पड़ोसी देश : पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार (बर्मा) आदि।

(ग) अन्य देश :

अमेरिका महाद्वीप-	संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, क्यूबा
यूरोप महाद्वीप-	रूस, ब्रिटेन (इंगलैण्ड), जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हालैण्ड (नीदरलैंड), आस्ट्रिया, स्विटजरलैण्ड, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, पोलैंड, चेक, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, उक्रैन, क्रोशिया
अफ्रीका महाद्वीप-	दक्षिण अफ्रीका, री-यूनियन द्वीप
एशिया महाद्वीप-	चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, थाईलैंड

आस्ट्रेलिया महाद्वीप-आस्ट्रेलिया

इन 46 देशों के अतिरिक्त कुछ देशों में भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भूटान आदि देशों के नागरिक काफी बड़ी संख्या में नौकरी, व्यापार, उद्योग आदि में कार्यरत हैं। इनके बीच बोलचाल की हिंदी-उर्दू का व्यवहार होता है। हिंदी के गाने, गजलें, भजन तथा हिंदी फिल्में यहां बहुत लोकप्रिय हैं। इन देशों में निम्नलिखित देश उल्लेखनीय है : अर्जेन्टीना, इराक, ईरान, इंडोनेशिया, फिलिपीन्स, बहरीन, बोत्स्वाना, मलेशिया यमन, लेबनान, सऊदी अरब, सिंगापुर आदि।

भारतीय मूल के प्रवासी फीजी, मारिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए हैं। ये

भारतीय आपस में हिंदी का ही प्रयोग करते हैं तथा हिंदी को अपनी अस्मिता से जुड़ा हुआ मानते हैं । इनके अतिरिक्त भारत के पड़ोसी देशों जैसे-नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका में भी हिंदी बोलने और समझने वाले भारतीयों की संख्या बहुत है । आजीविका अथवा व्यापार आदि के लिए भारतीय लोग अमरीका, कनाडा, जर्मनी, इंगलैंड, अफ्रीका तथा खाड़ी के देशों में गए और वहीं बस गए । इन सभी देशों में बसे भारतीय यद्यपि भारत के विभिन्न भागों से गये थे किन्तु सबकी सम्पर्क भाषा हिंदी ही बनी क्योंकि संख्या की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के ही व्यक्ति सबसे अधिक थे । प्रवासी भारतीयों के अतिरिक्त विदेशी मूल के भी कितने ही लोग हिंदी भाषा बोलते, समझते हैं तथा भारतीयों के साथ सम्पर्क-भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग भी करते हैं । पाकिस्तान में सभी उर्दू भाषी हिंदी बोलते और समझते हैं, फीजी तथा मारिशस में तो हिंदी सभी जानते हैं, मूल निवासी भी हिंदी का प्रयोग करते हैं ।

सूरीनाम में हिंदी देवनागरी लिपि के साथ-साथ रोमन लिपि में भी लिखी जा रही है जिसे 'सरनामी हिंदी' कहा जाता है । इण्डोनेशिया की भाषा के 18 प्रतिशत से अधिक शब्द संस्कृत एवं हिंदी के हैं । वहां की तीनों सेनाओं का जो समाचार-पत्र प्रकाशित हो रहा है उसका नाम 'त्रिशक्ति' है ।

विदेशों के लगभग 165 विश्वविद्यालयों में हिंदी की व्यवस्था है । सम्पूर्ण पश्चिमी दुनिया में हिंदी के प्रचार-प्रसार में विश्वविद्यालयों का उल्लेखनीय योगदान है । यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया का शायद ही कोई स्तरीय विश्वविद्यालय हो जहां हिंदी के पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था न हो । जर्मनी के 17 विश्वविद्यालयों में आज हिंदी के स्वतंत्र विभाग है । जर्मनी का रेडियो कोलोन संसार का एकमात्र केंद्र है जहां से संस्कृत में समाचार ही नहीं, अपितु प्रति सप्ताह नियमित रूप से शोधपूर्ण आलेख भी प्रसारित किए जाते हैं ।

गत पचास वर्षों में हिंदी की शब्द -संपदा का जितना विस्तार हुआ है, उतना विश्व की शायद ही किसी भाषा में हुआ हो । अंग्रेजी जिसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय भाषा का गौरव प्राप्त है, उसके मूल शब्द जहां मात्र 10 हजार हैं, वहां हिंदी के दो लाख पचास हजार से भी अधिक शब्द हैं । हिंदी प्रचार की दृष्टि से फिजी, मारिशस, त्रिनीदाद स्थित हमारे दूतावासों में राजभाषा अधिकारी एवं अतासे नियुक्त किए जाते हैं और हिंदी के प्रचार-प्रसार में इनका योगदान उपयोगी सिद्ध हुआ है । इन अधिकारियों की सहायता से वहां हिंदी पाठ्यक्रम के निर्माण और टेलीविजन के प्रसारण में मानस चतु:शती जैसे अवसरों पर सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है । प्रसिद्ध संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं के आयोजनों में भी विदेश स्थित ये अधिकारी संस्थाओं को यथासंभव सहायता प्रदान करते हैं । इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अकेले मारिशस में हजारों व्यक्ति हिंदी साहित्य सम्मेलन की विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेते हैं । परीक्षाओं के संचालन में विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित हमारे दूतावास सार्थक सूत्र का कार्य करते हैं । भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की हिंदी और भारतीय भाषाओं के पठन-पाठन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बुखारेस्ट, त्रिनीदाद, सूरीनाम, गयाना में भी हिंदी अध्यापन की व्यवस्था है । विदेश मंत्रालय भारतीय दूतावासों में हिंदी की श्रेष्ठ पुस्तकें भेजता है । भारतीय सांस्कृतिक परिषद् हिंदी की त्रैमासिक पत्रिका गगनांचल को भी संपूर्ण विश्व में भारतीय दूतावासों में भेजती है । आस्ट्रेलिया के निकट, एक छोटा सा द्वीप फिजी है जहां हिंदी को हमेशा प्रतिष्ठा मिली है और अनेक पत्र-पत्रिकाएं वहां से प्रकाशित होती हैं । वहां के बाजारों में दुकानों पर नामपट्ट अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी लिखे रहते हैं । सड़कों के नाम भी दो भाषाओं में हैं । वहां की सरकार द्वारा भी हिंदी को मान्यता मिली है । सन् 1916 में भारतीयों ने वहां अपनी पहली पाठशाला स्थापित की थी जिसे आज तक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है । वहां हिंदी शिक्षण का कार्य एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह चलता आ रहा है । फ्रेंच, गुयाना में भी आर्य समाज द्वारा स्थापित पाठशालाएं तथा अन्य धार्मिक/सांस्कृतिक संस्थान हिंदी जानने वालों की एक नई पौध तैयार कर रहे हैं । दक्षिण अफ्रीका में छोटे-छोटे 365 द्वीपों को मिलाकर बने गुयाना में 50 प्रतिशत से भी अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं । यहां भारतीय तीज-त्यौहार, पूजा-पाठ, बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं । आज भी दशहरा और दीपावली यहाँ के राष्ट्रीय त्यौहार हैं । श्रीरामचरितमानस और गीता यहाँ के भी समादृत धर्म-ग्रंथ हैं । यहां के रेडियो एवं टेलीविजन पर हिंदी-गीतों के कार्यक्रम होते हैं तथा सिनेमा घरों में हिंदी-फिल्में निरंतर प्रदर्शित की जाती हैं । गुयाना की तरह सूरीनाम के कई भागों में भी हिंदी के प्रति लोगों का बहुत

3481 HA/09—11A

आदर है। रोजी-रोटी की तलाश में लगभग एक शताब्दी पूर्व भारतीय आप्रवासी यहां पहुंचे थे। वे अपने साथ अपनी भाषा, अपनी बोली और अपने संस्कार ले जाना नहीं भूले थे।

भारत के बाहर 165 विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है और विदेशों का युवा वर्ग भारतीय संस्कृति एवं हिंदी को पढ़ने में रुचि लेता है। अमरीका के अनेक विश्वविद्यालयों, जैसे केलिफोर्निया, शिकागो, टेक्सास, कोलबिंया आदि में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है। अमरीका के अनेक विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति, संगीत, भाषा विज्ञान और हिंदी साहित्य में रुचि दिखाई देती है और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। लंदन विश्वविद्यालय का 'स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज' ऐसी अत्यंत प्राचीन संस्था है जहां हिंदी के अध्यापन की व्यवस्था है। भारतीयों के संपर्क में आने के कारण वहां रह रहे अफ्रीकी मूल के लोगों ने अनेक हिंदी शब्दों को आत्मसात कर लिया है और यहां हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। जापान के टोकियो विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय लेने का प्रावधान है। इसी तरह ओसाका विश्वविद्यालय में भी हिंदी एक विभाग के रूप में प्रतिष्ठित है। विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त हिंदी के विकास में रेड़ियो जापान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यहां से नियमित रूप से हिंदी प्रसारण होता है। जापान में 8 विश्वविद्यालय एवं संस्थान हिंदी की पढ़ाई में जुटे हैं। जापान में हिंदी का शिक्षण सर्वप्रथम लगभग साठ साल पूर्व टोक्यो विश्वविद्यालय में प्रो. वायाओ दोई ने आरंभ किया था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एम. ए. ही नहीं पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने प्रेमचन्द के उपन्यास गोदान का मूल हिंदी से जापानी में अनुवाद किया था। जापान में आकाशवाणी से नियमित रूप से हिंदी में समाचार ही नहीं अन्य साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित होते है। लगभग 20 वर्षों से जापान में 'सर्वोदय' एवम् "जापान भारती" नामक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। कोरिया स्थित विदेशी भाषाओं के विश्वविद्यालय हाकुक में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन का कार्य भी होता है। यहां स्नातकोत्तर तक हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। हिंदी की अनेक कृतियों का कोरियाई भाषा में अनुवाद का कार्य भी चल रहा है।

लगभग सत्तर साल पहले बीजिंग विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए एक नया विभाग खुला था। प्रो. ची-श्येन पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने आधुनिक चीन में भारतविद्या का श्रीगणेश किया था। प्रो. च-श्येन विश्व में संस्कृत के अग्रणी विद्वान हैं। जर्मनी के गौटिंगन विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। चीन लौटकर उन्होंने संस्कृत विभाग ही नहीं खोला, बल्कि बाल्मिकी रामायण का चीनी में पद्यबद्य अनुवाद भी किया था। भारतीय भाषा विभाग में हिंदी के पाठ्यक्रम को विधिवत आरंभ करने का श्रेय प्रो. चिन्टिन-हान, प्रो. ल्यू कोनान आदि को दिया जाता है। प्रो. चिन्टिन-हान द्वारा चीनी में अनूदित पहली पुस्तक थी, मुंशी प्रेमचन्द की कृति निर्मला। लगभग सात वर्षों के अथक परिश्रम के बाद उन्होंने रामचरित मानस का पद्यबद्ध अनुवाद चीनी में प्रकाशित किया था। अपने कर्मठ जीवन के 32 वर्षों में प्रो.चिन्टिन-हान ने लगभग 620 छात्रों को हिंदी का ज्ञान कराया था। विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की सत्तर पुस्तकों के अनुवाद चीनी भाषा में प्रकाशित हुए। चित्रलेखा, मैला आंचल जैसी अनेक कालजयी कृतियों के अनुवाद चीनी पाठकों तक पहुंच चुके हैं। पेइचिंग रेडियो प्रतिदिन हिंदी के अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। वहां गत तीन वर्षों से "सचित्र चीन" का हिंदी संस्करण निरंतर प्रकाशित हो रहा है। चीनी लोग इस सत्य को आज भी स्वीकार करते हैं कि चीनी भाषा के निर्माण में पाणिनी के व्याकरण का विशेष योगदान है। अनेक अन्तर्विरोधों के बावजूद चीन आज भी भारतमय लगता है। चीन की ऐतिहासिक दीवार की स्वागत शिला पर "ओम नमो भगवते" आज भी दर्शकों को आकृष्ट करता है। बर्मा में भारतवासियों का हिंदी के प्रति लगाव कम नहीं है। मांडले चोगला में हिंदी साहित्य सम्मेलन की शाखाएं हैं। अनेक स्थानों पर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। श्रीलंका के तीनों विश्वविद्यालयों में उच्च स्तर पर हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है। पाकिस्तान में पंजाब विश्वविद्यालय के साथ-साथ कराची विश्वविद्यालय में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी उर्दू में बहुत अंतर न होने के कारण, अनेक अवरोधों के पश्चात् भी हिंदी-उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी वहां खूब बोली जा रही है। पाकिस्तान के "लोक सेवा आयोग" की परीक्षाओं में हिंदी वैकल्पिक विषय है। यहां के कई शायर अपनी नज्मों में हिंदी का प्रयोग करते हैं। यूरोप और

3481 HA/09—11B

आस्ट्रेलिया का शायद ही कोई स्तरीय विश्वविद्यालय हो जहां आज हिंदी के पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था न हो ।

स्वीडन के स्टाकहोम विश्वविद्यालय में भारतीय विद्या का एक अलग समृद्ध विभाग है, जिसमें संस्कृत, तमिल, बांग्ला तथा हिंदी साथ-साथ पढ़ाई जा रही है । यूगोस्लाविया के जाग्रेव तथा बेल्ग्रेड विश्वविद्यालयों में गत 25 वर्षों से हिंदी अध्यापन का कार्य चल रहा है । बुल्गारिया-हंगरी में हिंदी का कार्य और भी व्यापक स्तर पर है । रोमानिया के बुखारेस्ट विश्वविद्यालय में भी हिंदी का एक स्वतंत्र विभाग है, जहां स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम हैं । फ्रांस के सौवन विश्वविद्यालय में पिछले अनेक वर्षों से हिंदी पढ़ाई जा रही है । गोदान, मैला आंचल, त्यागपत्र आदि कृतियों के फांसीसी भाषा में अनुवाद भी छपे हैं । क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से बेल्जियम छोटा सा देश है परंतु गत 35 वर्षों से वहां के वेंट, ल्यूवेन और ल्येम विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था है । इटली का भारतीय साहित्य एवं दर्शन के प्रति विशेष आकर्षण रहा है । वहां के नेपल्स तथा वेनिस विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों में अनेक इटालियन छात्र हिंदी के अध्ययन में रत हैं । इंग्लैंड में अंग्रेजी के पश्चात् जो भाषा सबसे अधिक बोली जा रही है वह हिंदी ही है ।

सन् 1600 में कोलम्बस भारत की खोज में निकला था और यहां के रेड इंडियन को देखकर वह इसे ही भारत समझ बैठा । बाद में मालूम हुआ कि यह भारत नहीं बल्कि कोई अन्य महाद्वीप है । जब इंगलैण्ड ने इसको अपना राज्य बना लिया तो उन्होंने रेड इंडियन को मार भगाया और स्वयं बस गए । रेड इंडियन यदि अमेरिका में दिखाई देते हैं तो वह हवाना में अमेरिका के पूर्वी तट की ओर । अमेरिका की सारी आबादी प्रवासियों की है । यहां अफ्रीकी भी हैं, इटालियन भी हैं, जापानी, चीनी व एशियन ग्रुप के भी । अकेले न्यूयार्क में ही लगभग डेढ़ लाख भारतीय हैं । भारतीय लोग जहां कहीं भी मिल जाते हैं वे हिंदी का ही प्रयोग करते हैं । न्यूयार्क में तो 74 नं. स्ट्रीट पर भारतीयों की ही दुकानें हैं वहां पर देखने से ऐसा लगता है कि यह मिनी भारत ही है । न्यूयार्क में एक पत्रकार, कवि, लेखक श्री रामेश्वर अशान्त जी ने वर्ष 1975 में एक विश्व हिंदी समिति की नींव डाली ।

समिति त्रैमासिक पत्रिका "सौरभ" का प्रकाशन हिंदी में करती है । इसके साथ ही वहां के निवासी हिंदी लेखकों की पुस्तकें भी समिति द्वारा प्रकाशित की गई हैं । इसमें डॉ. विजय कुमार मेहता का "मधुमास के पूल", काव्य-संकलन, वेद प्रकाश सिंह का "प्राचीन हिंदू राष्ट्र व आमन्त्रण", उपन्यास, रामेश्वर अशान्त का "यशोधर्मन" उपन्यास है । भारत की ही भांति वहां हिंदी सप्ताह का समारम्भ भी 5 सितंबर के कवि सम्मेलन से हुआ । कवि सम्मेलन में भारतीय परिवार भारी संख्या में उपस्थित थे । सम्मेलन की समाप्ति भी "वन्दे मातरम" गीत के साथ की गई ।

समय-समय पर हिंदी भजनों का भी कार्यक्रम होता है । इसी प्रकार एक कार्यक्रम पश्चिमी वर्जीनिया के "हरे राम हरे कृष्ण" मन्दिर में समिति द्वारा किया गया । न्यूयार्क से ही एक अन्य हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका "नारद समाचार" भी प्रकाशित होती है । अमेरिका में आज से 16 वर्ष पूर्व ही हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित होने आरंभ हो गए थे । विश्वविद्यालयों में भी भारतीय बच्चों ने अपनी संस्कृति एवं अपनी भाषा के प्रसार के लिए एसोसिएशन बनाई हुई है । एसोसिएशन हारबर्ड एसोसिएशन द्वारा अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिंदी के फिल्मी गानों, हिंदी गजलों, भजनों के माध्यम से हिंदी का बहुत प्रचार होता है । संयुक्त राज्य अमरीका के 28 विश्वविद्यालय तथा अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं हिंदी के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से कार्य कर रही हैं । संस्कृत का अध्यापन वहां सन् 1815 से आरंभ हो गया था, 1875 में अमरीका में हिंदी व्याकरण तैयार किया गया जो आज भी अपनी उपयोगिता बनाए हुए है । पिछले वर्षों में मैक्सिको तथा अनेक लातिनी अमरीकी देशों में हिंदी का विस्तार हुआ है । क्यूबा, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना, चिली आदि इसके जीवंत उदाहरण हैं ।

जर्मनी में संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं में प्रति सदा ही आदर का भाव रहा है । संस्कृत वहां डेढ़ सौ सालों से विधिवत् पढ़ाई जा रही है । जर्मनी के 17 विश्वविद्यालयों में आज हिंदी के स्वतंत्र विभाग है । जर्मनी का रेडियो-कोलोन संसार का एक मात्र केन्द्र है, जहां से संस्कृत समाचार ही नहीं, संस्कृत में शोध-पूर्ण आलेख भी प्रसारित किए जाते हैं । डेनमार्क, स्विटजरलैंड, आस्ट्रिया, यूरोप के प्राय: सभी देशों

में अनेक माध्यमों से हिंदी पढ़ाई जा रही है । सोवियत संघ के अतिरिक्त मंगोलिया, रोमानिया, आस्ट्रिया, पोलैण्ड आदि पूर्वी यूरोपीय देशों के छात्र उच्च हिंदी शिक्षा के लिए लेनिनग्राद अथवा मास्को विश्वविद्यालय में आते थे । हिंदी का रूसी में जितना अनुवाद प्रकाशित हुआ, उतना शायद ही संसार की किसी भाषा में हुआ है । मध्य एशियाई देशों से भारत का व्यापार बढ़ रहा है । इससे आशा बंधती है कि हिंदी शिक्षण का कार्य भी अब उन देशों में कुछ तीव्र गति से होगा । कनाडा में भारतीय अप्रवासी कुछ कम संख्या में नहीं हैं । पंजाब से गए लोग पंजाबी के साथ-साथ हिंदी का भी प्रयोग करते हैं । वहाँ से हिंदी में दो स्थानीय समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं । वेंकुवर ओरंटो विंडसर विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग हैं । टोरेंटो में आधुनिक ही नहीं मध्यकालीन हिंदी साहित्य वर्षों से पढ़ाया जाता है ।

फिजी, मारीशस, केनिया, युगांडा या मध्यपूर्व देशों में तो हिंदी चलचित्र खूब देखे जाते हैं क्योंकि यहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं । आस्ट्रेलिया, थाइलैंड, हाँगकाँग, मलेशिया में हिंदी फिल्मों का अच्छा बाजार है । सुप्रसिद्ध रूसी विद्वान डॉ. प. अ. वारानिकोव आजकल रूसी भाषा में हिंदी फिल्मों पर समाचार पत्र निकाल रहे हैं । सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् बहुत कुछ बदल गया है, परंतु हिंदी फिल्मों के लिए लगाव अभी तक बना हुआ है । इंग्लैंड के बी.बी.सी. दूरदर्शन पर महाभारत इतना लोकप्रिय हुआ कि भारतीय ही नहीं स्वयं ब्रिटेन के तरूणवृद्ध भी अतीत के भारत की इस शौर्य गाथा पर मुग्ध हो गए । सूरीनाम के दूरदर्शन पर दो बार इसका प्रदर्शन हुआ । जापानी दर्शकों नें इस धारावाहिक के संवादों को जोड़-जोड़ कर जापानी में महाभारत की अलग पुस्तक तैयार कर दी, जो बहुत लोकप्रिय हुई । तुर्की, इराक, सउदी अरब, मिस्र,लीबिया, अल्जीरिया आदि इस्लामी देशों का भी हिंदी फिल्मों के प्रति विशेष लगाव रहा । इंग्लैंड, कनाडा, अमरीका, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, मारीशस, फीजी, त्रिनीदाद, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, जहां-जहां भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशी या नेपाली मूल के लोग रहते हैं, वहां के बाजार हिंदी फिल्मों के कैसेटों से भरे पड़े होते हैं । नार्वे, स्वीडन, जापान, रूस, अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा आदि अनेक देशों में आज अनेक हिंदी पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं । दूर संचार माध्यमों, फिल्मों, गीतों आदि ने भी हिंदी के प्रचार-प्रसार में अपनी अहम् भूमिका अदा की है । विदेशों से प्रकाशित हिंदी पत्र-पत्रिकाओं ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

संस्कृत की पुत्री होने के कारण हिंदी को यह आधार मिला है । इसलिए इसमें अंग्रेजी-फ्रेंच आदि की अपेक्षा अधिक संभावनाएं हैं, सही अर्थों में विश्व भाषा बनने की । विदेशियों के बीच हिंदी के प्रति रूचि इसलिए भी है कि हिंदी के माध्यम से भारतीय मूल के व्यापारियों के साथ व्यापार करने के लिए वे हिंदी सीखना चाहते हैं । डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन और फिनलैंड आदि में भी हिंदी बोलने वाले लोग काफी संख्या में मिलते हैं । इग्लैंड, जहां एशियाई मूल के लोग पर्याप्त मात्रा में रहते हैं और विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उन लोगों के बीच काम करने वालों को संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की आवश्यकता होती है । हिंदी स्वयं में विश्वसमाज को समाहित किए हुए है । हिंदी में आर्य, द्रविड़, आदिवासी, स्पेनी, पुर्तगाली, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी आदि शब्द हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को, अंतर्राष्ट्रीय शैली को अभिव्यक्ति देनै वाले आयाम हैं । हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश दिलाने के लिए भारत के साथ विश्व के अन्य देश भी निष्ठापूर्वक उसका समर्थन कर रहे हैं । भारत के बाहर फीजी, मारिशस, सूरिनाम, त्रिनिदाद तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे लाखों प्रवासी भारतीय जो आज से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व शर्तबंदी प्रथा के अंतर्गत इन देशों में गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मजदूरों के रूप में भेजे गए थे और आज वहां के स्थायी नागरिक हैं, मातृभाषा के रूप में हिंदी का ही व्यवहार करते हैं । वे मानते हैं कि हिंदी ही समस्त भारतीयों को जोड़े रखने का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक माध्यम है । हिंदी इन देशों में केवल भारतीयों के बीच ही नहीं, बल्कि इन देशों के मूल निवासियों के बीच भी अच्छी तरह समझी व बोली जाती है । फीजी में तो हिंदी को संवैधानिक संसदीय मान्यता भी प्राप्त है और देश का कोई भी सांसद हिंदी में अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त कर सकता है । भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश व बर्मा में हिंदी भाषा बोलने और समझने वालों की संख्या पर्याप्त है । पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से खड़ी बोली प्रधान शैली है । नेपाल में हिंदी पूरे देश के 53 प्रतिशत नेपालियों की मातृभाषा है । इन देशों के अतिरिक्त भारतीय मूल के

लोग-अमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया या अफ्रीका-चाहे कहीं भी बसे हों हिंदी बोलते और समझते हैं । वस्तुत: हिंदी विदेशों में बसे भारतीयों के मध्य संपर्क भाषा के रूप में व्यवहृत होती है ।

भाषा की सामाजिक प्रतिष्ठा उसके बोलने वालों की सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है । भारतीय विश्व के अनेक देशों में आजीविका की खोज में सुनहले भविष्य का सपना लिए हुए मजदूरों के रूप में गए थे किन्तु अपने परिश्रम, लगन तथा ईमानदारी से वे हर देश में सुशिक्षित सुप्रतिष्ठित तथा सम्मानित नागरिक बन गए । उनकी उन्नत सामाजिक स्थिति के कारण ही उनकी भाषा भी सम्मानित भाषा बनी प्रवासी भारतीयों का बड़ा दल सबसे पहले मारिशस, 1834 ई. में गया था फिर 1845 में त्रिनिदाद, 1860 ई. में दक्षिण अफ्रीका, 1870 में गुयाना, 1873 में सूरिनाम तथा 1879 ई. में फीजी समुद्री जहाज से पहुंचा था । इन देशों में जाने वाले भारतीय सामान्यत: अवधी तथा भोजपुरी बोलते थे । कुछ खड़ी बोली का भी प्रयोग करते थे । अन्य प्रदेशों से जाने वाले भारतीय संख्या में इतने कम थे कि उनके बीच पारस्परिक व्यवहार की संपर्क भाषा अवधी और भोजपुरी रही जिनमें कुछ अन्य भाषाओं के शब्दों का भी समुद्री यात्रा के दौरान समाविष्ट हो गया ।

प्रवासी भारतीय हिंदी को उन देशों में भी सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील है । रेडियो पर लम्बी अवधि के हिंदी प्रसारण होते हैं और इतना ही नहीं प्रवासी भारतीय हिंदी में साहित्य सृजन भी करते हैं । फिजी में बोली जाने वाली हिंदी को वहां के प्रवासी भारतीय फीजी बात कहते हैं सूरिनाम की हिंदी को सरनामी कहा जाता है तथा दक्षिण अफ्रीका की हिंदी को नैताली ।

अमरीका में ही 113 विश्वविद्यालयों और कालेजों में हिंदी अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनमें से 13 तो शोध स्तर के केंद्र बने हुए हैं । आज कितने ही विदेशी धारा प्रवाह हिंदी में लिख रहे हैं । उनकी हिंदी रचनाएं उनके देशों में तथा भारत में सम्मान पाती हैं । कुछ रचनाएं तो भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में स्थान प्राप्त कर हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बना चुकी हैं । फीजी के कमला प्रसाद मिश्र, मारिशस के अभिमन्यु, अनत, सोमदत्त बरचौरी, सूरीनाम के मुंशी रहमान खान, सूर्य प्रसाद वीरे के साहित्यिक अवदान को कौन भुला सकता है । अंग्रेज कवि चैम्बर लेन ने हिंदी में अनेक गीत लिखे, जे. टी. थामसन ने खीष्ट चरितामृत दोहा चौपाई में लिखा, जूलियस फेडरिक उलमन ने हिंदी में "वह श्रेष्ठ मूलक था" लिखा तो ओदोलेन, स्मेकल के 'मेरी प्रीत तेरे गीत', स्वाति बूं, कमल को लेकर चल आदि कितने ही ग्रंथ हिंदी में प्रकाशित हुए । आज विदेशों में कई हिंदी पत्र निकल रहे हैं जो बड़ी संख्या में छपते हैं जिनमें प्रवासी भारतीय लेख, कविता तथा कहानियां आदि लिखते हैं । इनमें तरह-तरह के विज्ञापन प्रकाशित होते है तथा भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं भी इनमें छपती हैं। फीजी टाइम्स द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक शांतिदूत' एक ऐसा ही पत्र है जो फीजी से लंबे समय से निकल रहा है और अपनी जीवन यात्रा के साठ वर्ष पूरा कर चुका है। आज भी यह पत्र विदेशी हिंदी पत्रकारिता का कीर्तिस्तम्भ बना हुआ है। हिंदी साहित्य का विश्व की अनेक भाषाओं में निरंतर अनुवाद हो रहा है। प्रेमचंद की कृति "गोदान" का विश्व की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ। तुलसी कृत रामचरितमानस के अनुवाद तो बाईबिल के बाद विश्व की विविध भाषाओं में सब से अधिक हुए है। जर्मन, फ्रैंच तथा अंग्रेजी में हिंदी साहित्य के अनुवाद की परंपरा रही है । समकालीन हिंदी साहित्य के अनुवाद के प्रति विदेशियों की रुचि इधर और बढ़ी है। हिंदी पत्रकारिता का विदेशों में निरंतर विकास हो रहा है हिंदी साहित्य के अध्ययन और अनुवाद के प्रति भी विदेशियों की रुचि बढ़ रही है। हिंदी आज भारत की ही नहीं विश्व भाषा का रूप ले चुकी है ।

भारत के बाहर विदेशों में रह रहे मूल भारतवंशियों के अतिरिक्त उन लोगों की भी एक बहुत बड़ी संख्या है, जो भारतवंशी न होते हुए भी हिंदी और भारतीय भाषाओं के पठन-पाठन और शोध कार्यो में संलग्न हैं । ऐसा करके वे भारत को भली प्रकार जानना चाहते हैं और इस दिशा में उनकी प्रगति सराहनीय रही है । यूरोप, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, अमरीका और एशिया महाद्वीप के अनेक देशों में हिंदी और भारतीय भाषाओं के पठन-पाठन की व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है । जिन देशों में भारतवंशी बड़ी संख्या में निवास करते हैं, वहां तो हिंदी का होना स्वाभाविक है किन्तु उनके अतिरिक्त रूस, अमरीका, जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, ब्रिटेन के विभिन्न हिस्सों में लगभग डेढ़ सौ ऐसे

3481 HA/09—12A

विश्वविद्यालय हैं, जिनमें हिंदी के पठन-पाठन की व्यवस्था है। पिछले दो-तीन दशकों से ऐसा तारतम्य बन गया है कि निरंतर सम्मेलन, सभा और संगोष्ठी के माध्यम से इन विद्वानों के बीच विचारों का आदान-प्रदान रहता है। यह एक शुभ संकेत है, क्योंकि हिंदी सभी को जोड़ने वाली भाषा है। सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन सन् 1975 में नागपुर (भारत) में हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने किया और इसकी अध्यक्षता मॉरीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिव सागर राम गुलाम ने की। इसमें लगभग 30 देशों ने भाग लिया और इसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की एक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। 1976 में दूसरा विश्व-हिंदी सम्मेलन मॉरीशस में आयोजित किया गया। जिसको याद कर लोग कहा करते हैं-"न भूतो भविष्यति", न पहले कभी ऐसा सम्मेलन हुआ है और न भविष्य में होगा। इस सम्मेलन में भारत से लगभग 250 विद्वानों एवं राजनेताओं ने भाग लिया और सभी इस बात से अत्यंत प्रफुल्लित थे कि मॉरीशस की सुन्दर भूमि पर हिंदी का बिरवा किस प्रकार फलता-फूलता और पुष्ट होता जा रहा है। इसके बाद सन् 1983 में तीसरा विश्व-हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन पुनः तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने किया और इसकी अध्यक्षता कैम्ब्रिज के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मैग्रेसर ने की। चौथा हिंदी विश्व-सम्मेनल पुनः मॉरीशस की भूमि पर सम्पन्न हुआ। यहाँ माँग की गई कि अब तक के चार विश्व हिंदी सम्मेलनों में जो भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए भारत और मॉरीशस की सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई कि इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक कदम शीघ्रातिशीघ्र उठाए जाएं। पांचवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन ट्रिनिदाद में वर्ष 1996 में आयोजित किया गया, क्योंकि इसी वर्ष भारतीयों के उस देश में पहुँचने के डेढ़ सौ वर्ष पूरे हुए थे। यह सम्मेलन पूरे पाँच दिनों तक चला और इसकी अनेक विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं। छठा सम्मेलन 1999 में हुआ था।

भारत को छोड़कर विदेशों में डेढ़ सौ से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और अमरीका से लेकर मॉरीशस तक तथा जापान से ले कर दक्षिणी अफ्रीका तक अनेक देशों में स्थानीय स्तर पर हिंदी की संस्थाएं काम कर रही हैं। मॉरीशस ट्रिनिदाद, गयाना, फीजी, सूरीनाम आदि देशों में अब यही लोग सत्ता के भागीदार भी हो गए हैं। वर्ल्ड एलमानेक एण्ड बुक ऑफ फैक्ट्स की रपट के अनुसार चीनी भाषियों की संख्या 87 करोड़ से अधिक है, वहीं हिंदी बोलने वाले 60 करोड़ से अधिक और अंग्रेजी भाषी मात्र 34 करोड़ हैं। एक आश्चर्यजनक तथ्य और भी है कि भारत की ही एक और भाषा बंगला का विश्वभाषाओं में पांचवा स्थान है। बंगला के बोलने वालों की संख्या 27 करोड़ है। अन्य में चौथे स्थान पर स्पेनिश, छठे स्थान पर अरबी, सातवें स्थान पर पुर्तगाली, आठवें स्थान पर रूसी नौवें स्थान पर जापानी और दसवें स्थान पर जर्मन भाषा आती है। यह कम गर्व की बात नहीं है कि विश्व की "टॉप टेन" भाषाओं में हिंदी द्वितीय स्थान पर और बंगला पांचवे स्थान पर है। रूस में हिंदी के प्रति लगाव कुछ और भी अधिक है। वहां के रामभक्त कवि बारानिकोव ने रामायण का रूसी भाषा में पदानुवाद किया था। वहां पर हिंदी के साहित्यकार तुलसी, कबीर, मीरा, प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र, अश्क, रेणु, पंत, निराला, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, बच्चन, दिनकर आदि अधिक लोकप्रिय हैं। हिंदी लेखकों का रूसी में अनुवाद भी व्यापक स्तर पर हो रहा है। हिंदी भाषा, साहित्य और व्याकरण पर शोध कार्य हो रहा है। अध्ययन-अध्यापन की विशेष व्यवस्था है। जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, स्वीडन, हॉलैंड, नार्वे, डेन्मार्क, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया; बुल्गारिया, ब्रिटेन, कनाडा सहित बर्मा, पाकिस्तान, फीजी, सूरीनाम, श्रीलंका आदि देशों में भी हिंदी अपना स्थान बना चुकी है।

लाओस, थाइलैंड, कंबोडिया और म्यानमार बौद्ध देश हैं जिन का संबंध भारत के साथ हजारों वर्षों से है। इन देशों का प्राचीन साहित्य हमारे संस्कृत और पाली साहित्य का भाषांतर है। जातक कथाएँ जनता में अधिक लोकप्रिय हैं। लाओ भाषा में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ उपन्यास भी लिखे गये हैं जिनका इतिवृत्त बुद्ध की जीवनगाथा व जातक कथाएं हैं। इन लोगों के महातीर्थों में लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर प्रसिद्ध हैं। त्यौहारों में विजयादशमी, दीपावली, बुद्ध पूर्णिमा, बंसतपंचमी और होली आदि प्रसिद्ध हैं। धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक सन्निकटता के साथ साथ इन देशों की भाषाओं पर संस्कृत और पाली भाषाओं का प्रभाव भी देखा जाता है। म्यांमार एक समय में ब्रिटिश इंडिया का अंग रहा था। यहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग कई पीढ़ियों से बसे हुए हैं, जो व्यापार-वाणिज्य के कारोबार में लगे हुए हैं। इन के कारण इन देशों में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित ही नहीं रही अपितु हिंदी के माध्यम से धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान व समारोह संपन्न किए

3481 HA/09—12B

जाते रहे हैं। शैक्षिक संस्थाएं संचालित की जाती रही तथा हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती रही। म्यांमार की राजधानी यांगूम के प्राची प्रकाशन से पहले हिंदी दैनिक प्राची और इसी नाम से साप्ताहिक पत्र भी निकलता था। हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से बर्मा में "ब्रह्मभूमि" नामक मासिक पत्र भी निकलता था।

इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर में भारतीय मूल के लोग कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। इन देशों के भारतीय मूल के लोग अपनी भाषा, संस्कृति व संस्कारों की रक्षा करते हुए और उन की व्याप्ति के लिए भी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। यहां ललित कलाओं में रामायण व महाभारत की आख्यानों का बड़ा प्रभाव है। इंडोनेशिया का एक द्वीप बाली तो हिंदू बहुल द्वीप है।

भारत पर विदेशी प्रभुत्व के कारण इसमें कतिपय विदेशी शब्द दूध-पानी की तरह घुल-मिल गए हैं। इसलिए हिंदी का शब्द-भंडार सीमित से असीमित की ओर अग्रसर होता आया है। भारत को छोड़कर दुनिया के कोने-कोने में आज अनिवासी भारतीय और भारत वंशी विराजमान हैं और उनमें से बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो लगभग सौ डेढ़-सौ साल पहले मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिदाद, गुयाना, बारबाडोस जमैका, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में जाकर बस गए। इन सबके साथ भारतीय मिट्टी की सुगंध भी वहाँ पहुँची। यही नहीं, इनके साथ हमारा जीवन-दर्शन, जीवन-शैली, हमारे गीता-रामायण जैसे ग्रंथ वहीं पहुंचे और इस प्रकार उन दूर-दूर के देशों में भारतीय संस्कृति और हिंदी की गूंज आज भी निरन्तर सुनाई पड़ती है।

इस प्रकार की भाषिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सन्निकटता के कारण भारत से हजारों मील दूर होकर भी इन देशों ने हिंदी साहित्य को इतनी सुदृढ़तापूर्वक छाती से सटा रखा है कि विरोधाभास विचारों की कैसी भी प्रचण्ड आंधी उन्हें नहीं हिला सकती। इन देशों की बालू के कशा-कण पर हिंदी की ऐसी अमिट छाप अंकित है कि विश्व का समुचा पानी भी उसे नहीं धो या मिटा सकता। हिंदी भी इन देशों की माटी में निरंतर पल्लवित और पुष्पित हो आसपास के वातावरण को बराबर सुवासित कर रही है। ■

पृष्ठ 5 का शेष

आज हिंदी भारतीय बाज़ार और अर्थतन्त्र की आवश्यकता बन गई है। भारत की विशाल ग्रामीण एवं शहरी मेहनतकश जनता अंग्रेजी नहीं जानती है। वे केवल अपनी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिंदी को समझते हैं। कोई भी उत्पाद, सेवा या नई तकनीक अपनी भाषा के अलावा वे दूसरी भाषा में नहीं समझते। इसके लिए हिंदी से ज्यादा सशक्त माध्यम कोई हो नहीं सकता है। भारत की सभी अग्रणी कंपनियों, सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं ने इस सत्य को समझ लिया है तभी जो आज संचार माध्यमों द्वारा वे अपने उत्पादों/सेवाओं से सम्बन्धित सूचना का प्रसारण हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कर रहीं हैं। यही नहीं विदेशी कंपनियों में भी अपने ग्राहकों या उपभोक्ताओं तक पहुंचने, उन्हें रिझाने, उनसे संपर्क के लिए उनकी ही भाषा का इस्तेमाल करने की होड सी लगी है। यह बाज़ार एवं समय की मांग है, वरना वे बाज़ार की कठिन प्रतियोगिता में पिछड़ जाएंगी। ये तो बाज़ार की आवश्यकता है जिनसे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता और इसके महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हिंदी के विकास एवं विस्तार के लिए केवल बाजार पर निर्भर रहना ठीक नहीं है।

कोई भी भाषा केवल बाज़ार की जरूरत बन समृद्ध नहीं हो सकती। हिंदी के प्रबुद्ध विद्वानों ने बहुत ही त्याग, मेहनत और संघर्ष के बल पर उसे यहां तक पहुंचाया है। जरूरत है इसके साहित्य को और समृद्ध बनाने की। इसके लिए बुद्धिजीवियों, लेखकों, कवियों और हिंदी के विद्वानों को फिर से आगे आना होगा। अभी भी विज्ञान एवं तकनीक, कानून वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र में नये शब्दकोषों/अनुवादों की आवश्यकता है ताकि हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को एक मानक के रूप में प्रतिस्थापित कर सकें। तभी यह विश्व भाषा बन सकेगी।

ऐसे समय में हमें याद आती है महापंडित राहुल सांकृत्यायन जैसे महापुरूषों की जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही भाषा, धर्मों एवं समाजिक संस्कृतियों के अध्ययन में लगा दिया। लगभग 22 भाषाओं के जानकार की रचनायें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। आज हमें ऐसे समर्पित विद्वानों की आवश्यकता है जो हिंदी को विश्व के क्षितिज पर चमकता हुआ तारा बना सकें। वैश्विक परिपेक्ष्य में हिंदी की सार्थकता तभी अपना असली मुकाम प्राप्त कर पायेगी। ■

बदलते हुए सामाजिक परिवेश में पुलिस की भूमिका

–डॉ. अखिलेश शुक्ल*

भारत के बदलते हुए सामाजिक परिवेश में पुलिस की भूमिका एक चिन्तन का प्रश्न बन गई है। हमारे संविधान में समता की भावना की जो व्यवस्था की गई है वह विभिन्न जातियों और समूहों के बीच भेदभाव को वर्जित करती है। समाज के कुछ सशक्त और सम्पन्न गुटों द्वारा समाज के दलित और दुर्बल वर्गों के अपने अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त करने के प्रयास में अड़चनें खड़ी की जाती रही हैं। इससे सामाजिक तनाव बढ़ा है, जो कभी–कभी हिंसा का रूप धारण कर लेता है। समाज के दुर्बल वर्गों को शोषण और अन्याय से बचाने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं। समाज के दुर्बल वर्गों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए पुलिस को इन सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुधार के कानूनों को कार्यान्वित करना है। इस प्रकार पुलिस की भूमिका सुरक्षात्मक और जनता में उन्नति और सुधार लाने का रूप ग्रहण कर लेती है। पुलिस अपना कार्य तभी प्रभावकारी ढंग से निभा सकती है यदि उसे अपने समक्ष उपस्थित समस्याओं से जुड़े प्रभावों की सही–सही समझ और उनके प्रति सद्भाव हो। इस महत्वपूर्ण कार्य के प्रति तकनीकी और कानूनी दृष्टिकोण से काम नहीं बनेगा। समाज के रूपान्तर में पुलिस को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। समाज में व्यवस्था और संगठन बनाए रखने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। मनुष्य में पाशविक और मानवीय दोनों तरह की प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं। यदि उसकी पाशविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण न लगाया जाए तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य मान्य व्यवस्थाओं के विपरीत आचरण करता है। पुलिस सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त माध्यम है। समाज में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ है और आजादी के पश्चात् विकास की गति तेज हुई है। इससे पुलिस की भूमिका जटिल हो गई है। सामाजिक चेतना तथा विकास के इस दौर में पुलिस से समाज द्वारा नई भूमिकाओं की अपेक्षा की जाने लगी है। पुलिस से सामाजिक नियंत्रण के साथ कल्याणकारी भूमिका की आशा की जाने लगी है। पुलिस को जनता के मित्र के रूप में कार्य करना आवश्यक है। पुलिस का जनता के ऊपर नियंत्रण रखना आवश्यक है किन्तु नियंत्रण का तरीका सहयोगपूर्ण एवं स्नेहयुक्त होना चाहिए। इस तरह जैसा कि मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाशचन्द्र सेठी ने कहा था कि विभिन्न देशों में भिन्न–भिन्न प्रकार की शासन–प्रणाली होने के बावजूद नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व मूलतः पुलिस का ही रहता है। हमारे देश की पुलिस भी एक लम्बे समय से इस दायित्व का निर्वहन सफलतापूर्वक कर रही है। भारतीय पुलिस के इतिहास को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात् हमारी पुलिस सेवा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पुलिस का आदर्श वाक्य राज–भक्ति और सेवा था। विदेशी शासकों के प्रति राजभक्ति उनकी निष्ठा का परिचायक था। विदेशियों के प्रति पुलिस की इस वफादारी से देशवासियों के मन में उसके प्रति अनादर की भावना को जन्म दिया। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि उन दिनों पुलिस भय, आतंक और दमन की नीति अपनाकर जनता पर शासन करती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् बदलती हुई परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन में भी समयानुकूल यथोचित परिवर्तन किए गए । प्रजातंत्र की स्थापना के पश्चात् पुलिस का आदर्श वाक्य भी बदल कर 'देशभक्ति और जनसेवा' निश्चित करते हुए पुलिस की परिवर्तित भूमिका तय की गई। पुलिस की भूमिका जनता पर शासन नहीं बल्कि सामान्य देशवासी की तरह जनसाधारण से मिलजुल कर देश के नव–निर्माण में भरसक योगदान करना निश्चित किया गया।

*सहायक प्राध्यापक (प्रवर श्रेणी) स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

स्वतंत्रता पूर्व से कानून और व्यवस्था कायम रखना पुलिस का कर्तव्य था। कानून और व्यवस्था की देखरेख आज भी पुलिस का मुख्य कार्य है। परन्तु आज उसे यह कार्य जनसेवा की दृष्टि से अनेक रचनात्मक विकास कार्यों के प्रति अपने विशेष उत्तरदायित्व के साथ करना है। इसीलिए पुलिस के कार्यों की भूमिका में जटिलता बढ़ गई है । जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में आज हिंसा तथा अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसका कारण चाहे बदलती हुई आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था बताया जाए, आजादी के बाद अत्यन्त महत्वाकांक्षा का विस्फोट बताया जाए, बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण उत्पन्न तनाव बताया जाए या इसे आधुनिक समाज की अनिवार्य बुराई बताया जाए। इसमें दो मत नहीं कि आज पुलिस को स्वतंत्रता पूर्व की पुलिस से कई गुना अधिक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राज्य की पुलिस व्यवस्था में भी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप सुधार किया जाता रहा है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु भी अनेक कदम उठाए गए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार से भी उल्लेखनीय सहयोग तथा सहायता प्राप्त हुई है। परन्तु प्रदेश की आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए केवल आधुनिक साधनों से लैस कर दिए जाने से ही सब कुछ नहीं हो सकता। प्रदेश की अधिकांश आबादी ऐसे छोटे-छोटे गांवों में बसी हुई है, जहां अपराधों की रोकथाम तथा खोजबीन शहरों की अपेक्षा कई गुना जटिल कार्य हैं । शिक्षा के उचित प्रसार के अभाव में ग्रामीण जन से इस कार्य में जो सहयोग मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है इसके विपरीत कुछ लोगों द्वारा आज भी पुलिस के प्रति स्वतंत्रता के पूर्व का ही रवैया अपनाया जाता है कभी-कभी कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा पुलिस पर गम्भीर आरोप लगा कर जनता को गुमराह करने तथा शान्ति और व्यवस्था भंग करने की कोशिश की जाती है। इस आत्मघाती प्रवृत्ति के कारण समाज और शासन की जो हानि होती है, उसके दूरगामी परिणामों की जानकारी हमें रहना चाहिए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रदेश पुलिस के साहस, त्याग और बलिदान की उच्च परम्पराएं हैं। निराधार आलोचना का पुलिस के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है शासन दोषी तथा भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति विधि और कानून के अनुसार सदैव उचित कार्यवाही करता है। पुलिस को जन-आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी पिछले कुछ समय में काफी परिवर्तन किए गए हैं तथा जनता पुलिस से जिन अपनत्व की अपेक्षा करती है, उस पर ध्यान दिया गया है। इस तरह सार रूप में कहा जा सकता है कि आज पुलिस का कार्य अपराधी को दण्ड दिलाना ही नहीं है बल्कि ऐसा वातावरण निर्मित करना भी है ताकि अपराध-भावना की उत्पत्ति की रोकथाम हो सके। इसके लिए उसे जनसहयोग की आवश्यकता है। वास्तव में इस कार्य में पुलिस और पालक अथवा शिक्षकों में विशेष अन्तर नहीं रह जाता है । उसे अपराध की उत्पत्ति की जड़ पर ध्यान देते हुए अपराध की सम्भावना की सूचना देने हेतु जनता को प्रेरित करने का कार्य भी करना पड़ता है। साथ ही, जो लोग पक्के अपराधी बन चुके हैं, उन्हें भी आगे अपराध न करने और सामान्य जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना अब पुलिस का कार्य हो गया है । इसके लिए अब पुलिस लोगों के विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का भी ध्यान रखती है।

समाज के अन्तर्गत किसी भी थाने का थानाध्यक्ष समाज व्यवस्था को निर्भय बनाए रखने का 'मील का पत्थर' माना जाता है । यह कटु सत्य है कि 'मील का पत्थर' विविध प्रकार से आघातों को झेलते हुए अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहता है। थाने का सब इन्स्पेक्टर उस समाज व्यवस्था का प्राथमिक अन्वेषण अधिकारी माना जाता है जो विविध प्रकार के गूढ़ तथ्यों को खोजने का प्रयास करता है उसकी निष्ठामय कार्य-प्रणाली उसे समाज के लोगों के निकट सम्पर्क में लाने का पूर्ण प्रयास करती है। परन्तु यथार्थ यह है कि आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व वाले इन्स्पेक्टर स्वयं को 'सरकार' शब्द से सम्बोधित कराने में गौरव का अनुभव करते हैं। निरीह ग्रामीणों को यह सरकारी एवं अन्य प्रकार की सुविधाओं से अवगत कराने का प्रयास न करके उनके ऊपर अपने क्षणभंगुर रोब एवं प्रभुत्व को दर्शाने में गौरव का अनुभव करते हैं। इसका समाजशास्त्रीय परिणाम यह होता है कि जन समुदाय 'पुलिस' को अपना सेवक अथवा रक्षक न मानकर उनसे सदैव दूरी बनाए रखने का प्रयास करती है । ऐसी स्थिति में पुलिस के रचनात्मक सहयोग की बात ही नहीं उठ पाती है।

समाज विभिन्न व्यवस्था एवं उपव्यवस्था का पुंज होता हैं । सभी क्षेत्रों में यदि परिवर्तन की अपेक्षा की जाए तो वह सम्भव नहीं हो पाता। साधारणतया यह प्रयास किया जाता है कि व्यवस्था एवं उपव्यवस्था में प्रकार्यात्मक संबंध बना रहे । परन्तु निहित स्वार्थों एवं लक्ष्यों की अस्पष्टता के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो पाता है। पुलिस के सामाजिक परिवर्तन में रचनात्मक योगदान की आशा महत्वपूर्ण है, परन्तु वह

अपनी ही उपव्यवस्था के वैचारिकी से इतना त्रस्त रहता है कि उसमें स्वतंत्र विवेक की भावना पनप नहीं पाती है। वह पुलिस नौकरशाही व्यवस्था से इतना आक्रांत रहता है कि उसकी सामाजिक दुनियां बहुत सिमटी सी रहती है। इनके सामाजिक अन्त:क्रिया में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में 'स्वार्थ' का अस्तित्व बना रहता है । वृहद् सामाजिक व्यवस्था के प्रति पुलिसजनों में साधारणतया यह शिकायत रहती है कि जन समुदाय उन्हें ठीक से समझने का प्रयास नहीं करता, उनकी सीमाओं एवं गतिरोधों का उचित मूल्यांकन नहीं करता। सभी ओर से उपेक्षित होने के कारण वे एक ऐसी 'उपसंस्कृति' का निर्माण कर लेते हैं जिसका अपना प्रतिमान, आदर्श एवं परम्पराएं होती हैं और उसी के अनुरूप उन्हें व्यवहार करने को बाध्य होना पड़ता है। पुलिस के समक्ष विभिन्न परिस्थितियों में भूमिका प्रतिपादन के लिए अनेक सन्दर्भों का अनुसरण करना पड़ता है। विषम परिस्थितियों में पुलिस कभी-कभी सन्दर्भों के अनुरूप व्यवहार का प्रतिपादन नहीं कर पाती है। परिणामस्वरूप उसे 'भूमिका द्वन्द' से ग्रसित होना पड़ता है । यह एक समाजवैज्ञानिक प्रश्न है कि 'भूमिका द्वन्द' जैसी समस्या से ग्रसित पुलिसजनों से समाज में परिवर्तन के लिए एक अभिकरण की भूमिका की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? समाज की संकुलता तथा बहुआयामी प्रवृति में वृद्धि के कारण समाज की मांग पुलिस पर बढ़ती जा रही है। दूसरे पक्ष का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि सरकार की ओर से सीमित आय स्रोत के कारण उन्हें आधुनिक हथियार सम्प्रेषण के उपकरण आदि प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप वे समाज के विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। समाज में पुलिस को सामाजिक परिवर्तन के सन्दर्भ में अपने क्रिया-कलापों का कार्यान्वित करने में 'कानून' से विचलित नहीं होना पड़ता है। 'कानून' की यह विशेषता है कि वह जन-समुदाय को उनके अधिकार एवं कर्तव्य का उचित बोध कराता है। जन-सम्प्रेषण के विभिन्न साधनों के प्रसार के कारण समाज में व्यक्ति मानव अधिकार के विविध आयामों से भली-भांति अवगत रहता है यदि पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का विचलन होता है तो मानवाधिकार आयोग उसमें खुलकर हस्तक्षेप करता है तथा सरकार के समक्ष विविध प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं जिनका निराकरण कठिन होता है।

समाज में सामाजिक परिवर्तन की अविरलधारा प्रवाहित करने के लिए पुलिस को अपनी समसामयिक छवि, 'शोषक', 'झक्की', 'पूर्वाग्रही', 'संदिग्ध', 'परजीवी' आदि में परिवर्तन लाना होगा। पुलिसजनों को उन कारकों का विश्लेषण करना होगा कि समाज के सशक्त प्रहरी के प्रति लोगों की नकारात्मक धारण क्यों है? लोग 'पुलिस' के प्रति ऐसा क्यों सोचते हैं कि समाज से सम्बन्धित समस्याओं में पुलिसजनों की जितनी ही कम घुसपैठ होगी उस समस्या का समाधान उतना ही सरल होगा? यह कटु सत्य है कि किसी व्यक्ति, व्यवस्था अथवा संगठन के प्रति छवि न तो एक दो दिन में बनती है और न बिगड़ती है । यह एक अविरल प्रक्रिया है। छवि का निर्माण करने वाले आयाम बनते और बिगड़ते रहते हैं। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि जिस समाज की पुलिस व्यवस्था सुदृढ़, चुस्त एवं ईमानदार होगी उस समाज में विघटनकारी तत्वों को फलने-फूलने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। यह सर्वविदित है कि पुलिस सामाजिक परिवर्तन में अपनी सक्रिय भूमिका प्रतिपादित करे अथवा न करे उसका व्यापक स्तर पर विरोध नहीं किया जा सकता। पुलिस व्यवस्था के प्रति असन्तोष प्रशासन व्यवस्था के प्रति असन्तोष होता है। पुलिसजनों से किसी भी व्यवस्था में परिवर्तन की अपेक्षा रखने के लिए यह आवश्यक है कि जन-समुदाय भी अपने अपेक्षित सहयोग के विविध आयाम में कुछ मौलिक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। पुलिस के प्रति 'सिर्फ घृणास्पद भावनाओं' का प्रसार करके समाज में अपेक्षित उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं बना जा सकता ।

संदर्भ ग्रंथ

1. डॉ. एस. अखिलेश (1995) पुलिस और समाज, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली ।
2. डॉ. एस. अखिलेश (1995) आधुनिक भारत और पुलिस की भूमिका, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली ।
3. जैन एसपाल (1991) आधुनिक भारत की विभूतियां, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली ।
4. डॉ. एस. अखिलेश (2009) संगठन एवं प्रशासन, गायत्री पब्लिकेशन्स, रीवा ।
5. चौधरी चरण सिंह (1978) भारतीय पुलिस, बदलती हुई भूमिका, सर्विसेज पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली ।
6. डॉ. माथुर के. एम. (1989) विकासशील समाज में समसामयिक पुलिस की भूमिका, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली ।
7. घोष एस. के. (1965) पुलिस एण्ड द पब्लिक, भुवनेश्वर, होम डिपार्टमेन्ट ।
8. मलिक बी. एन. (1969), ए फिलास्पी फार दी पुलिस, एलाइड पब्लिशर्स, कलकत्ता ।

3481 HA/09—13B

संस्कृति

पांचवां वेद है आयुर्वेद

–बल्लभ डोभाल*

'सर्वेभवन्तु सुखिन: । ... सब सुखी रहें और कोई दु:ख का भागी न बने ।'

हमारे आर्य-मनीषियों की यह कामना केवल मानव जाति के लिए न होकर सम्पूर्ण प्राणि-जगत के प्रति रही है, जो हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की एक लम्बी परम्परा बनकर चली आई है । हमारे आर्य-पुरुष इस बात को भलीभांति जानते थे कि जीवन की सार्थकता स्वास्थ्य में निहित है । सब तरह के ऐश्वर्य और सारी सम्पन्नता स्वास्थ्य के बिना निरर्थक हो जाती है, स्वास्थ्य ही जीवन की प्राथमिकता है, इसलिए आयुर्वेद को पांचवां वेद कहा गया है ।

उपनिषदों में ठीक ही कहा है । 'इहचेद् वेदी-दथ: सत्यमस्ति नाचेदिहावे महती विनष्टि: ।' अर्थात्-इस जीवन में ही ब्रह्म को न जाना गया तो मृत्यु में विनाश के सिवा कुछ हाथ आने वाला नहीं है । इन्द्र को आयुर्विज्ञान की दीक्षा देने के बाद देवताओं के भिषज् (डाक्टर) अश्विनि कुमार इन्द्र से यही कहते हैं, - इस जीवन को ही जानों ।'अन्यथा ब्रह्म को कौन जान पाएगा । इस जीवन की उपासना ही ब्रह्म की उपासना है और जीवन का विज्ञान ही आयुर्वेद-विज्ञान है ।

तब आयुर्वेद हिमालय में ही संभव था । प्राचीन ग्रंथों में स्वर्ग का जो वर्णन आता है वह हिमालय का ही वर्णन है। हिमालय-वासी आर्यो ने अपने रहने की जगह को 'स्वर्ग' नाम दिया और फिर उसे सब तरह सम्पन्न बनाने में जुटे रहे। देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व और किन्नरों के इन पांच जनपदों से मिल कर इस पंचजन-स्वर्ग की स्थापना हुई, जिसके शासक देवाधिदेव इन्द्र बने रहे । वहीं से हमारे ऋषि-मुनियों ने आयुर्वेद को एक सम्पन्न और समृद्ध विज्ञान बनाकर प्रस्तुत किया था ।

प्राचीन वेदमंत्रों में जड़ी-बूटियों का जो वर्णन आता है आयुर्वेद-ग्रंथों में उनपर गहन शोध किया गया है । एक लम्बे अर्से तक आयुर्वेद हिमालय (स्वर्ग) की सीमा तक ही सीमित रहा । हिमालय के तल वाले (मैदानी भाग) के निवासी जब भीषण रोग-व्याधियों से पीड़ित रहने लगे, तब ऋषियों के प्रयास से आयुर्वेद को स्वर्ग से नीचे उतारा गया । लेकिन स्वर्ग में अश्विनि कुमारों द्वारा निर्मित स्वास्थ्यवर्धक 'सोम' को इन्द्र ने स्वर्ग की सीमा से बाहर न जाने दिया । सोम के द्वारा वह अपने ही विशिष्ट जनों का सत्कार करता रहा । यह बात नागवंशी देवों को सह्य न थी । अत: आपसी होड़ में नागों ने 'सुधा' का आविष्कार किया । इस विज्ञान में असुर भी पीछे न रहे । उनके द्वारा 'सुरा' निर्मित की गई । इस आपसी होड़ के चलते आयुर्वेद में अद्भुत आविष्कार होते चले गए, जिसमें असुरों का भी कम योगदान नहीं ।

आयुर्वेद-ग्रंथों में रावण द्वारा लिखे गए 'नाड़ी परीक्षा' ग्रंथ का उल्लेख आता है । रावण के पूर्वज पुलह और पुलस्त्य ऋषि भी स्वर्ग में इन्द्र के पास आयुर्वेद सीखने गए थे । उन्हीं का उत्तराधिकारी रावण दुश्चरित्र होने के कारण भले असुर कहलाया हो, किन्तु वह विद्वान और तत्वदर्शी अवश्य था । महर्षि बाल्मीकि ने उसके चरित्र की निन्दा करते हुए साथ-साथ उसके पांडित्य की प्रशंसा भी की है।

भेदभाव के कारण इन्द्र के देववंश और शिव के नागवंश के बीच उत्तरोत्तर स्पर्द्धा बढ़ती गई, जो आपसी विरोध में बदल जाती है, किन्तु इससे आयुर्वेद की कोई क्षति नहीं पहुंचती, अपितु आयुर्वेद की प्रगति में नए अध्याय ही जुड़ते गए ।

जीवन की सर्वांगीणता को लेकर आयुर्वेद आठ प्रकार की चिकित्सा को लेकर आगे बढ़ता है । जहां शारीरिक दोष

*बुद्धाहाल, भागसूनाग, अपर धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि. प्र.)

ही रोग कारण नहीं बनते, मन के दोष भी रोगों को जन्म देते हैं। चिन्ता, भय, क्रोध, घृणा, लोभ-मोहादि, भाव विकृत होकर जिन मनोरोगों को जन्म देते है वे अन्ततः शरीर में ही प्रकट होते हैं और जिनका निदान शारीरिक-चिकित्सा से नहीं होता, इसलिए मानसिक चिकित्सा जरूरी है। उसके लिए आयुर्वेद शुद्धता, सदाचार, संयम, नियम ..... यानि बौद्धिक, मानसिक और आत्मा के स्तर पर भी उपचार करता है। जीवन का क्षेत्र जहां तक पसरा है, आयुर्वेद वहां तक रोगों का परिमार्जन करता है। आयुर्वेद की इस 'अष्टांग प्रणाली' के अन्तर्गत शल्य-चिकित्सा, भूतविद्या, अगदतंत्र, रसायन, बाजीकरण आदि के द्वारा रोगों के निदान पर व्यापक शोध किया गया है। यद्यपि महाभारत युद्ध में प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की काफी क्षति रही, किन्तु उसके बाद भी आयुर्वेद के धुरन्धर विद्वानों की कमी न थी। बाणों की शैय्या पर पड़े भीष्म पितामह के जर्जर शरीर को स्वस्थ कर देने वाले प्राणाचार्यों को दुर्योधन ने बुलाया था, जिन्हें पितामह के कहने पर वापस लौटा दिया गया।

महाभारत के अन्त में परीक्षित को सिंहासन पर बिठाने के बाद पांडव स्वर्गारोहण पर निकल पड़े। शृंगी ऋषि के तपस्वी पिता शमीक के गले में मरा सांप रखने पर शृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया कि यही तक्षक नाग आज से सातवें दिन तुझे डस लेगा। यह सुनकर ठीक सातवें दिन कश्यप नाम का एक ब्राह्मण राजा परीक्षित के दरबार की ओर चल पड़ता है। उसी दिन तक्षक नाग भी परीक्षित को डसने निकलता है। रास्तें में दोनों की भेंट हो जाती है। नरवेष धारी तक्षक ने ब्राह्मण से पूछा, 'तुम कौन हो .... और इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हो?' ब्राह्मण ने अपना परिचय देते हुए बताया कि आज तक्षक नाग राजा को डस लेगा और अपनी औषधि और तंत्रबल से राजा को मरने नहीं दूंगा।

तक्षक बोला, 'मैं ही तक्षक हूं, मेरे डसे हुए को कोई बचा नहीं सकता, इसलिए तुम वापस लौट जाओ।' लेकिन शक्ति-परीक्षण करने पर जब तक्षक को विश्वास हो गया कि वह अपने तंत्र-बल से राजा की रक्षा कर सकता है तो बहुत सा धन देकर उसे वहीं से वापस लौटा दिया। यह कहानी विष-चिकित्सा के महत्व पर प्रकाश डालती है। तब शल्य-चिकित्सा में भी आयुर्वेद अनेक कीर्तिमान स्थापित कर चुका था। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती के भस्म हो जाने की सूचना जब शिव को मिली तो शिव ने अपने सेनापति बीरभद्र को भेजा। बीरभद्र ने यज्ञ-आयोजकों सहित देवताओं की पिटाई कर दी। दक्ष का सिर काटकर यज्ञकुंड में डाल दिया। पूषा के दांत तोड़ डाले, भग की आंखें निकाल दीं। अन्तत देवों की प्रार्थना पर शंकर का दमनचक्र शांत हुआ। पुनः यज्ञ को सम्पन्न करने के लिए अश्विनि कुमारों द्वारा दक्ष के धड़ से बकरे का सिर जोड़कर उसे जीवित किया गया। पूषा के दांत लगाएं गए, भग की आंखों का उपचार कर उसे दृष्टि प्रदान की गई।

प्राचीन ग्रंथों में आयुर्वेद के चमत्कार की अनेकों कहानियां मिलती हैं। इन्हीं अश्विनि कुमारों द्वारा बूढ़े च्यवन ऋषि को औषधियों का अवलेह खिला कर युवावस्था प्रदान की गई। इसके पश्चात् महर्षि च्यवन ने राजा शर्याति से यज्ञ करवाया, जिसमें सारे देवता उपस्थित हुए और जिसके आयोजक स्वयं च्यवन बने। अब तक देवों की सभा में केवल देवताओं को ही सोमपान कराया जाता था। अश्विनि कुमार भी देववंश में सविता के पुत्र थे। उनकी प्रतिष्ठा इन्द्र से कहीं बढ़कर थी, किंतु देवताओं के बीच बैठकर सोम पीने का अवसर इन्द्र ने उन्हें नहीं दिया। इस आयोजन में महर्षि च्यवन ने देवताओं के बीच बिठाकर सोमपान कराना चाहा तो इन्द्र आवेश में आकर बोला, 'महर्षि! ये अश्विनि कुमार अपने व्यवसाय के कारण घर-घर घूमते, रोगियों के मल-मूत्र की परीक्षा करते हैं, इसलिए अपवित्र हैं। इन्हें हमारे बीच सोमपान कराना उचित नहीं।'

च्यवन ने समझाया कि इन्द्र! अश्विनि कुमारों का हम सब पर बड़ा उपकार है। इन्होंने देवताओं से लेकर सभी जीव-जन्तुओं का कल्याण किया है, इसलिए इनका भी अधिकार है। .... इन्द्र विरोध करता ही रहा, जब कि च्यवन ने सोम का वितरण आरम्भ कर दिया। अपना अपमान समझ च्यवन को मारने के लिए इन्द्र ने अपना बज्र उठा लिया। किंतु च्यवन के एक ही दृष्टिपात से उसकी दोनों भुजाएं निकम्मी हो गई, बज्र हाथ से गिर पड़ा। तब तो इन्द्र बहुत गिड़गिड़ाया। बोला, 'महर्षि! आज से अश्विनि कुमार हमारे बीच बैठकर सोमपान कर सकेंगे, मैं कभी इसका विरोध नहीं करूंगा। पर मेरे हाथ ठीक करो।'

च्यवन बोले कि यह काम अश्विनि कुमारों का है। पुनः इन्द्र के निवेदन पर अश्विनि कुमारों ने इन्द्र के हाथ

चित्र समाचार

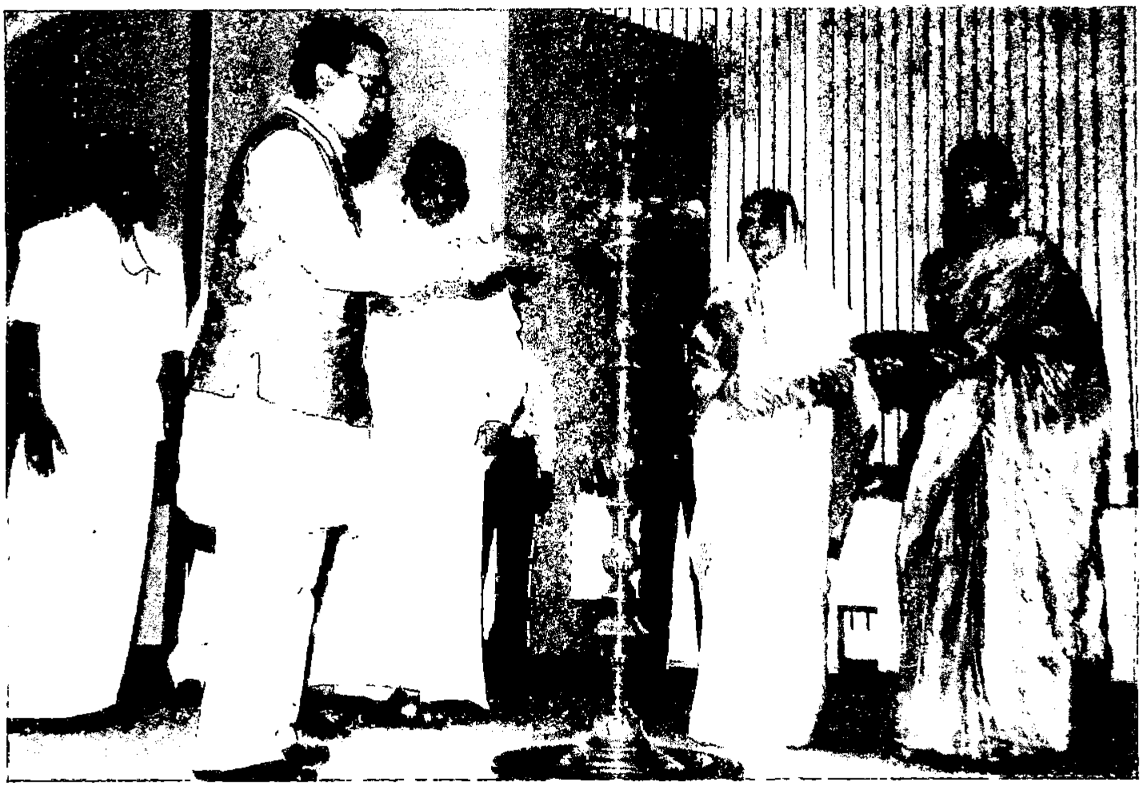

1. राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय गृह मंत्री जी तथा गृह राज्य मंत्री जी ।

2. मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन में हिंदी तकनीकी संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए डॉ. जी. माधवन नायर, अध्यक्ष इसरो ।

3. भा. ति. सी. पुलिस संबोली हरियाणा में हिंदी कार्यशाला के प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए उप महानिरीक्षक (क्रय) श्री जसपाल सिंह जी ।

4. नाईपर द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला में पुरस्कार प्रदान करते हुए प्रो. पी. रामराव, निदेशक नाईपर ।

5. एन एच पी सी लिमिटेड द्वारा आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक ।

6. नराकास, कोटा की छ:माही बैठक ।

7. केंद्रीय रेशम बोर्ड भंडारा द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ. एस. के. माथुर, वैज्ञानिक-डी, (बांए) श्री एस. के. सिंह एवं (दाएं) श्री विजय खंडेरा (मुख्य अतिथि)।

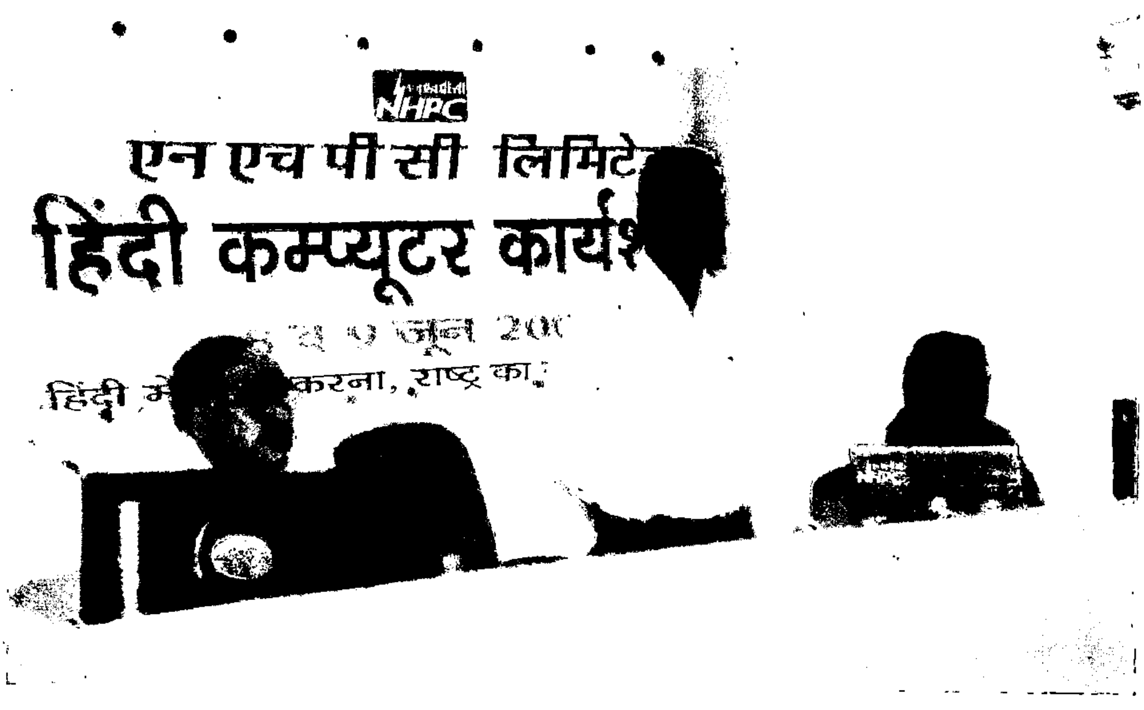

8. एन एच पी सी लिमिटेड में हिंदी कंप्यूटर कार्यशाला का एक दृश्य।

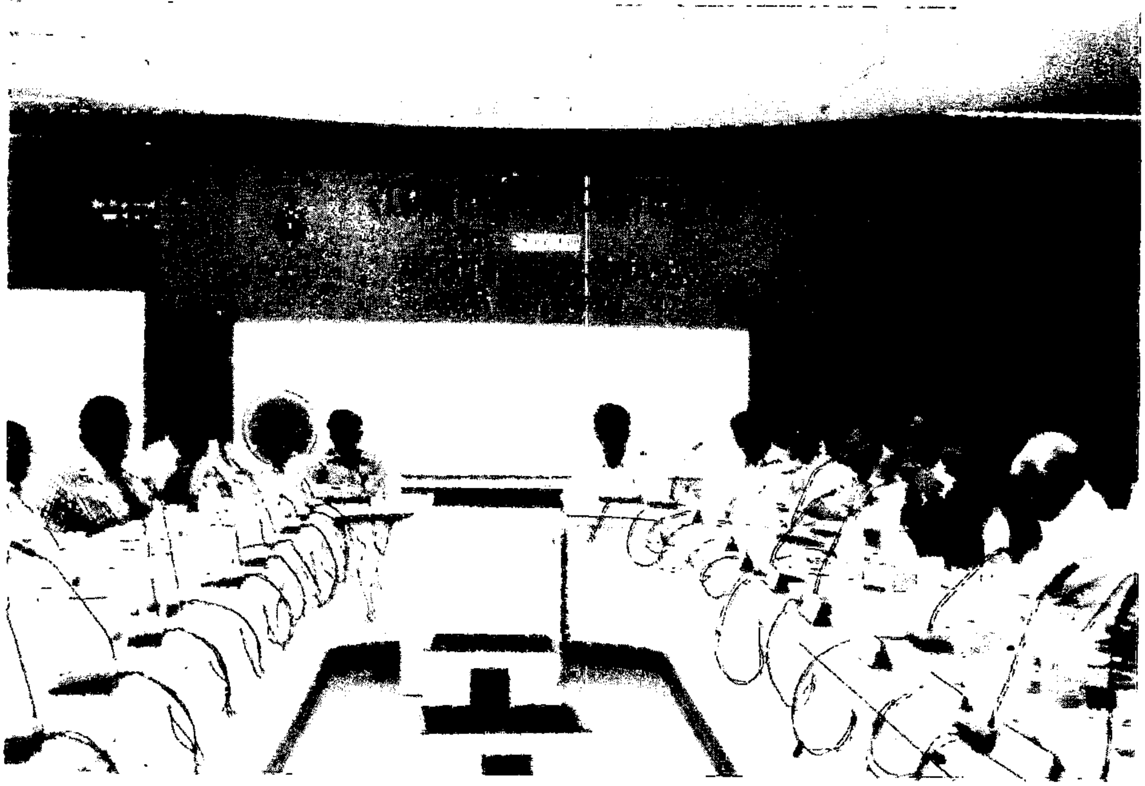

9. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड संबलपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का दृश्य ।

10. नराकास (उपक्रम) गुवाहाटी द्वारा आयोजित राजभाषा संगोष्ठी का दृश्य ।

11. नराकास (बैंक) कोच्चि की बैठक में गृह पत्रिका 'सागर-संगीत' का विमोचन करते हुए मुख्य अतिथि श्री वी. बालकृष्णन, उप निदेशक (कार्यान्वयन), श्री वी आई माथ्यू, अध्यक्ष (बीच में) तथा श्री एन. कमलाकर राव, सदस्य सचिव (दाएं)।

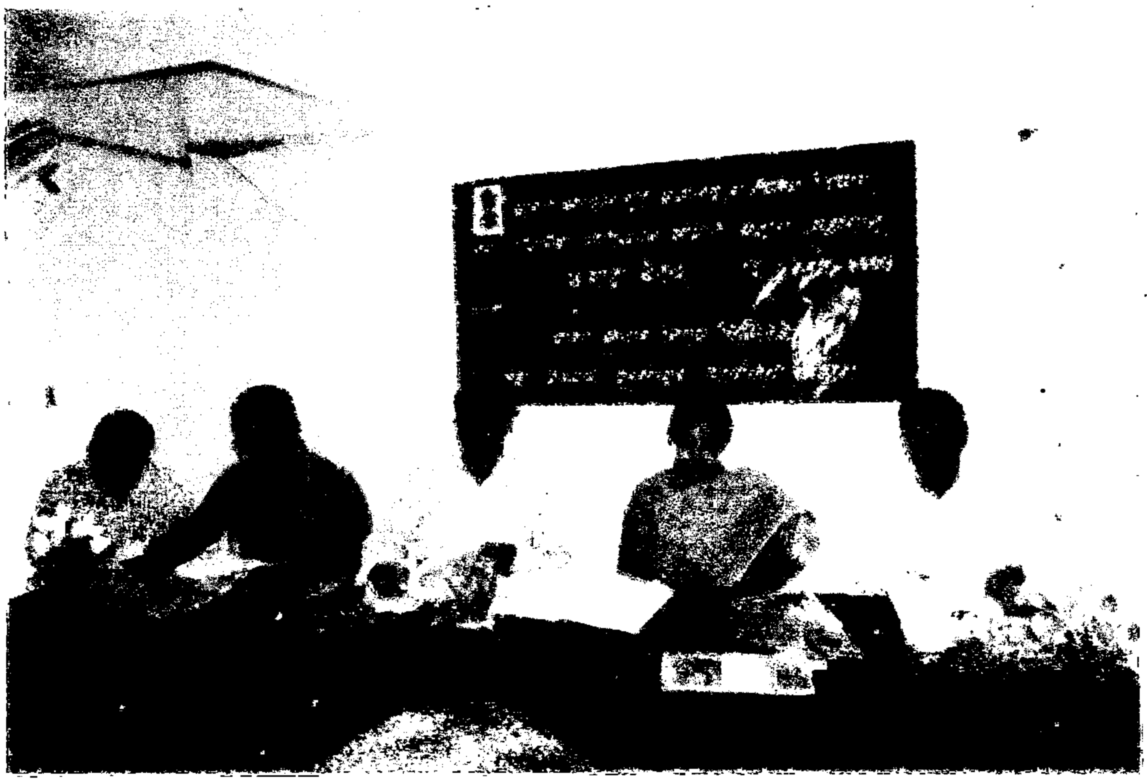

12. नराकास भंडारा की छःमाही बैठक में बाएं से श्री नरेश कुमार, ओम प्रकाश काकड़ा, डॉ. एस. के. माथुर, श्रीमती सुष्मिता भट्टाचार्य एवं एन्थोनी एक्का, अध्यक्ष नराकास चर्चा करते हुए।

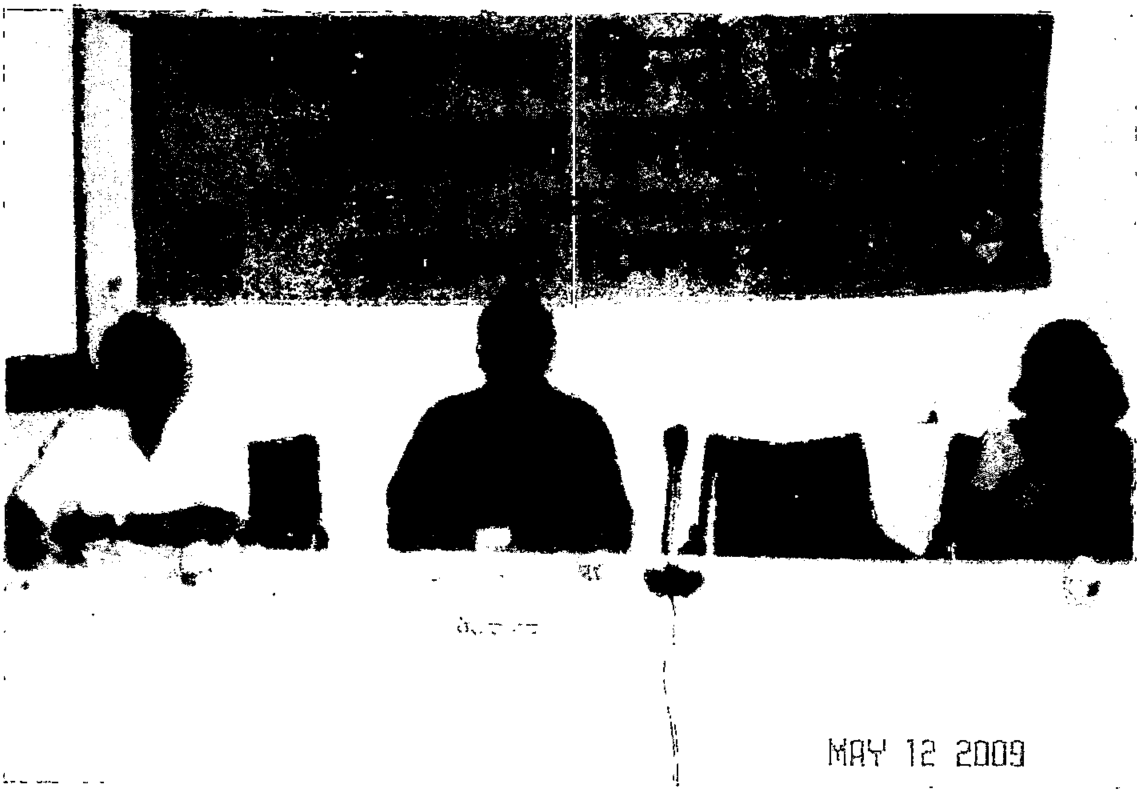

13. गुवाहाटी रिफाइनरी द्वारा आयोजित कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण कार्यशाला का दृश्य ।

14. केंद्रीय रेशम बोर्ड, भंडारा द्वारा आयोजित राजभाषा पुरस्कार समारोह में प्रशस्ति-पत्र ग्रहण करते हुए श्रीमती पी. वी. लीला, निदेशक (वित्त) ।

15. भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण गोवा द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला में उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री एम. एन. एन. राव, संयुक्त महाप्रबंधक ।

16. नराकास चंडीगढ़ द्वारा आयोजित राजभाषा अधिकारी सम्मेलन में वक्तव्य देते हुए एक वक्ता ।

ठीक कर दिए । बाद में इन्हीं को गुरु मानकर इन्द्र ने आयुर्वेद-विज्ञान में दक्षता प्राप्त की ।

एक बार महर्षि अत्रि से असुर नाराज हो गए । उन्होंने अत्रि को बन्दी बनाया और अधिक से अधिक यातना देने के लिए गले तक भूसे के ढेर में गाड़कर उसमें आग लगा दी, ताकि तड़प-तड़प कर उसके प्राण निकलें। इधर उनके अंगों में भूसे की आंच पहुंची तो उन्होंने अश्विनि कुमारों का स्मरण किया । अश्विनि कुमारों ने आकर जड़ी-बूटियों से सिद्ध किया जल उन्हें पिलाया तो अग्नि का दाहक-प्रभाव जाता रहा और उनके जले हुए अंग भी ठीक हो गए । अत्रि ने अश्विनि कुमारों को न केवल याद रखा, अपितु अनेक सूक्त स्तुति में लिखकर उनके यश को अमर कर गए ।

गुरुभक्ति में रत अन्धे उपमन्यु ने अश्विनि कुमारों की करुणा का पात्र बनकर स्वस्थ काया प्राप्त की । तब आयुर्वेद-विज्ञान अपनी चरम सफलता पर था । आगे भी गुप्तकाल तक नालन्दा, तक्षशिला आदि केंद्रों में आयुर्वेद पर अनेक तरह से शोध होते रहे । आचार्य धन्वन्तरि के बाद सुश्रुत, आत्रेय पुनर्वसु, महर्षि कश्यप, जीवक, महर्षि चरक, बाग्भट्ट जैसे उद्भट्ट विद्वानों द्वारा की गई गवेषणाएं बड़े महत्व की हैं । आयुर्वेद के इन आचार्यों द्वारा बनाए गए स्वास्थ्य के सिद्धान्त भी धर्म के अन्तर्गत आ जाते हैं । बाग्भटट ने तो स्वास्थ्य को ही धर्म मान लिया था । उसके अनुसार स्वास्थ्य के बिना मोक्ष भी किसी काम का नहीं है। प्रकृति के हर पदार्थ को बाग्भटट ने स्वास्थ्य का सन्देशवाहक माना है ।

महाकवि कालिदास ने देवात्मा हिमालय को महा औषधियों और रत्नों का भंडार कहा है । लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर हनुमान सुमेरु के एक हिस्से को ही उठा लाए, जहां से संजीवनी बूटी निकाल कर लक्ष्मण की प्राण-रक्षा की गई । यह हिमालय अनेक प्रकार के खनिजों को अपने गर्भ में धारण किए है । अनेक धातुओं के भंडार उसमें भरे हैं । सोना, चांदी, एसबेसटस्, अभ्रक, हींगुल और शिलाजीत, पारद आदि अनेक रसायन वहां प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं । बर्फीली घाटियों में गर्म पानी के मझकते स्रोत घोषणा करते हैं कि जगह-जगह पृथ्वी के गर्भ में गन्धक के भंडार हैं । गंगा के किनारे फैले रेत से आज भी सोने के कण बीनते हुए लोगों को देखा जा सकता है । पहाड़ों पर रिसते लाल पीले पानी का रंग बताता है कि भूमि के गर्भ में तांबा, पीतल आदि धातुएं वहां विद्यमान हैं । यही सब हिमालय की अपनी सम्पदा है । आश्चर्य है कि यह सब न देखकर आज हम हिमालय को मिटटी-पत्थर के एक पहाड़ के रूप में ही देख सके हैं ।

प्राचीन-ग्रंथों से पता चलता है कि यहीं असुरों द्वारा देवों को अनेक बार पराजित किया गया । उस स्थिति में देवता जब किसी स्थान को छोड़ते तो अपने उपकरणों सहित मूल्यवान धातुओं को भूमि के गर्त में छिपा देते, ताकि असुर उससे लाभ न ले सकें ।

राजा पृथु के पूछने पर गाय रूप धारण करने वाली पृथ्वी कहती है कि .... देवता और ऋषि मुनि सबके कल्याण के लिए मेरा दोहन करते रहे । वह ठीक था, किंतु जब से असुरों का प्रभाव बना, मैंने सारे पदार्थों को अपने में समेट लिया है, ताकि किसी वस्तु का दुरुपयोग न हो सके। इसलिए मैं तुम्हें कृपण लगती हूँ । राजा पृथु के आश्वासन पर पृथ्वी पुन: अपनी सम्पदा को उदारता के साथ प्रकट करने लगती है । इस प्राकृतिक सम्पदा के साथ उसका नैसर्गिक सौन्दर्य आज भी हिमालय को स्वर्ग बनाए हुए है। ■

कार्यालय के लिए खरीदे जा रहे सभी नए कंप्यूटरों के संबंध में तभी इंस्टालेशन सर्टिफिकेट दिया जाए, जब वे अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी यूनीकोड में कार्य करने के लिए सक्रिय कर दिए गए हों और की बोर्ड को सुविधा के अनुसार इंस्क्रिप्ट, टाइपराइटर या फोनेटिक शैली में प्रयुक्त किए जाने की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी गई हो ।

—राजभाषा विभाग

सीमा सुरक्षा बल की कार्य परिस्थिति में मधुमेह से बचाव एवं शरीर भार पर नियंत्रण

—निशाकान्त चतुर्वेदी*

आज संपूर्ण विश्व मधुमेह व मोटापा से परेशान है। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में लगभग 5 प्रतिशत से अधिक मधुमेह रोगी हैं और इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ता प्रदूषण, कुपोषण, शारीरिक श्रम में कमी और तनावयुक्त जीवन ऐसे कारण इसके लिये प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं।

आमतौर पर सीमा सुरक्षा बल की रोजाना ड्यूटी बड़ी श्रमसाध्य है तथा इन सबमें 3000 से अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब कभी कार्य पद्धति में बदलाव होता है, और कैलोरी बदस्तूर पूर्ववत लेना जारी रखा जाता है तो शरीर में शर्करा का स्तर तथा वजन बढ़ना स्वाभाविक है।

ज्यादातर कार्मिक समाज से दूर सीमा चौकियों पर व आंतरिक सुरक्षा में अपनी ड्यूटी को अन्जाम देते हैं। अत: मधुमेह व भार नियंत्रण से सम्बन्धी सही ज्ञान इन तक नहीं पहुंच पाता है। अत: लेखक ने अपने पूर्व ज्ञान, अनुभव अन्य उपयोगी पुस्तकों से यह सार गर्भित लेख लिखा है जो कि आम सीमा प्रहरी के ज्ञान व स्वास्थ्य में आमूल चूल परिवर्तन ला सकता है। इस संकलन में भोजन की अदला बदली एक ऐसा विषय है, जिससे कम पढ़े-लिखे जवान भी अपनी पसंद व जरूरत का खाना तय करके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।

अत: लेखक का अनुरोध है कि इस संकलन को सीमा चौकियों तक भेजने का श्रम करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा कार्मिक इससे लाभान्वित हो सकें।

शरीर में शर्करा का निर्माण :–

शरीर की दैनिक उर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में दो प्रकार के पदार्थ सम्मिलित होते है :

1. उर्जा देने वाले यथा कार्बोहाईड्रेट्स, प्रोटीन व वसा।
2. संरक्षी यथा विटामिन व खनिज पदार्थ जो शरीर को उर्जा तो नहीं देते परन्तु शरीर की सामान्य गतिविधियों के लिये बहुत ही आवश्यक हैं।

मधुमेह के संदर्भ में केवल प्रथम वर्ग का ही प्रत्यक्ष महत्व है। आहार नाल में पाचन के दौरान सभी प्रकार के कार्बोहाईड्रेट्स जैसे स्टार्च, डेक्सट्रिन, ग्लाइकोजन (एनीमल स्टार्च), माल्टोज (माल्ट शर्करा), सुक्रोज(गन्ना शर्करा), लैक्टोज(दुग्ध शर्करा) से तीन प्रकार की शर्करा बनती हैं। 1. ग्लूकोज 2. गैलेक्टोज तथा 3. फ्रक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अपने मूल रूप में रक्त में मिलता है। गैलेक्टोज व फ्रक्टोज पहले लिवर में पहुँचकर ग्लूकोज सूक्ष्म अंश के रूप में रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों को भेजा जाता है। शरीर में निर्मित ग्लूकोज का निम्न प्रकार से उपयोग होता है :

1. ज्वलन के द्वारा शक्ति व ऊर्जा उत्पन्न करने में।
2. ग्लाइकोजन के रूप में मांसपेशियों व यकृत (Liver) में एकत्रित रहना तथा आवश्यकता पड़ने पर विघटन से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाना।

*अम्युनेशन तकनीशियन, सीमान्त मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, शिलांग।

3. वसा के रूप में रूपान्तरित होकर उदर, जंघा, नितम्ब, आदि अंगों में एकत्रित होना ।

प्रोटीन के पाचन से अमीनों अम्ल बनते हैं जो आंत की रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित होकर यकृत में पहुचते हैं तथा वहां से विभिन्न अंगों में पहुंचकर निम्नलिखित कार्य करते हैं :–

1. नए तन्तुओं का निर्माण व पहले के तन्तुओं को बनाए रखना ।
2. नत्रजन धारी यौगिकों का निर्माण करना जो शरीर के कार्यकलापों के लिये एन्जाइम, हार्मोन तथा एन्टीबॉडी के लिये आवश्यक होते हैं ।
3. शरीर को ऊर्जा देना । एक ग्राम प्रोटीन लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा देती है । आमतौर पर प्रोटीन का कार्य तन्तुओं का निर्माण करना व उन्हें बनाए रखना होता है परन्तु भोजन में कार्बोहाड्रेट्स व वसा से कम ऊर्जा प्राप्त होने पर व इस कार्य को भी करती हैं ।

वसा पाचन के दौरान वसा अम्ल (फैटी एसिड) व ग्लिसराल में बदलती है । अवशोषण के बाद ये पुन: वसा में परिवर्तित होकर त्वचा के नीचे, वृक्क के चारों ओर तथा आंशिक रूप से यकृत तथा कोशिकाओं में संचित होती हैं । इस प्रकार लगभग 90 प्रतिशत अंश इस कार्य में लग जाता है व शेष 10 प्रतिशत शक्ति व ऊर्जा देने में व्यय होता है। आवश्यकता पड़ने पर यकृत संचित वसा शर्करा में बदल देता है ।

सामान्य अवस्था में रक्त में शर्करा का नियन्त्रण :

पाचन के बाद शर्करा अवशोषित होने लग[illegible] है । रक्त में इसका स्तर बढ़ते ही अग्न्याशय को संकेत [illegible]ता है, जिससे कुछ ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश कर जा[illegible] कुछ ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर मां[illegible] तथा यकृत में संग्रहीत हो जाता है । यह ग्लाइकोजन आवश्यकता पड़ने पर सदैव कोशिकाओं को उपलब्ध रहता हैं तथा विघटित होकर ग्लूकोज पैदा करता है ।

स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में शर्करा की मात्रा 70-120 मिलीग्राम/डेसीलीटर होती है । शरीर में यह स्तर बना रहे, इसे प्रमुख या प्रत्यक्ष रूप से इन्स्यूलिन नियन्त्रित करती है। भोजन के लगभग 2 घंटे बाद शर्करा का स्तर 170 मि.ग्रा/डे. सी. तक पहुच जाता है । तब अतिरिक्त शर्करा को इन्स्यूलिन, ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत व मांसपेशियों में भविष्य के लिए एकत्रित करता है । इसके अतिरिक्त पिट्यूटरी, अधिवृक्क तथा थायरायड ग्रन्थियाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से रक्त में शर्करा नियन्त्रण में सहायक होती है । अतिरिक्त शर्करा के ग्लाइकोजन में बदल जाने पर शर्करा का स्तर पुन: 70-120 मि.ग्रा./ड. सी. पर आ जाता है । किन्तु आहार सम्बन्धी त्रुटियों या इन्स्यूलिन की कमी होने पर रक्त में शर्करा की मात्रा इससे अधिक बनी रहती है । भोजनोपरान्त रक्त में शर्करा का स्तर अधिक होने पर इसका दबाव वृक्कों पर पड़ता है । आमतौर पर वृक्कों की सहनीय मर्यादा (Renal Threshold) 160-180 मि.ग्रा./डे.सी. होती हैं । अर्थात् इतनी शर्करा होने पर गुर्दे मूत्र के माध्यम से इसे बाहर नहीं निकालते हैं परन्तु जब रक्त में शर्करा की मात्रा इससे अधिक हो जाती है तो वृक्क इसे मूत्र के द्वारा बाहर निकालने लगते हैं तथा इसे साधारण भाषा में 'मधुमेह' और तकनीकी भाषा में 'ग्लाइकोसूरिया' कहते हैं । मूत्र में शर्करा आना मधुमेह का निश्चित लक्षण नहीं है क्योंकि कभी कभी रक्त में सामान्य स्तर होते हुये भी मूत्र में शर्करा आती है और कभी-कभी शर्करा का स्तर अधिक होने पर भी वह मूत्र में अनुपस्थित पाई जाती है ।

मधुमेह से बचाव एवं उपचार :-मधुमेह से बचाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है, वही उपचार के लिये भी काम में लाते हैं । इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि शरीर पर नियंत्रण कर रक्त में उसका उचित स्तर बनाये रखा जाये । इसके लिये निम्न बिन्दुओं पर कार्य करते हैं ।

1. आदर्श दिन चर्या का पालन
2. संतुतिल एवं उपयोगी आहार
3. शरीर भार पर नियंत्रण
4. व्यायाम एवं खेलकूद
5. औषधियों का प्रयोग
6. प्राकृतिक चिकित्सा
7. योगासन, प्राणायाम, ध्यान एवं प्रार्थना ।

आदर्श दिनचर्या का पालन :–

स्वास्थ्य जीवन हेतु जीवन शैली का उपयुक्त होना आवश्यक है । अनियमित दिनचर्या विभिन्न विकारों को जन्म देती है । स्वस्थ रहने के लिये आदर्श दिनचर्या निम्नलिखित हैं ।

दिन चर्या का प्रारम्भ पिछले दिन के तनाव व दुख:द प्रसंगों को भूलकर करे, आँखे खोलते ही मुस्कराएं तथा मन में सुख की अनुभूति करें ।

0500 बजे प्रात:-जागरण व ताम्रपात्र में रात को रखे एक से सवा लीटर जल का उषापान बिना कुल्ला किए करे या आदत है तो एक कप चाय बिना चीनी की पीएं ।

0530 बजे :- शौचादि नित्यकर्म ।

0530 से 0600 बजे तक :- तीव्रगति से बार्डर लाईन पर टहलना या 10 मि. तक छोटे-2 स्प्रिन्ट मारना

0630 से 700 तक :- मालिश, स्नान, योगासन, प्राणायाम, व ध्यान/पूजा अर्चना

0730 बजे :- लस्सी/खीरा/टमाटर का जूस या कोई जूस - 250 मि. ली.

0800 से 0830 तक :- नाश्ता - सुखीचपाती या 40 ग्रा. नमकीन दलिया सब्जीयुक्त या 30 ग्रा. अंकुरित मूँग, चना या दोनों, 10 ग्राम अंकुरित मैथी-200 ग्राम, मट्ठा या सेपरेटेड दूध ।

0900 से 1000 तक :- दैनिक कार्य ।

1000 से 0200 तक :- दोपहर का भोजन :- चपाती +चावल - 100 ग्राम, दाल-30 ग्राम, सब्जी-250 ग्रा., सलाद 200 ग्राम, दही 100 ग्राम (सपरेटेड) फल 100 ग्राम ।

0200 से 0230 तक :- आराम

0230 से 0430 तक :- रोजमर्रा के काम

0430 से 0500 तक :- 250 मि.ली. नींबू पानी या 1 कप चाय बिना चीनी की+02 मेरी गोल्ड बिस्कुट या 100 ग्राम मुरी (लाई)+चना (भुना) ।

0500 से 0600 तक :- खेल-कूद

0700 से 0800 तक :- रात्रि भोजन - दोपहर की तरह (सर्दी के मौसम में दही का सेवन न करें)

0800 से 0900 तक :- मनोरंजन या अन्य गतिविधियाँ आवश्यकतानुसार

0900 से 1000 तक :- सोने से पूर्व 250 मि.ली. (Double Tond Milk 1.5% Fat : वाला) यदि कब्ज की शिकायत हैं तो दूध के साथ ईसबगोल की भूसी का सेवन करें ।

विशेष :- आवश्यक नहीं है कि उपरोक्त सभी सामग्री मैस से ही उपलब्ध करवाई जाए ।

उपरोक्त दिनचर्या मधुमेह रोगियों व सामान्य व्यक्तियों के लिए है । जिनकी उम्र 40-60 वर्ष तथा जिसका भार 60 कि.ग्रा. है तथा जिन्हें 1600-1800 कैलौरी उर्जा की आवश्यकता हैं । कैलौरी में घटबढ़ होने पर भोज्य पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं । शीत ऋतु में आवश्यकतानुसार दिनचर्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।

संतुलित एवं उपयोगी आहार

मधुमेह के उपचार में यदि आहार पर उचित नियंत्रण न हो तो कोई भी दवा या उपाय सफल नहीं होता हैं । भोजन द्वारा प्राप्त उर्जा को नापने के लिये जिस कैलौरी का प्रयोग करते हैं वह वास्तव में किलो कैलौरी होती हैं । मधुमेह उपचार में यह आवश्यक है कि भोजन से उतनी ही कैलौरी प्राप्त की जाएं जितनी प्रतिदिन शरीर द्वारा प्रयुक्त होती रहे। अधिक कैलौरी वाला भोजन शरीर में अधिक शर्करा पैदा करेगा और उसका शरीर द्वारा प्रयोग न करने की स्थिति में वह रक्त में स्वतंत्र रहेगी और मधुमेह का कारण बनेगी ।

शरीर के लिये आवश्यक उर्जा का आकलन :-

शरीर को उर्जा की आवश्यकता सदैव बनी रहती हैं । विश्राम की अवस्था में भी हृदय, फेफड़े पाचन संस्थान, आदि कार्य करते रहते हैं जिसके लिये प्रतिक्षण उर्जा की आवश्यकता रहती हैं । इसे मूलभूत आवश्यकता (Basic Requirement) कहते हैं । 24 घंटे में ऊर्जा की मूलभूत आवश्यकता (कैलौरी) की गणना करने के लिये शरीर के भार (कि.ग्रा.) में 24 का गुणा कर देते हैं । इस प्रकार 60 किलोग्राम भार के व्यक्ति को उर्जा की आवश्यकता 1x60x24=1440 कैलौरी प्रतिदिन होगी ।

इसके अतिरिक्त कार्य करने की अवस्था में शरीर को जो ऊर्जा चाहिए उसे द्वितीयक आवश्यकता कहते हैं । विभिन्न कार्यो में व्यय होने वाली उर्जा का विवरण नीचे दिया जा रहा हैं :

क्रियाकलाप	उर्जा की आवश्यकता (कैलौरी/कि.ग्रा./10 मिनट)
1. चुपचाप पड़ा रहना	0.195
2. समतल सड़क पर मध्यम गति से साइकिल चालन	0.734
3. कक्षा में भाषण	0.245
4. कार चलाना	0.438
5. मोटर साइकिल चलाना	0.531
6. मध्यम गति का नृत्य	0.612
7. तीव्र गति का नृत्य	0.831
8. बाग में खुदाई	1.365
9. लकड़ी काटना	1.029
10. बाग में खरपतवार निकालना	0.862
11. दौड़ना छोटी दूरी-अधिकतम गति	5.514
12. दौड़ना लम्बी दूरी	2.203
13. पहाड़ पर चढ़ना	1.470
14. बालीवाल खेलना	0.505
15. फुटबाल खेलना	1.178
16. टेबिल टेनिस खेलना	0.566
17. टेनिस खेलना	1.014
18. गोल्फ खेलना	0.799
19. टहलना (2.7 किमी./घ)	0.051
20. टहलना (5.8 किमी./घ)	0.167
21. तैरना (बैक स्ट्रोक 25 गज/मि.)	0.566
22. तैरना (बैक स्ट्रोक 35 गज/मि.)	1.000
23. तैरना (बैक स्ट्रोक 40 गज/मि.)	1.408
24. सीढ़ी उतरना	0.976
25. सीढ़ी चढ़ना	2.540

कोनसोलाजियों एवं साथी (प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रीशन, पृष्ठ 110-112) का यह आकलन विदेशी दशाओं के लिए है। वातावरण के तापमान के घटने-बढ़ने से इसमें परिवर्तन आ सकता है।

ऊर्जा की कुल आवश्यकता के आकलन हेतु मूलभूत एवं द्वितीयक आवश्यकता का योग निकालते हैं। एक आम व्यक्ति के लिए गणना करना कठिन है कि वह दिन में कौन-कौन सा काम कितने मिनट कर रहा है और उसे कितनी ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यता है। इसलिए मोटे अनुमान के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं।

900+[शरीर का भार (किग्रा.)x10]=

न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता/दिन

हल्के कार्य के करने वालों के लिए 1.2 गुनी, भारी काम के लिए 1.5 गुनी व अधिक परिश्रम वाले काम के लिये 1.8 गुनी अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। दुबले-पतले व्यक्तियों को 500 कैलोरी अतिरिक्त देते हैं जबकि मोटे लोगों के लिए इतनी कैलोरी की कटौती करते हैं।

भोजन के अवयव :

1.	कार्बोहाइड्रेट्स से	50-60 प्रतिशत कैलोरी
2.	प्रोटीन से	10-20 प्रतिशत कैलोरी
3.	वसा से	20-30 प्रतिशत कैलोरी

पूरे दिन की आवश्यक कुल कैलोरी में से 20 प्रतिशत नाश्ते में, 30 प्रतिशत दोपहर के भोजन में, 30 प्रतिशत रात्रि के भोजन तथा 20 प्रतिशत शाम के नाश्ते व दूध के माध्यम से ली जानी चाहिए।

भोजन में क्या लिया जाए और क्या न लिया जाए? यह उस भोज्य पदार्थ के घटकों व उसके 'ग्लाइसीमिक इन्डेक्स' पर निर्भर करता है जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई भोज्य पदार्थ कितनी शीघ्रता से शर्करा को रक्त में भेजेगा। सर्वाधिक ग्लाइसीमिक इन्डेक्स (100) ग्लूकोज एवं शकर का होता हैं। शहद (87), इडली (80), चपाती, चावल, ब्रेड (70) और दूध दही (33) इसके बाद आते हैं।

यदि आहार में कई विकल्प हों तो कम इन्डेक्स वासले पदार्थ चुनने चाहिए। चिकित्सक मधुमेह रोगियों को आहार तालिका बनाकर देते हैं, जो उनके लिए आवश्यक कैलोरी पर आधारित होती है। उसमें परिवर्तन में सहायता के लिए भोजन की अदला बदली का विवरण नीचे दिया गया है। इसके आधार पर वांछित परिवर्तन किए जा सकते हैं।

भोजन की अदला-बदली :

मधुमेह रोगियों के लिए सदैव एक सा परहेजी भोजन अरूचिकर हो जाता है इसलिये भोजन में अदला बदली करते रहें। यह अवश्य ध्यान रखें कि एक के बदले दूसरे भोज्य पदार्थ की उतनी ही मात्रा लें जिससे ली जाने वाली कैलोरी बराबर रहे। आपकी सहायता हेतु नीचे 100 कैलोरी

प्रदत्त करने वाले पदार्थ की मात्रा कोष्ठक में (ग्राम में) दी जा रही हैं।

अनाज : गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का एवं कच्चा चावल (30)

दालें : मूँग/उड़द/लोबिया/मसूर/राजमा (30)

फल : अमरूद (196), अनार (154), अंगूर नीले (170), आम दशहरी (137), केला गूदा (96), खरबूजा (490), खूबानी (188), जामुन (213), बेर (135), बेलगूदा (73), पका पपीता (313), फालसा (139), लीची (164), लोकाट (233), सपोटा (91), संतरा नागपुर (250), स्ट्राबेरी (233), सेब (180), शरीफा (93), शुष्क खजूर/किशमिश (32)

शुष्क मेवा : अखरोट, बादाम एवं शुष्क गरी (15), पिस्ता (16), काजू एवं मूँगफली (18)

शाक : करेला, कद्दू, बैंगन एवं शिमला मिर्च (400), लौकी (833), परवल (500), अरबी एवं आलू (103), शकरकन्द (75), रतालू (90), फूलगोभी (333), पत्तागोभी (370), ग्वार (167), मटर दाने (109), गाजर (208), चुकन्दर (233), प्याज (181), मैंथी पत्ती (204), पालक (400)

दूध व उससे बने पदार्थ : दूध गाय (150), दूध भैंस (64), दूध बकरी (140), दही (167), छैना गाय (38), छैना भैंस (34), चीज (30), खोया भैंस (24), मक्खन (14), गाय का घी (11)

मांसाहार : मछली भांगर (65), मछली हिल्सा (37), मछली रोहू (103), बछड़े का मांस (88), भैंसा का कन्धा (116), बकरे का मांस (52), अंडा मुर्गी (58), अंडा बतख (55), चिकन करी (45), फ्राइड फिश (60)

पेय पदार्थ (मि.ली.) : चाय (100), कोका कोला (320), बियर (500), ब्रान्डी (37), रम/व्हिस्की/ड्राई जिन (40), हारलिक्स (25), नारियल पानी (410)

तैयार भोज्य पदार्थ : शकर (25), बर्फी या गुलाब जामुन (25), इमरती (20), जलेबी (24), पेठा (60), बालूशाही (21), सूजी हलवा (74), पकौड़ा (50), पूड़ी (40), बादाम हलवा (18), बूंदी लड्डू (15), चिवड़ा तला (23), आलू चिप्स (18), खीर चावल (50), गाजर का हलवा (17)

क्या खाये और क्या न खायें ?

मधुमेह रोगियों को संश्लिष्ट तथा परिशोधित आहार नहीं लेना चाहिए। नैसर्गिक रेशेवाले आहार रोगियों के लिए लाभदायक रहते हैं। इस दृष्टिकोण से दलहन अत्यन्त उपयोगी होते हैं। चना, राजमा तथा अन्य दालों के छिलकों में एक प्रकार का पदार्थ 'गैलेक्टोमैनस' पाया जाता है जो आतों द्वारा शर्करा के अवचूषण को मन्द कर देता है। यह मधुमेह रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है कि वह क्या खाये और क्या न खाएं। आजकल बाजार में सफेद ओट या जई का दलिया मिलता है जिसमें सबसे ज्यादा 12 से 13 प्रतिशत रेशा होता है। इसे 1 : 9 के अनुपात में (ओट : आटा) मिलाकर चपाती बनाई जा सकती है।

सामान्यता : मधुमेह रोगी हेतु खाद्य पदार्थों को तीन वर्गों में रखते हैं।

अ. **जिनसे यथासम्भव पूरा परहेज किया :**

1. शक्कर, गुड़, बूरा, शहद, ग्लूकोज, मिठाइयाँ, चाकलेट, टाफियाँ, मुरब्बा, जैम, जैली आदि
2. आइसक्रीम, कुल्फी, केक, पेस्ट्री, मीठे बिस्कुट आदि।
3. अनन्नास, आम, अंगूर, केला, चीकू, शरीफा, लीची आदि अधिक मीठे फल एवं शुष्क मेवा।
4. शराब तथा कोल्ड ड्रिंक्स आदि।
5. संतृप्त वसा/घी/हाइड्रोजेनेटिड फैट।

ब. **जिन्हें सीमित मात्रा में ले सकते हैं :**

1. सभी प्रकार के छिलकायुक्त अनाज, दालें व चावल।

2. ब्रेड, नमकीन बिस्कुट, दलिया, कार्नफ्लेक्स, चिवडा, मैदा ।

3. फलों में अमरूद, पपीता, मोसम्मी, सन्तरा, सेब, नाशपाती, रसभरी, खूबानी ।

4. आलू, अरबी, शकरकन्द, रतालू, हरी मटर (यथासम्भव कम लें)

5. दूध, दही, पनीर ।

स. **जिन्हें इच्छानुसार किसी भी मात्रा में ले सकते हैं :**

1. बिना शक्कर की चाय, काफी, टमाटर का रस या सूप ।

2. क्रीम निकला हुआ दूध एवं छाछ ।

3. फूलगोभी, पत्तागोभी, पत्तेदार शाक, प्याज, सलाद पत्ता, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर आदि ।

कभी-कभी विशेष इच्छा होने पर या विशेष परिस्थितियों में कोई भी भोज्य पदार्थ थोड़ी मात्रा में लिया जा सकता है परन्तु दूसरे आइटम में उतनी कैलोरी कम करनी होगी । इसमें आप अदला-बदली वाले विवरण की सहायता ले सकते हैं ।

भोजन के बारे में कुछ सामान्य नियम नीचे दिए जा रहे हैं ।

1. सम्पूर्ण भोजन को थोडे-थोडे अन्तराल पर 5-6 किश्तों में लिया जाए ताकि रक्त में धीरे-धीरे अवशोषित हो ।
2. निश्चित समय पर ही नाश्ता व भोजन करें क्योंकि मानव ग्रंथियाँ निश्चित समय पर सक्रिय होकर पाचक रस निकालती हैं ।
3. उपवास न रखें ।
4. भोजन में रेशेदार पदार्थ अधिक मात्रा में लें, चोकरयुक्त आटा व अंकुरित दालें विशेष रूप से उपयोगी होती हैं ।
5. भोजन करने के तुरन्त कोई श्रम वाला कार्य न करें और न ही तुरन्त सो जाएं ।
6. भोजन को मीठा करने के लिये 'एस्परटेम' का प्रयोग कर सकते हैं जो बाजार में 'सुगर फ्री' के नाम से मिलता है ।

शर्करा नियन्त्रित करने वाले आहार :

दैनिक प्रयोग में आने वाले कुछ खाद्य पदार्थ रक्त में शर्करा का स्तर कम करते हैं । इनमें करेला, मैथी तथा लहसुन प्रमुख हैं । करेला में पाया जाने वाला एक यौगिक, पॉलीपैक्टाइड रक्त में शर्करा के नियन्त्रण में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है । भोजन के पूर्व आधा कप करेले का रस पीना बहुत लाभदायक देखा गया है ।

लहुसन में पोटेशियम, सल्फर, जिंक, मैंग्नीज तथा सैलीनियम तत्व पाए जाते हैं जो इन्स्युलिन के निर्माण में सहयोगी बताए जाते हैं । लहसुन की 5-6 कलियाँ खाली पेट या भोजन के साथ चटनी के रूप में लेने से लाभ होता हैं ।

मधुमेह नियन्त्रण में मैथी का प्रयोग आश्चर्यजनक प्रभाव दिखाता है । हैदराबाद स्थित पोषण विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार भोजन से 15-20 मिनट पूर्व 10 ग्राम मैथी बीज का चूर्ण जल या मट्ठा से लेने पर रक्त में शर्करा नियन्त्रित रहती है । मैंथी में उपस्थित प्राकृतिक रसायन कार्टर कास्टीराइड, ट्रिगोनेलनिनकोलिन, फास्फेट लैसीथिन, न्यूक्लियोएल्ब्यूमिन तथा विटामिन डी पाए जाते हैं जो रक्त में शर्करा नियन्त्रण करने में प्रभावशाली भूमिका रखते हैं । 20 ग्राम मैथी दानों को रात्रि में भिगोकर प्रात: उसका पानी पीना तथा बची मैथी को अंकुरित करके चटनी या साग के साथ प्रयोग करना भी उपयोगी पाया गया है ।

सोयाबीन मधुमेह रोगियों के लिये विशेष रूप से लाभदायक पाई गई है । इसमें सोयाफास्फोलिपिड, कोलिन तथा लेसीथिन पाए जाते हैं, जो मधुमेहजन्य तन्त्रिका तन्त्र की विकृतियों को रोकते हैं । अत: यथायम्भव खाने में सोयाबीन का इस्तेमाल लाभदायक रहता है ।

मधुमेह रोगियों के लिए विशेष आटा :

नैसर्गिक रेशे वाले आहार मधुमेह में लाभ पहुँचाते हैं। इसके लिये दलहन के छिलकेयुक्त आहार अच्छे माने जाते हैं । इनमें एक प्रकार का खाद्य रेशा 'गैलक्टोमैनस' पाया जाता हैं, जो आंतों द्वारा शर्करा के अवशोषण की क्रिया को धीमा कर देता हैं । जिससे रक्त में शर्करा का स्तर धीमे-धीमे बढ़ता है जिसे शरीर अच्छी तरह समायोजित कर लेता है ।

मधुमेह रोगियों के लिये गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, मंडुआ, बाजरा, मूंग, मोठ, अरहर, सोयाबीन, चना, कुलथी एवं

राजमा को बराबर भाग में मिलाकर आटा तैयार करते हैं । यदि कोई धान्य या दाल या दलहन अनुपलब्ध हो तब भी उसके बिना ये आटा बनाया जा सकता है । यदि किसी पत्तोदार साग (बथुआ, पालक, चौलाई, मूली या शलजम की पत्ती) को पीसकर आटे में साथ में गूंथकर 3-4 घंटे रख दिया जाए तो उसमें खमीर उठ जाता है और वह अधिक चुपाच्य हो जाता है ।

शारीरिक भार पर नियंत्रण :-मोटापा मधुमह के रोगों में एक है । शरीर का भार उँचाई के आकृत में होता है परन्तु जब भार अनुपात से कम या ज्यादा हो जाता है, तो स्वास्थ्य के लिए गम्भीर समस्या पैदा करता है । सामान्य से अधिक भार को मोटापा कहते हैं । यह मधुमेह, हृदय रोग, जोड़ों के दर्द रोगों को जन्म देता है । ध्यान रहे कि मोटापा को रोका तो जा सकता है, परन्तु एक बार मोटाप आ जाने पर उसे दूर करना अत्यन्त मुश्किल हो जाता है । पेट पर जमा चर्बी (तोद) पूरे शरीर पर जमा चर्बी से अधिक खतरनाक है, और गम्भीर रोगों को जन्म देती है ।

व्यायाम एवं खेलकूद :-किसी प्रकार का श्रम या व्यायाम करते समय कोशिकाओं में ग्लूकोज जलकर ऊर्जा देता है जिससे रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाता है । यह विभिन्न अंगों की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ मोटापा भी कम करता है ।

व्यायाम से तात्पर्य :- प्रातः काल भ्रमण मधुमेह नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय है, इसके अतिरिक्त रक्त चाप, लकवा, उदर विकारों, हृदय व रक्त वाहिनियों से सम्बन्धित रोगों में इससे चमत्कारिक लाभ होता है । 10-12 मिनट में एक किलोमीटर चलना साधारण सैर के अन्तर्गत आता है । आमतौर पर तेज गति से चलना एक अच्छा व्यायाम है । परन्तु व्यायाम प्रतिदिन कम से कम 40 से 45 मिनिट अवश्य करना चाहिए । कुछ लोग बहुत धीमे गति से व्यायाम करते हैं, जिससे वांछित लाभ नहीं मिल पाता है व्यायाम की गति व अवधि ऐसी होनी चाहिए जिससे हृदय गति अपनी अधिकतम सीमा (Maximum heart rate) के 70-85 प्रतिशत एक पहुँच जाएं । मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने के लिए 220 से उम्र घटाते है । इस प्रकार 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिये यह 180 होगा । इस आयु के व्यक्ति को व्यायाम इस गति से करना चाहिए कि हृदय गति प्रति मिनट ना तो इसके 70 प्रतिशत (126) से कम रहे और ना ही इसके 85 प्रतिशत (153) से अधिक हो ।

औषधियों का प्रयोग :–कुछ इस प्रकार की औषधियाँ हैं, जो सीमा चौकी स्तर पर आसानी से उपलब्ध हैं जिनके प्रयोग से मधुमेह को काफी हद तक कम किया जा सकता हैं ।

1. प्रातः काल 1 ग्राम हल्दी का चूर्ण जल से लेना ।
2. चार चम्मच नीम की पत्तियों का रस प्रातः या भोजन से पूर्व लेना ।
3. 100 मि.ली. करेले का रस या 10 ग्राम सूखे करेले का चूर्ण प्रातः या भोजन से पूर्व लेना ।
4. 20 ग्राम मैथी दाना रात में भिगोकर दूसरे दिन उसका पानी पीना तथा दानों को अंकुरित करके पीसकर खाना या 10 ग्राम मैथी चूर्ण खाली पेट या भोजन से पूर्व लेना ।
5. जामुन की गुठलियों का 5-10 ग्राम चूर्ण जल के साथ लेना ।
6. बैगनविलिया की पाँच पत्ती को खाली पेट चबाना।
7. एक-एक खीरा, करेला तथा टमाटर का रस प्रातः खाली पेट लेना ।

(उपरोक्त लेने से पूर्व चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले ।)

मूलमंत्र

- पैदल चलने का कोई भी मौका ना गवाएं ।
- कभी किसी के काम को मना ना करे यथाशक्ति करने का प्रयास करे, इससे आप सबके चाहते बनेंगे व अपने लिए स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं ।
- जो भी दिन भर खाते हैं, उसको लिखने की आदत डाले तथा शाम को सोते समय गणना करे, कि आपने कितनी कैलोरी ली ।
- यथा सम्भव अपना कार्य स्वयं करे, यह न करने से आप अपने लिए बीमारी तथा दूसरे को स्वस्थ्य दे रहे हैं । ■

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

मुख्य कार्यालय आयकर आयुक्त
पो.बॉ. सं. 20 शिलांग-793001 (मेघालय)

मुख्य आयकर आयुक्तालय, शिलांग की विभागीय 'राजभाषा कार्यान्वयन समिति' की वर्ष 2008-2009 की जुलाई-सितंबर, अक्तूबर-दिसंबर, 2008 तथा जनवरी-मार्च, 2009 तिमाहियों की संयुक्त त्रैमासिक बैठक दिनांक 29-4-2009 को सायं 3.30 बजे श्री ए. पी. श्रीवास्तव भ.रा. से., मुख्य आयकर आयुक्त, शिलांग की अध्यक्षता में कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई ।

सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ के जनवरी-मई, 2009 सत्र के लिए कुल 8 कर्मचारियों को नामित किया गया है जो सी जी एम टी केंद्र, शिलांग में आयोजित की जा रही हिंदी कक्षाओं में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि सभी प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि हिंदी कक्षाओं में नामित अधिकारी तथा कर्मचारी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित हों और कक्षा की समाप्ति पर परीक्षा में भी बैठें ताकि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्य प्राप्त किया जा सके साथ ही संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन को पूरा किया जा सके ।

सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि समीक्षाधीन तिमाही की रिपोर्ट सभी सदस्यगण को दे दी गई है। रिपोर्ट को देखने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने यह निदेश दिया कि द्विभाषी फार्म/मानक फार्म आदि का प्रयोग करके सभी अधीनस्थ कार्यालय तथा मुख्यालय के सभी अनुभाग/प्रभाग अधिक से अधिक पत्र हिंदी में भेजें ताकि पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य 55% को प्राप्त किया जा सके।

मुख्य आयकर आयुक्तालय, शिलांग के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन पर चर्चा के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने यह निदेश दिया कि प्रत्येक आयकर आयुक्त के कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाए और प्रत्येक तिमाही में उसकी बैठक आयोजित की जाए । उन्होंने यह व्यवस्था दी कि भविष्य में मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, शिलांग की बैठक में मुख्यालय के सभी अधिकारियों, सभी आयकर आयुक्तों, अपर आयकर आयुक्त (टी.डी.एस.), उप/सहायक आयकर आयुक्त (टी.डी.एस.) तथा सहायक निदेशक (पद्धति) को आमंत्रित किया जाए तथा बैठक में सभी सदस्य भाग लेंगे ।

उन्होंने यह भी व्यवस्था दी कि आयकर आयुक्त के कार्यालय की बैठक में उनके मुख्यालय के सभी अधिकारी, रेंज के अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त तथा सर्कल/वार्ड के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए ।

दूरदर्शन केंद्र, हैदराबाद

दिनांक 22-4-2009 को शाम 4.00 बजे कार्यालय के निदेशक डॉ. पी. मधुसूदन राव की अध्यक्षता में उनके कक्ष में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई ।

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों पर विचार किया गया तथा आश्वासनों को यथा शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए ।

सदस्य सचिव ने बताया कि हमारे कार्यालय में धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में ही जारी किए जा रहे हैं ।

सदस्य सचिव ने बताया कि हमें 55% पत्राचार हिंदी में करना है जबकि हमारे यहां "क" क्षेत्र से 32%, "ख" क्षेत्र से 43%, "ग" क्षेत्र से 25% पत्राचार हिंदी में हो रहा है जो कि वार्षिक कार्यक्रम में बताए लक्ष्य से बहुत कम है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों को निर्देश दिया कि वे अधिक से अधिक कार्य तथा पत्राचार हिंदी में करें जिससे लक्ष्य की प्राप्ती हो सकेगी तथा हमारे

यहां हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के जवाब हिंदी में ही दिए जाते हैं ।

सदस्य सचिव ने बताया कि हिंदी कार्यशाला का आयोजन जून महीने में रखने का विचार है। इस बार राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए अलग-अलग दो-दो द्विवसीय कार्यशाला का अयोजन करना है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक ही कार्यशाला रखी जाए और कार्यशाला में कार्यक्रम और अभियांत्रिकी से संबंधित शब्दों और अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त वाक्यांशों का भी अभ्यास करवाया जाए तो ठीक होगा ।

आकाशवाणी-विशाखापट्टणम

आकाशवाणी केन्द्र, विशाखपट्टणम में दिनांक 17-6-2009 को अपराह्न 4.00 बजे कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्तीय वर्ष 2009-2010 की पहली तिमाही बैठक केंद्र निदेशक महोदया श्रीमती प्रयाग वेदवती की अध्यक्षता में उन्ही के कक्ष में संपन्न हुई ।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही शुरू हुई। सचिव ने पिछली बैठक का कार्यवृत्त पढ़कर सुनाया तथा समिति को लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी दी। इसके साथ ही पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने के पश्चात् इस बैठक की कार्यसूची के विभिन्न मदों पर विस्तार से चर्चा हुई ।

सदस्य सचिद ने समिति को सूचित किया कि कार्यालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूरा-पूरा अनुपालन हो रहा है और इस संदर्भ में किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस पर समिति ने हर्ष प्रकट किया और अधीक्षण अभियंता महोदय ने कहा कि इसी तरह आगे भी धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी कागजात द्विभाषी में ही जारी किए जाएं ।

समिति को याद दिलाया गया कि राजभाषा नियम-5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब केवल हिंदी में ही दिया जाना अनिवार्य है और पिछली तिमाही के दौरान कार्यालय इसका शत-प्रतिशत अनुपालन करने में सफल रहा है ।

सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि कार्यालय से हिंदी में पत्राचार हेतु निर्धारित 55 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के पूरे प्रयास जारी हैं। तिमाही के दौरान 'ख' क्षेत्र से पूरा पत्राचार द्विभाषी में ही किया गया जबकि 'क' और 'ग' क्षेत्र से किए गए पत्राचार में आमूल वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषकर 'ग' क्षेत्र से अत्यधिक, यानि 53 प्रतिशत पत्राचार द्विभाषी में किया गया ।

समिति को ज्ञात कराया गया कि फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियां लिखने वालों की संख्या बढ़ी है लेकिन इसमें और इजाफे की जरूरत है । अध्यक्ष महोदया ने सुझाव दिया कि बने-बनाए द्विभाषी टिप्पणियों का एक चार्ट सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाए ताकि वे इनका प्रयोग अपने दैनंदिन काम-काज में कर सकें ।

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-2, जम्मू

उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-2, जम्मू की 32वीं बैठक श्री अश्वनी जैन, कार्यपालक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र-2 एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में दिनांक 23 जून, 2009 को (अपराह्न) 4.30 बजे कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई ।

पिछली बैठक के मदों पर की गई कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा हुई। तत्पश्चात् इसकी पुष्टि की गई ।

केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन व बढ़ावा देने के कार्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन (उत्तर) कार्यालय द्वारा वर्ष 2007-2008 के लिए उ.क्षे. पा.प्रा.-2 के क्षेत्रीय मुख्यालय, जम्मू को द्वितीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय मुख्यालय, जम्मू कार्यालय को विगत चार वर्षों से लगातार पुरकृत किया जा रहा है ।

वार्षिक कार्यक्रम 2009-2010 नेट में उपलब्ध होने के पश्चात् दिनांक 28 अप्रैल, 2009 को उत्तरी क्षेत्र 2 के अधीनस्थ स्थल कार्यालयों में एक समयबद्ध कार्यक्रम, वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुपालन/कार्यान्वयन हेतु वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी

वार्षिक कलैण्डर बनाकर प्रेषित किया गया। इसके साथ ही राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2009-10 के संबंध में rajbhasha.govt.in पर उपलब्धता के बारे में भी जानकारी दी ।

इस संबंध में सदस्य-सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया कि हमारा कार्यालय "ग" क्षेत्र में स्थित है एवं "ग" क्षेत्र में सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति हेतु निम्नलिखित निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई :

(i)	हिंदी में पत्राचार	= 55 प्रतिशत
(ii)	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	= 100 प्रतिशत
(iii)	हिंदी में टिप्पण	= 30 प्रतिशत
(iv)	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	= 100 प्रतिशत
(v)	हिंदी पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकें खरीदने हेतु कुल अनुदान में से खर्च का प्रतिशत	= 50 प्रतिशत
(vi)	कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रानिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	= 100 प्रतिशत
(vii)	वेबसाइट (द्विभाषी)	= 100 प्रतिशत
(viii)	निरीक्षण	= 25 प्रतिशत
(ix)	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें	= वर्ष में चार बैठकें

हिंदी में सरकारी काम-काज को बढ़ावा देने के लिए एवं कार्य में समानता लाने के लिए सदस्य सचिव ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से अनुरोध किया कि कार्य में समानता लाने के लिए समस्त कंप्यूटरों में मंगल फॉण्ट संस्थापित करने की व्यवस्था करें । इस विषय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि समस्त कंप्यूटरों में शीघ्र ही मंगल फॉण्ट संस्थापित करने की व्यवस्था कर दी जाएगी ।

कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरुकता तथा हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय मुख्यालय, जम्मू एवं इसके अंतर्गत विभिन्न स्थल कार्यालयों में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है और पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों, बच्चों एवं कर्मचारियों के जीवन साथियों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है । सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि 14-28 सितम्बर, 2009 को भी हिंदी पखवाड़े के आयोजन का भी सुझाव है, इस पर समिति ने एक मत होकर हिंदी पखवाड़ा का आयोजन करने को कहा ।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, संबलपुर

दिनांक 25 जून, 2009 को महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई । श्री एस.आर. उपाध्याय, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल ने बैठक की अध्यक्षता की ।

अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी की महत्ता एवं अपेक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के साथ-साथ आज जन-जन की भाषा बनी हुई है इसमें कार्यालय का कार्य करना हमारा संवैधानिक दायित्व है । हिंदी बोलना या इसमें काम करने में हमें आत्महीनता महसूस नहीं करनी चाहिए बल्कि आगे बढ़कर इसे अपनाना चाहिए। सम्मानित अतिथियों ने भी राजभाषा की महत्ता पर अपने उदार व्यक्त किए। बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय ने बैठक में ही अपनी स्वरचित दो पंक्तियों की एक प्रेरणादायक कविता सुनाकर अपने आंशु कवि हृदय का परिचय दिया जो निम्न प्रकार है :

"भाषा तो ऐसी होती है, जो बोलें और समझे सभी।

जब उपयोग करें कार्यस्थल पर, उन्नति होगी तभी।।"

श्री बी.सी. त्रिपाठी, महाप्रबंधक (प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान/राजभाषा) द्वारा अतिथियों का स्वागत किए जाने के पश्चात् श्री उदय नाथ बेहेरा, उप प्रबंधक (राजभाषा) ने पिछली बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट विस्तृत रूप से प्रस्तुत की ।

डॉ हरिश्चंद्र शर्मा, हिंदी प्राध्यापक ने एमसीएल में भाषा प्रशिक्षण को कारगर ढंग से लागू करने हेतु कई

महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में मार्च, 2009 तिमाही की राजभाषा रिपोर्ट पर गहन चर्चा हुई एवं कई अहम निर्णय लिए गए।

मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर क्षेत्र

मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर क्षेत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 17 जून, 2009 को 3.15 बजे बाद दोपहर आयकर आयुक्त, अमृतसर-1 (राजभाषा अधिकारी) श्री जी.आर. सूफी की अध्यक्षता में उन्हीं के कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई, इस बैठक में श्री डी.पी. शर्मा, आयकर आयुक्त अमृतसर-2 विशेष रूप से शामिल हुए।

बैठक की कार्यसूची के अनुसार निम्नलिखित कार्यवाही की गई :-

क-राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की संक्षिप्त सूचना प्रस्तुत की गई तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हर संभव कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया।

ख-संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के आठवें खंड में जारी की गई सिफारिशों में से अमृतसर क्षेत्र से संबंधित सिफारिशों की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई तद्नुसार अनुवर्ती कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।

ग-31-3-2009 को समाप्त तिमाही के बारे अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा के दौरान पाई गई कमियों को दूर किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

घ-समिति की 18 मार्च, 2009 को आयोजित तिमाही बैठक में किए गए निर्णयों की समीक्षा की गई।

बैठक के अंत में हिंदी पत्राचार को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए :-

(क) कार्यालय प्रशासन संबंधी सभी आदेश हिंदी में द्विभाषी जारी किए जाएं।

(ख) कार्यालय द्वारा जारी होने वाली सभी रिपोर्टों, परिपत्रों के अग्रेषण-पत्र केवल हिंदी में जारी किए जाएं।

(ग) जन शिकायतें संबंधी सभी रिपोर्टें हिंदी में प्रेषित की जाएं।

(घ) सभी वित्तीय स्वीकृतियां/प्रशासनिक अनुमोदन हिंदी में जारी किए जाएं।

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थिति सदस्यों से अनुरोध किया कि राजभाषा विभाग भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 के लिये जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपने स्तर हर संभव प्रयास किए जाएं।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, गाजियाबाद

1 जुलाई, 2008 से 30 सितंबर, 2008 तक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की हिंदी प्रगति की तिमाही बैठक दिनांक 9-1-2009 को सांय 4.30 बजे से श्री के. जे. चौधरी, आयुक्त महोदय (विभागाध्यक्ष पदेन) राजभाषा कार्यान्वयन समिति संरक्षक की अनुमति से अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा आयुक्तालय, गाजियाबाद के मण्डलों एवं शाखाओं से प्राप्त माह 1 जुलाई, 2008 से 30 जुलाई, 2008 तक की 'हिंदी तिमाही प्रगति' आख्याओं की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। इन 'हिंदी तिमाही प्रगति' आख्याओं के समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम 2008-09 के द्वारा निर्धारित शतप्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष आयुक्तालय, गाजियाबाद में हिंदी में कार्य की प्रगति का प्रतिशत इस तिमाही 78.6 रहा है, जो कि पिछले तिमाही 83.7 प्रतिशत से 5.1 प्रतिशत कम रहा है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने असंतोष व्यक्त करते हुए उपस्थित शाखा प्रभारियों एवं मंडल प्रभारियों को यह निर्देश दिया कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा शासकीय कार्य हिंदी में करने के निर्धारित शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरन्तर प्रयास किए जाते रहने चाहिए तथा जिन शाखाओं में हिंदी कार्य का प्रतिशत 80 प्रतिशत से कम या उनके पिछली तिमाही से कम हो गया है, वे अगली तिमाही में इसमें आवश्यक रूप से संतोषजनक सुधार करें। इस संबंध में संबन्धित शाखा प्रभारियों/मंडल प्रभारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि अगली तिमाही में और भी बेहतर परिणाम

दिया जाएगा तथा प्राप्त निर्देशों व सुझावों का पालन किया जाएगा ।

उपरोक्तानुसार प्राप्त माह 1 जुलाई, 2008 से 30 सितम्बर, 2008 तक की हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य शतप्रतिशत प्राप्त करने हेतु अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं तथा अपने अधीनस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को उचित व आवश्यक दिशा-निर्देश व मार्गदर्शन करते हुए उन्हें निरन्तर प्रेरित करते रहें, जिससे अपेक्षित शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें ।

आकाशवाणी शिमला की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जून, 2009 को समाप्त तिमाही की बैठक दिनांक 9-6-09 को अपराह्न 3.00 बजे केंद्र निदेशक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

आकाशवाणी-शिमला

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया और पिछली बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा की गई । अध्यक्ष महोदय द्वारा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के आह्वान के उपरान्त निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई ।

1. **राजभाषा नियम 1976 के नियम-10(4) का अनुपालन :** आकाशवाणी शिमला उक्त नियम के अधीन अधिसूचित है तथा सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि केन्द्र के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अधिक से अधिक सरकारी कार्य हिंदी में करें ।
2. **सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां हिंदी में लिखना :** इस मुद्दे पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी ने बैठक में उपस्थित सदस्यों को सूचित किया कि इस नियम का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है ।
3. **हिंदी कार्यशाला का आयोजन :** राजभाषा विभाग के नियमानुसार प्रत्येक तिमाही में हिंदी पर एक कार्यशाला का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय ने जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में इसी तरह की एक कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए ।
4. **हिंदी पत्राचार :** अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त किया कि केंद्र द्वारा सभी पत्राचार प्राय: हिंदी में ही किए जा रहे हैं और हिंदी में प्राप्त होने वाले पत्रों का प्रतिशत भी बढ़ रहा है, जिसे बनाए रखने की आवश्यतकता पर बल दिया गया ।
5. **हिंदी प्रशिक्षण :** इस संबंध में सदस्य सचिव ने सूचित किया कि पिछले वित्तीय वर्ष में एक लिपिक ने हिंदी टंकण में प्रशिक्षण प्राप्त किया जिन्हें निदेशालय के आदेशानुसार कार्यालय में आयोजित होने वाले किसी समारोह में प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। परन्तु इस वर्ग में अभी भी छ: लिपिकों को हिंदी टंकण में प्रतिक्षित किया जाना शेष है। इस मुद्दे को अध्यक्ष महोदय ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि इन लिपिकों को समय-सारणी निधारित करके शीघ्र प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जाए।
6. **कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करना :** सदस्य सचिव ने सूचित किया कि कार्यालय के सभी कंप्यूटरों में हिंदी से संबंधित सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का आवाहन किया कि इस सॉफ्टवेयर का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक काम हिंदी में करें।
7. **राजभाषा कार्यान्वयन हेतु सदस्यों के सुझाव :** सभी उपस्थित सदस्यों ने एक मत से राय व्यक्त की कि हिंदी एकक में रिक्त पड़े सभी पदों को भरने हेतु निदेशालय से निवेदन किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस संबंध में निदेशालय से पहले भी मामला उठाया गया है तथापि सदस्य सचिव को फिर से संबंधित अनुसमरण तैयार करने के निर्देश दिए।

दूरदर्शन केंद्र-नई दिल्ली

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 28-4-09 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य निर्माता श्री एस.एल. कंडारा की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

हिंदी अधिकारी ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया और इसके उपरांत निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई :–

– केंद्र में उपलब्ध प्रेषण पंजी से पत्राचार संबंधी आंकड़े प्राप्त कर मासिक तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाता है इसमें दिए गए तथ्यपूर्ण आंकड़े विभिन्न अनुभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाते हैं। हिंदी अधिकारी द्वारा प्रशासन एवं लेखा अनुभाग से कम संख्या में हिंदी में पत्र प्रेषित किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई। अध्यक्ष महोदय ने भी इस संबंध में चिंता प्रकट की और संबंधित अनुभागों में यथाशीघ्र हिंदी पत्रों के प्रेषण में वृद्धि संबंधी निर्देश दिया।

– हिंदी अधिकारी ने विभिन्न अनुभागों में प्रयोग में लाए जाने वाले नए शब्दों, विशेष रूप से तकनीकी शब्दों, को शब्दावली हेतु राजभाषा एकांश को उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया। दूरदर्शन महानिदेशालय से आमंत्रित सदस्य सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री रमेश चंद्र बंसल जी ने कहा कि शब्दावली निर्माण में महानिदेशालय से विशेष रूप से राजभाषा एकांश से सहयोग लिया जाए और प्रकाशन पूर्व उसकी प्रेस प्रति वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली अनुभाग से प्रमाणित करवा ली जाए। समिति के सभी सदस्यों में श्री रमेश चंद्र बंसल के इस प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा कि महानिदेशालय के राजभाषा एकांश के मार्गदर्शन में शब्दावली निर्माण से यह और अधिक उपयोगी हो सकेगा।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–द्वितीय म.प्र. ग्वालियर की त्रैमासिक बैठक दिनांक 27-4-09 को अपरान्ह 4.30 बजे कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री कर्ण सिंह वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन महोदय द्वारा की गई।

सर्वप्रथम समिति के समक्ष गत तिमाही बैठक दिनांक 5-2-2009 के कार्यवृत्त का वाचन किया गया। यह कार्यवृत्त सर्व-समिति से स्वीकार किया गया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सहायक लेखा अधिकारी/हि.क. 2 ने दिनांक 5-2-09 को सम्पन्न राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्यवाई से समिति को अवगत कराया।

इस तिमाही के दौरान कार्यालय में 16756 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए। सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए। कार्यालय द्वारा जारी किए गए पत्रों की कुल संख्या 30466 रही। इस तिमाही में कुल 13718 टिप्पणियां हिंदी में लिखी गई। फाइलों पर संदर्भ तथा शीर्षक भी हिंदी में लिखे गए। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए गए कागजातों की संख्या 08 रही।

बैठक में चर्चा की गई कि मत तिमाही में 'क' क्षेत्र को जारी किए 06 पत्र विषयक अनुभाग संबंधित से जानकारी ली जाए तथा भविष्य के लिए पत्र हिंदी में भेजने हेतु उसे निर्देशित किया जाए। साथ ही रिपोर्ट में टिप्पणियों की कुल संख्या का योग हिंदी में लिखी जाले वाली टिप्पणियों की संख्या एवं अंग्रेजी में लिखी जाने वाली टिप्पणियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि अनुभागों के निरीक्षण के समय नस्तियों में लिखी जाने वाली टिप्पणियों के विषय में सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाए कि टिप्पणियाँ स्वच्छ एवं सुपाठ्य होना चाहिए एवं भाषा के स्तर पर उनका आशय भली-भांति अर्थ-संप्रेषण होता हो। अतः सभी अनुभाग अनुपालन सुनिश्चित करें।

हिंदी पत्राचार के विषय में विचार-विमर्श किया गया। अध्यक्ष महोदय ने निदेर्शित किया कि पत्रों के प्रारूप का गेट-अप संतुलित तथा सुंदर होना चाहिए। इस विषय में यह भी सुझाव दिया गया कि पत्रों के प्रारूप को और अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए नमूने के रूप में अर्थशासकीय पत्र, एवं साधारण पत्र के प्रारूपों की छाया प्रतियां अनुभागों को अवलोकनार्थ प्रेषित की जाएं।

भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई

भिलाई इस्पात संयंत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 93वीं बैठक कार्यकारी प्रबंध निदेशक श्री तपन कुमार गुप्त की अध्यक्षता में प्रबंध निदेशक सभागार में 19 जून, 2009 को संपन्न हुई।

इस बैठक में संयंत्र के कार्यपालक निदेशक (संकार्य) श्री अशोक कुमार एवं कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन) श्री शिवनंदन प्रसाद सिंह को अध्यक्ष महोदय द्वारा राजभाषा उन्नायक सम्मान-2008 से अलंकृत किया गया। श्री तपन कुमार गुप्त ने संयंत्र की राजभाषा गृहपत्रिका 'भिलाई भाषा भारती' के स्वर्ण जयंती अंक का विमोचन करते हुये कहा कि ऐसी पत्रिकाओं से राजभाषा का प्रेरक वातावरण निर्मित होता है।

सभा को संबोधित करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्री तपन कुमार गुप्त ने कहा कि हमारा संयंत्र 'क' क्षेत्र में स्थित है, जहां कार्यालय का कामकाज शत-प्रतिशत हिंदी में होना चाहिए। इस लक्ष्य को पाने में आप सभी के सहयोग से ही हम 89 प्रतिशत तक पहुंचे हैं। इस दिशा में हमें और मेहनत करनी है ताकि भारत सरकार के वार्षिक लक्ष्य 2009-10 के अनुरूप शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में सम्पादित कर सके। श्री वेदप्रकाश सिंह ने भिलाई इस्पात संयंत्र में राजभाषा अनुपालन पर गहन संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यहां हिंदी के प्रति वरिष्ठ अधिकारियों की गम्भीरता अनुकरणीय है।

प्रारम्भ में सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री अशोक सिंघई ने सभापटल पर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें विगत तिमाही में सम्पादित कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने बैठक में वर्ष 2008-09 की गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर हाई-टेक प्रस्तुतिकरण भी दिया तथा सदन को 'सेल-स्तरीय क्विज प्रतियोगिता के संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि दिसम्बर, 2009 में प्रस्तावित 'सेल' स्तरीय राजभाषा संगोष्ठी के अवसर क्विज प्रतियोगिता के पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे। सदन ने विगत बैठक में सुनिश्चित किए गए कार्य बिन्दुओं के शत-प्रतिशत अनुपालन पर संतोष व्यक्त किया।

मुख्य आयकर आयुक्त, हरियाणा क्षेत्र, पंचकूला

मुख्य आयकर आयंक्त, हरियाणा क्षेत्र, पंचकूला की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 25-6-2009 को 12.00 बजे श्री कैसर शमीम, माननीय मुख्य आयकर आयुक्त, पंचकूला की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। सदस्य सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक दिनांक 26-3-2009 को आयोजित की गई थी जिसके कार्यवृत्त इस कार्यालय के दिनांक 21-4-2009 के पत्र द्वारा समिति के सभी सदस्यों व संबंधित कार्यालयों को भेज दिए गए थे। इस पर समिति के किसी भी सदस्य द्वारा कोई सुझाव अथवा टिप्पणी न दिए जाने पर कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

पिठली बैछक के कार्यवृत्त की पुष्टि के उपरांत अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह बैठक मात्र औपचारिकता नहीं है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक तिमाही की बैठक तिमाही समाप्त के आखिरी दिनों में न करके पहले ही की जानी चाहिए। इस पर सदस्य सचिव ने आश्वासन दिया कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बैठक तिमाही के दौरान ही कर ली जाए।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के प्रयास ज़ारी रखे जाएं तथा समिति के सदस्यों से यह भी कहा कि ऐसे पत्र जिन्हें हिंदी में जारी करना संभव हो उन्हें हिंदी में ही जारी किया जाए और यदि ऐसे पत्रों को जारी करने में अनुवाद की आवश्यकता हो तो हिंदी अनुभाग से अनुवाद करने के लिए संपर्क किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि हिंदी अनुभाग अनुवाद एवं टाइप कराके अतिशीघ्र पत्रों को संबंधित अधिकारी/अनुभाग को उपलब्ध कराएगा।

इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर भी बल दिया कि सरकारी कामकाज में सरल भाषा का प्रयोग किया जाए तथा क्लिष्ठ (कठिन) शब्दों का प्रयोग न किया जाए और हिंदी के पत्रों को लिखते समय अथवा नोटिंग करते समय हिंदी के सरल शब्दों का प्रयोग करने के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी शब्दों को भी हिंदी में लिखकर प्रयोग में लाया जा सकता है।

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, 16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-1

नव गठित भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लि. निगम के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक श्री एम. एस. राणा की अध्यक्षता में 2-6-2009 को निगम मुख्यालय

की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय सहित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यालय सहित सभी इकाईयों के राजभाषा विषयक प्रगति कार्यों का विवरण दिया गया। 31 मार्च 2009 से समाप्त तमाही की प्रगति की समीक्षा की गई।

अध्यक्ष महोदय ने भारत सरकार की राजभाषा नीति को प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भाव के साथ कार्यान्वित करने के लिए एक ओर जहां वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त करने का आव्हान किया वहीं निगम मुख्यालय में सभी प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने, हिंदी कार्यशालाओं का नियमित आयोजन हेतु निर्देश दिए जिससे राजभाषा विषयक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी पूरा लाभ उठाया जा सके ।

निगम मुख्यालय के लगभग 90 प्रतिशत अधिकारी एवं कर्मचारी नए-नए हैं । अत: उन्हें भारत सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराने के लिए शीघ्र ही पूर्णकालिक कार्यशाला चलाई जाएगी ।

श्री राणा ने कहा हिंदी हमारी जनभाषा है राजभाषा है इसे अपनाना, हमारा कर्त्तव्य है। हिंदी में कार्य करना गौरवपूर्ण है । अत: हम सबको सहज, सरल, बोल-चाल की जनभाषा हिंदी में निगम का कामकाज करना चाहिए ।

पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (मुराकास)

मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 19-3-2009 को मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य मालभाड़ा परिवहन प्रबंधक, श्री रण विजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 31-12-08 को समाप्त तिमाही अवधि में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री ईश्वर चन्द्र मिश्र ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि समय-समय पर आयोजित इन बैठकों द्वारा हम अपने क्रियाकलापों का सही मूल्यांकन कर पाते हैं। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि अपने विभागों से जारी होने वाले धारा 3(3) से संबंधित सभी दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करें एवं उसे एक फोल्डर में अनिवार्य रूप से अनुरक्षित कराएं। निरीक्षण रिपोर्ट में राजभाषा के प्रयोग संबंधी पैरा तथा विभागीय बैठकों की कार्यसूची में राजभाषा संबंधी मद अवश्य शामिल करें। विभागों में स्थापित कंप्यूटरों के माध्यम से निष्पादित होने वाले कार्यों में हिंदी प्रयोग की मात्रा बढ़ाई जाएं ।

बैठक में अपने अध्यक्षीय संबोधन में मुख्य राजभाषा अधिकारी, श्री रणविजय सिंह ने सभी सदस्यों से कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार के क्षेत्र में रेलवे बोर्ड द्वारा सौंपे गए कार्यों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि हमारी त्रैमासिक पत्रिका "रेल रश्मि" दो दिन पहले आई, यह पत्रिका विषय वस्तु के क्षेत्र में बेहतर है । इसके लिए उन्होंने राजभाषा विभाग के सभी कर्मचारियों को बधाई दी । उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि अपने कार्यालयों से या स्वयं द्वारा लिखी कविताएं एवं लेख दें जिसे अगले अंक में मुद्रित कराया जा सके, इसकी निरंतरता बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा । उन्होंने कहा कि इस बार की पत्रिका पिछले अंकों की तुलना में बेहतर प्रकाशित हुई हैं । मैं आशा करता हूं कि इसमें निरंतर सुधार होता रहेगा । सभी विभागों की वेबसाइट द्विभाषी बनने के लिए उन्होंने सभी विभागों को बधाई दी ।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (राकासा) की बैठक निदेशक, भापेसं के गोष्ठी-कक्ष में दिनांक 20-4-2009 को अपराह्न 3.00 बजे डॉ. एम ओ गर्ग, निदेशक, भापेसं की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। इसके उपरांत पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के साथ-साथ बैठक की कार्य-सूची पर क्रमवार चर्चा प्रारंभ हुई :

डॉ. दिनेश चमोला, सदस्य सचिव, राकास ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के आधार पर 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों को किए जाने वाले पत्राचार में और वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्राय: सभी अनुभाग/प्रभागों में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्राप्त टंकक/आशुलिपिक उपलब्ध है। सभी के सामूहिक सहयोग

से इसके अपेक्षित लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। श्री ए. के. राजदान, प्रशासन नियंत्रक ने कहा कि फाइलों में टिप्पणियों तथा हिंदी पत्राचार में बराबर बढ़ोतरी हो रही है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉ. एम. ओ. गर्ग, निदेशक एवं अध्यक्ष राकास तथा अन्य सभी सदस्यों ने भविष्य में इसमें अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

सदस्य सचिव ने समिति को अवगत कराया कि निदेशक महोदय की गहन अभिरुचि के फलस्वरूप वर्ष 2009 से राजभाषा अनुभाग ने सामान्य प्रकार की अन्य गतिविधियों के साथ-साथ संस्थान के वैज्ञानिकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 'राजभाषा हिंदी विषयक विशिष्ट व्याख्यानों' का निर्णय लिया था। इसके अनुपालन में 27-3-2009 को देश के प्रख्यात पत्रकार एवं साहित्यकार श्री हिंमाशु जोशी का व्याख्यान आयोजित किया गया। इस व्याख्यान में संस्थान के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया और श्री जोशी के विद्वतापूर्ण व्याख्यान का लाभ उठाया। इस पर डॉ. गर्ग, अध्यक्ष 'राकास' ने राजभाषा अनुभाग को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि इस प्रकार के प्रेरक व्याख्यान संस्थान में हिंदी के व्यावहारिक कार्यान्वयन हेतु निरंतर आयोजित किए जाने चाहिए।

सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि राजभाषा अनुभाग द्वारा संस्थान में प्रयंक्त होने वाले समस्त प्रपत्रों/आरूपों को हिंदी/द्विभाषी रूप में अनूदित कर संबंधित अनुभागों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं । समय-समय पर उनमें हिंदी में प्रविष्टियां करने संबंधी परिपत्र जारी करने के बावजूद भी कुछ प्रपत्रों में प्रविष्टियां अंग्रेजी में की जाती है जो राजभाषा नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने सभी से अपेक्षा की कि हिंदी के प्रपत्रों पर अनिवार्य रूप में प्रविष्टियां हिंदी में ही की जाएं ताकि दैनिक काम-काज में अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की।

सदस्य सचिव डॉ. चमोला ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि संस्थान आज सूचना-प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग कर रहा है और संस्थान की अपनी एक वैबसाइट भी है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संस्थान की वैबसाइट हिंदी में भी होनी चाहिए ताकि देश के हिंदी पाठक भी इससे लाभान्वित हो सके। इसको मद्देनजर रखते हुए संस्थान में 'यूनिकोड' प्रणाली संबंधी सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन निकट भविष्य में किया जाना प्रस्तावित है । इस प्रणाली के लग जाने से संस्थान की वैबसाइट में हिंदी संबंधी विवरण बिना किसी हिंदी फॉन्ट की सहायता से आसानी से पढ़ा जा सकेगा । इस पर चर्चा करते हुए डॉ. एम ओ गर्ग, निदेशक एवं अध्यक्ष 'राकास' का कहना था कि यदि इस सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन सभी प्रयोक्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इसके क्रय पर विचार किया जा सकता है । इस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की ।

सदस्य सचिव डॉ. चमोला ने बताया कि संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों पर सतत आवश्यक कार्रवाई की जानी आवश्यक है। कुछ बिंन्दुओं का अनुपालन किया जा चुका है जबकि कुछ पर सभी के समम सहयोग के आधार पर ही लक्ष्य प्राप्ति संभव है। सभी के ध्यानाकर्षण एवं आवश्यक अनुपालन हेतु इन बिंदुओं को समीक्षार्थ तिमाही रिपोर्ट की स्थायी मद के रूप में रखा गया है। डॉ. एम. ओ. गर्ग, निदेशक एवं अध्यक्ष राकास ने इसमें हर संभव सहयोग प्रदान कर कमियों को दूर करने हेतु सभी संबंधितों का आह्वान किया । सभी उपस्थित सदस्यों ने आगामी निरीक्षणों तक कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया ।

एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, सैक्टर-33 फरीदाबाद

निगम मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2009-10 की तीसरी तिमाही बैठक का आयोजन माननीय अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18-6-2009 को किया गया ।

माननीय अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय ने निगम की राजभाषा पत्रिका 'राजभाषा ज्योति' के छमाही अंक के प्रकाशन के लिए राजभाषा विभाग को बधाई दी और इसके प्रयासों की प्रशंसा की । अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर करने तथा सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कारगर उपाय करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि हमारे उच्च अधिकारी जब भी क्षेत्रीय कार्यालयों/पावर स्टेशनों/परियोजनाओं का दौरा करें, तो वहां राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी भी अवश्य प्राप्त करें । इससे राजभाषा कार्यान्वयन के प्रचार-प्रसार में मदद मिलेगी ।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

गान्तोक, सिक्किम

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गान्तोक की तैतींसवी व वर्ष 2009-2010 की प्रथम छमाही बैठक दिनांक 15 जून, 2009 को 1.00 बजे (पूर्वाह्न में) केंद्रीय लोक निमार्ण विभाग के सेमिनार हॉल में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता श्री अनुप फ्रिंसिंग डुंगडुंग, उप महालेखाकार, सिक्किम ने की । बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के निदेशक (कार्यान्वयन), श्री चन्द्र प्रकाश एवं उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी के श्री अजय कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे ।

बैठक की कार्यवाही का संचालन राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना के प्राध्यापक श्री दिनेश सिंह ने किया । श्री दिनेश सिंह ने हिंदी प्रशिक्षण (प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ) तथा कंप्यूटर/टाइपिंग प्रशिक्षण के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी ।

श्री प्रणव कुमार दास, नराकास दफ्तर के सम्पर्क अधिकारी ने नराकास की ओर से अपने स्वागत भाषण में बैठक में बड़ी संख्या में अधिकारियों के पधारने व नराकास के साथ सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया । साथ ही उन्होंने हिंदी छमाही प्रगति प्रतिवेदन का सभी कार्यालयों से समय पर भेजने का अनुरोध भी किया ।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी ने गत वर्ष 2009 में नराकास आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों के विवरण एवं गत बैठक के कार्यवृत, वार्षिक कार्यक्रम व हिंदी तिमाही प्रगति प्रतिवेदन इत्यादि पर परिचर्चा की । उन्होंने हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी और हिंदी के प्रति झिझक छोड़कर कार्यालय के काम-काज में निरन्तर प्रयास बढ़ाने का सुझाव दिया ।

इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न कार्यालयों से पधारे अधिकारियों से मुख्य धारा का काम पूर्णत: हिंदी में करने का आह्वान किया । उन्होंने उपस्थित सदस्यों से हिंदी के प्रगामी प्रयोग में आने वाली समस्याओं को सुना और उन्हें दूर करने के उपाय अवगत कराए तथा इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक कार्यालय नियमित रूप से हिंदी कार्यशाला का आयोजन करें । उन्होंने बताया कि इन कार्यशालाओं में कार्यलयीन कामकाज का अभ्यास कराने से हिंदी में काम करना सहज होगा ।

श्री अनुप फ्रिंसिस डुंगडुंग, उप महालेखाकार, सिक्कम ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बैठक में अधिक उपस्थिति पर संतोष जताया । उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में नराकास के बैनर तले विभिन्न हिंदी कार्यक्रमों द्वारा हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ेगा और सभी सदस्य कार्यालयों का आपसी सम्पर्क व सहयोग बढ़ता जाएगा ।

मुख्य अतिथि श्री चन्द्र प्रकाश, निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, नई दिल्ली ने अपने भाषण में नराकास, गान्तोक के सभी सदस्य कार्यालयों को उत्साहपूर्वक हिंदी काम-काज करने के बारे में सन्तोष प्रकट किया । उन्होंने अधिकारियों को हिंदी के प्रति अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाने पर बल दिया उन्होंने कहा हममें हिंदी के प्रति दायित्वबोध भी होना चाहिए तभी यह राजभाषा की भूमिका में सफल होगी । इसके पश्चात् उनके द्वारा नराकास, गान्तोक की तरफ से राजभाषा कार्यान्वयन के निष्पादन के आधार पर उत्तम कार्यालयों को पुरस्कृत भी किया गया जिसमें प्रथम पुरस्कार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (85%) को, द्वितीय पुरस्कार महालेखाकार, गान्तोक (80%) को एवं तृतीय पुरस्कार (79%) बी.एस.आई. को दिया गया । इसके साथ ही एन.एच.पी.सी. (NHPC)तिस्ता चरण-प्रांत, गान्तोक को वित्तीय वर्ष 2008-09 में अधिक सहयोगी सदस्य कार्यालय के रूप में विशेष शील्ड प्रदान की गई । इसके बाद गत सम्मेलन 26 व 27 फरवरी, 2009 में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 24 प्रतिभागियों को नराकास द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया ।

कोलकाता

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता की 47वीं बैठक दिनांक 28-5-2009 को अपराह्न 3.30 बजे मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स के सम्मेलन कक्ष, 15बी, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता में आयोजित की गई । बैठक

की अध्यक्षता संयोजक बैंक युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री टी. एम. भसीन ने की ।

बैठक में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के स्थानीय क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के उप निदेशक, उप निदेशक (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना तथा केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् के संयोजक आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित थे ।

बैठक के प्रारंभ में संयोजक बैंक के महाप्रबंधक (योजना एवं प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र) श्री आर. के. महांति ने समिति के अध्यक्ष महोदय, आमंत्रित अतिथियों तथा सदस्य कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं राजभाषा अधिकारियों का स्वागत करते हुए समिति की सदस्य सचिव तथा संयोजक बैंक के राजभाषा विभाग की मुख्य प्रबंधक श्रीमती रीता भट्टाचार्य से बैठक का संचालन कार्यसूची की मदों के अनुसार करने के लिए अनुरोध किया । अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव ने आगे की कार्यवाही कार्यसूची की मदों के अनुसार प्रारंभ की :

समिति की 31-10-2008 को संपन्न 46वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई ।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई निम्नरूप से प्रस्तुत की गई :

(i) समिति के तत्वावधान में आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता (2007-08) के विजेता सदस्य कार्यालयों को समिति के अध्यक्ष महोदय के कर कमलों द्वारा आगे बताए अनुसार पुरस्कृत किया गया ।

क श्रेणी में : युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को शील्ड, पंजाब नेशनल बैंक को कप, इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक को श्रेष्ठता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए ।

ख श्रेणी में : केनरा बैंक को शील्ड, विजया बैंक को कप, सिंडीकेट बैंक, आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कार्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया को श्रेष्ठता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए ।

ग श्रेणी में : नाबार्ड को शील्ड, सीडबी को कप, भारतीय निर्यात आयात बैंक, आईडीबीआई लि., स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एवं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को श्रेष्ठता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए ।

(ii) समिति के तत्वावधान में विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा हिंदी दिवस/हिंदी माह समारोह (वर्ष 2008-09) के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर बैंक हिंदी प्रतियोगिताओं में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया :

आयोजक बैंक	प्रतियोगिताओं का नाम
1. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	हिंदी टिप्पण एवं पत्र लेखन
2. इलाहाबाद बैंक	राजभाषा सामान्य ज्ञान (कार्यपालकों के लिए)
3. यूको बैंक	हिंदी निबंध लेखन
4. कार्पोरेशन बैंक	आशुभाषण

अंतर बैंक हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अध्यक्ष महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया । अध्यक्ष महोदय ने प्रतियोगिताओं के आयोजक बैंकों एवं सभी विजेताओं को बधाई दी ।

श्री राकेश कुमार, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, निजाम पैलेस, कोलकाता ने अपने संबोधन में राजभाषा नीतियों एवं प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन पर बल दिया एवं कुछ सदस्य कार्यालयों द्वारा शील्ड रिपोर्टें नहीं भेजे जाने तथा बैठक में कुछ सदस्य कार्यालयों की अनुपस्थिति पर असंतोष जताया । साथ ही समिति की बैठकों में स्थानीय कार्यालयों के प्रधान की उपस्थिति का पुन: स्मरण दिलाया ।

श्रीमती रीता भट्टाचार्य के समिति के सदस्य सचिव के रूप में उनकी भूमिका को याद करते हुए उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने उनके सुखद एवं सुखमय सेवानिवृत्त जीवन की कामना की, जो 31 मई, 2009 को बैंक की सेवा निवृत्त होने वाली हैं ।

श्री राम नारायण सरीज, उप निदेशक (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, कोलकाता ने अपने वक्तव्य में हिंदी प्रशिक्षण की उपादेयता एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कार्यालयीन हिंदी के उभरते स्वरूप की चर्चा की । साथ ही उन्होंने हिंदी के प्रगामी प्रयोग के कार्यान्वयन में बैंकों के सक्रिय भूमिका की सराहना की ।

श्री यमुना प्रसाद राय, संयोजक केन्द्रीय सचिवालय, हिंदी परिषद् ने समिति के गतिविधियों की सराहना करते हुए

इसके उत्तरोत्तर विकास की कामना की । श्री राय ने समिति की सदस्य सचिव श्रीमती रीता भट्टाचार्य के सक्रिय सेवाओं को याद करते हुए उनके सुखद सेवा निवृत्त जीवन की कामना की ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 47वीं बैठक में मार्गनिर्देश देते हुए समिति के अध्यक्ष तथा युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक ने सर्वप्रथम राजभाषा शील्ड के विजेता सदस्य कार्यालयों एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी एवं हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा दी । अपने संबोधन में उन्होंने उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, उप निदेशक (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना एवं यमुना प्रसाद राय, संयोजक, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् के सुझावों की सराहना करते हुए पूर्ण कार्यान्वयन का आश्वासन दिया ।

हिंदी के माध्यम से बैंकिंग गतिविधियों की चर्चा करते हुए उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर यह बतलाया कि ग्राहकों के साथ सीधे तौर पर संपर्क करने में हिंदी कितनी उपयोगी साबित हो सकती है । साथ ही नई सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं और उसके संदर्भ में हिंदी कार्यान्वयन के सामंजस्य पर भी उन्होंने प्रकाश डाला ।

अध्यक्ष महोदय ने श्रीमती रीता भट्टाचार्य के सदस्य सचिव एवं मुख्य प्रबंधक के रूप में राजभाषा कार्यान्वयन परक भूमिका की सराहना की एवं सुखद तथा सुखमय सेवा निवृत्त जीवन की कामना की ।

डॉ. गजेन्द्र कुमार, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा), इलाहाबाद बैंक ने समिति के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारियों तथा समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया तथा बैठक की सुचारू व्यवस्था के लिए संयोजक बैंक को धन्यवाद दिया । समिति के सदस्य सचिव के रूप में श्रीमती भट्टाचार्य की सेवाओं को याद करते हुए डॉ. कुमार की पहल पर सभी सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि के साथ खड़े होकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए बैठक समाप्त हुई ।

कटक

दिनांक 8-5-09 को कटक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 33वीं बैठक 15.00 बजे प्रारंभ हुई । सदस्य सचिव, नराकस श्री उमाकान्त भूयाँ ने पिछली छमाही बैठक कार्यवृत्त का वाचन किया । वाचन के उपरांत करतल ध्वनि से सभी सदस्यों ने उसकी पुष्टि कर दी । अधिकारी (कार्य) श्री निर्मल कुमार दूबे ने राजभाषा अधिनियम, राजभाषा संकल्प, राजभाषा नियम आदि पर विस्तार से चर्चा करते हुए वार्षिक कार्यक्रम में दिए लक्ष्यों को पूरा किए जाने का आग्रह किया । उन्होंने बताया कि आज देश के कोने-कोने में हिंदी पहुंच चुकी है । इस कारण अब अहिंदी भाषी शब्द के स्थान पर हिंदीतर भाषा-भाषी शब्द का प्रयोग होने लगा है ।

अध्यक्ष एवं दूरसंचार जिला कटक के महाप्रबंधक श्री पी. के. होता ने सर्वप्रथम सभी सदस्य कार्यालयों को हार्दिक बधाई दी । तदुपरान्त उन्होंने गत बैठक से मौजूदा बैठक के दरम्यान आए गुणात्मक प्रगति का आकलन करते हुए इसे और भी प्रभावी रूप से बढ़ाए जाने का आग्रह किया । उन्होंने अत्यल्प उपस्थिति के लिए निराशा जाहिर की ।

अध्यक्ष महोदय ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट की मुद्देवार ओलोचना करते हुए उनमें विद्यमान अनेक कमियों की ओर संकेत किया तथा उनके निराकरण के लिए सुझाव भी दिए ।

शिलचर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिलचर, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की 39वीं बैठक संयोजक कार्यालय हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम के अतिथि गृह में 15 मई, 2009 को अपराह्न 3.00 बजे मिल के मुख्य अधिशासी एवं समिति के अध्यक्ष श्री मोहन झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई । समिति के सदस्य सचिव श्री प्रबीर शंकर घोष ने इस बैठक मे कार्यवृत्त को उपस्थित सदस्यों के सम्मुख पढ़कर सुनाया एवं तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने उसकी समीक्षा प्रस्तुत की । उन्होंने भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रमों का विवरण वेबसाइट rajbhasa.gov.in पर देखने को कहा एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया ।

सदस्यों के सुझाव

बीआरटीएफ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री चामिंघ थांगा ने अपने कार्यालय की हिंदी की गतिविधियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि सारा कार्य हिंदी में हो ताकि हमारे सभी साथी शीघ्रतापूर्वक बातों को समझ सकें । केन्द्रीय विद्यालय, धौलचेरा की प्राचार्या श्रीमती एस. एस. दत्ता ने कहा कि अहिंदीभाषी क्षेत्रों

में हिंदी में कार्य करने में दिक्कत तो होती है । तथापि हम पूरा प्रयास करते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी को सम्मान देते हुए कार्यालयीन कामकाज हिंदी में किया जाए ।

बराक घाटी हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष श्री महावीर जैन ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि वैसे तो व्यक्ति जितनी अधिक भाषाएं सीखेगा उतना ही अधिक वह प्रगति कर सकता है, तथापि हिंदी ने पूरे विश्व में संपर्क भाषा के रूप में अपना स्थान बना लिया है । बराक घाटी स्थित कछाड़, करीमगंज एवं हैलाकांदी जिलों में हिंदी के कार्यों में समिति ने अविस्मरणीय कार्य किया है, तथापि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है । हम सभी को मिलकर स्वयंसेवी स्तर पर हिंदी के प्रचार-प्रसार में सहयोगिता कायम रखनी है ।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी के सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) श्री अशोक कुमार मिश्र ने कहा कि ''भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यह जरूरी है कि कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक नियमित रूप से की जाए । इसके अतिरिक्त हिंदी में मूल पत्राचार को बढ़ाया जाए । कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए । तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर तैयार कर सभी संबंधितों को भेजी जाए ।''

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने कहा कि ''अगली बैठक के लिए आज ही तिथि निर्धारित कर दी जाए । सिर्फ कछाड़ पेपर मिल में ही नहीं, बल्कि वर्तमान अध्यक्ष की अध्यक्षता में ओएनजीसी, श्रीकोना या शिलचर के अन्य कार्यालयों में बैठक कराई जाए । समिति के छमाही बैठक के आयोजन में सक्षम कार्यालय स्वत: पहल कर सकते हैं तथा अपना सक्रिय योगदान दे सकते हैं । हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा विकास की आकांक्षा सभी के मन में है, जिसे बस सिर्फ कार्यान्वित करने की जरूरत है ।''

अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री मोहन झा, मुख्य अधिशासी ने कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति की अगली बैठक का आयोजन शिलचर शहर में ही करने का निश्चय प्रकट किया । इसके लिए किसी बड़े कार्यालय से संपर्क कर वहां स्थान सुनिश्चित किया जायेगा । उन्होंने इस संबंध में पूरे साल का कैलेण्डर बनाने का निर्देश सचिव को दिया । उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है किन्तु अभी भी उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है । इस संदर्भ में उन्होंने प्रचलित एवं सरल शब्दों का प्रयोग करने का सुझाव दिया ।

भारत सरकार की राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा और प्रोत्साहन है और इसी आधार पर अपने कार्मिकों को राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन करने हेतु प्रोत्साहित करें । उन्होंने मूल पत्राचार को हिंदी में निर्धारित 55 प्रतिशत तक करने तथा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया । उन्होंने समिति की एक लघु पत्रिका निकालने का निर्देश सदस्य-सचिव को दिया ।

अंत में, वरिष्ठ सहायक-एसजी (राजभाषा) श्री चितरंजन लाल ने मुख्य अतिथि, समिति के अध्यक्ष, उपस्थित सदस्यों, प्रेस प्रतिनिधियों एवं अन्य सहयोगियों का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया ।

कोच्चि

दिनांक 28 अप्रैल, 09 को हमारी समिति की 41वी छमाही बैठक श्री वी. आई. माथ्यू, उप महाप्रबंधक की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। डॉ वी बालकृष्णन, उप निदेशक (कार्यान्वयन) बैठक के मुख्य अतिथि रहे और 28 सदस्य कार्यालयों में से केवल 4 सदस्य अनुपस्थित रहे और कुल 37 प्रतिभागी उपस्थित हुए हैं ।

मुख्य अतिथि डॉ वी बालकृष्णन ने अपने संबोधन में राजभाषा के प्रसार-प्रचार में आने वाली अधिकांश समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उनसे बचने के कई उपाय सुझाए हैं । विशेषकर कार्यपालकों की मानसिकता में हिंदी के प्रति स्वीकृत भावना जागृत करने की अपील की है और राजभाषा अधिकारियों से आग्रह किया है कि हिंदी का काम नहीं, बल्कि हिंदी में काम बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें ।

लगभग 5 वर्ष के बाद नराकस (बैंक) की वार्षिक गृह पत्रिका ''सागर संगीत'' का प्रकाशन पुन: आरंभ किया गया है । इस बैठक में समिति के अध्यक्ष श्री वी अई माथ्यू और मुख्य अतिथि श्री वी बालकृष्णन के हाथों सागर संगीत के नवीन अंक का विमोचन किया गया है ।

अध्यक्ष ने अपने संबोधन में उपसमिति के सभी राजभाषा अधिकारियों का आभार प्रकट किया है कि नवंबर 08 माह में संपन्न हिंदी माह के दौरान आयोजित 11 संयुक्त हिंदी प्रतियोगिताओं/संयुक्त कार्यशालाओं/हिंदी दिवस/सागर

संगीत पत्रिका के लिए सामग्री संकलन में अनमोल सहयोग प्रदान किया है ।

चण्डीगढ़

चण्डीगढ़ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 28-5-2009 को सांय 3.00 बजे किसान भवन, सैक्टर-35, चण्डीगढ़ में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता श्री पी. के. चोपड़ा, मुख्य आयकर आयुक्त, उ. प. क्षेत्र, चण्डीगढ़ ने की । बैठक में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व श्री जसवंत सिंह, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) ने किया ।

बैठक में सदस्य कार्यालयों से 147 कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया । बैठक में यह सूचित किया गया कि पिछली बैठक के कार्यवृत्त सदस्यों को भेज दिए गए थे । किसी भी कार्यालय से कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त न होने से इनकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गई ।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री जसवंत सिंह ने कहा कि बैठक की सारी कार्यवाही बहुत ही व्यवस्थित ढ़ग से पूरी की गई है । अच्छी तरह से रिपोर्टों की समीक्षा की गई । सारी कार्यवाही राजभाषा विभाग के निदेशों के अनुसार ही की गई । बैठक में बहुत ही साकारात्मक चर्चा हुई है । इससे निश्चय चंडीगढ़ के कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ेगा । सदस्य कार्यालय अपनी तिमाही रिपोर्टें नियमित रूप से तैयार करें और इनकी प्रतियां राजभाषा विभाग को भी भेजें । उन्होंने सूचित किया कि मूल कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कारों की राशि में अभी कोई वृद्धि नहीं हुई है । इस संबंध में समिति की ओर से प्रस्ताव राजभाषा विभाग को भेजा जा सकता है । राजभाषा विभाग द्वारा शीघ्र ही क्षेत्रीय राजभाषा समारोह का आयोजन किया जाएगा । अत: सभी सदस्य पुरस्कारों के लिए अपनी रिपोर्टें 20 जून तक राजभाषा विभाग को भेजें । बोर्ड/उपक्रमों के मुख्यालय इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड के लिए प्रविष्टियाँ भेजें । उन्होंने 'शिवालिका' के प्रकाशन पर सदस्यों को बधाई दी तथा आशा व्यक्त की कि समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों के परिएणामस्वरूप समिति निश्चय ही इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करने में सफल होगी । उन्होंने सदस्यों को बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बधाई दी ।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री पी. के. चोपड़ा जी ने कहा कि ''सर्वप्रथम मैं आप सबका बैठक में उपस्थित होने, चर्चा में भाग लेने के लिए तथा समिति के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग के लिएँ धन्यवाद करता हूँ । यह समिति हम सबकी है, हम सबके लिए है और सबके सहयोग से ही इसकी गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाना संभव है । आज की बैठक में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के तौर पर श्री जसवंत सिंह जी उपस्थित हैं, मैं यहाँ आने के लिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ । हमनें आज लगभग 85 कार्यालयों की रिपोर्टों की समीक्षा की है । जिन कार्यालयों में अच्छा कार्य हो रहा है वे बधाई के पात्र हैं । जिन कार्यालयों में बहुत कम काम हिंदी में हो रहा है वह इस दिशा में ठोस प्रयास करें । वरिष्ठ अधिकारी अपने स्तर पर छोटी-छोटी टिप्पाणियाँ लिखकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं । नियमों और आदेशों का अवश्य पालन होना चाहिए । आप इसके लिए अपने स्तर पर जांच बिन्दु निर्धारित करें और उन पर अमल करें । हिंदी पदों का सृजन हिंदी के कार्य के लिए किया जाता है अत: हिंदी कर्मचारियों से राजभाषा से संबंधित कार्य ही लिया जाए । यदि उन्हें अन्य कार्य दिया जाएगा तो वे हिंदी का कार्य नहीं करेंगे और नियमों का उल्लंघन होगा । पिछले वर्ष की बैठक में नियम 8(4) के अधीन आदेश जारी करने के लिए मैंने कहा था । मुझे प्रसन्नता है कि लगभग सभी कार्यालयों ने आदेश जारी किए हैं और अधिकतर कार्यालयों से हमे आदेशों की प्रतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं । हमनें आयकर विभाग में राजभाषा के प्रयोग के लिए एक वार्षिक कार्य योजना बनाई है । आप भी अपने कार्यालयों में अपने-अपने कार्यों को देखते हुए ऐसी कार्ययोजना बना सकते हैं जिससे राजभाषा का प्रयोग बढ़े ।

आज की बैठक में समिति स्तर पर कई प्रतियोगिताएँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है । आप अपने कर्मचारियों को समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रेरित करें । इससे कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में भी मदद मिलेगी । हमने पिछले वर्ष स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता आरंभ की है । इसमें भाग लेने के लिए प्रतिभागियों में बहुत उत्साह था और बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया । ऐसा ही उत्साह सभी कार्यक्रमों में होना चाहिए । आज समिति की पत्रिका का विमोचन किया गया है । हमारी पत्रिका सदस्य कार्यालयों के बीच एक सेतु का कार्य करती है । अत: आप अपने विभाग से संबंधित रचनाएं इसमें प्रकाशन के लिए अवश्य भेजें । आज जिन सदस्यों ने समिति के कार्यक्रमों को आयोजित करवाने का प्रस्ताव किया है, मैं

उनका धन्यवाद करता हूँ । मुझे आशा है कि आप सबका सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहेगा और हमारी समिति निरंतर आगे बढ़ती रहेगी ।''

अध्यक्ष महोदय और सदस्यों के धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई ।

भंडारा

भंडारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छ:माही बैठक का आयोजन श्री एन्थोनी एक्का, महा प्रबंधक, भारत संचार निगम लि. की अध्यक्षता में दिनांक 27-5-2009 को दूर संचार कार्यालय में किया गया । जिसमें भंडारा स्थित केंद्रीय कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों के प्रधानों ने भाग लिया । गृह मंत्रालय, (भारत सरकार के राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, मुम्बई के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती सुष्मिता भट्टाचार्य, राजभाषा अनुसंधान अधिकारी ने भाग लिया ।

डॉ. एस.के. माथुर, सदस्य सचिव एवं वैज्ञानिक-डॉ, केंद्रीय रेशम बोर्ड, भंडारा ने अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा से संबंधित किए गए कार्यो की समीक्षा की । लक्ष्यों की प्रतिशतता सुधारने के लिए विशेष बल दिया गया एवं आवश्यक सुझाव दिए गए । सभी विभागों से अनुरोध किया गया कि वर्ष 2008-2009 की वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर 30 जून 2009 तक सदस्य सचिव को प्रेषित करे ताकि उनका पुरस्कार हेतु मुल्यांकन करवाया जा सके ।

कंप्यूटर में राजभाषा में कार्य सुचारू रूप से करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की तरफ से युनिकोड एनकोडींग समर्थित फोन्टस को प्रयोग में लाने हेतु इन्टरनेट पर उपलब्ध करवाया है, जिसे डाउन लोड कर उपयोग किया जा सकता है । इस सोफटवेयर को डाउनलोड करने संबंधी जानकारी सदस्य सचिव, नराकास, भंडारा द्वारा सभी सदस्य कार्यालयों को 19-5-2009 को परिचालित कर दी गई थी । इस विषय पर गहन चर्चा हुई । कुछ राजभाषा अधिकारियों ने सोफटवेयर को इन्टरनेट से डाउन लोड करने संबंधी असुविधाओं से सदन को अवगत कराया । श्री एस. के. शर्मा, हिंदी अधिकारी, आयुध निमार्णी, जवाहरनगर भंडारा ने सुचित किया कि उनके पास यह सोफटवेयर सीडी में उपलब्ध है, जिसे वे सदस्य सचिव को भेज देंगे । इच्छुक कार्यालय उस सीडी की कापी कर सकते हैं ।

श्री ओमप्रकाश काकडे, सैन्ट्रल बैंक, नागपुर ने नराकास को और सक्रिय बनाने के लिए अपने सुझाव रखे । श्रीमती सुष्मिता भट्टाचार्य ने नराकास के उदेश्यों पर प्रकाश डाला एवं इसकी कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाया ।

श्री एन्थोनी एक्का ने अपने अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा में ज्यादा से ज्यादा कार्य करने एवं इसका प्रचार एवं प्रसार करने पर बल दिया । उन्होने उत्कृष्ट एवं लक्ष्य प्राप्त करने वाले कार्यालयों को बधाई दी एवं यथास्थिति बनाये रखने का अनुरोध किया तथा अन्य कार्यालयों को राजभाषा में अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया ।

पटियाला

पटियाला नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 3-6-2009 को सायं 3.30 बजे आयकर भवन, पटियाला के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता श्री जी. सी. नेगी, आयकर आयुक्त, पटियाला एवं अध्यक्ष, नराकास, पटियाला ने की ।

बैठक में लगभग 40 कार्यालयाध्यक्षों/ विभागाध्यक्षों/ प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

यह सूचित किया गया कि समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त सदस्यों को भेज दिए गए थे । किसी भी कार्यालय से कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त न होने से इनकी सर्वसम्मति से पुष्टि कर दी गई ।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री जी. सी. नेगी ने उपस्थित सदस्यों का बैठक में आने के लिए धन्यवाद किया । उन्होंने कहा कि आज काफी अच्छे सुझाव दिए गए हैं । यदि इन पर अमल करेंगे तो कोई कारण नहीं कि हिंदी में कार्य न हो । उन्होंने कहा कि जिन कार्यालयों में कार्य कम हो रहा है लेकिन उन्होंने इसे बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं, उन्हें भी पुरस्कार दिए जाएं ताकि वे अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो । कि हिंदी में कार्य को कैसे बढ़ाया जा सके इसके लिए हमें ये स्वयं प्रयास करने हैं; हिंदी में कार्य बढ़ाने के लिए नए तरीके खोजे जा सकते हैं । जिन कार्यालयों में राजभाषा में कम कार्य हो रहा है, वे चाहे कार्यशालाएं लगाकर अथवा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवाकर राजभाषा का प्रयोग बढ़ाएं । जिन कार्यालयों में अच्छा कार्य हो रहा है, उनसे अन्य कार्यालय प्रेरणा लें । आज जो निर्णय लिए गए हैं, उनके अनुसार कार्य अवश्य किया जाए । सभी के सकारात्मक सहयोग से निश्चय ही

समिति की गतिविधियों में वृद्धि होगी । समिति के कार्यों के लिए सभी सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है । उन्होंने आश्वासन दिया कि अध्यक्ष, कार्यालय की ओर से सभी सदस्यों को अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा ।

देवास (म. प्र.)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक दिनांक 16-7-2009 को अपरान्ह 3.00 बजे बैंक नोट मुद्रणालय, देवास के सभाकक्ष में बैंक नोट मुद्रणालय के उप महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष श्री एम. सी. बैलप्पा की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री बैलप्पा जी ने कहा–

"सावन के पवित्र मास तथा बूंदों की रिमझिम के बीच सम्पन्न हो रही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं तथा इस वर्ष की पहली बैठक में पधारे सभी सदस्यों के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय मध्य, भोपाल से हमें मार्गदर्शन देने के लिए विशेषरूप से पधारे आदरणीय शर्मा जी का हार्दिक अभिनन्दन ।

मेरे लिए आप सभी से साक्षात्कार का यह पहला अवसर है । लेकिन आपके विभागों की प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से मुझे यह जानकारी है कि आप सभी राजभाषा के कार्यान्वयन तथा प्रचार-प्रसार में कदम से कदम मिलाकर इस समिति को गौरवान्वित कर रहे हैं । यह आपके सद्प्रयासों की ही प्रतिफल है कि मध्य क्षेत्र की 55 से अधिक समितियों से प्रतिस्पर्धा करते हुए हमारी समिति को अखिल भारतीय इंदिरा गांधी राजभाषा सम्मान प्राप्त हो चुका है ।

मेरा मानना है कि उपलब्धि प्राप्त करने से ज्यादा उसे बनाए रखना ज्यादा मुश्किल कार्य है । चूंकि हमारे अधिकांश सदस्य कार्यालयों का नियमित रूप से जनता से सीधा सम्पर्क होता रहता है, इसलिए जनता से जनता की भाषा में सम्पर्क करना तथा उनकी भाषा में कार्य करने से न केवल कार्य करने में आसानी होती है बल्कि इससे हमारे व्यवसाय को बढ़ावा भी मिलता है ।

पिछले वर्ष हमारे जिन सदस्य कार्यालयों ने राजभाषा कार्यान्वयन में श्रेष्ठ निष्पादन किया है आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है । लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि विजेता का आकलन उनके प्रतिस्पर्धियों के कार्यकलापों से तुलना कर ही किया जाता है । ऐसी स्थिति में इस दौड़ में पिछड़ गए कार्यालयों का योगदान भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए । इस साल जिन कार्यालयों को पुरस्कार मिला है उन्हें बधाई तथा शेष सदस्य कार्यालयों को अगले वर्ष यह पुरस्कार हासिल करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं ।"

इस बैठक में हमें प्रगति रिपोर्ट के साथ-साथ आगामी माह में मनाए जाने वाले हिंदी पखवाड़े तथा वार्षिक पत्रिका गांधर्व जिसे कि विगत दिनों सर्वश्रेष्ठ नराकास पत्रिका का सम्मान मिल चुका है, के प्रकाशन की भूमिका भी यह तय करनी है । मेरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम हमेशा की तरह इस वर्ष भी इन सभी दायित्वों का सफलतापूर्वक वहन कर समिति को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे ।

शिमला

शिमला नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 11-6-2009 को सायं 3.30 बजे मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, रेलवे बोर्ड भवन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता मुख्य आयकर आयुक्त एवं समिति अध्यक्ष श्री एम. पी. सिंह जी ने की ।

सचिव ने सदस्यों से चर्चा में सक्रिय भाग लेने का अनुरोध करते हुए सूचित किया कि दिनांक 26-11-2008 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त 7-1-2009 को सदस्यों को भेज दिए गए थे लेकिन किसी भी सदस्य कार्यालय से कोई सुझाव या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । बैठक में भी किसी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति न किए जाने पर इन्हें सर्वसम्मति से पारित समझा गया ।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि समीक्षा हेतु 45 कार्यालयों से निर्धारित प्रपत्र पर वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है । रिपोर्टों के अनुसार कुछ कार्यालयों ने पत्राचार के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रशंसनीय प्रयास किए हैं । शत-प्रतिशत हिंदी पत्राचार करने वाले कार्यालयों में उत्तर रेलवे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस तथा जनगणना कार्यालय प्रमुख हैं । 95 प्रतिशत से अधिक हिंदी पत्राचार करने वाले कार्यालयों में प्रधान महालेखाकार, राष्ट्रीय लेखा तथा लेखा परीक्षा अकादमी, महालेखाकार (ले. व हकदारी), पंजाब नेशनल बैंक, आयकर संयुक्त आयुक्त, शिमला रेंज, भारतीय वन सर्वेक्षण, श्रम ब्यूरो तथा यूको बैंक का कार्य उल्लेखनीय है । परंतु कुछ कार्यालयों को हिंदी पत्राचार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि जिन कार्यालयों में 25 प्रतिशत से कम पत्राचार हिंदी में हो रहा है वे अग्रेषण पत्र, पृष्ठांकन

इत्यादि छोटे-छोटे पत्र हिंदी में भेजकर हिंदी पत्राचार को बढ़ाने का प्रयास करें ।

यह भी पाया गया है कि कुछ कार्यालयों में कंप्यूटर केवल अंग्रेजी में अथवा कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने की सुविधा है परन्तु कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य नहीं हो रहा है अत: यूनिकोड एनकोडिंग के माध्यम से कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करके पत्राचार को बढ़ाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि आज इस बैठक में सभी सदस्यों के सक्रिय सहयोग से काफी गहन चर्चा हुई । हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के साथ-साथ राजभाषा भी है । हमें राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के अनुरूप अपने-अपने कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ना है । भारत सरकार द्वारा स्थापित राजभाषा विभाग के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों के अनुरुप हमें अपना कार्य करना होगा । प्रयास करने से ही हम हिंदी को आगे बढ़ाने में सफल होंगे । जिन कार्यालयों में 100 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में हो रहा है वे अपना रहस्य अन्य कार्यालयों को भी बताएं ताकि अन्य कार्यालय भी प्रेरित होकर हिंदी के प्रयोग को बढ़ा सकें । जिन कार्यालयों में हिंदी पत्राचार कम हो रहा है वे इस हेतु सार्थक प्रयास करें । मैं आशा करता हूँ कि समिति के बैठकों/कार्यक्रमों में आप सबका सक्रिय सहयोग निरंतर हमेशा की तरह मिलता रहेगा ।

रांची

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रांची की दूसरी बैठक दिनांक 30-12-2008, को होटल आर्य, लालपुर चौक में प्रात: 11.00 बजे से आरम्भ हो कर सफलता पूर्वक सम्पन्न हुई । बैठक की अध्यक्षता इलाहाबाद बैंक (संयोजक बैंक) के मंडल प्रमुख श्री पी.एस. भाटिया ने की । इस बैठक में रांची स्थित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यपालकों तथा राजभाषा प्रभारियों ने भाग लिया ।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए मंडलीय कार्यालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्री आर. डी. वशिष्ठ ने स्मरण कराया कि यद्यपि यह समिति की दूसरी ही बैठक है फिर भी समिति के सदस्यों ने जिस सौहार्द और सहयोग का प्रदर्शन यहां उपस्थित हो कर किया है वह प्रशंसनीय है । यह और भी प्रसन्नता का विषय है कि प्रथम बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार केनरा बैंक ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में पिछले दिनों वाद-विवाद प्रतियोगिता का सफलता पूर्वक आयोजन किया जिसके लिए मंडल प्रमुख श्री महन्ती तथा राजभाषा प्रभारी श्री प्रणय रंजन देव प्रशंसा के पात्र हैं ।

इस अवसर पर नराकास के अध्यक्ष श्री पी.एस. भाटिया ने विजेता बैंकों के प्रतिनिधियों को केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित पुरस्कार प्रदान किए ।

श्री भाटिया ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा--मुझे लगता है कि बैंक के सभी अधिकारीगण हिंदी प्रयोग को लेकर उत्साहित हैं और हमारे सदस्य बैंकों ने राजभाषा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है । रांची हिंदी-भाषी क्षेत्र है और यहां जनता इस भाषा से गहरा जुड़ाव रखती है । रांची शहर का महत्व इस लिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस शहर में हिंदी के प्रकांड विद्वान फ़ादर कामिल बुल्के रहते थे । फ़ादर बुल्के ने रामायण पर तो शोध किया ही, शब्दकोश का निर्माण भी किया । आज भी फ़ादर कामिल बुल्के का अंग्रेजी-हिंदी शब्द कोश हिंदी की अमुल्य थाती है । श्री भाटियां ने जोर देकर कहा कि आप नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को आपसी सहयोग के मंच के रूप में विकसित करें। मुझे विश्वास है कि हमारी समिति बेहतरीन कार्य करते हुए देश की श्रेष्ठ समिति बनने का गौरव प्राप्त करेगी और आपका सहयोग रचनात्मक रूप से फलीभूत होगा ।

इस अवसर पर नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री पी. एल. हतवलने ने कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की भूमिका रांची नगर में अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है । इस वर्ष में समिति के सदस्य बैंकों द्वारा राजभाषा के प्रचार प्रसार हेतु प्रतियोगिताएं एवं कार्यशालाएं आयोजित की गईं तथा हिंदीदिवस पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

सक्रिय चर्चा में केनरा बैंक के श्री प्रणय रंजन देव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा, पंजाब नेशनल बैंक के श्री श्रीलाल ने भाग लिया । अंत में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन बैंक ऑफ इंडिया के श्री उमाकान्त शर्मा ने किया ।

कानपुर

दिनांक 15 जून, 2009 को 14.30 बजे ओ.ई.एफ. निरीक्षण भवन के सम्मेलन कक्ष में कानपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 22वीं बैठक का आयोजन किया गया । बैठक की अध्यक्षता अपर महानिदेशक एवं सदस्य आयुध निर्माणी बोर्ड तथा अध्यक्षा कानपुर नराकास श्रीमती सरोज विनायक द्वारा की गई ।

बैठक की कार्यसूची के अनुरूप पिछली बैठक दिनांक 5 दिसंबर, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि का प्रस्ताव सदस्य-सचिव श्रीमती कमलेश भारद्वाज द्वारा सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी ध्वनिमत से पुष्टि की गई। तदोपरान्त दिनांक 1-7-2008 से 31-12-2008 तक की अवधि की रिपोर्ट की समीक्षा सदस्य-सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई।

अध्यक्षीय भाषण में श्रीमती विनायक ने सर्वप्रथम नराकास शील्ड पुरस्कार योजना 2007-08 के अन्तर्गत में विजेता कार्यालयों को बधाई दी। आपने कहा कि प्रतियोगिताओं की सार्थकता अधिक से अधिक कार्यालयों की सहभागिता पर निर्भर करती है। इससे अन्य कार्यालय भी निश्चित रूप से प्रेरणा लेंगे तथा राजभाषा विभाग के आदेशों/नियमों का अनुपालन अपने-अपने कार्यालयों में सुनिश्चित करेंगे। बैठक में प्रस्तुत छमाही रिपोर्ट समीक्षा के संबंध में आपने कहा कि यह एक विचारणीय विषय है कि नगर स्थित 130 कार्यालयों में से मात्र 54 कार्यालयों द्वारा ही वांछित रिपोर्ट प्रेषित की गई है। यह स्थिति राजभाषा हिंदी के प्रति उदासीनता दर्शाती है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, इसका सम्मान करना हम सबका दायित्व है। भाषा सम्मानित तभी होती है जब हम पूरी इमानदारी एवं निष्ठा से इसका प्रयोग करें। राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना हम सबका दायित्व है। आपने कहा कि सभी विभागाध्यक्षों को बैठक में अवश्य उपस्थित होना चाहिए। सभी कार्यालयों से आपने धारा 3 (3) का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। आपने पुन: कहा कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाने चाहिए। सभी कंप्यूटरों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में कार्य करने की सुविधा होनी चाहिए। सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी कार्यशाला का आयोजन करके कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। आपने कहा कि यह आपकी आखिरी बैठक है, क्योंकि इसी वर्ष अक्तूबर माह में आपकी सेवानिवृत्ति है। आपने आशा व्यक्त की कि भविष्य की बैठकों में सभी विभागाध्यक्ष अवश्य पधारेंगे तथा पूरे मनोयोग से हिंदी का प्रचार-प्रसार करेंगे। अंत में आपने बैठक में उपस्थित सभी विभागाध्यक्षों, अधिकारियों व कर्मचारियों के बैठक में उपस्थित होने व कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाने के लिए धन्यवाद दिया।

अध्यक्षीय भाषण के पश्चात् सदस्य-सचिव ने सभी सदस्य कार्यालयों को सूचित किया कि नराकास पत्रिका प्रतियोगिता हेतु पत्र जारी किए जा चुके हैं। सभी कार्यालयों से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि तक पत्र में दिए गए पते पर अपने-अपने कार्यालयों से प्रकाशित पत्रिका की 5-5 प्रतियां भेज दें।

अंत में श्री प्रवीण कुमार, निदेशक, आयुध उपस्कर निर्माणी समूह मुख्यालय द्वारा अध्यक्ष महोदया के प्रति आभार प्रकट किया गया। आभार प्रकट करते हुए आपने कहा कि अध्यक्ष महोदया ने अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल में हम सबका मार्गदर्शन किया तथा हमें राजभाषा का कार्य सुगम और सरल तरीके से करने के लिए प्रेरित किया। बैठक में उपस्थित समस्त विभागाध्यक्षों, राजभाषा अधिकारियों एवं विभाग प्रतिनिधियों को भी धन्यवाद दिया। साथ ही आपने बैठक हेतु समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुध उपस्कर निर्माणी के महाप्रबंधक श्री एस.एम. उकबा को भी धन्यवाद दिया। इसके साथ ही बैठक सम्पन्न हुई।

कोटा

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति कोटा की छ:माही बैठक मंडल रेल प्रबंधक श्री अरूण सक्सेना की अध्यक्षता में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार, निगम/उपक्रम व बैकों के कार्यालय प्रमुखों ने भाग लिया। बैठक के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति कोटा के सौजन्य से हिंदी श्रुतिलेखन, आशुभाषण, निबंध व टिप्पण आलेखन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार एवं हिंदी में उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य करने वाले कार्यालयों में केंद्र सरकार, रेल विद्युतीकरण, बैंक में हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय, निगम/उपक्रम में स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया को अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री अरूण सक्सेना द्वारा प्रदान की गई। बैठक में उपाध्यक्ष श्री एम. बी. विजय ने राजभाषा नीति के प्रचार-प्रसार एवं विभिन्न कार्यालय प्रमुखों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में सदस्य कार्यालयों के लिए राजभाषा प्रश्नमंच का भी आयोजन किया गया। जिसमें सभी सदस्यों पुरस्कार प्रदान किए गए। राजभाषा की प्रगति की समीक्षा सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति एवं राजभाषा अधिकारी श्री आर.डी. मीना ने की। बैठक में गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, भोपाल से पधारे सहायक निदेशक एवं प्रभारी श्री रामलाल शर्मा ने भी हिंदी के प्रयोग, प्रसार पर बल दिया।

(ग) कार्यशालाएं

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में दिनांक 29-30 जून, 2009 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारी पानी संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ नराकास सदस्य कार्यालयों से भी नामांकन प्राप्त किए गए जिसमें सीएमएफआरआई, समुद्रीय उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य मंत्रालय, समुद्री वाणिज्य विभाग, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक इत्यादि कार्यालयों के प्रतिभागी उपस्थित थे।

कार्यशाला का उद्घाटन भारी पानी संयंत्र के विशेष कार्याधिकारी श्री एस. परमसिवम ने किया। इस अवसर पर आमंत्रित संकाय सदस्य श्री मनोहर, हिंदी अध्यापक, पत्तयकायल, भारी पानी संयंत्र के राभाकास के अध्यक्ष श्री आई. सेनगुप्ता, प्रशासन अधिकारी श्री एस.एम. सिरोंमणि, अधीक्षक (संस्वा एवं पर्यावरण) श्री.एस.जेड़. खान भी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रशासन अधिकारी श्री सिरोंमणि ने कहा कि भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में सहायक निदेशक (राजभाषा) के न रहते हुए भी हिंदी का काम सुचारू रूप से चल रहा है जो बहुत ही सराहनीय है। इस अवसर पर अधीक्षक (संस्वा एवं पर्यावरण) श्री एस.जेड़.खान ने कहा कि कार्यशाला में सीखे राजभाषा हिंदी को हमारे कार्यालय के रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करने से ही ये कार्यशाला सफल मानी जायेगी। राभाकास के अध्यक्ष श्री.आई.सेनगुप्ता ने कहा कि हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग करते समय होने वाली झिझक को दूर करना है और ऐसी कार्यशाला प्रत्येक तीन माह में एक बार आयोजित की जा रही है।

अपने उद्घाटन भाषण में श्री परमसिवम जी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने दैनिक कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग कर राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में अपना सहयोग दें।

कार्यशाला में श्री मनोहर, हिंदी अध्यापक, पत्तयमकोट्टै, श्री एस.एम. सिरोंमणि, प्रशासन अधिकारी, श्री पीजीएस चंद्रन, सुरक्षा अधिकारी, श्रीमती श्यामलता, हिंदी अनुवादक व श्रीमती भाग्यवती, प्रवर श्रेणी लिपिक ने क्रमश: सूचना का अधिकार, संविधान में राजभाषा, राजभाषा अधिनियम, नियम, अनुवाद, हिंदी व्याकरण जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए। कार्यशाला में अनुवाद एवं व्याकरण में अभ्यास भी करवाये गये। इस दो दिवसीय कार्यशाला में कुल 17 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का संचालन एवं धन्यवाद प्रस्ताव श्रीमती श्यामलता, हिंदी अनुवादक ने किया।

सी.एस.आई.आर मद्रास कॉम्प्लेक्स एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर सी.एस.आई.आर कैंपस, तरमणी, चैन्नई-113

सी.एस.आई.आर मद्रास कॉम्प्लेक्स और एस.ई.आर.सी के वैज्ञानिकों के लिए दि. 02-04-2009 को हिंदी तकनीकी/विज्ञान लेखन विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में एस.ई.आर.सी. से 75 और सी.एस.आई.आर मद्रास कॉम्प्लेक्स से 30 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एन.एम.एल.), जमशेदपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ आर. पी. भगत नें अतिथि वक्ता के रूप में कार्यशाला चलाई।

भारत सरकार की राजभाषा नीति का आधार प्रेरण और प्रोत्साहन है। सरकार का लक्ष्य यह है कि विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग हो। इसलिए, हिंदी नहीं जानने वालों को हिंदी प्रशिक्षण की सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। प्रशिक्षण के बाद भी हिंदी में काम करने के लिए कठिनाइयाँ होती हैं तो उन्हें दूर करने के लिए नियमित रूप से वर्ष में कम से कम एक बार हिंदी कार्यशाला में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। सी.एस.आई.आर. का यह महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि

अपनी प्रयोगशाला में जो कुछ अनुसंधान कार्य चल रहा है उनका परिणाम अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ उस प्रयोगशाला की स्थानीय भाषा और राजभाषा हिंदी के माध्यम से भी अभिव्यक्त करने से पूरे भारत के गाँव-गाँव की आम जनता तक भी पहुँच जाएगा । इस कार्यशाला के आयोजन के पीछे यही उद्देश्य है ।

दक्षिण मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, सिकंदराबाद

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को हिंदी में काम करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए पांच दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में इसके आयोजन के उद्देश्य को विस्तार से बताते हुए प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया कि वे कार्यशाला की समाप्ति के बाद अपना दैनिक सरकारी काम-काज हिंदी में करना शुरू करें और हिंदी का प्रयोग बढ़ाएं । इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के विषयों से संबंधित टिप्पणियां/विभिन्न पत्राचार हिंदी में लिखने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया । इसके अलावा राजभाषा नीति, हिंदी वाक्य संरचना, प्रोत्साहन योजनाएं, कंप्यूटर पर हिंदी कार्य आदि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, जनपद यूनिट-9, भुवनेश्वर

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम भुवनेश्वर में 18 से 22 मई, 2009 को राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें भुवनेश्वर के अतिरिक्त जे. के. पुर, बरहमपुर एवं राउरकेला आदि शाखा कार्यालयों से आए हुए कर्मचारियों ने भाग लिया । क्षेत्रीय निदेशक के अवकाश पर चले जाने के कारण कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी श्री आर. के. पट्टनायक, उप निदेशक ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उड़िया भाषियों के लिए हिंदी में कार्य करने को सरल और सहज बताया । कार्यशाला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारियों के अतिरिक्त भुवनेश्वर स्थित भविष्य निधि संगठन, आयकर, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, जनगणना निदेशालय, हिंदी शिक्षण योजना आदि कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों एवं प्राध्यापकों ने अपने व्याख्यान दिए । कार्यशाला के समापन के अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों की औपचारिक परीक्षा ली गयी और प्रमाणपत्र वितरित किए गए ।

रक्षा लेखा विभाग कार्यालय, वित्त एवं लेखा नियंत्रक (फै.) लेखा कार्यालय, गोला बारूद फैक्टरी, खड़की, पुणे-411 003

लेखा कार्यालय, गोला बारूद फैक्टरी, खड़की, पुणे में राजभाषा कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने में कर्मचारियों की झिझक को दूर करने हेतु तथा टिप्पणी, प्रारूप/मसौदा लेखन, पत्र लेखन एवं अधिक से अधिक कार्यालयीन कामकाज कम्प्यूटर पर करने के उद्देश्य से दिनांक 06-07-2009 से 10 07 2009 के दौरान चतुर्थ हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला का उद्घाटन श्री बनवारी स्वरूप, भा.र.ले.से. वित्त एवं लेखा नियंत्रक(फै.), खड़की निर्माणी समूह के द्वारा किया गया । उद्घाटन भाषण में उन्होंने हिंदी कार्यशाला आयोजन के उद्देश्य पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्यालय में सरकारी कामकाज को हिंदी में करने में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास कार्यशाला के दौरान किया जाएगा, ताकि भविष्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी अधिक से अधिक कार्य हिंदी में कर सकें । उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपील की कि वे इस कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं । उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी कार्यशाला का आयोजन तभी सफल माना जाएगा जब कर्मचारी अपना कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करेंगे ।

कार्यशाला में 18 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । कार्यशाला में व्याख्यान देने हेतु पुणे स्थित केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों से भी व्याख्याताओं को आमंत्रित किया गया था । इस दौरान राजभाषा संबंधी विभिन्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए गए, जिनमें से मुख्य हैं : संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम/नियम, संकल्प, साधारण टिप्पणियाँ/मसौदे लिखना, राजभाषा संबंधित महत्वपूर्ण आदेश, तार/फैक्स लिखना, अनुशासनिक मामले, बिलों के भुगतान तथा लेखा आपत्तियाँ, आंतरिक लेखा परीक्षा, कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य, ई.डी.पी. संबंधित मामले, आवेदन लिखना, पदों का सृजन, भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानांतरण, श्रम से संबंधित मामले, पत्राचार के विधि रूप, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रजी-हिंदी अनुवाद, वेतन लेखा परीक्षा से संबंधित मामले, पेशगियों से संबंधित मामले, लागत तथा सामग्री से संबंधित मामले, यात्रा संबंधी मामले, बैठकें आयोजित करना, एवं

लेखा कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को हिंदी में किए जाने संबंधी अन्य व्याख्यान। कार्यशाला के समापन पर सभी प्रतिभागियों से कार्यशाला की उपयोगिता एवं इसके उद्देश्य प्राप्ति पर लिखित प्रतिक्रिया ली गई। अधिकांश प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाएं उत्साहवर्धक थी, जिनमें यह उल्लेख था कि इस प्रकार कार्यशालाएं और अधिक समय के लिए आयोजित की जाएं। कार्यशाला के समापन पर श्री ए.एन.जी.नायर, भा.र.ले.से. वित्त एवं लेखा उपनियंत्रक(फै.) द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

आकाशवाणी : नागपुर

आकाशवाणी, नागपुर में सोमवार, दिनांक 29 जून, 2009 को "हिंदी कार्यशाला" का आयोजन किया गया। आकाशवाणी नागपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री मोहन सिंह, अधीक्षण अभियंता की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम प्रमुख श्री कमलकुमार सागरे विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यशाला का संचालन प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती ओमनयम्मा जे. ने किया। श्री मोहन सिंह, अधीक्षण अभियंता द्वारा मुख्य अतिथि श्री प्रदीप शर्मा, हिंदी प्राध्यापक का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया।

कार्यशाला का मार्गदर्शन मुख्य अतिथि श्री प्रदीप शर्मा, हिन्दी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, नागपुर ने किया। "कार्यालय में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाएं" विषय पर बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, जिस दिन हमने अपनी अभिवृत्ति बदल ली कि हमें कार्यालयीन कार्य हिंदी में ही करना है तब से हम अपना कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने लगेंगे। साथ ही उन्होंने हिंदी सॉफ्टवेअर के बारे में संपूर्ण जानकारी कर्मचारियों को दी।

कार्यशाला में आकाशवाणी, नागपुर के 24 अधिकारी एवम् कर्मचारी उपस्थिति थे।

अंत में हिंदी समन्वयक श्री प्रभाकर आर.बडवे ने अतिथि एवं सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुरगांव

राजभाषा कार्य को कार्यालय के कर्मचारियों के लिए सुगम एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में पहल करते हुए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुरगांव बेस, गोवा द्वारा चालू तिमाही अप्रेल-जून 09 के दौरान दिनांक 26-05-09 एवं 10-06-09 को एक दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

डॉ एम एल गुप्ता, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, मुंबई को 26-05-09 को संपन्न हिंदी कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया। आमंत्रित वक्ता डॉ गुप्ता ने बड़े ही रोचक अंदाज में कार्यान्ववयन कार्य को सुचारू एवं प्रभावी रूप से संपन्न करने के उपायों पर चर्चा की। उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से डॉ गुप्ता ने हिंदी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने तथा हिंदी कार्य बिना किसी झिझक के सहज रूप में करने की सलाह दी। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वयन कार्य के विभिन्न पहलुओं जैसे रबर मोहरें, विभिन्न प्रोफार्मे, साईन बोर्ड, नाम पठ्टिका जैसी चीजें अनिवार्य रूप से द्विभाषी होनी चाहिए, तिमाही समीक्षा बैठक कार्यान्वयन की समीक्षा करने का कारगर उपाय है तथा किए जा रहे कार्य पर निगरानी एवं प्रशासनिक प्रधान की भूमिका को डॉ गुप्ता ने महत्वपूर्ण बताया। डॉ गुप्ता ने संस्थान के तिमाही त्रिभाषी (हिंदी-अंग्रेजी कन्नड़) प्रकाशन संसाधन सूचना अंकावली की प्रशंसा की।

कार्यशाला के आरंभ में अनुवादक श्री आंजना ने उपस्थिति का स्वागत किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में संस्थान प्रमुख डॉ एम ई जॉन, क्षेत्रीय निदेशक ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आयोजन का भरपूर लाभ उठाते हुए उसे फाइलों में उतारने का आग्रह किया। कार्यशाला की समाप्ति उपस्थिति के विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं के समाधान के साथ हुई।

चालू तिमाही के दौरान द्वितीय हिंदी कार्यशाला दिनांक 10-06-09 को आयोजित की गई। श्री एस बी प्रभुदेशाई, उप प्रबंधक (राजभाषा), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को को इस अवसर पर अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यशाला के आरंभ में डॉ एम ई जॉन, क्षेत्रीय निदेशक ने आमंत्रित वक्ता का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। डॉ जॉन ने अपने संबोधन में कहा कि हमें वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग दर्शन की आवश्यकता होती है और हिंदी कार्यशाला इस आवश्यकता की पूर्ति का अच्छा जरिया होती है।

श्री प्रभुदेशाई ने अपने व्याख्यान में हिंदी भाषा के वाक्य क्रम, वाक्य रचना, विराम चिह्नों का प्रयोग, भाषा की प्रकृति एवं प्रयोग के बारे में विस्तार से उदाहरणपूर्वक

बताया। उन्होंने कार्यालयीन कार्य में प्रयुक्त होने वाली नेमी टिप्पणियों के भी कई उदाहरण पेश किए जिन्हें आसानी से अंग्रेजी के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। साथ ही विषय का विस्तार करते हुए वक्ता ने संसदीय राजभाषा समिति की अपेक्षाएं, निरीक्षण, प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचनाएं, संविधान में हिंदी की स्थिति जैसे कई विषयों पर रोशनी डाली। अनुवादक श्री आंजना के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला समाप्त हुई।

एनएचपीसी लिमिटेड, कार्यपालक निदेशक (क्षेत्र-4) 74-75, दक्षिण मार्ग, सैक्टर-31ए, चण्डीगढ़

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में 16 मई, 2009 को अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री रमेश नारायण मिश्र, कार्यपालक निदेशक ने किया। श्री मिश्र जी ने अपने संबोधन में कहा कि राजभाषा नियमानुसार कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम शब्दों और उनके उच्चारण पर ध्यान दें तो आसानी से शुद्ध हिंदी सीखी जा सकती है। शुद्ध हिंदी लिखने के लिए सही पढ़ना और सही उच्चारण करना तथा सही लिखना बहुत ही आवश्यक है।

हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अपनी भाषा से अच्छा कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि हम सभी अपने कार्य में अपनी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इस अवसर पर श्री स्वतंत्र कुमार, महाप्रबंधक भी उपस्थित थे।

कार्यशाला में डॉ. सुरेंद्र शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चंडीगढ़ ने राजभाषा नीति एवं समस्याएं व समाधान विषय पर व्याख्यान दिया और अधिकारियों व कर्मचारियों की कई शंकाओं का समाधान भी किया। दूसरे सत्र में डॉ. अशोक कुमार, प्रवक्ता (हिंदी), पंजाब वि विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में राजभाषा हिंदी का स्वरूप विषय पर व्याख्यान दिया।

दोपहर बाद के दोनों सत्र श्री अर्नेष्ट तिर्की, प्रमुख (मानव संसाधन) ने लिए जिसमें उन्होंने हिंदी पत्राचार पर विस्तृत व्याख्यान दिया और 22 प्रकार के कागजातों को बोर्ड पर लिखकर बताया तथा कार्मिकों को हिंदी पत्राचार का अभ्यास भी कराया।

कार्यशाला के अंत में कार्मिकों के साथ चर्चा के दौरान कार्यशाला को बहुत ही उपयोगी बताया गया। कार्यशाला में 16 कार्मिकों ने भाग लिया।

केंद्रीय रेशम बोर्ड भंडारा

केंद्रीय रेशम-बोर्ड की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति भंडारा द्वारा बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र, भंडारा में दिनांक 30-06-2009 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय रेशम बोर्ड भंडारा स्थित कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। श्री विजय खंडेरा उप संपादक-नवभारत प्रमुख अतिथि ने पारम्परिक दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय रेशम बोर्ड के डॉ.एस.के.माथुर, वैज्ञानिक-डी ने की।

डॉ. एस. के. माथुर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी कार्यशाला के प्रायोजन पर प्रकाश डाला। उन्होंने सदन को सूचित किया कि हिंदी कार्यशाला के नियमित आयोजन से केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विशुद्ध लेखनी में सकारात्मक सुधार हुआ है एवं हो रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्यों को इस कार्यालय द्वारा 100 प्रतिशत प्राप्त किया गया है। जिसके लिए हाल ही में बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, भंडारा को "क" एवं "ख" क्षेत्र में हिन्दी कर्मचारी रहित कार्यालयों में वर्ष 2007 2008 के लिए "केन्द्रीय रेशम बोर्ड राजभाषा पुरस्कार" प्रदान किया गया है जिसे डॉ. एस.के.माथुर, वैज्ञानिक-डी ने हाल ही में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा बेंगलोर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में प्राप्त किया। डॉ. एस. के. माथुर ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इसके लिए बधाई दी एवं भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग बनाये रखने का अनुरोध किया।

श्री विजय खंडेरा ने "सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग एवं उपयोगिता" पर अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने डॉ. एस. के. माथुर एवं उनकी टीम को "केन्द्रीय रेशम बोर्ड राजभाषा पुरस्कार" के लिए बधाई दी एवं इसे महाराष्ट्र एवं विशेषकर भंडारा जिला में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने महाराष्ट्र विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में तसर रेशम उद्योग के विकास के लिए राज्य रेशम विभाग

जिला-उद्योग केंद्र हाथकरघा महामंडल, बुनकर सेवा केन्द्र एवं नाबार्ड के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड की अहम भूमिका की भूरी-भूरी प्रशंसा की । उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में रेशम उद्योग के लिए भंडारा जिला को विशेष स्थान है । भंडारा, गणेशपुर, मोहाडी, आंधलगांव, एकोडी, बापीवाडा एवं इनके समीपस्त गांवों में बडी संख्या में रेशम बुनकरों को परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हैं । इस अवसर पर केंद्रीय रेशम बोर्ड की आंतरिक लेखा परीक्षा टीम के प्रमुख श्री एस.के.सिंह एवं सदस्य भी उपस्थित थे ।

आकाशवाणी : अहमदाबाद

दिनांक 4-6-2009 को आकाशवाणी अहमदाबाद के सभागार में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई । कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए कार्यशाला में श्री भगीरथ पंड्या, केन्द्र निदेशक, श्री निर्मल प्रसाद केन्द्र अभियंता एवं श्री पीटर एम.जे., प्रशासनिक अधिकारी स्वयं उपस्थिति रहे ।

वक्ता के रूप में श्री सादिक नूर पठाण, कार्यक्रम निष्पादक एवं सचिव, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान को आमंत्रित किया गया था ।

औपचारिक स्वागत के पश्चात् हिंदी कार्यशाला शुरू हुई । कार्यशाला का विषय-सही उच्चारण एवं वर्तनी रखा गया था ।

कार्यशाला में 19 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साह से हिस्सा लिया ।

सही उच्चारण के संबंध में शुरू से बारहखडी से उदाहरण लेकर एवं प्रोजेक्टर पर प्रयोगात्मक ढंग से समझाते हुए वक्ता ने सभी का मन मोह लिया । अपने व्याख्यान में उन्होंने बताया कि हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है एवं किस प्रकार श्री हेमचन्द आचार्यजी का सर्वप्रथम ध्वनियों की व्यवस्था में विशेष योगदान रहा है । उन्होंने सोदाहरण विस्तार से चर्चा की । उन्होंने बारहखडी के पैंपलेट्स बाँटकर सभी को उसका अभ्यास करने के लिए कहा ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दाबोलिम हवाई अड्डा, गोवा

श्री डी.पॉल माणिक्कम्, विमानपत्तन निदेशक, गोवा द्वारा 24 जून, 2009 को प्रात: 09.30 बजे दीप प्रज्जवलन के साथ दो दिवसीय (24 25 जून, 2009) हिंदी कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन किया गया । इस अवसर पर डॉ वी.पी.मिश्रा, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय 2, शांतिनगर वास्को, गोवा मुख्य अतिथि थे । औपचारिक उद्घाटन के बाद वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान 10,000 से अधिक शब्द हिंदी में लिखने वाले कुल 13 कर्मियों को हिंदी प्रोत्साहन योजना के तहत विमानपत्तन निदेशक एवं मुख्य अतिथि द्वारा नगद पुरस्कार प्रदान किए गए । उद्घाटन समारोह के दौरान नामित कर्मियां (गोवा एवं बेलगाम के कर्मी) के अलावा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गोवा के अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी भी उपस्थित थे । इस अवसर पर विमानपत्तन निदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए इस दो दिवसीय कार्यशाला में अधिक से अधिक अभ्यास करें । उन्होंने सभी नामित कर्मियों को सलाह दी कि वे दोनों दिन सभी सत्रों के व्याख्यान/अभ्यास को गंभीरता से लें एवं पूरे समय तक कार्यशाला में उपस्थित रहें । आमन्त्रितों में श्री के.पी.सिंह, उपकमांडेंट, के.औ.सु.ब., गोवा हवाई अड्डा भी उपस्थित थे । मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में हिंदी के अलावा अपनी मातृभाषा को अपनाने पर भी जोर दिया । इसके पहले हिंदी कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों एवं अन्य कर्मियों का स्वागत करते हुए श्री इन्ताज अली, पर्यवेक्षक (राजभाषा) द्वारा हिंदी कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया एवं इन दो दिनों के दौरान आने वाले बाहरी व्याख्याताओं एवं उनसे संबंधित विषयों के बारे में जानकारी दी गई ।

इस दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान कुल 07 व्याख्याताओं द्वारा विभिन्न विषयों पर कुल 08 व्याख्यान दिए गए । अधिकांश व्याख्याताओं द्वारा नामित प्रतिभागियों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए अभ्यास कराया गया । कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग बढ़ाने के लिए गहन चर्चा की गई । कार्यशाला के दूसरे दिन के अंतिम सत्र में राजभाषा प्रश्नमंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका संचालन श्री इन्ताज अली, पर्यवेक्षक (राजभाषा) द्वारा किया गया । उक्त कार्यशाला के दौरान कुल 22 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया । इनमें 05 कर्मी बेलगाम हवाई अड्डे के थे ।

कार्यशाला का समापन समारोह 25 जून, 2009 को सांय 16.00 बजे से आरंभ हुआ । इस अवसर पर डॉ रोहिताश्व, विभागाध्यक्ष (हिंदी), गोवा विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने अपने संबोधन में भारत की

मिली-जुली संस्कृति में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। संमापन समारोह में नामित कर्मियों के अलावा विमानपत्तन निदेशक, गोवा एवं भा वि प्रा/के.औ.सु.ब के कर्मचारी/अधिकारीगण उपस्थित थे। विमानपत्तन निदेशक, गोवा द्वारा राजभाषा प्रश्नमंच प्रतियोगिता के तीन विजेताओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री एम.एन. एन.राव, संयुक्त महाप्रबंधक (इजी-सिविल) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। कार्यशाला का संचालन श्री इनताज अली, पर्यवेक्षक (राजभाषा) द्वारा किया गया। राष्ट्रगान के साथ दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का सफल समापन हुआ।

का., रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) सेक्टर-9 चंडीगढ़-160009

दिनांक 11-6-2009 से 12-6-2009 तक रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, चंडीगढ़ के मुख्य कार्यालय में दो दिन की हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया इसमें कार्यालय में कार्यरत 17 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिंदी अधिकारी श्री गंगादास बासिया द्वारा केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति, संविधान में राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के विषय में जानकारी दी गई। उन्होंने अपने व्याख्यान में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए हिंदी संबंधी वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2009-10 में निर्धारित क्षेत्रवार लक्ष्यों की जानकारी भी दी। कार्यशाला के दूसरे दिन कार्यालयीन पत्राचार पर चर्चा की गई। हिंदी अधिकारी ने विस्तार से चर्चा के दौरान पत्राचार के विभिन्न मसौदे प्रस्तुत किए एवं मूलरूप से हिंदी में टिप्पणी तथा प्रारूप तैयार करना भी सिखाया। सभी प्रतिभागियों ने कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लिया और हिंदी में पत्र लेखन का अभ्यास किया।

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा

दिनांक 27-06-2009 को वित्त-वर्ष 2009-10 की पहली हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो संयंत्र की 25वीं कार्यशाला थी। यह कार्यशाला संयंत्र के तकनीक-विद तथा अन्य वर्ग के लिए आयोजित की गई थी। कार्यक्रम का आरंभ अनौपचारिक ढंग से महाप्रबंधक आदित्य भौमिक द्वारा बातचीत शुरू कर के हुई। उन्होंने कहा कि हिंदी में भी सारा कामकाज निपटाया जा सकता है। इस कार्यशाला में प्रशिक्षण के बाद सभी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में हिंदी में काम करने का प्रयास करें। उप महाप्रबंधक प्रकाश चंद्र जैन ने कहा कि हिंदी में काम करें, इनाम पाएँ और संयंत्र तथा विभाग का नाम रोशन करें। इसके लिए यहाँ दी जाने वाली तकनीकी शब्दावली से सहायता ली जा सकती है। नए प्रशासन अधिकारी-3 एन.जी.कृष्णन ने कहा कि राजभाषा में काम करना आसान है और इसमें अधिकाधिक काम कर के इस संयंत्र में राजभाषा में होने वाले कामकाज में बढ़त दिखाई जा सकेगी। डॉ. रश्मि वार्ष्णेय, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने हिंदी कार्यशाला के प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए उपस्थित तकनीक-विदों से लॉग-बुक आदि में हिंदी में काम करने की अपील की। कार्यशाला में राजभाषा नीति-नियम, हिंदी कंप्युटर साफ्टवेयर ISM-2000/यूनीकोड, हिंदी में टिप्पण-लेखन, पारिभाषिक शब्दावली आदि की जानकारी देते हुए अभ्यास भी कराया गया। कार्यशाला का संचालन डॉ. रश्मि वार्ष्णेय ने किया।

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) एस.ए.एस. नगर

04 जून 2009 को नाईपर, एस.ए.एस. नगर में वर्ष 2009 की द्वितीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में संस्थान के छात्रों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अनुवाद तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता शामिल थी। वाद-विवाद प्रतियोगिता का विषय 'देशी पढ़ाई विदेशी पढ़ाई से बेहतर है' था। जहां संस्थान के एक प्रतिभागी छात्र हिम्मत सिंह ने विषय के पक्ष में अपनी बात रखी और कहा कि आज देश यदि तरक्की के राह में अग्रसर है तो उसका कारण हमारे देश की पढ़ाई ही है। अपने देश की पढ़ाई से हमें देश की मूलभूत आवश्यकताओं, समस्याओं आदि की प्रायोगिक जानकारी प्राप्त होती है और जिसे उचित रूप से लागू कर सकते हैं। वहीं छात्र लक्ष्य उंटवाल ने भारत की पढ़ाई के साथ विदेशी पढ़ाई की तुलना करते हुए इस विषय के विपक्ष में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विदेशी पढ़ाई की गुणवत्ता देशी पढ़ाई से अच्छी होती है जिसके फलस्वरूप परिणाम बेहतर होते हैं।

कार्यशाला के अंत में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित करते हुये संस्थान के प्रभारी निदेशक प्रो. सरनजीत सिंह ने देशी और विदेशी पढ़ाई दोनों को बेहतर बताया तथा

उन्होंने संस्थान में पधारे हुए अतिथि श्री अनी अग्निहोत्री संस्थापक एवं मैनेजिंग पार्टनर, एल.एल.सी., अटलांटा, यू.एस.ए. को उपस्थित श्रोताओं से परिचित करवाया तथा उनसे वाद-विवाद पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अनुरोध किया। श्री अनी अग्निहोत्री ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत की शिक्षा उत्कृष्ट है परंतु ये अधिकतर देखा गया है कि यहां से शिक्षा ग्रहण कर लोग यहीं तक सीमित रह जाते हैं लेकिन विदेशों की शिक्षा प्रणाली बहुत विस्तृत है। वहां बहुत उच्च स्तर के पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं जो काफी लाभदायक होते हैं।

एनएचपीसी लिमिटेड, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003

दिनांक 02 जून, 2009 को हिंदी समन्वयकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के 26 हिंदी समन्वयकों ने भाग लिया। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए कंप्यूटर पर अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करना अपेक्षित है। इस उद्देश्य से निगम मुख्यालय में दिनांक 08 जून, 2009 तथा 09 जून, 2009 को दो हिंदी कंप्यूटर कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

हिंदी समन्वयकों के लिए दिनांक 02-06-2009 को आयोजित की गई हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री रंजीत सिंह, प्रमुख (मानव संसाधन) ने किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए हिंदी कार्यशालाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन कार्यशालाओं की सार्थकता तभी है जब हम इन कार्यशालाओं में दी गई जानकारी का भरपूर लाभ उठाएं और अपने दैनिक कार्यालयीन कार्य में उसका उपयोग करें। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने का आह्वान किया।

तत्पश्चात् डॉ. राजबीर सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने कार्यशालाओं में आए सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि निगम मुख्यालय में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सभी स्तर के कार्मिकों के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हमारे निगम में हिंदी कार्य में अपेक्षित प्रगति हो रही है। उन्होंने हिंदी कार्यशालाओं का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि शब्दों के प्रयोग, वाक्य या शैली के माध्यम से हिंदी कार्य में जो असुविधा होती है, इन कार्यशालाओं के माध्यम से उनका निवारण किया जाता है। साथ ही उन्होंने आज के युग में कंप्यूटर के महत्व को देखते हुए कंप्यूटरों पर अधिक से अधिक कार्य हिंदी में ही करने पर जोर दिया ताकि निगम में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जा सके और राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

हिंदी समन्वयकों के लिए दिनांक 02-06-2009 को आयोजित की गई कार्यशाला के प्रथम सत्र में डॉ. राजबीर सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने सभी हिंदी समन्वयकों को हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने के बारे में समुचित जानकारी दी और राजभाषा कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का समाधान किया। साथ ही उन्होंने विभागों से प्राप्त राजभाषा संबंधी सूचनाओं और तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी की।

इन हिंदी कंप्यूटर कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को विभिन्न हिंदी सॉफ्टवेयरों और उसके प्रयोग से संबंधित अघतन जानकारी देने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के तकनीकी निदेशक (राजभाषा) श्री केवल कृष्ण को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने प्रतिभागियों को विभिन्न हिंदी सॉफ्टवेयरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और उनके व्यवहारिक प्रयोग के बारे में बताया। उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किए गए मंत्रा एवं श्रुतलेखन हिंदी सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी दी कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुवाद कार्य करना संभव है तथा केवल बोलकर ही कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम हिंदी की टाइपिंग न जानते हुए भी कंप्यूटर पर हिंदी में टाइपिंग का कार्य कर सकते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों को इन सॉफ्टवेयरों के प्रयोग का अभ्यास भी कराया तथा कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने में आने वाली उनकी शंकाओं तथा समस्याओं का समाधान भी किया।

श्री नानक चंद, प्रबंधक (राजभाषा) और डॉ. सोना शर्मा, प्रबंधक (राजभाषा) ने आमंत्रित वक्ताओं को इन कार्यशालाओं के लिए अपना बहुमूल्य समय व महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही उन्होंने सभी प्रतिभागियों से इन हिंदी कार्यशालाओं में दी गई जानकारी का उपयोग अपने कार्यालयीन कार्य में करने का

आह्वान किया ताकि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में और अधिक प्रगति की जा सके ।

कार्यशाला के अंत में प्रतिभागियों ने अपने फीडबैक में इन कार्यशालाओं को काफी उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताया ।

कार्यालय : क्षेत्रीय आयुक्त : कोयला खान भविष्य निधि : क्षेत्र-2 : रॉंची

29-6-2009 को नियत समय पर कार्यशाला शुरू हुई । क्षेत्रीय आयुक्त महोदय द्वारा उपर्युक्त कार्यशाला में सम्मिलित होने के लिए सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत किया गया ।

श्री दिलीप कुमार, सहायक, स्थापना अनुभाग ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्थापना अनुभाग में दिन प्रति-दिन अधिकतम कार्य अर्थात् संपदा फाईलों, सेवा पुस्तकें, बजट आदि नोटिंग एवं प्रारूप लेखन हिंदी में पेश कर रहे हैं । तथापि कुछ निर्यमित कार्यों में उपयोग में आने वाले प्रपत्रों का हिंदी रूपांतर करा लिया जाए तो राजभाषा के प्रसार में काफी सुविधा होगी । श्री पी.एम.के. प्रसाद कनिष्ट हिंदी अनुवादक ने धारा 3.3 के अनुपालन पर भी जोर दिया कि स्थापना अनुभाग से निकलने वाले कार्यालय आदेश अब द्विभाषी रूप में भी निकाली जायेगी । क्षेत्रीय आयुक्त महोदय ने इस पर अपनी सहमति जताई ।

श्री पी.एम. के. प्रसाद, क.हि.अनुवादक ने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला । तत्पश्चात् उन्होंने, रोकड अनुभाग के और लेखा समूह के दैनंदिन कार्यों में उपयोग हेतु अंग्रेजी और हिंदी द्विभाषी रूप में तैयार कई प्रपत्रों/प्रारूपों आदि उपस्थित सभी अधिकारियों के बीच वितरित करते हुए इनके उपयोग पर चर्चा किया ।

क्षेत्रीय आयुक्त महोदय और सभी ने द्विभाषी रूप में तैयार किये गये "वापसी आदेश पत्र" "विधवा और बाल संतान का पेंशन आदेश" पत्र के उपयोग सुनिश्चित करने का अवश्वासन दिया

आकाशवाणी-जगदलपुर

आकाशवाणी ने दिनांक 05 जून 2009 को केंद्र के सभागार में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया ।

डॉ. राजेन्द्र पण्डा, अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जगदलपुर ने आकाशवाणी की प्रशंसा करते हुए बताया कि आकाशवाणी केंद्र हिंदी की तिमाही रिपोर्ट भेजने में भी अग्रणी रहता है तथा इस केंद्र पर हिंदी का अच्छा माहौल है तथा लोग हिंदी में कार्य कर रहे हैं, जो अच्छी बात है ।

श्री शशिकान्त व्यास ने अपने उद्बोधन में बताया कि हमारा केंद्र 'क' क्षेत्र में आता है और हमें 100 प्रतिशत हिंदी में कार्य करना चाहिए । उन्होंने बताया कि हमने विशेष तौर पर प्रबंधक राजभाषा एन.एम.डी.सी. को आमंत्रित किया है ताकि राजभाषा संबंधी पुख्ता जानकारी प्राप्त हो । श्री ए.के. श्रीवास्तव सहायक अभियंता एवं अभियांत्रिकी प्रमुख तथा सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जगदलपुर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिंदी में ही करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने बताया कि उनकी योजना नगर के विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी के कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने की भी है तथा इस पर अध्यक्ष महोदय के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार की जा रही है तथा शीघ्र ही इस पर अमल किया जाएगा ।

इसके पश्चात् कार्यशाला के प्रथम सत्र में सुश्री लावण्य लवली ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी कार्यशाला का उद्देश्य बताया । उन्होंने कहा कि हिंदी में निखार लाने और समय-समय पर इसकी प्रगति की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन आवश्यक होता है । उन्होंने हिंदी के राजभाषा बनने के विकासक्रम की जानकारी दी । धारा 3(3) को विस्तृत रूप से समझाया तथा उसके अन्तर्गत आने वाले कागज़ातों के बारे जानकारी दी साथ ही बताया कि 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए ।

आकाशवाणी महानिदेशालय

यूनानी अनुसंधान केंद्र, श्रीनगर के संयुक्त तत्वाधान में रेडियो कश्मीर, श्रीनगर द्वारा दिनांक 22 मई, 2009 को रेडियो कश्मीर श्रीनगर कार्यालय में स्थित सभा कक्ष में एक दिवसीय संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में आकाशवाणी श्रीनगर तथा यूनानी अनुसंधान केन्द्र, श्रीनगर के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

संयुक्त हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि उप महानिदेशक (उ.क्षे.) सुश्री टी. डोलकर महोदया ने किया । मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में हिंदी प्रयोग की अनिवार्यताओं के परिपालन पर बल देते हुए संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणों से संबंधित अपने अनुभवों की जानकारी दी । हिंदी प्रयोग का सम्पूर्ण दायित्व कार्यालय प्रमुख का होता है । कार्यालय प्रमुख को हिंदी से संबंधित नियमों की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए । अपने स्वागत भाषण में डॉ. रफीक राज ने कहा कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को होने के बावजूद अपेक्षित मात्रा

में हिंदी में कार्य नहीं हो रहा है । इसका कारण है लोगों की अंग्रेजी में कार्य करने की मानसिकता । उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि इस कार्यशाला के आयोजन को सार्थक बनाते हुए, यहां मिल बैठकर अपनी राजभाषा संबंधी समस्याओं/कठिनाइयों को दूर करने पर चर्चा करें । मुख्य वक्ता के रूप में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) डॉ. कृष्ण नारायण पाण्डेय को आमंत्रित किया गया । डॉ. पाण्डेय ने हिंदी भाषा के प्रारंभ से लेकर आज तक के विकास की जानकारी दी तथा राजभाषा के रूप में हिंदी के महत्व को प्रतिपादित किया । संयुक्त हिंदी कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति का संक्षिप्त परिचय दिया । श्रीमती ऋचा बनर्जी, उप निदेशक (राजभाषा) आयुक्त विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हिंदी में कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के सुझाव प्रस्तुत किए । देवनागरी लिपि में हिंदी की सामान्य अशुद्धियों को दूर करने हेतु सुझाव भी दिए । दूरदर्शन श्रीनगर ने निदेशक डॉ. रफीक मसूदी ने काव्यमय भाषा में सभी को राजभाषा हिंदी में ही अधिकाधिक सरकारी कार्य करने की प्रेरणा दी ।

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल

महानिदेशालय, भा.ति.सी. पुलिस द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं सरकारी काम हिंदी में करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए लिपिकीय प्रशिक्षण स्कूल, एस.एस. वाहिनी, भा.ति.सी. पुलिस, सबोली, हरियाणा में बल की विभिन्न इकाइयों से आए 30 है. कां./सी.एम. के लिए 01-06-2009 से 04-06-2009 तक "चार दिवसीय हिंदी कार्यशाला" आयोजित की गई ।

इस कार्यशाला के समापन पर प्रशिक्षणार्थियों को एस. एस. वाहिनी, भा.ति.सी. पुलिस में आयोजित एक सादे समारोह में मुख्य अतिथि श्री जसपाल सिंह, उप महानिरीक्षक(क्रय) द्वारा हिंदी कार्यशाला में रूचिपूर्वक भाग लेने संबंधी "प्रमाणपत्र" प्रदान किया गया । इस "प्रमाणपत्र वितरण" समारोह के साथ-साथ 41वें सामान्य स्थापना एवं लेखा पाठ्यक्रम का समापन भी आयोजित किया गया । इस अवसर पर में एस.एस. वाहिनी के श्री जी. सिन्हा, सेनानी, अन्य अधिकारीगण और लिपिकीय प्रशिक्षण स्कूल, एस.एस. वाहिनी के प्रभारी श्री ओम प्रकाश शर्मा, सहायक सेनानी (कार्यालय) श्री श्याम लाल, सूबेदार मेजर (रा.भा.) एवं व्याख्यता भी उपस्थित थे ।

श्री जी. सिन्हा, सेनानी ने अपने स्वागत संबोधन में लिपिकीय कोर्स एवं हिंदी कार्यशाला के संबंध में जानकारी दी । उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कोर्स में अनुशासन एवं रूचिपूर्वक भाग लेने के लिए सराहना की । उन्होंने हिंदी कार्यशाला की परीक्षा का परिणाम घोषित करते हुए प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त कर्मियों के साथ-साथ सभी प्रशिक्षणार्थियों को बधाई दी । उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को अपने सरकारी काम में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अपने साथियों की भी हिंदी में काम करने में मदद करें । उन्होंने अवगत कराया कि इस कार्यशाला में हिंदी से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्याख्यान के साथ-साथ संबंधित विषयों का अभ्यास भी करवाया गया । सभी प्रशिक्षणार्थियों ने इसमें उत्साह और रूचि से भाग लेकर कार्यशाला को सफल बनाया ।

मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि श्री जसपाल सिंह, उप महानिरीक्षक (क्रय) ने सर्वप्रथम सभी प्रशिक्षणार्थियों को कार्यशाला में रूचिपूर्वक भाग लेने और इसके सफल आयोजन के लिए बधाई दी । उन्होंने कहा कि यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि महानिदेशालय स्तर पर बल के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है ।

मुख्य अतिथि ने कहा कि हैड कांस्टेबल/सी.एम. लिपिकीय कॉडर की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं । उन्हीं के द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामलों चाहे वह वेतन, भत्तों या छुट्टी का हो, पर कार्रवाई प्रारंभ की जाती है । आप उन जवानों का विशेष ध्यान रखें जो सीमावर्ती चौकियों पर तैनात रहते हैं । उनके मामलों को प्राथमकिता से निपटाएं । सभी के प्रति आपका रवैया सकारात्मक और हर संभव मदद उपलब्ध करवाने का होना चाहिए । उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध किया अपने काम के प्रति सकारात्मक सोच अपनाएं । अपने दैनिक सरकारी कार्य में हिंदी के सरल शब्दों का प्रयोग करें और कठिन शब्दों के प्रयोग से बचें । यदि किसी कठिन शब्द का प्रयोग जरूरी हो तो वहां पर कोष्ठक में अंग्रेजी का शब्द भी लिख दें ताकि उसे समझने में कोई कठिनाई न हो । उन्होंने कहा कि आपने कार्यशाला में जो सीखा है उसे अपने सहकर्मियों को भी सिखाएं । अपने सहयोगियों को भी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें, तभी हिंदी कार्यशाला के आयोजन की सार्थकता सिद्ध होगी ।

(घ) हिंदी दिवस

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार 14 सितंबर, 2009 को विज्ञान भवन में हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया । महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल मुख्य अतिथि और गृह मंत्री श्री. पी. चिदम्बरम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की । गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने भाषण में कहा कि आज हम सभी को मिलकर देशभर में राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने और इसकी प्रगति के लिए सम्पूर्ण निष्ठा और लगन से कार्य करना होगा । इसके साथ ही हमें यह भी संकल्प लेना होगा कि हम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग कर राजभाषा नीति को सफल बनाने में अपना सहयोग देंगे । उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रबल इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से ही हम हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दे सकते हैं और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं ।

गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने विचार व्यक्त किया कि हिंदी के और विकास के लिए या इसी उद्देश्य के लिए अन्य भाषा विकास हेतु भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को ग्रहण करने में हमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए । उन्होंने उल्लेख किया कि हमारे देश में अनेकता में एकता अनूठी परम्परा रही है । यहां अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं, सामाजिक रीति-रिवाज, खान-पान, रहन-सहन तथा पहनावे भी अलग-अलग हैं । परन्तु फिर भी हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं । लोगों में आपसी संवाद और सम्प्रेषण के लिए हिंदी भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

सरकार ने आम आदमी की भलाई के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं । इन योजनाओं की आम लोगों को समझ प्रदान करने तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हमें लोगों तक पहुंचना होगा और उनके साथ उनकी बोलचाल की भाषा में ही संवाद करना होगा । सरकार की राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सदभावना पर आधारित है । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इसी नीति के आधार पर राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार संभव हो सकेगा तथा इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस अवसर पर उल्लेख किया कि भाषा मानवीय संस्कृति का एक अनुपम सृजन है । इसमें राष्ट्र की समस्त संस्कृति समाहित और सुरक्षित रहती है । हमारी जीवनशैली, परम्पराओं और इतिहास में भाषा का अपना विशिष्ट स्थान होता है । भाषा राष्ट्र की अस्मिता और सम्मान का प्रतीक होती है । इसलिए अपनी पहचान को बनाए रखने और अपनी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए हमें अपनी भाषाओं का संवर्धन, विकास और प्रचार-प्रसार करने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए । सभी के सामूहिक प्रयास से हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार तेजी से कर सकते हैं ।

उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान-विज्ञान से संबधित विषयों की पुस्तकों की रचना सरल व बोधगम्य हिंदी में की जाए । आज विभिन्न क्षेत्रों जैसे शासन, वाणिज्य, व्यापार और मीडिया आदि के क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग स्वत: ही बढ़ रहा है । हमें हिंदी की सरलता को बनाए रखने के साथ-साथ इसकी शब्द संपदा को भी बढ़ाने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए । यह कार्य हम संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को अपना कर सहजता से कर सकते हैं । सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में राजभाषा हिंदी को प्रौद्योगिकी की दृष्टि से संपन्न करना नितांत आवश्यक है और तभी हिंदी और सूचना प्रौद्योगिकी के बीच सामंजस्य स्थापित हो सकेगा । उन्होंने इस दिशा में राजभाषा विभाग द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई दी ।

आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ रहा है और अनेकों अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है । उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए

शेष पृष्ठ 87 पर

संगोष्ठी/सम्मेलन

गुवाहाटी रिफाइनरी में राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन

दिनांक 25-03-09 को गुवाहाटी रिफाइनरी प्रशिक्षण केन्द्र में नराकास स्तर पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषयवस्तु था "पूर्वोत्तर प्रदेशों में हिंदी का कार्यान्वयन- दशा, दिशा और चुनौतियाँ"। संगोष्ठी का प्रारंम्भ दीप प्रज्जवलन एवं भजन से किया गया। उद्घाटन सत्र में गुवाहाटी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक श्री जी. भानुमूर्ति, उप महाप्रबंधक श्री डब्ल्यू. आर. बराबरा, मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात हिंदी सेवी व असम राष्ट्रभाषा के संस्थापक सदस्य श्री चित्र महंत, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप श्री अशोक कुमार मिश्र ज़ी तथा वरिष्ठ प्रबंधक (निगम संचार व राजभाषा कार्या.) श्रीमती अंजना बरूवा शर्मा उपस्थित थे। संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वानजनों का स्वागत उप महाप्रबंधक श्री डब्ल्यू. आर. बरबरा ने किया।

संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए गुवाहाटी के कार्यपालक निदेशक श्री जी. भानुमूर्ति ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी का प्रचार-प्रसार धीरे-धीरे गति पकड़ ली है और इस क्षेत्र से कई हिंदी के विद्वानों ने हिंदी साहित्य विधा में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किए है। संगोष्ठी में हुए विचारों का आदान-प्रदान से पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजभाषा की स्थिति सुधारने में अहम भूमिका निभा सकते है। हिंदी मुख्य अतिथि श्री चित्र महंत ने अपनी भाषण में असम हिंदी का विकास के बारे में संक्षिप्त में बताते हुए कहा कि शंकरदेव के दिनों से ही असम में हिंदी का वातावरण रहा है जो आज भी हिंदी बोलने वाला, समझने वाला अधिक है। पर खेद की बात है कि दफ्तरों में हिंदी का विकास की प्रक्रिया कम है। भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार मिश्र ने कहा कि संगोष्ठी में हुए विचार-मंथन के द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन में नयी दिशा प्राप्त हो सकती है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की पंक्ति उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि "निज भाषा. उन्नति अहै सब उन्नति को मूल" अर्थात् सब उन्नति जड़ अपनी भाषा यानि राष्ट्र भाषा की उन्नति में ही मौजूद है। उद्घाटन सत्र में गुवाहाटी रिफाइनरी में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए उठाए गए प्रयासों पर एक संक्षिप्त विवरण स्लाइड प्रस्तुतीकरण द्वारा दिखाए गए।

दो सत्रों में विभाजित इस संगोष्ठी में चार विषयों पर चार विशेषज्ञों ने अपना अपना व्याख्यान रखा और प्रथम सत्र में राजभाषा विभाग के सहायक निदेशक श्री अशोक कुमार मिश्र जी ने और द्वितीय सत्र में केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त श्री ए.के. वाजपेयी जी ने अध्यक्षता की। प्रथम सत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक उपमहाप्रबंधक श्री एम.वी. अशोकन ने "राजभाषा कार्यान्वयन प्रबंधीय समस्याएँ और चुनौतियाँ" पर स्लाइड प्रस्तुतीकरण द्वारा अपना अमुल्य विचार प्रकट किए और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के डॉ.अच्युत शर्मा जी ने "हिंदी का सरलीकरण-कार्यालयीन व्यवहार में" के बारे में सारगर्भित व्याख्यान किए। द्वितीय सत्र राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, ईटानगर से पधारे प्रो.ए.के.नाथ ने "सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी-उपयोग की समस्या व समाधान" और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के डॉ. दिलीप बोरा जी ने "हिंदी शिक्षण अपेक्षा और उपेक्षा पूर्वोत्तर भाषा बनने के संदर्भ में" पर अपना-अपना ज्ञान गर्भित वाख्यान समक्ष रखे।

पश्चिम रेलवे, मु.का.प्र. का कार्यालय-दाहोद

धूम्रपान निषेध दिवस के उपलक्ष में हिंदी संगोष्ठी

प.रे.के दाहोद स्थित लोको, कैरेज एवं वैगन कारखाना के राजभाषा विभाग के तत्वाधान में दिनांक 30 05 2009 को दाहोद चिकित्सालय में तथा 02 06 2009 को मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय में धूम्रपान से मुक्ति कैसे पाई जाए विषय पर हिंदी में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री एस. के. गुप्ता मु.चि. अधी. तथा अध्यक्ष के रूप में श्री संजय अग्रवाल, मु.का. प्र. उपस्थित थे।

इस संगोष्ठी में श्री सुधाकर शर्मा, व. मं. चि. अधि.-दाहोद ने धुम्रपान से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की रोकथाम के विषय में अपने विचारों को व्यक्त करने के साथ ही स्लाईड को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया तथा कर्मचारियों द्वारा विविध बीमारियों के बारे में पूछी गई शंकाओं का समाधान किया। इसके अलावा इन विषयों पर विचारों का अदान-प्रदान किया गया। इस समारोह में स्लाईड के माध्यम से दर्शाए व व्यक्त विचारों की सभी ने भूरी-भूरी प्रशंसा की। समारोह में स्थानीय अधिकारियों के अलावा कारखाना के सभी अनुभागों के शॉप अधीक्षक एवं वरिष्ठ पर्यवेक्षकों एवं कर्मचारियों को मिलाकर लगभग 60 पदाधिकारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम के आरंभ में इस कार्यक्रम के आयोजक श्री वी.पी. शर्मा राजभाषा अधीक्षक ने सभी का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन का संक्षिप्त परिचय दिया। इस अवसर पर मुख्य कारखाना प्रबंधक ने सभी कर्मचारियों से अपील की कि वे इस सेमिनार में धूम्रपान से उत्पन्न विभिन्न बीमारियों के निजात के बारे में बताई बातों का पालन करते हुए दृढ़ संकल्पित होकर स्वस्थ जीवन अपनाएं तथा स्वयं एवं अपने परिवार को सुखी रखें। इसी के साथ स: धन्यवाद के साथ संगोष्ठी का समापन किया गया।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून

25वीं आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन

आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठियों के क्रम में "25वीं आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी" का आयोजन संस्थान के सर सी. वी. रमन व्याख्यान-कक्ष में किया गया।

डॉ. मधुकर ओंकारनाथ गर्ग, निदेशक, भापेसं ने संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए जहां राजभाषा अनुभाग द्वारा निर्बाध आयोजित की जा रही आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठियों के लिए राजभाषा अनुभाग के प्रयासों की सराहना की, वहीं इस शृंखला को भारतीय वैज्ञानिक संगठनों आदि के लिए भी अत्यंत अनुकरणीय व उत्प्रेरकीय बताया। उन्होंने कहा कि नए कार्य की शुरूआत करना जितना आसान है, उसमें नैरंतर्य बनाना उतना ही कठिन भी। उन्होंने कहा कि संगोष्ठियों में पढ़े गए इन महत्वपूर्ण विषयों पर हिंदी में प्रकाशित यह पुस्तक निश्चित रूप से अन्यों के लिए अपनी भाषा में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करेगी। उन्होंने सभी शोध पत्र प्रस्तुतकर्ताओं का भी आह्वान किया कि वे इसी प्रकार हिंदी में अपने कार्यों की प्रस्तुति देते रहें।

संगोष्ठी का संचालन करते हुए संस्थान के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं संयोजक डॉ. दिनेश चमोला ने कहा कि विज्ञान के लोकप्रियकरण की शृंखला में आज ऐसे विज्ञान सचेतकों की आवश्यकता है जो स्वाभिमानपूर्वक अपनी भाषा एवं आंचलिक भाषाओं में उसका प्रचार प्रसार करें। विज्ञान सम्मत दृष्टि विकसित करने तथा गूढ़ रहस्यों एवं वैज्ञानिक जानकारियों को हिंदी में प्रसारित करने से ही युवा पीढ़ी में मौलिक विज्ञान चिंतन व लेखन को बल मिल सकता है। वैज्ञानिक उपलब्धियां तब तक निष्प्राण हैं, जब तक वे भाषाई कवच से प्राणवान होकर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती। विचारों की मौलिक व प्रभावी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में ही संभव है।

संगोष्ठी सत्र में सर्वप्रथम डॉ. सविता कौल ने "गिल्सरीन का तृतीय ब्यूटाइल ईथर में रूपांतरण" विषय के अंतर्गत गिल्सरॉल का उत्पादन, गिल्सरॉल के नए प्रयोग, कच्चे गिल्सरॉल का शुद्धिकरण, जैव डीजल उत्पादन से गिल्सरॉल, प्राथमिक ऑक्सीजनीकरण, गिल्सरॉल का ईथरीकरण, जीटीबीई के लाभ तथा ऑक्सीजनीकरण के रूप में ईथर आदि बिंदुओं पर; श्री अवनीश कुमार ने "आयनिक द्रवों के विभिन्न संभावित उपयोग" विषय पर आयनिक द्रव क्या है? आयनिक द्रवों के गुण तथा आयनिक द्रव के उपयोग आदि पर; श्रीमती पुष्पा गुप्ता ने "अधिशोषण प्रक्रम द्वारा पॉलिमेरिक रेसिन की सहायता से फरफ्युरल को अपशिष्ट जल से अलग करना" विषय पर, पृष्ठ भूमि, उद्देश्य, फरफुयुरल व अधि शोषक के गुण तथा निष्कर्ष आदि बिंदुओं पर; तथा सुश्री मनीषा सहाय ने "अनुपयोगी प्लास्टिक से उपयोगी पदार्थों का उत्पादन (भापेसं का प्रक्रम)"; विषय पर अनुपयोगी प्लास्टिक की उत्पत्ति, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण/निपटान, भापेसं प्रक्रम का उद्देश्य, महत्वपूर्ण गतिविधियां, क्रिया पद्धति, अपशिष्ट प्लास्टिक से द्रव ईंधन का उत्पादन, प्राप्त उत्पादों का प्रकृति, भापेसं प्रक्रम के लाभ तथा निष्कर्ष पर प्रभावी प्रस्तुतियां दी।

प्रत्येक शोधपत्र की प्रस्तुति पर उपस्थित श्रोताओं ने वक्ताओं से अपने प्रश्नों, जिज्ञासाओं एवं शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। इसमें वरिष्ठ वैज्ञानिकों, तकनीकी कर्मचारियों के साथ साथ देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों,

महाविद्यालयों एवं सरकारी प्रतिष्ठानों से आए प्रशिक्षणर्थियों ने भी भाग लिया । संगोष्ठी की संपूर्ण सफलता में विशेष सहयोग श्री प्रताप सिंह चौहान, मुकेश चंद्र रतूड़ी एवं श्री दीपक कुमार का रहा । अंत में धन्यवाद प्रस्ताव डॉ. चमोला ने ज्ञापित किया ।

नराकास, चण्डीगढ़

राजभाषा अधिकारी सम्मेलन आयोजित

चण्डीगढ़ स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/निगमों एवं उपक्रमों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने अपने सदस्य कार्यालयों में कार्यरत राजभाषा अधिकारियों/हिंदी अधिकारियों एवं सहायक निदेशक (राजभाषा) के लिए क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान सैक्टर-32 में दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया । सेमीनार में 35 अधिकारियों ने भाग लिया । श्री रामकृष्ण मिशन, चंडीगढ़ के सचिव स्वामी ब्रह्मेशानंद जी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया एवं निदेशक, सहकारी प्रबंध संस्थान डॉ. नीरज पसरीचा ने अध्यक्षता की ।

स्वामी जी ने तनावयुक्त जीवन, समय प्रबंधन एवं हमारी सामाजिक जिम्मेदारियाँ इत्यादि पर अपने गहन अनुभव से प्रतिभागियों को लाभान्वित किया । उन्होंने कहा कि तनाव मुक्ति का तात्पर्य संवेदनहीनता कदापि नहीं है । ईश्वर चिंतन, खुलकर हँसने और रोने से भी तनाव मुक्ति मिलती है । सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों ने अपने कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के किए जा रहे प्रयासों, आने वाली कठिनाईयों तथा संभावित उपायों पर गहन विचार-विमर्श किया । सम्मेलन में व्यावहारिक अनुवाद, राजभाषा अधिकारियों के दायित्वों एवं कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई । सम्मेलन के दूसरे दिन दैनिक ट्रिब्यून के संपादक श्री नरेश कौशल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे । श्री कौशल ने मीडिया में हिंदी के प्रयोग के बारे में प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी दी । उन्होंने कहा कि हिंदी का प्रयोग न केवल भारत में अपितु विश्व स्तर पर भी निरंतर बढ़ रहा है । अत: हिंदी जगत के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है । उन्होंने कार्यालयों में सरल व्यावहारिक हिंदी के प्रयोग पर बल दिया । डॉ. नीरज पसरीचा, निदेशक, सहकारी प्रबंध संस्थान ने प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए । उन्होंने सम्मेलन को केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी बताया । सम्मेलन की समस्त व्यवस्था एवं संचालन आयकर विभाग में सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव डॉ. सुरेन्द्र शर्मा द्वारा किया गया ।

बोकारो

राजभाषा संगोष्ठी एवं काव्य गोष्ठी आयोजित

बोकारो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में स्थानीय बोकारो निवास स्थित बैंकट हॉल में एक राजभाषा संगोष्ठी सह काव्य गोष्ठी का भव्य आयोजन 29 जून, 2009 को किया गया । बोकारे स्टील प्लांट के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष नराकास, बोकारो श्री बी. के. श्रीवास्तव इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे । अपने संबोधन में मुख्य अतिथि श्री श्रीवास्तव ने हिंदी के प्रयोग को और भी व्यापक रूप देने के लिए सदस्य संगठनों को सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया ।

आरम्भ में श्री उमा कान्त शरण, उप महाप्रबंधक(सं. एवं प्रशा.) तथा सदस्य सचिव नराकास, बोकारो ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा राजभाषा संगोष्ठी के आयोजन की उपादेयता पर प्रकाश डाला । इसके उपरान्त मुख्य अतिथि श्री श्रीवास्तव एवं विशिष्ठ अतिथियों ने मंगलदीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया तथा नराकास की वार्षिक गृह पत्रिका ''कलश'' के छठे अंक का लोकार्पण किया । कार्यक्रम का शुभारम्भ हिंदी प्रयोग से जुड़ी भावनाएँ उकेरतं मंगलाचरण के साथ हुआ ।

उद्घाटन सत्र का संचालन श्री उदय कान्त सिंह, प्रबंधक (राजभाषा), बी एस एल ने किया तथा श्री बी जे प्रकाश, सहायक महाप्रबंधक (सं.एवं प्रशा.) ने धन्यवाद ज्ञापन किया ।

संगोष्ठी का प्रस्तुतीकरण सत्र की अध्यक्षता श्री रामाधार झा. अधिशासी निदेशक, एच एस सी एल ने की । संगोष्ठी में परिचार्या का विषय था भूमण्डलीकरण के दौर में हिंदी : वर्तमान एवं भविष्य । इस विषय पर श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक, रांची सर्किल, श्री ब्योमकेश कुमार, उप महाप्रबंधक, मेकन, श्री सभाजीत सिंह, प्रबंधक(राजभाषा) बी आर एल, श्री उदय कान्त सिंह, प्रबंधक(सं.एवं प्रशा./राजभाषा)

बी एस एल,श्री वीरेश कुमार गहलौत, सहायक महाप्रबंधक (प्रशिक्षण), बी एस एल एवं श्री विन्देश्वर झा. वरीय शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय ने अपने शोधपूर्ण आलेख प्रस्तुत किए ।

अपनी समीक्षा अभिव्यक्ति में सत्राध्यक्ष श्री झा ने हिंदी भाषी लोगों को अन्य भारतीय भाषाएं सीखने, उनका सम्मान करने तथा कार्यालय में राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक काम कर गौरवान्वित महसूस करने का संदेश दिया ।

प्रस्तुति सत्र का संचालन श्री शम्भू शरण सिंह, कनीय अधिकारी, बी एस एल ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री के के मिश्र कनीय प्रबंधक (सं. एवं प्रशा.) बी एस एल ने किया ।

पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी, शिलांग

शिलांग में 'पूर्वोत्तर क्षेत्रीय हिंदी विकास सम्मेलन' आयोजित

राष्ट्र लिपि, राष्ट्रभाषा एवं हिंदी साहित्य के विकास के लिए तत्पर पूर्वोत्तर भारत की सक्रिय शैक्षिक एवं साहित्यिक संस्था पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी द्वारा 22 से 24 मई, 2009 तक तीन दिवसीय पूर्वोत्तर क्षेत्रीय हिंदी विकास सम्मेलन, अखिल भारतीय लेखक सम्मान समारोह, डा. महाराज कृष्ण जैन स्मृति पुरस्कार एवं सम्मान, कार्टून एवं पत्र-पत्रिका प्रदर्शनी, बहुभाषी काव्य गोष्ठी का आयोजन श्री राजस्थान विश्राम भवन, गाड़ीखाना, शिलांग में किया गया । इस समारोह में देश के विभिन्न भागों से 48 साहित्यकारों ने भाग लिया ।

समारोह का पहला सत्र 22 मई को दोपहर 3 बजे से आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता हिंदी विभाग पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डा. सुशील कुमार शर्मा ने की ।

उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि पद्मश्री मानस चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार एवं भूतपूर्व शिक्षामंत्री मेघालय ने शुभ तारिका के 'डा. कृष्णांक 8' का लोकार्पण किया । इसके साथ ही पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी, शिलांग द्वारा प्रकाशित 50 कवियों की कविताओं का संग्रह 'पगडण्डियां पहाड़ की', पत्रिका 'हम सब साथ साथ' तथा कविता संग्रह 'नारी हूं मैं कौन?' का भी लोकार्पण मंचस्थ अतिथियों ने किया । संगीत नाटक अकादेमी उत्तर पूर्वी केंद्र शिलांग के उप सचिव डा. ओमप्रकाश भारती ने अपनी बीजभाषण में कहा कि इस तरह का आयोजन निश्चय ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है । इस क्षेत्र के साहित्य का अनुवाद हिंदी में किया जाना चाहिए और इसके लिए अकादमी को प्रयास करना होगा । इस दिशा में पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि हिंदी के विकास के लिए यहाँ के पाठ्यक्रमों में स्थानीय विषयों पर आधारित लेख, कहानी, निबंध आदि को शामिल किया जाना चाहिए । यहाँ के साहित्य को हिंदी में अनुवाद कर हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना एक सफल प्रयास होगा ।

विशिष्ट अतिथि डा. ब्रह्मदेव राम तिवारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, एस.डी.ओ. सोहरा, चेरापूँजी ने अपने उद्बोधन में पूर्वोत्तर में हिंदी के विकास पर बल देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर भारत में जिस गति से हिंदी का विकास हो रहा है वह निश्चय ही सराहनीय है । मुख्य अतिथि पद्मश्री मानस चौधरी ने पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी की गतिविधियों की चर्चा करते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन निश्चय ही हिंदी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा । पूर्वोत्तर भारत में जो हिंदी का विकास हो रहा है उसमें रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म आदि का विशेष प्रभाव है । डा. सुशील कुमार शर्मा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि पूर्वोत्तर भारत में हिंदी साहित्य और भाषा के विकास हेतु अकादमी काफी कार्य निरंतर कर रही है । नागालैण्ड और मेघालय के दूर दराज के गाँवों में अकादमी द्वारा कई कार्यक्रम किए जा चुके हैं । डाकघर के डाक वितरकों को प्रत्येक वर्ष नागरी लिपि का ज्ञान नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली के सहयोग से विगत सात वर्षों से कराया जाता रहा है । इससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिला है । डा. शर्मा ने कहा कि निकट भविष्य में हिंदी पत्रिका के प्रकाशन के विषय में भी विचार किया जा रहा है । इस सत्र का सफल संचालन श्रीमती अंतरा करवड़े (इंदौर, म. प्र.) ने किया । पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी के सचिव डा. अकेलाभाई के धन्यवाद ज्ञापन के बाद इस सत्र का समापन हुआ ।

प्रधान कार्यालय दक्षिण मध्य रेलवे

"छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन" विषय पर लेखा विभाग एवं राजभाषा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी संगोष्ठी का आयोजन

दक्षिण मध्य रेलवे के प्रधान कार्यालय में दिनांक 06-03-2009 को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का

कार्यान्वयन विषय पर लेखा विभाग तथा राजभाषा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता श्री चंद्रशेखरन, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी ने की और इस संगोष्ठी में श्री मनोज पांडे, मुख्य कार्मिक अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

संगोष्ठी के प्रारंभ में, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्रीमती मंगला अभ्यंकर ने बताया कि राजभाषा के प्रयोग-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी श्रृंखला में हिंदी में संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग केवल फाइलों तक ही सीमित न रहे, बल्कि विचारों के आदान-प्रदान में भी अधिक से अधिक बढ़े। इस संगोष्ठी में प्रवक्ताओं ने नए वेतनमान, ग्रेड वेतन, विभिन्न प्रकार की छुट्टियाँ, पेंशन विषयों पर पावरपाइंट के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से राजभाषा के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। उन्होंने संगोष्ठी के आयोजन में विशेष रूचि लेने के लिए विसमुलेधि/सा, श्री ए. गोपीनाथ को धन्यवाद दिया।

श्री ए. गोपीनाथ, विसमुलेधि/सा ने बताया कि संगोष्ठी को रूचिकर बनाने के लिए छठे वेतन आयोग विषय का चयन किया गया है। इसमें पेपर प्रस्तुत करने वाले तीनों सहयोगी अहिंदी भाषी हैं फिर भी उन्होंने अच्छी तैयारी की है। सभी प्रवक्ता बोल-चाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री चंद्रशेखरन जी ने आशा व्यक्त की कि इस संगोष्ठी के आयोजन से कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में जानकारी तो प्राप्त होगी, साथ ही, राजभाषा के प्रयोग-प्रसार में लेखा विभाग का योगदान भी रहेगा।

मुख्य अतिथि श्री मनोज पांडे ने कहा कि विचारों का आदान-प्रदान हिंदी में किया जाए तो हिंदी में काम करने की झिझक दूर हो जाती है।

प्रवक्ता श्री वी.एच. नागेश्वर राव, वसविस/सा ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में लेखा संवर्ग से संबंधित विसंगतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने नए यात्रा भत्ता दरों, ए सी पी, छुट्टी नकदीकरण के बारे में बताया।

श्री मनोहर पिल्लै, वसविस/स्था ने वेतनमान, ग्रेड वेतन, प्रसूति छुट्टी, शिशु देखभाल छुट्टी, वेनतवृद्धि में समानता, सेवानिवृत्ति के समय छुट्टी नकदीकरण, शिक्षा भत्ता, विकलांग कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी, परिवहन भत्ता आदि के बारे में जानकारी दी गई।

श्री आर वल्लवन, लेधि/पेंशन और श्री मो. अपज़ालुद्दीन सलेधि/वित्त ने नए पेंशन की मात्रा, राशि, अर्हक सेवा परिकलन, सेवानिवृत्ति समानुपाती पेंशन, संराशीकरण देय, उपदान, परिवार पेंशन आदि के बारे में विस्तार से बताया।

पृष्ठ 82 का शेष

कहा कि वे राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में आगे अपने रचनात्मक कार्यों को जारी रखेंगे और दूसरों को भी हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे।

इस समारोह के दौरान महामहिम राष्ट्रपति जी ने वर्ष 2007-08 के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार एवं वर्ष 2008-09 के लिए हिंदी गृह पत्रिका पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर शील्ड/प्रमाण-पत्र/नकद राशि के रूप में कुल 47 पुरस्कार प्रदान किए गए।

इस अवसर पर सचिव, राजभाषा विभाग, डा. प्रदीप कुमार जी ने अपने प्रस्तुतीकरण में राजभाषा हिंदी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का सांख्यिकीय रूप से प्रभावशाली वर्णन किया। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के अंत में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के समक्ष आ रही कुछ कठिनाइयों का भी उल्लेख किया। अंत में अपने धन्यवाद ज्ञापन में उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय गृह गृह मंत्री जी, माननीय गृह राज्य मंत्रियों, अन्य मंत्रिगणों, पुरस्कार विजताओं, समारोह में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों, विशिष्ट अतिथियों और मीडिया के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

दक्षिण मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, सिकंदराबाद

राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए और कर्मचारियों के बीच हिंदी का अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की कड़ी के रूप में दक्षिण मध्य रेलवे पर दि. 6-5-2009 और 7-5-2009 को क्षेत्रीय हिंदी नाटक प्रतियोगिता का भव्य रूप से आयोजन किया गया । इसका उद्घाटन रेल निलयम प्रेक्षागृह में श्री एस. के. शर्मा, अपर महाप्रबंधक द्वारा दीप प्रज्जवलन से सुबह 10. 30 बजे संपन्न हुआ । उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लगभग 15-16 वर्षों से इस रेलवे पर हिंदी नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और अखिल भारतीय स्तर पर कई बार इस रेलवे को पुरस्कार मिले हैं, जो गौरव की बात है । उन्होंने आगे कहा कि नाटक प्रतियोगिताएं केवल भाषा के प्रचार में ही नहीं बल्कि कला और संस्कृति को बनाए रखने में भी सहायक होती हैं । उन्होंने बताया कि नाटक में 'मनोरंजन का पुट' होने से उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है । उन्होंने आशा व्यक्त की कि राजभाषा के प्रयोग-प्रसार के लिए किया जानेवाला यह प्रयास अपने उद्देश्य में सार्थक सिद्ध होगा । मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं भंडार नियंत्रक श्री ए. के. मित्तल ने अपने संबोधन में सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम न केवल मनोरंजक, बल्कि ज्ञानवर्धक भी होते हैं, जिससे हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण बनता है और हिंदी के प्रयोग में भी वृद्धि होती है ।

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्रीमती मंगला अभ्यंकर ने इस रेलवे पर राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार के लिए आयोजित विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख करते हुए, दो दिन की नाटक प्रतियोगिता में मंचित किये जाने वाले नाटकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी ।

इस दो दिवसीय क्षेत्रीय हिंदी नाटक प्रतियोगिता के समापन-समारोह में मुख्य राजभाषा अधिकारी, श्री ए. के. मित्तल अध्यक्ष के रूप में और मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री वी. एस. गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे । कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्रीमती मंगला अभ्यंकर ने किया । इस प्रतियोगिता में प्रधान कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नाटक "रेल की भाषा, मेल की भाषा" को प्रथम पुरस्कार, विजयवाड़ा मंडल द्वारा प्रस्तुत नाटक "श्वेत पत्र" को द्वितीय पुरस्कार और सिंकदराबाद मंडल द्वारा प्रस्तुत नाटक "तुकाराम की बेवकूफी" को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ । इसके अलावा, सर्वोत्कृष्ट अभिनेता, अभिनेत्री तथा अन्य पुरस्कार मुख्य अतिथि द्वारा प्रदान किये गये । श्री वी. एस. गर्ग ने अपने संबोधन में कहा कि इस रेलवे का अधिकांश भाग 'ग' क्षेत्र में स्थित है और यह सचमुच गर्व की बात है कि आंध्र प्रदेश जैसे अहिंदी भाषी प्रदेश में अहिंदी भाषी कर्मचारी बड़े उत्साह व लगन से हिंदी नाटकों में भाग लेते हैं, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । उन्होंने कहा कि कुछ नाटक तो हिंदी भाषी प्रदेश में मंचित नाटकों से भी अच्छे थे । श्री ए. के. मित्तल ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि सर्वोत्कृष्ट घोषित नाटक अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में दक्षिण मध्य रेलवे का प्रतिनिधित्व करेगा । उन्होंने सभी नाटकों में कलाकारों में निहित प्रत्येक पात्र की विशिष्टता, उनकी कला-प्रतिभा की सराहना की । उन्होंने कलाकारों से कहा कि भविष्य में यही उत्साह बनाए रखें ।

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, पश्चिमी सेक्टर मुख्यालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, नवी मुंबई ।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय पश्चिम व मध्य क्षेत्रों द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2009 को बड़ौदा में आयोजित संयुक्त राजभाषा सम्मेलन में इस कार्यालय को वर्ष 2007-08 के लिए भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन एवं हिंदी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन हेतु प्रथम पुरस्कार के तौर पर 'राजभाषा शील्ड' व प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है । कार्यालय

शेष पृष्ठ 94 पर

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय आयएसओ 9001 कंपनी, वास्को-द-गामा, गोवा

पांच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

रियर ऐडमिरल ए. के. हांडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की अध्यक्षता में दिनांक 13 मार्च 2009 को आयोजित 41वीं राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के सौजन्य से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के संयोजन में दिनांक 4 मई 2009 से 8 मई, 2009 तक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में संयुक्त निदेशक श्रीमती किरण सक्सेना को उद्घाटन हेतु और उप निदेशक श्रीमती जानकी नायर तथा अनुवाद और प्रशिक्षण अधिकारी श्रीमती मीना गुप्ता को प्रशिक्षण देने के लिए भेजा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रियर ऐडमिरल ए. के. हांडा की अध्यक्षता में और निदेशक (वित्त) श्री अनंतसयनम, निदेशक (प्रचालन) श्री रंगीला चौधरी, महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) श्री प्रमोद मोहन जौहरी एवं उप महाप्रबंधक ले. कर्नल टी. एम. शर्मा की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया गया। रियर ऐडमिरल हांडा ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो कई वर्षों से देश के विभिन्न भागों में अनुवाद प्रशिक्षण का आयोजन कर हिन्दी के प्रचार प्रसार एवं कार्यान्वयन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोड, मैन्युअल, मानक मसौदे, टिप्पणियां आदि का अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की है। उन्होंने राजभाषा हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की भूमिका पर विशेष बल देते हुए कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी मूल रूप से हिंदी में ही टिप्पण एवं प्रारूप लेखन का प्रयास करें। हिंदी प्रयोग से ही आगे बढ़ेगी।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की संयुक्त निदेशक सक्सेना ने कहा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 'ग' क्षेत्र में होते हुए भी हिंदी पत्राचार में निर्धारित प्रतिशत से ज्यादा पत्र हिंदी में भेजता है इसके लिए उन्होंने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का हिंदी अनुभाग और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के कार्मिकों की सराहना की। उन्होंने संघ की राजभाषा नीति पर विस्तृत चर्चा करते हुए प्रशिक्षणार्थियों का मार्गदर्शन किया। सभी उपस्थितों का स्वागत परिचय करते हुए महा प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) श्री जौहरी ने इस संबंध में कहा कि अनुवाद सरल एवं सुबोध होना चाहिए, उसमें शब्दों के बजाय भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसके कई उदाहरण देते हुए कहा कि सही संप्रेषण हेतु सटीक, निर्दोष अनुवाद का होना आवश्यक है। भाषा को अनुवाद के जरिए बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। उन्होंने केन्द्रीय कार्यालयों से अनुवाद प्रशिक्षण लेने उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों का स्वागत किया एवं उन्हें नामित करने प्राप्त, कार्यालय प्रधान के सहयोग की प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन श्री एस. बी. प्रभूदेसाई, उप प्रबंधक (राजभाषा) ने किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने अनुवाद प्रशिक्षण की महत्ता और अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया कि, माननीय संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुरूप प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त अनुवाद अधिकारी/हिंदी अनुवादकों का ज्ञान तथा स्तर बनाए रखने के लिए अनुवाद कार्य में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उच्चस्तरीय/पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु भेजना अनिवार्य है किन्तु विभिन्न सरकारी उपक्रमों/राष्ट्रीकृत बैंकों, सरकारी कार्यालयों में अनुवाद कार्य में लगे या इसमें जुड़े हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से प्रशिक्षण लेने नामित करना संभव नहीं होता, अत: हमारे अनुरोध पर केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा संचालित यह पांच दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमें इस कार्यक्रम से अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की उप निदेशक, श्रीमती जानकी नायर ने पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अनुवाद के सिद्धांतों एवं प्रक्रिया और पारिभाषिक शब्दावली परिप्रेक्ष्य और प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए अनेकार्थी शब्दों के अनुवाद की समस्या मुहावरें और लोकोक्तियों के अनुवाद की समस्या तथा अनुवाद में आनेवाली व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा की । प्रशिक्षण अधिकारी श्रीमती मीना गुप्ता ने देवनागरी लिपि के उद्भव एवं विकास हिंदी वर्तनी का मानकीकरण तथा कार्यालयीन पत्राचार पर प्रकाश डालते हुए इस संबंध में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की । अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु संघ की राजभाषा नीति एवं अनुवाद व्यवस्था, अनुवाद की प्रक्रिया, जटिल वाक्यों का अनुवाद, विदेशी अभिव्यक्तियां, कार्यलयीन हिंदी का स्वरूप, पत्राचार और अनुवाद, अनुवाद का अभ्यास, सामूहिक चर्चा आदि थी ।

कार्यक्रम के दीक्षांत समारोह के अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अनंतसयनम ने ब्यूरो के निदेशक डां दंगल झाल्टे के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, अनुवाद शब्द की व्याख्या की और अनुवाद के महत्व पर प्रकाश डाला । प्रशिक्षणार्थियों के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती नीलम केंकरे, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, मुरगांव पत्तन न्यास और श्री आर. सी. महतो, हिंदी अनुवादक, भारतीय खान ब्यूरो ने ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रशिक्षण के दौरान अनुवाद से संबंधित समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए और कार्यक्रम की अवधि बढ़ा दी जानी चाहिए । इस अवसर पर महाप्रबंधक (का एवं प्रशा) श्री जौहरी ने बताया कि पूरे विश्व में सर्वाधिक बोली जानेवाली भाषाओं में हिंदी का सर्वोत्तम स्थान है । उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन पर बधाई दी और कार्यक्रम में उपस्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दक्षिण गोवा के सदस्यों से अनुरोध किया कि ब्यूरो द्वारा संचालित 21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का गोवा में आयोजन किया जाए ।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के संयोजन में आयोजित अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया, मुरगांव पत्तन न्यास, भारतीय खान ब्यूरो, जनगणना कार्य निदेशालय, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी, भारतीय नौसेना पोत हंस, तटरक्षक मुख्यालय, कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय, एमएमटीसी लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, आदि कार्यालयों के 12 अधिकारी एवं कार्यालयीन कार्मिकों (अनुवादकों) ने तथा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के 14 कार्मिकों ने भाग लिया । सभी प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार की मुहर से जारी प्रमाणपत्र प्रदान किए गए । तदोपरांत श्रीमती सैली थोमस, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की मुख्य अधीक्षक (राजभाषा) ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया । उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि अनुवाद का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसका संयोजन गोवा शिपयार्ड ने किया है सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयोचित है ।

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड गुवाहटी रिफाइनरी, नूनमाटी, गुवाहाटी

गुवाहाटी रिफाइनरी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न

कार्यालयीन काम-काज में कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुवाहाटी रिफाइनरी प्रशिक्षण केंद्र में दिनांक 12-5-09 को गुवाहटी रिफाइनरी के अधिकारियों, हिंदी संयोजकों तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय ''कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण'' कार्यशाला का आयोजन किया गया । गुवाहाटी रिफाइनरी के वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशि.) श्री कैलाश चन्द्र ने कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन किया । उद्घाटन भाषण में श्री चन्द्र ने सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर का महत्व तथा हिंदी प्रयोग के आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे हिंदी में पत्राचार को बढ़ावा मिलेगी और साथ ही वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए वार्षिक लक्ष्य को पूरा करने में भी सफलता मिलेगी । इससे पहले प्रबंधक (निगम संचार व राजभाषा) श्रीमती चन्द्रिमा शर्मा ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत संबोधन किया ।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से संकाय सदस्य के रूप में पधारे मु. नसीम उल्लाह, प्रबंधक (राजभाषा) ने प्रथम सत्र में यूनीकोड एनकोडिंग समर्थित फोंटस के प्रयोग और इसके बहु आयामी सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी और द्वितीय सत्र में कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के बारे में वास्तविक प्रदर्शन द्वारा प्रशिक्षण दी । इसी अवसर पर प्रतिभागियों के

बीच एक हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया ।

पंजाब नैशनल बैंक, राजभाषा विभाग, आत्माराम हाउस, प्रथम तल, 1, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली : 110001

पंजाब नैशनल बैंक के राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 15 एवं 16 जून, 2009 को अपने बैंक के अंचल प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में प्रधान कार्यालय के प्रभागों/विभागों में कार्यरत राजभाषा अधिकारियों एवं आईटी अधिकारियों को यूनिकोड हिंदी फोंट का प्रशिक्षण देने के लिये एक-एक दिवसीय दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए ।

दिनांक 15 जून को आयोजित कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग तथा दिनांक 16 जून को आयोजित कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये श्री केवल कृष्ण, निदेशक (तकनीकी), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था । उन्होंने प्रशिक्षार्थियों को युनिकोड फोंट लोड करने, इसमें कार्य करने, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय/सीडेक द्वारा तैयार किये गये विभिन्न सॉफ्टवेयरों को प्रयोग में लाने इत्यादि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी । दोनों कार्यक्रम अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल रहे ।

दिनांक 15 जून को आयोजित कार्यक्रम में कुल 18 तथा दिनांक 16 जुन को आयोजित कार्यक्रम में 20 राजभाषा अधिकारी/आईटी अधिकारी सम्मिलित हुए ।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग हिंदी शिक्षण योजना (हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण) ईस्ट ब्लाक-7, लेवल-6 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

विषय :-हिंदी टंकण (कंप्यूटर/मैनुअल) एवं हिंदी आशुलिपि की नई कक्षाओं का गठन-अगस्त, 2009

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी टंकण व हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण का आगामी सत्र अगस्त, 2009 से प्रारंभ होगा । प्रशिक्षार्थियों का कक्षाओं में प्रवेश दिनांक 10 अगस्त, 2009 से प्रारंभ होगा तथा नियमित कक्षाएं दिनांक 17 अगस्त, 2009 से चलेंगी । प्रशिक्षण केंद्रों की विस्तृत जानकारी पृष्ठ 3 पर विस्तार से दी गई है ।

2. प्रशिक्षण के संबंध में संक्षिप्त जानकारी:-

(क) **हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण** की अवधि एक वर्ष है तथा कक्षा प्रत्येक कार्य दिवस पर एक घंटे की होती है । सभी आशुलिपिकों/निजी सहायकों/निजी सचिवों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है । स्थान उपलब्ध होने पर हिंदी टंकण में प्रशिक्षित अवर श्रेणी लिपिकों को भी, विहित शर्तें पुरी होने पर आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जा सकता है । हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण वर्ष 2015 तक पूर्ण किया जाना है ।

(ख) **हिंदी टंकण प्रशिक्षण** की अवधि 6 माह है तथा कक्षा प्रत्येक कार्य दिवस पर एक घंटे की होती है । सभी अवर श्रेणी लिपिकों/अंग्रेजी टंककों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूर संचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों/डाटाएंट्री ऑपरेटरों आदि के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है । इसके अलावा इसमें ग्रुप ''ग'' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी तरह/इसी प्रकृति का कार्य करते है और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं । स्थान उपलब्ध होने पर प्रवर श्रेणी लिपिक (यू. डी. सी.), सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों को भी प्रवेश दिया जाता है ।

(ग) हिंदी टंकण/आशुलिपि परीक्षा पास करने पर गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12014/2/76 रा: भा. (डी) दिनांक 2 9 1976 तथा कार्यालय ज्ञापन सं. 18/3/94-हि. शि. यो. (मुख्या) दिनांक 14-2-1995 के अनुसार निर्धारित

शर्तें पूरी करने पर क्रमशः वैयक्तिक वेतन और नकद पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है ।

(घ) प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए कार्यालय ज्ञापन सं. 12/21/61-एच बी दिनांक 26 जून, 1962 के अनुसार 1.6 कि. मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग-व्यय देय है ।

(च) केंद्रीय उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए टंकण 40/- रुपए तथा आशुलिपि 50/- रुपए प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है । परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम, नई दिल्ली में देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है ।

(छ) प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण स्कंध, हिंदी शिक्षण योजना, ईस्ट ब्लाक 7, लेवल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-66 (दूरभाष-26176055) से भी प्राप्त की जा सकती है ।

3. राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 21034/76/2008-रा.भा. (प्रशि.) (ii) दिनांक 3-12-2008 के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों और केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायत्तशासी निकायों आदि में कार्यरत सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी टाइपलेखन/हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइपलेखन/हिंदी में शब्द संसाधन की प्रशिक्षण कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है किंतु वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी टाइपलेखन/हिंदी शब्द संसाधन की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि ।

4. हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण के इस सत्र के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों को कक्षाओं में प्रवेश के लिए पृष्ठ 3 पर दिए गए कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) से संपर्क करना होगा । संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी जिसे संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि संबधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई समय पर की जा सके । इस पत्र के अलावा प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा । अतः इस पत्र में दिए गए विवरण एवं कार्यक्रम के अनुसार ही उन्हें प्रवेश हेतु स्वयं संबधित केन्द्र पर, निर्धारित तिथि व समय, पर सम्पर्क करना है ।

5. टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों पर केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को कंप्यूटर अथवा मैनुअल टाइपराइटर पर हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है । पृष्ठ सं. 3 पर उपलब्ध तालिका के क्रम संख्या 1,2 एवं 4 पर अंकित केंद्रों पर हिंदी टंकण/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण कंप्यूटर पर तथा क्रम संख्या 3,5, एवं 6 पर अंकित केंद्रों पर मैनुअल टाइपराइटर पर दिया जाएगा ।

क्र. स.	प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता	सहायक निदेशक	कार्यालय/भवन जहां के कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी
1.	रामकृष्णपुरम ईस्ट ब्लाक-2, लेवल-1 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066	श्री चरणजीत वर्मा फोन 26186035	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय

क्र. स.	प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता	साहयक निदेशक	कार्यालय/भवन जहां के कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी
2.	डाक भवन कमरा नं. 109-बी, प्रथम तल, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	सुश्री आशा फोन 23036516	डाक भवन, योजना भवन, पटेल भवन, निर्वाचन सदन, संचार भवन, कनाट प्लेस, रिजर्व बैंक, आकाशवाणी, संसद मार्ग तथा आसपास के सभी कार्यालय बैंक आदि ।
3.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली	सुश्री पूनम ओसवाल 24618271-75 एक्स./556	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन मंत्रालय तथा आसपास के सभी कार्यालय
4.	संघ लोक सेवा आयोग अतिथि गृह भवन, भूतल, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069	श्री महेंद्र कुमार फोन 23098591/4711	संघ लोक सेवा आयोग, लोकनायक भवन, निर्माण भवन, मौसम भवन, भारत पर्यावास केंद्र, अकबर रोड हटमेंट्स, केंद्रीय कार्यालय परिसर तथा आसपास के सभी कार्यालय
5.	उद्योग भवन अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र कमरा नं. 540, उद्योग भवन, नई दिल्ली	अंशकालिक अनुदेशक	उद्योग भवन, निर्माण भवन तथा आसपास के कार्यालय
6.	चर्च रोड अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र कमरा नं. 16, चर्च रोड, नई दिल्ली	अंशकालिक अनुदेशक	वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, चर्च रोड तथा आसपास के कार्यालय

प्रवेश की तिथियां

1.	केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, अधीनस्थ कार्यालय	10 एवं 11 अगस्त, 2009
2.	उपक्रम/निकाय/निगम/बैंक के कर्मचारी	12 अगस्त, 2009

यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को उसके कार्यालय के निकट के प्रशिक्षण केंद्र पर स्थान उपलब्ध न रहने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है तो उसे सूची में दिए गए किसी भी अन्य केंद्र पर प्रवेश के लिए भेजा जा सकता है । प्रशिक्षण में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा ।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों, जिनके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, के ब्योरे निम्नलिखित प्रपत्र पर दिनांक 31-7-09 तक इस कार्यालय को अवश्य भिजवा दिए जाएं । पत्र की एक प्रति संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) को भी प्रेषित की जाए । कृपया नामांकन निर्धारित प्रपत्र पर ही किया जाए तथा नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता एवं टेलीफोन नम्बर का पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो । प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या भी अवश्य दर्शाई जाए ।

प्रशिक्षण हेतु नामित किए जाने के लिए प्रपत्र

30-6-2009 को हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारी		नामित कर्मचारियों का विवरण नाम, पद व हिंदी में शैक्षिक योग्यता सहित					सुविधाजनक केंद्र
टंकण	आशुलिपि	प्रशिक्षण		नाम	पद	हिंदी में योग्यता	
		टंकण	आशुलिपि				
1	2	3	4	5	6	7	8

नामित करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम ....

कार्यालय का नाम व पूरा पता, दूरभाष नं. सहित ....

सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को अपने सभी संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/ इकाइयों/शाखाओं में परिचालित करने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें ।

पृष्ठ 88 का शेष

की ओर से श्री अरूण कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक ने राजभाषा शील्ड तथा श्री नागराज द्विवेदी, निरीक्षक ने प्रमाण पत्र सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रो. रमेश के. गोयल, कुलपति, सयाजीराव विश्वविद्यालय, बडोदरा के कर कमलों से ग्रहण किया । इस अवसर पर डॉ. प्रदीप कुमार, सचिव व संयुक्त सचिव, भारत सरकार भी उपस्थित थे । इस पुरस्कार से इस सेक्टर का मान बढ़ा है तथा भविष्य में और अधिक उत्साह से कार्य करने की प्रेरणा मिली है ।

राजभाषा कार्यान्वयन के मामले में क्रेंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपनी व्यस्तताओं और पारिचालनिक कार्य प्रतिबद्धताओं के बावजूद सदैव प्रयत्नशील रहा है एवं सराहनीय प्रदर्शन किया है । राजभाषा संबंधी संवैधानिक मूल भावना के अनुरूप इस कार्यालय द्वारा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा उसके प्रयोग में गति लाने के लिए कोई रोचक व अनूठे प्रयास किए गए हैं । जैसे, मनोरंजक तरीके से कर्मचारियों का भाषा ज्ञान बढ़ाने के लिए पर्यायवाची सीढ़ी, विलोम सीढ़ी, ज्ञान तंबोला प्रतियोगिता, प्रश्नमंच, साप्ताहिक 'संवाद' कार्यक्रम आदि सृजित व आयोजित किए जाते हैं । भाषा का व्याकरणिक ज्ञान बढ़ाने के लिए इस कार्यालय द्वारा एक 'सुभाषिनी' नामक पुस्तिका का भी सृजन किया गया है । कार्यालय में सकारात्मक वातावरण के निर्माण के लिए विभाग प्रमुख श्री इ. राधाकृष्णा, भा. पु. से., पुलिस महानिरीक्षक, स्वयं प्रयत्नशील रहते हैं तथा प्रत्येक माह किसी न किसी इन कार्यक्रमों में स्वयं उपस्थित होकर अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित व प्रोत्साहित करते हैं ।

पाठकों के पत्र

त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा भारती का अप्रैल-जून, 2008 अंक प्राप्त हुआ। 'कैसे आगे बढ़े रथ हिंदी का' 'विश्व हिंदी दर्शन में यू. एन. के प्रांगण में हिंदी की शान' पर्यावरण शिक्षा एवं संचार माध्यम' आदि लेख सराहनीय एवं उपयोगी हैं। पत्रिका में प्रकाशित सामग्री ज्ञानवर्धक एवं पठनीय है। संपादक मंडल को हमारी ओर से शुभकामनाएं।

–डॉ. अमर सिंह सचान, हिंदी अधिकारी
राष्ट्रीय आवास बैंक कोर-5-ए, तृतीय तल, इंडिया हैबीटेट सेंटर, लोधी रोड़ नई दिल्ली-110033

तिमाही पत्रिका राजभाषा भारती की एक प्रति सधन्यवाद प्राप्त हुई। राजभाषा भारती के समस्त परिवार को नमन करते हुए मैं अपनी हार्दिक शुभकामना अर्पित करता हूं। पत्रिका अपनी परिचय प्रस्तुत करने में पूर्ण रूप से समर्थ है।

हिंदी के गौरवमय इतिहास आज विश्व के अनमोल धरोहर हैं। जिस भाषा की संतान मीरा, कबीर, सूर, तुलसी जैसे संत तथा गाँधी, सुभाष, नेहरू, पटेल एवम् अटल जी जैसे राष्ट्र विधता हो भला उससे कोई कितना दिन दूर रह पाएगा।

''यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत: अभ्युत्थानम् अधर्मस्यु तदात्मानम् सृजाम्यहम्''

साधुवाद,

–आशीर्वाद राय, उपप्रबन्धक वानकी/प्रभारी राजभाषा
नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड पो. पेपर नगर, तुली, मोकोकचुंग, नागालैंड

'राजभाषा भारती' (अप्रैल-जून, 2009) अवलोकन करने का सौभाग्य मिला। हर विषय वस्तु रोचक एवं पठनीय है। विशेषत: गहन गवेषणात्मक सभी लेख स्तरीय एवं ज्ञानवर्द्धक हैं। 'राजभाषा भारती' पाठकों को एक विशेष दर्जा देने का मानदण्ड खड़ा करता है।

मै एक अहिंदी भाषी पाठक के लिए ये सौभाग्य बारम्बार मिले और हिंदी भाषी सेवा में पुष्प सुमन अर्पित करने की सुवसर मिलता रहे। ''राजभाषा भारती' साहित्याकाश में देदीप्यमान नतत्र बनों इति।

श्री शिबराज प्रधान,
समाज सेवी/दुम्सीपाड़ा या बगीचा (नं. 12) पो.-रामभसेड़ा, जिला-जल पाईगुड़ी (प.ब.)-735228

आपके विभाग की त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा भारती के अंक 121 (अप्रैल-जून, 2008) की मानार्थ प्रति प्राप्त हुई है। इस अंक में डॉ. मनमोहन सिंह का लेख अत्यंत उत्साहित करने वाला है। डॉ. शहाबुद्दीन नियाज मुहम्मद शेख ने देवनागरी लिपि के इतिहास को रोचक ढंग से पेश किया है। ब्रह्मा संबंधी उनकी अवधारणा तर्कसंगत प्रतीत होती है। डॉ. श्रीमती धृति नेमा ने हिंदी के रथ को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्यबिन्दु सुझाए हैं और वे सही भी हैं परंतु बात वहीं आकर अटक जाती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसका प्रयोग वांछित स्तर पर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कोई कारगर उपाय सुझाने में वे असमर्थ रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदी प्रयोग के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन की नीति हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के लिए ही ठीक है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में सजा का केवल प्रावधान करना ही काफी नहीं है, उसका क्रियान्वयन भी उतना ही जरूरी है।

चितरंजन लाल भारती ने असमिया भाषा और नागरी लिपि में संबंध को रेखांकित करते हुए भारतीय भाषाओं के लिए समान लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाने की वकालत की है, जो तर्कसंगत प्रतीत होती है। परंतु क्षेत्रीयता और अलगाववाद की प्रबलता के इस दौर में यह मुश्किल ही लगता है कि विभिन्न भाषाओं के विद्‌वान इस पर विचार करने के की हिम्मत जुटा पाएंगे। साहित्यिकी के अंतर्गत डॉ . आरसु और अनु गौड़ के समीक्षात्मक निबंध पठनीय हैं।

राजभाषा भारती का प्रत्येक अंक तकनीकी और वैचारिकता दोनों स्तरों पर हमें पर्याप्त मानसिक खुराक देता है। आपसे अनुरोध है कि हमारे कार्यालय को स्थायी रूप से राजभाषा भारती की सदस्यता सूची में शामिल करने का अनुग्रह करें और इसकी आगामी सभी प्रतियाँ हमें नियमित रूप से भेजते रहें।

–सहायक मुख्य अधिकारी, (राजभाषा)
यूको बैंक, राजभाषा कक्ष, अंचल कार्यालय, सैनिक बाजार, मेन रोड, राँची-834001

'राजभाषा भारती' का अंक 121 (अप्रैल-जून,.2008) कई महत्वपूर्ण पठनीय सामग्री से लैस होने के कारण दस्तावेजी बन गया है । डॉ. शहाबुद्दीन का आलेख "विश्वलिपि : देवनागरी" सूक्ष्म विशेषताओं से अलंकृत है । डॉ. बाल शौरि रेड्डी का आलेख 'भाषा और संस्कृति' भी लेखक की मनीषा का ज्ञानवर्धक अवदान है । न्यूयार्क में संपन्न 8वाँ विश्व हिंदी सम्मेलन पर डॉ. सुधा बी. का आँखों देखा वर्णन अत्यन्त रोचक है । हर रचना पठनीय है । ऐसी उपयोगी प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई । मंगलाकांक्षी

–प्रो. (डॉ) लखन लाल सिंह आरोही,
त्रतंवरा, खैरा पो. पतसौरी खैरा, जिला-बांका (बिहार)-813107

राजभाषा भारती में प्रकाशित सभी रचनाएँ उच्च कोटि की, सराहनीय एवं पठनीय है । छायाचित्रों से पत्रिका सुंदर एवं आकर्षक बन पड़ी है, जिससे राजभाषा के क्षेत्र में हुई प्रगति की विविध गतिविधियों से परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ । हिंदी भाषा की मानकता का समाधान हम सबके लिए बहुत की उपयोगी है, जिससे भाषा में एकरूपता की संभावना बढ़ जाती है । नीलम शर्मा 'अंशु' का हिंदी-पंजाबी संबंध लेख अच्छा लगा । हिंदी एवं पंजाबी का अटूट संबंध सदियों से रहा है । पंजाब में अनेक लेखकों ने हिंदी में साहित्य रचना करके अपना नाम रोशन किया है, उनका हिंदी से विशेष लगाव रहा है । इस कड़ी में हम अमृता प्रीतम को कैसे भूल सकते हैं । पंजाबी लोग जिंदादिली के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, दुनियाँ में जहाँ कहीं पर भी बस जाते हैं वहां अपनी संस्कृति की छाप अवश्य छोड़ते हैं । पंजाबी संस्कृति, लोककथाओं के दर्शन हमारे चलचित्रों एवं अनेक कथाओं एवं कहानियों तथा जीवन के विभिन्न रंगों में होते रहते हैं । श्री दयानाथ लाल का लेख हरिवंशराय बच्चन बहुत ही अच्छा लगा । यह सही है कि जितनी प्रसिद्धि श्री हरिबंशराय बच्चन को मधुशाला से मिली, अन्य किसी पुस्तक से नहीं । यह देश-विदेश से प्रसिद्ध हो गई । पाठकगण मधुशाला का एक नहीं अनेक बार रसपान करना चाहते हैं । श्री प्रेम कुमार का सतर्कता जागरूकता लेख अच्छा लगा । यदि हम सरकारी पैसों का रिसाव बंद कर सकें एवं अपने अन्दर ईमानदारी एवं नैतिकता पाल लें यह देश दुनिया का सिरमौर बन सकता है ।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादक मंडल बधाई का पात्र है एवं पत्रिका के उत्तरोत्तर विकास हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ ।

–एस. के. शर्मा, हिंदी अधिकारी,
भारतीय आयुध निर्माणियाँ आयुध निर्माणी, भंडारा

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रेषित पत्रिका "राजभाषा भारती" के 121वें अंक की एक प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद । पत्रिका में सम्मिलित सभी रचनाएँ पठनीय, रोचक एवं ज्ञानवर्धक है । इनमें से डॉ बाल शौरि रेड्डी द्वारा लिखा "भाषा और संस्कृति" लेख, श्रीमती सुष्मा रानी की लिखा हुआ लेख "अहिंसा और सत्य के मार्गदर्शक: महात्मा गांधी तथा डॉ. बी. सुधा द्वारा लिखा हुआ लेख "यू.एन. के प्रांगण में हिंदी की शान" आदि उल्लेखनीय है । इसके साथ-साथ वल्लभ डोभाल का लिखा हुआ लेख "शब्द एक-अर्थ अनेक" बहुत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक है । इसके अलावा सुशील भूषण द्वारा लिखा हुआ लेख "परिस्थितिकीय संतुलन यानि मानव अस्तित्व की कुंजी" में आज-कल के बढते हुए प्रदूषण और परिस्थितिकीय असंतुलन की संपूर्ण जानकारी दी गई है । इस पत्रिका में हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के लेख भी जोड़ कर द्विभाषी बनाया जा सकता है जिससे हिंदीतर भाषी भी इस पत्रिका की ओर आकर्षित होंगे । मुख पृष्ठ का छायांकन आकर्षणीय बन पड़ा है ।

इस संग्रहणीय पत्रिका से संपादक द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की झलक मिलती है । आशा है कि आगे भी यही प्रयास जारी रहेगा और हमें आपकी पत्रिका मिलती रहेगी ।

–रवि कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा)
मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय हैदराबाद-1 'डी' ब्लॉक, नौवीं मंजिल, आयकर शिखर,
ए.सी.गार्ड्स, हैदराबाद-500 004.

पत्रिका का नवीन 119वां अंक प्राप्त हुआ । एतदर्थ धन्यवाद । पत्रिका में समाहित रचनाएं रोचक, ज्ञानवर्धक, पठनीय तथा मनोरंजक हैं । पत्रिका का मुख्य पृष्ठ चित्ताकर्षक तथा मोहक है । रचनाओं में विशेषतया 'मानक हिंदी' स्वरूप एवं विशेषताएं' गुरु नानक देव जी मानवता की एकता के पैगम्बर, राजभाषा हिंदी और विश्व हिंदी सम्मेलन, उल्लेखनीय है । सही अर्थों में पत्रिका में ली गई सभी सामग्री पठनीय व संग्रणीय है । विभिन्न कायालयों की राजभाषा संबंधी गतिविधियां प्रचार-प्रसार में प्रेरक है । सम्पादक मण्डल का कार्य प्रशंसनीय है तथा पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में पूर्णतया सहायक है । पत्रिका में समाहित सभी रचनाकार बधाई के पात्र हैं । पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिये हम मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं ।

–सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,
हिंदी कक्ष कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश ऑडिट भवन, ग्वालियर

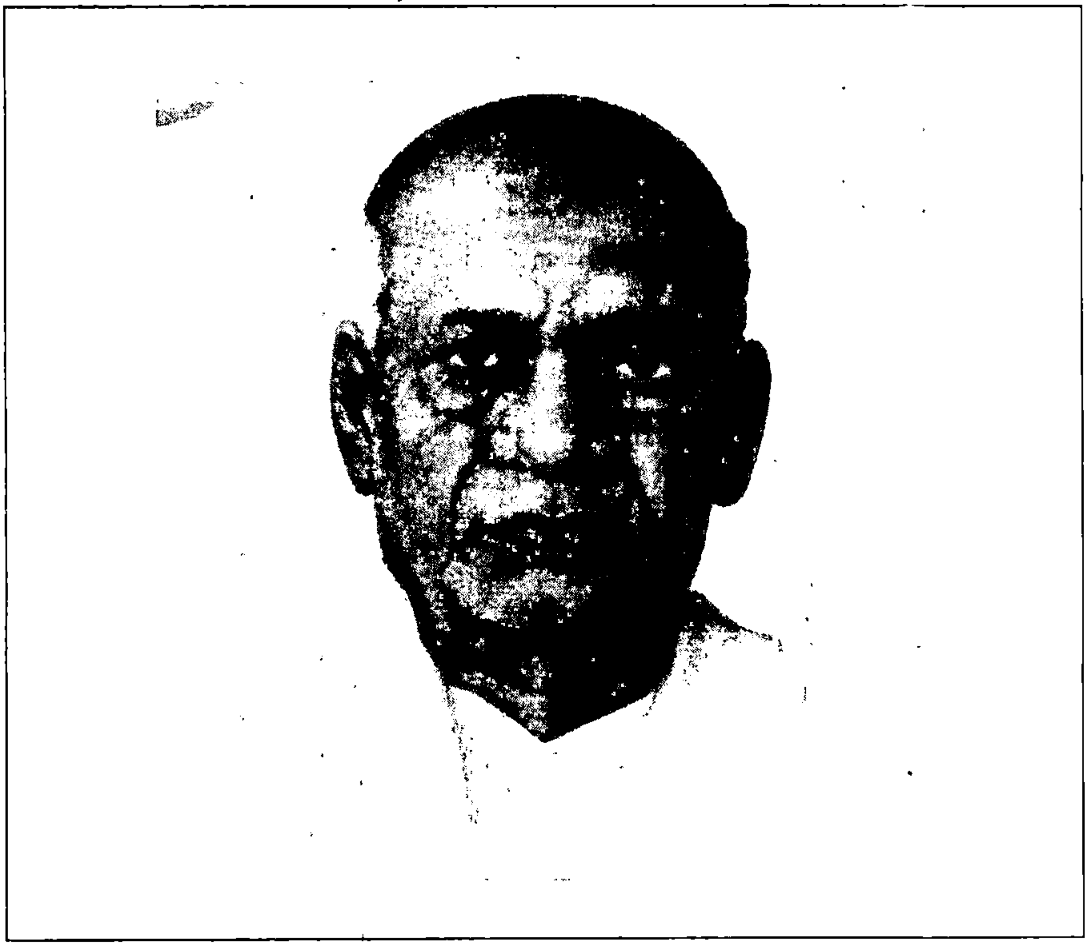

"अब जबकि हिंदी को राष्ट्रभाषा की पदवी मिल गई है,
हर व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि राष्ट्रभाषा की उन्नति बढ़ाए और उसकी सेवा करे,
जिससे कि सारे भारत में वह बिना किसी संकोच या संदेह के स्वीकृत हो ।
हिंदी का पाट महासागर की तरह विस्तृत होना चाहिए,
जिसमें मिलकर और भाषाएं अपना बहुमूल्य भाग ले सकें ।
राष्ट्रभाषा न तो किसी प्रांत की और न किसी जाति की है ।
वह सारे भारत की भाषा है और उसके लिए यह आवश्यक है कि
सारे भारत के लोग उसको समझ सकें
तथा अपनाने का गौरव हासिल कर सकें ।"

—सरदार वल्लभभाई पटेल

भारत की राजभाषा नीति के अधीन हमारे दायित्व

- सभी सामान्य आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टों या प्रेस विज्ञप्तियों, कार्यालयों से निष्पादित संविदाओं और करारों तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञा-पत्रों, सूचनाओं और निविदा प्रारूपों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना होगा ।
- उपर्युक्त कागजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसे दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाने, निष्पादित या जारी किए जाने के बारे में सुनिश्चित कर लें ।
- कोई भी कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या मसौदा हिंदी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद अंग्रेजी में प्रस्तुत करे ।
- सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य द्विभाषी रूप में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल और प्रकाशित किए जाएं ।
- साथ ही रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक, नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में होने चाहिएं ।

अन्य महत्वपूर्ण बातें
OTHER IMPORTANT POINTS

- नीति संबंधी सभी बोर्डों को अनिवार्यत: द्विभाषी रूप में बनाना चाहिए ।
- संगठन के सभी समारोहों के निमंत्रण पत्रों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में बनाना चाहिए ।
- सभी रबड़ की मोहरें अनिवार्यत: द्विभाषी होनी चाहिएं ।
- विज्ञापनों में हिंदी का प्रयोग 50% तक होना चाहिए ।
- सभी टिप्पणियों में हिंदी का प्रयोग 30% तक होना चाहिए ।
- अधिकारियों के सी सी आरों में उनके द्वारा हिंदी में किए गए कार्य का उल्लेख किया जाए ।
- सभी कर्मचारी उपस्थिति शीटों में हस्ताक्षर हिंदी में ही करें ।

MGIPRRND—3481 HA/09—5,000

3. राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह में आशीर्वचन देते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील जी ।

4. राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह में भाषण देते हुए माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन जी ।

पं.सं. 3246/77
आई एस एम एन 0970-9398

भाषायी कंप्यूटरीकरण : एकमात्र विकल्प यूनिकोड

यूनिकोड मानक सार्विक करैक्टर इनकोडिंग मानक है जिसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए टेक्स्ट के निरूपण के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर एकरूपता के लिए एकमात्र विकल्प कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए यूनिकोड है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इससे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर अंग्रेजी की तरह ही सरलता से 100% कार्य किया जा सकता है, कंप्यूटर पर हिंदी में सभी कार्य जैसे-वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ई-मेल, वैबसाइट निर्माण आदि किए जा सकते हैं, हिंदी में बनी फाइलों का आसानी से आदान-प्रदान तथा हिंदी की-वर्ड पर गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन में सर्च कर सकते हैं।

यूनिकोड सक्रिय करने की प्रक्रिया

(क) विंडोज एक्सपी में Indic Languages सक्रिय करने के लिए

Go to **Start->Control Panel>Regional & Language Options>**Click on **Languages Tab**

Tick the Check box to **Install files for complex scripts...** and click **OK.**

You will be required to place the Windows XP CD in the CD drive to enable indic languages including Hindi

(हिंदी Indic IME 2 इंस्टाल करने के लिए (हिंदी की-बोर्ड ले-आउट सक्रिय करने के लिए)

http://bhashaindia.com साइट पर जाए

- Click on Downloads>>Indic IME 2>> Indic IME 2 (Hindi 32 bit)
- A zip file will be downloaded.
- Unzip the folder and Run or double click Hindi Indic Input 2 setup. Once the installation process is complete, Hindi Indic input 2 has been successfully installed will be displayed.

विंडोज एक्सपी के लिए अतिरिक्त सैटिंग्स

विंडोज एक्सपी में Hindi Indic Input 2 को सभी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयरों के लिए सक्रिय करना

Once installed on Windows XP, Indic Input Tool Works on all MS Office applications. To enable it on other applications follows these steps.

1. Go to Control Panel>> Regional and Language Options>>Languages
2. Select Details tab and then "Advanced" tab.
3. Select checkbox Extend support of advanced text services to all programs and click OK
4. You may be prompted to re-start the computer.

(ख) विंडोज विस्टा तथा विंडोज 7 में हिंदी Indic IME 2 इंस्टाल करने के लिए (हिंदी की-बोर्ड ले-आउट सक्रिय करने के लिए)

http://bhashaindia.com साइट पर जाए

- Click on Downloads>>Indic IME 2>> Indic IME 2 (Hindi 32 bit)
- A zip file will be downloaded.
- Unzip the folder and Run or double click Hindi IME Input 2 setup. Once the installation process is complete, Hindi Indic input 2 has been successfully installed will be displayed.

Note : On Windows Vista and Windows 7, if your user login does not have administrative privileges or it is not included in the user group of administrators right click the "Setup.exe" icon and select "Run as Administrator".

यूनिकोड सक्रिय करने की प्रक्रिया (हिंदी तथा अंग्रेजी वर्जन) आप राजभाषा विभाग की साइट http://rajbhasha.gov.in के मेन पेज से कंप्यूटर में भाषा को सक्रिय कैसे करें ? या How to enable Language in Computer? पर क्लिक करके ले सकते हैं।

उपरोक्त विधि के बाद हिंदी में कंप्यूटर प्रयोग के लिए उपलब्ध है तथा निम्न विधि से हिंदी में कार्य प्रारंभ करें।

Start the Office application.
From the System tray Click on EN or Press Keyboard's left side ALT+Shift to toggle between EN (English) and HI (Hindi)
Select Hindi Input 2 from the shortcut menu that appears.
The PC is now ready to start typing in Hindi, Select Keyboard of your Choice.

नोट : सहायता के लिए श्री केवल कृष्ण, तकनीकी निदेशक, दूरभाष : 011-24619860 (का.) ई-मेल; kewal.krishan@nic.in से संपर्क करें।

संयुक्त सचिव
राजभाषा विभाग, भारत सरकार

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए शान्ति कुमार स्याल, सहायक संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।